खण्ड-386, अंक-5
मंगलवार, 9 चैत्र, शक संवत् 1910
(29 मार्च, 1988 ई0)

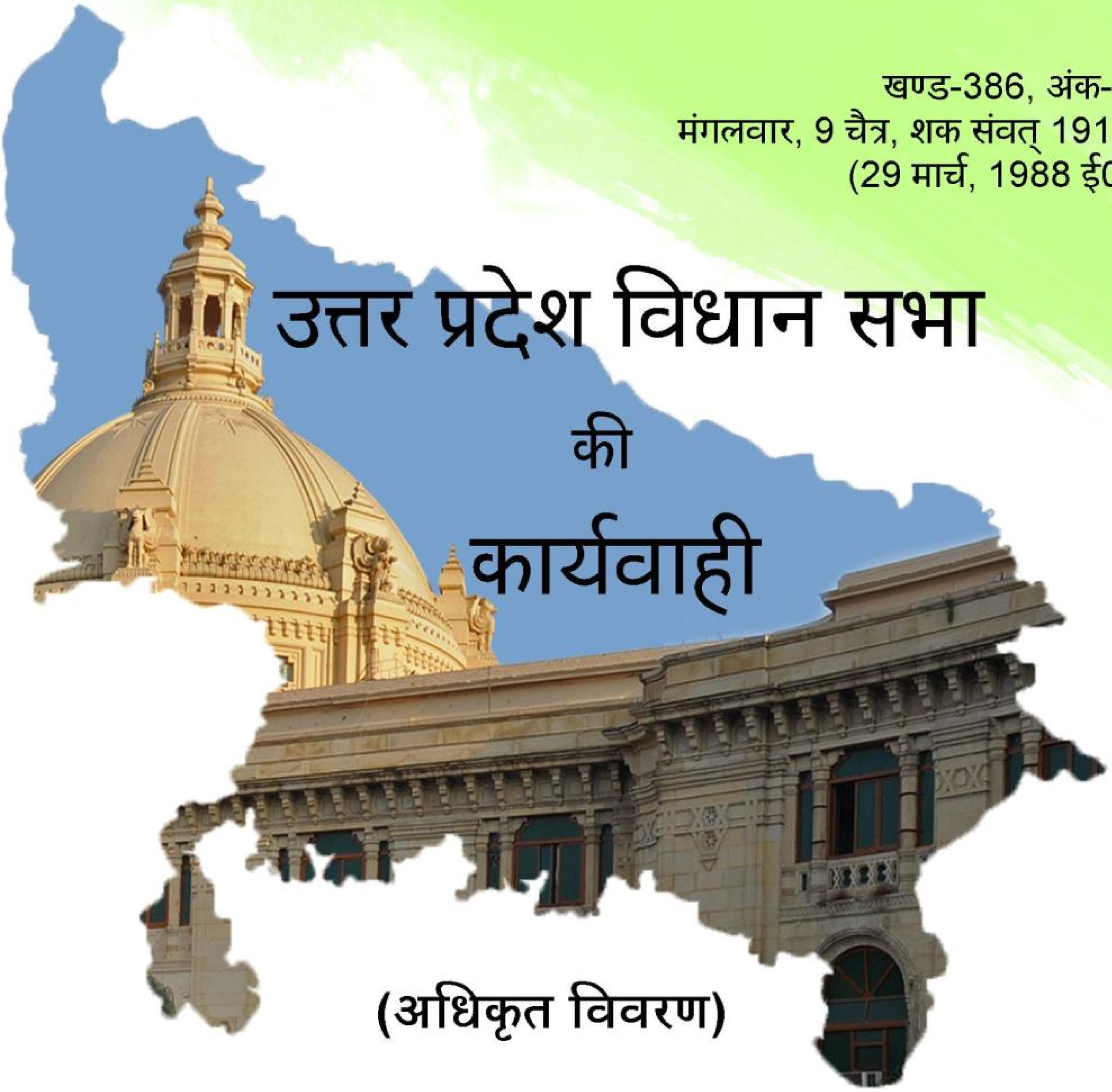

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 386 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	1–78
श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा नियमों को निलम्बित करते हुए राष्ट्रीय ध्वज से मिलते जुलते झण्डे के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा की मांग	78–80
जिला बाराबंकी के टिकैत नगर थाने में किसानों के धरने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
जिला आजमगढ़ की तहसील मुहम्मदाबाद में हास्पिटल बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81–82
आजमगढ़ सदर अस्पताल के अयन्त्र स्थानान्तरण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82
इन्दिरा नगर कालोनी, लखनऊ के सेक्टर–4 के क्वार्टरों के रख-रखाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
जिला फैजबाद के मिल्कीपुर ब्लाक की आई0आर0डी0 योजना में घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	84
बरेली महानगर की नाबालिग लड़की तुलसी विष्ट का अपहरण कर धर्म परिवर्तन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	84–85
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 51वां प्रतिवेदन (आश्वासन समिति 1987-88) (प्रस्तुत)	86
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	86–107
वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय-व्ययक की अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (जारी)	107–110
दर्शक दीर्घा से कतिपय व्यक्तियों द्वारा नारे लगाये जाने पर उठाये गये व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	111–113
वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय-व्ययक की अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (जारी) ..	113–121
बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	121
वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय-व्ययक की अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (जारी)	121–147

दर्शक दीर्घा से कतिपय व्यक्तियों द्वारा नारे लगाये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न (जारी) .. 147–149

वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय-व्ययक की अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (स्वीकृत) .. 149–155

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 1988 (पारित) 155–167

दर्शक दीर्घा से कतिपय व्यक्तियों द्वारा नारे लगाये जाने पर उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय 167–170

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 170

सीतापुर में युवा व्यापारी श्री राजेन्द्र टण्डन के अपहरण तथा उनकी हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 170–171

साकेत महाविद्यालय, अयोध्या, फैजाबाद के छात्रों पर परिसर में घुसकर पुलिस द्वारा किये गये बर्बर लाठी चार्ज से 50 घायल एवं सैकड़ों की गिरफ्तारी के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत वक्तव्य 171–173

प्रदेश के कतिपय जिलों में ओलावृष्टि से कृषि को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा 173–193

टिहरी बांध का वर्तमान ढांचा भूकम्प के झटकों के लिये असुरक्षित होने तथा उसके निर्माण के फलस्वरूप पूरे क्षेत्र में नमी बढ़ जाने की आशंका के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन 193

वन विभाग में कार्यरत वाचर, खूट मुंशी तथा बैरियर मोहर्रिरों की मजदूरी प्रदेश में लागू न्यूनतम मजदूरी की सभी श्रेणी की दरों से भी कम होने विषयक प्रश्न पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा 193–195

नत्थियां 196–197

संसदीय प्रलेख संग्रहालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री निमाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली
अलमेल अम्मालु, कुमारी	बस्ती	मोहम्मद हयात हाजी, श्री	मुरादाबाद
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी	रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर	विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
गोरखनाथ, श्री	देवरिया	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
परमाई लाल, श्री	हरदोई	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
बंशीधर राज, श्री	खीरी	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
बहादुर सिंह, श्री	आगरा	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
बैजनाथ, श्री	देवरिया	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
मूल चन्द, श्री	वाराणसी	हरिश्चन्द्र हरीश जी, श्री	बस्ती

विधान सभा उत्तर प्रदेश

केवल सूचना हेतु

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 1988 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के निजी तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को नये इंजीनियरिंग कालेज खोलने की अनुज्ञा देने पर विचार

**1—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार अपने संसाधनों के कमी को देखते हुए निजी तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को नये इंजीनियरिंग कालेजों के खोले जाने हेतु अनुज्ञा देने पर विचार कर रही है ? क्या इस प्रकार के प्रस्ताव सरकार के समक्ष आये है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है और किन लोगों के प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

प्रदेश में निजी तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा नये इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने हेतु अनुज्ञा देने का कोई विचार नहीं है । श्री मधुसूदन त्रिपाठी, एडवोकेट, प्रबन्धक, शहीद स्मारक शिक्षा समिति द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी इंजीनियरिंग कालेज एवं महिला पालीटेक्निक आजमगढ़ की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसे विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया गया है । कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, प्रदेश की जन संख्या और हर साल इण्टरमीडिएट में पास होने वाले विद्यार्थियों की तादाद को देखते हुए प्रदेश में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने की आवश्यकता अपरिहार्य है, इसलिए मान्यवर, एक मा0 सदस्य ने इससे पूर्व में यह प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार अन्य प्रदेशों की भांति यहां भी इंजीनियरिंग कालेज खोलने पर विचार कर रही है, तो माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था कि संसाधनों के अभाव के कारण यह कालेज नहीं खोले जा सकते हैं । फिर मान्यवर, मैंने यह प्रश्न के माध्यम से निवेदन किया कि यदि संसाधनों की वजह से नहीं आप खोल सकते हैं तो निजी व स्वैच्छिक संस्थाओं को इंजीनियरिंग कालेज के खोले जाने की अनुज्ञा क्यों नहीं दे रहे हैं और न देने का औचित्य क्या है ?

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया था कि निजी व स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा नये इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने से संबंधित कोई नीति शासन के अधीन विचारार्थ नहीं है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, इस प्रकार के इंजीनियरिंग कालेज कर्नाटक व बिहार व अन्य प्रदेश में बहुत चल रहे है जिससे शिक्षा ग्रहण कर बहुत से लोग देश और विदेशों में नौकरी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी यह व्यवस्था लागू कर देने में क्या मुश्किलें है । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अन्य प्रदेश जैसे कर्नाटक आदि को देखते हुए यहां भी प्राविधान करने पर विचार करेंगे और यदि जिन-जिन स्थानों पर बहुत बड़ी इन कालेजों की आवश्यकता हो, वहां पर कोई व्यवस्था इस प्रकार की कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैंने बजट भाषण प्रस्तुत करते समय भी निवेदन किया था और फिर निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में कोई स्थानों पर आज अच्छे राजकीय इंजीनियरिंग कालेज है, यह जितने भी इन्जीनियरिंग कालेज हैं, यह पूरी तरह से राजकीय नहीं है, इनमें का हर कालेज एक आटोनोमस बाडी है, इनकी अपनी एक समिति होती है , यह रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन भी भी कराते हैं, सरकार इनको मान्यता देते हुए और इनके जो अनावर्तक खर्चे होते हैं, जो लगभग 20–30 करोड़ तक पहुंच जाते हैं, इस प्रकार से आलरेडी कई इन्जीनियरिंग कालेज चल रहे हैं,

और जहां तक हमारे संसाधन जो सीमित हैं, इस संबंध में हम केन्द्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई आई0 टी0 आई0 जैसे कानपुर, वाराणसी तथा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आदि भी चल रहे हैं, इनकी अपनी अलग-अलग क्षमता है और जैसा कि मा0 सदस्य ने प्रदेश के अन्दर की बात कही। इस ओर हमारा प्रयास जारी है कि जिन स्थानों में इनकी आवश्यकता अधिक है वहां राजकीय स्तर पर इन्जीनियरिंग कालेज खोलने, उनमें सबसे पहले बरेली में खोलने के लिए हमारे प्रयास रहे क्योंकि वह एक डिवीजनल हेडक्वार्टर है और वहां पर इसकी आवश्यकता है। अतः उचित समय खोला जायगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, हमारे प्रदेश के तमाम लोग इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए दक्षिण भारत चले जाते हैं, वहां पर स्वैच्छिक संस्थायें हैं, वहां पर डोनेशन देकर एडमीशन कराते हैं। इस प्रकार से प्रदेश का करोड़ों रुपया दूसरे प्रान्तों में चला जाता है और वहां से जो लड़के डिग्री प्राप्त करके निकलते हैं, और जब यहां किसी ट्रस्ट में बैठते हैं, तो आ जाते हैं तो आपके कालेजों और उन में कौन सा फर्क है। इन्जीनियरिंग की शिक्षा अधिक से अधिक दी जा सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको मान्यता देने का कष्ट करेंगे और क्या जो आपके यहां से पढ़े हुए छात्र नहीं हैं, उनको उत्तर प्रदेश में सेवा करने पर प्रतिबन्ध लगायेंगे।

श्री चेतराम गंगवार---

मान्यवर, प्रदेश सरकार चाहती है कि जो मेधावी छात्र हैं, जो इन्टलीजेन्सियर है, अच्छे लड़के हैं, उनका सेलेक्शन हो सके और माननीय सदस्य माता प्रसाद जी ने मेरी मुश्किल को कम कर दिया है, इन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों में स्वैच्छिक इंजीनियरिंग कालेज हैं वहां पर डोनेशन देकर एडमीशन प्राप्त कर लिया जाता है। तो हम यह चाहते हैं कि जो सुविधा अमीर लोगों को प्राप्त है, वही सुविधा गरीब लोगों को भी प्राप्त हो सके, इसलिये यह जनहित में नहीं है और सरकार के पास कोई पालिसी विचाराधीन नहीं है कि उनको मान्यता दें।

श्री कौशिक रमा शंकर---

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अनुभव को देखते हुए चाहे मेडिकल कालेज हों या इन्जीनियरिंग कालेज हों, जो स्वैच्छिक संस्थायें चलाई जाती हैं, उनका बड़ा बुरा अनुभव जनता को झेलना पड़ रहा है और अन्य प्रदेशों में जो स्वैच्छिक कालेज चल रहे हैं, वह जनता के लिए एक अभिशाप हैं, क्या शासन इन पर रोक लगाने पर विचार कर रही है ?

श्री चेत राम गंगवार---

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि हमारी कोई पालिसी नहीं है कि स्वैच्छिक संस्थाओं को रिकगनिशन दिया जाय।

श्री सुखपाल पाण्डे---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में टेक्निकल एजूकेशन के विस्तार के लिए कोई मामला विचाराधीन है, क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि स्वैच्छिक संस्थायें हैं, उनको मान्यता देकर प्राविधिक शिक्षा का विकास करें और जो लाखों रुपया दूसरे प्रान्तों को जाता है, उससे लोगों को बचाने की कृपा करेंगे ?

श्री चेतराम गंगवार---

माननीय सदस्य ने प्राविधिक शिक्षा की बात कही, मैं उनसे सहमत हूं कि प्राविधिक शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिये। इसीलिये हमने पहले ही प्रदेश में अनकों संस्थायें कायम की हैं, एक तो काडू सेन में दूसरी द्वाराहाट में और तीसरी झांसी में पिछले दो वर्षों में जब से सिंह सरकार आयी है हमने प्रदेश में 15 ऐसे इंस्टीटयूसन्स राजकीय तथा महिला पोलिटेक्निक्स तथा तीन इंजीनियरिंग कालेजेज खोले हैं।

श्री कौशिक रमा शंकर--

यह सिंह सरकार क्या होती है, मान्यवर.....

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, एक तरफ तो माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि शासन की कोई नीति नहीं है कि वह यहां पर स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुज्ञा दें और दूसरी तरफ मंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जितने इंजीनियरिंग कालेजेज चल रहे हैं वे निजी संस्थाओं के माध्यम से ही चल रहे हैं। यदि उत्तर प्रदेश में स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुज्ञा देने पर प्रतिबन्ध नहीं है अभी तक नहीं रहा है और अभी तक जो चल रहे हैं वे निजी संस्थाओं के द्वारा चल रहे हैं जैसे यहां पर टाटा और बिरला के इन्स्टीट्यूशन्स चल रहे हैं जिनमें किसी प्रकार का डोनेशन नहीं लिया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त संस्थायें हैं, यदि इस तरह का कोई प्रस्ताव आपके पास आयेगा तो क्या आप उस पर विचार करेंगे या ऐसी संस्थानों को अधिगृहीत करके शासन द्वारा चलाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री चेतराम गंगवार---

मान्यवर, जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन है किया उसमें कोई भिन्नता नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की स्वैच्छिक संस्थाओं को रिकग्निशन देने की कोई नीति नहीं है लेकिन मान्यवर, केन्द्र सरकार के यहां एक अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् है उनके यहां कोई ऐसी बात हो तो उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। बाकी प्रदेश सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं एक दफे इस सदन में प्रश्न आया था यहां पर एक लाल बहादुर शास्त्री इन्स्टीट्यूशन था उसके सम्बन्ध में हमने भारत सरकार को लिखा था। उस सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ कमेटी आयी थी, वह एक राजकीय पोलिटेक्निक की बात थी, उसे उन्होंने मना कर दिया था। उनके कुछ मानक हैं। उसके लिये ढाई सौ एकड़ जमीन चाहिए। लखनऊ में या कानपुर में या कहीं भी यह जमीन दो-चार करोड़ रुपया से कम में क्या मिलेगी ? मुश्किल से उसमें 30/40 स्टूडेन्ट्स होंगे और इनमें 4/5 साल का कोर्स होता है उसके लिये करोड़ों रुपया चाहिए। कहां से यह संस्थायें इतना पैसा लायेंगी सिवाय इसके कि वह शोषण करें। इसलिये सरकार ने इस संबंध में ऐसी कोई नीति नहीं बनायी है कि हम प्राइवेट या स्वैच्छिक संस्थाओं को कोई रिकग्निशन दें।

श्री मैनेजर सिंह---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसे आपके उत्तर से ऐसा लगा कि आप शंकित हैं स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता देने में, क्योंकि आप समझते हैं कि उससे शोषण होगा और कैपिटेशन फीस ली जायेगी। क्या आप इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि जो आपकी स्वैच्छिक संस्थायें हैं उनको मान्यता देते हुए जो आपके मानक हैं इन्जीनियरिंग कालेजों के, उनकी पूर्ति जो संस्था करें वहां पर प्रवेश हेतु जो सूची आपके द्वारा स्वीकृत हो जैसे कि बी0 एड0 में आपके द्वारा जो सूची दी जाती है उन्हीं को प्रवेश दिया जाता है उसी प्रकार से आपके द्वारा दी हुई स्वीकृत सूची के अनुसार ही उन्हें इन्जीनियरिंग कालेजों में प्रवेश दें। इस तरह का प्रतिबन्ध लगाकर आप ऐसी संस्थाओं को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार करेंगे ? इससे शोषण भी नहीं होगा और कैपिटेशन फी भी नहीं ली जायेगी और प्राविधिक शिक्षा का विस्तार भी हो जायेगा। इस तरह से इन्जीनियरिंग कालेजों में सीटों का विस्तार भी हो जायेगा और आप जैसे पहलवान और युवा लोगों का कोटा भी निर्धारित हो सकेगा।

श्री चेतराम गंगवार---

मान्यवर, हमारी प्राविधिक शिक्षा में पहलवान वही हैं जो मेधावी छात्र हैं उसके लिये संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है। इन परीक्षाओं का आयोजन के0 एन0 आई0 टी0 करता है उसमें इंगलिस, फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में रिटन परीक्षा होती है और उसके बाद जो मैरिट आती है उसके अनुसार एडमिशन्स होते हैं यहां तक कि ट्रेड भी उनको मेरिट के आधार पर देते हैं।

श्री सुखपाल पाण्डे--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि मेधावी छात्रों की भर्ती वह करते हैं लेकिन मंत्रिपरिषद् में [***]कैसे ले लिये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

यह मुनासिब नहीं है, नहीं लिखा जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, शासन ने निर्णय ले लिया है कि स्वैच्छिक संस्थाओं को इंजीनियरिंग कालेज चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी । मैं बताना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार ने जहां जनता पार्टी की सरकार है ऐसे निजी कालेजेज को बन्द करने का निर्णय ले लिया है । लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण इस दृष्टि से करा लिया है और कहा है कि जनसंख्या के आधार पर इंजीनियरिंग कालेज खोले जायं । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत हैं कि प्रैशर आफ पापुलेशन को देखते हुये तथा इंजीनियरिंग कालेजेज की मांग को देखते हुये पूर्वांचल का सर्वेक्षण कराकर नये इंजीनियरिंग कालेजेज सरकारी क्षेत्र में खोलने या जो वर्तमान में इंजीनियरिंग कालेजेज हैं उनमें छात्रों की संख्या कम से कम 25 प्रतिशत बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री गंतराम गगवार---

मान्यवर, इस पर विचार कर लेंगे, पूर्वांचल का सर्वेक्षण करा लें ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न संख्या 2

(प्रश्नकर्ता सदस्य के अनुपस्थित होने पर)

प्रदेश के समस्त जनपदों में अल्प बचत पत्र अनिवार्य रूप से देने हेतु शासन द्वारा जिलाधिकारियों को दिये गये आदेश

**2---श्री देवेन्द्र कुमार सिंह (अनुपस्थित)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में किसी भी कार्य को कराने हेतु अल्प बचत पत्र अनिवार्य रूप से देने के आदेश शासन द्वारा जिलाधिकारियों को दिए गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो जिलाधिकारियों द्वारा जिले में प्रत्येक विभाग को अल्प बचत पत्र जमा कराने का कोटा निर्धारित किया गया है एवं जबरिया अल्प बचत पत्र किसी कार्य हेतु क्यों माँगे जाते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)---

प्रदेश के विकास कार्यक्रमों के लिये वर्ष 1987-88 में अधिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय बचत योजना को विशेष महत्व दिया गया है । जिलाधिकारियों/विभागाध्यक्षों को पूर्व वर्षों की भांति प्रतिभूतियों व लाइसेंस आदि की जमानत राष्ट्रीय बचत पत्रों के रूप में लेने के निर्देश इस वर्ष भी दुहराये गये हैं । जबरिया अल्प बचत पत्र मांगे जाने के कोई निर्देश नहीं हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, इसमें रुचि है यह पूरे प्रदेश से संबंधित है अभी ले लें ।

श्री अध्यक्ष---

बाद में देखेंगे ।

नोट :---(***) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद में हत्या, अपहरण तथा फिरौती मांगने की घटनाओं में हो रही वृद्धि के संबंध में शिकायती पत्र एवं जांच

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में कानून और व्यवस्था की निरन्तर गिरती स्थिति तथा हत्या, अपहरण और फिरौती मांगने की घटनाओं में हो रही वृद्धि के बारे में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र संख्या 230/ज0गा0/88 दिनांक 27 जनवरी, 88 शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो जनपद के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सामूहिक स्थानान्तरण करके प्रश्नकर्ता के प्रश्नगत पत्र में उठाए गए सभी बिन्दुओं की उच्चस्तरीय खुफिया जांच कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

राज्य गृह मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

जी हां । सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामूहिक स्थानान्तरण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । प्रश्नगत पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की सम्प्रति खुफिया जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। इस पत्र में इंगित अपराधों के बारे में पुलिस द्वारा गहराई से विवेचना की जा रही है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि मैंने जिस पत्र के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा है उसमें कहा है कि गोसाईगंज थाना क्षेत्र के एक कि0 मी0 के अन्दर 6 लाशें पाई गयीं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इनको मार कर डाल दिया गया और एक को छोड़ कर किसी का पता नहीं चला और न किसी अपराधी को ही पुलिस पकड़ पाई और दूसरा दर्शन नगर कस्बे में एक लड़के का अपहरण किया गया उसमें एक लाख रुपये की फिरौती की मांग की गयी दो बार पुलिस पार्टी के साथ बच्चे का बाप गया । एक बार पुलिस को बताया कि यही अपराधी है लेकिन पुलिस ने नहीं पकड़ा । दुबारा फिर रेल से गये उसमें कहा कि ट्रेन की चेन पुल की लेकिन ट्रेन रुकी नहीं इसलिये अपराधी नहीं पकड़े जा सके । वहां दर्जनों हत्याओं और डकैती की घटनायें हुई है लेकिन पुलिस एक में भी पता नहीं लगा पाई है । तो फिर कैसे मालूम हो कि इनकी पुलिस ठीक से काम कर रही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह मेरी बातों का सी0 आई0 डी0 की जांच कराना क्यों उपयुक्त नहीं समझते हैं वह कौन से कारण हैं जिनके कारण इतनी हत्यायें हो रही हैं और उसमें पुलिस असफल रही है ? सी0 आई0 डी0 को सौंपने में इनको क्या कठिनाई है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 को सौंप देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री अवधेश प्रसाद के खड़े होने पर) उन्होंने कहा है कि सी0आई0डी0 को सौंप देंगे । अब क्या रह गया है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, मेरे जिले का मामला है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय तिवारी जी ने जो प्रश्न पूछा है उसी से सम्बन्धित हैं अपराधों की विवेचना के बारे में हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन अपराधियों का उन्होंने हवाला दिया और निजी जानकारी है कि वह अपराधी ऐसे हैं जिनसे पूरे जिले में भय और आतंक व्याप्त है। तो उन अपराधों के संबंध में किसी मुल्जिम को अभी तक गिरफ्तारी हुई है कि नहीं और कौन-कौन अपराधी हैं जिनका पत्र में उन्होंने इंगित किया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह बिन्दु तो श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने उठाया है जिसका जवाब दे दिया गया है कि सी0 आई0 डी0 से जांच करा देंगे ।

श्री मैनेजर सिंह---

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि शिकायती पत्र में क्या क्या शिकायतें हैं, क्या यह भी शिकायत है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और पुलिस उनसे मिली है, क्या इसकी भी जांच सी0 आई0 डी0 करेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

मान्यवर, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने की बात बिल्कुल प्रकाश में नहीं आयी है। माननीय तिवारी जी ने जो खास घटनाओं का वर्णन किया है और संदेह किया है कि इसमें ठीक से काम नहीं हो रहा है और प्रश्न की मुख्य भावना यह है कि यह सी0आई0डी0 को जांच दे दी जाय, मैंने सदस्यों की मांग को और भावना एवं वहां के हालातों को देखते हुए यह स्वीकार कर लिया है कि यह मामला सी0 आई0 डी0 को दे दिया जायेगा।

श्री औसान सिंह---

मान्यवर, कानून और व्यवस्था की निरन्तर गिरती स्थिति फैजाबाद की ही नहीं बल्कि यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि, चूंकि देखा गया है कि पूरे प्रदेश में जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनका कैरेक्टर रोल खराब है उनको ही थानों में तैनात किया जाता है, इसलिये कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कैरेक्टर रोल के आधार पर पूरे प्रदेश में पुलिस का पुनर्गठन करके नियुक्तियां करने की व्यवस्था करेंगे ताकि कानून व्यवस्था में सुधार हो सके ?

श्री अध्यक्ष---

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

सी0 आई0 डी0 जांच का मंत्री जी ने आश्वासन दिया उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन सी0आई0डी0 की जांच होगी तो जैसा श्री तिवारी जी ने कहा है कि कुछ लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हैं तो इस बिन्दु पर भी सी0आई0डी0 को जांच के लिये संदर्भित करेंगे जिसका हवाला श्री तिवारी जी ने पत्र में दिया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

मान्यवर, इंसाफ और न्याय के हित में यह बिन्दु भी संदर्भित कर देंगे।

जनपद उन्नाव में जाली नोट बनाने के ब्लाक तथा छापने का सादा कागज बरामद होने पर कार्यवाही

*2---श्री हृदय नरायन दीक्षित---

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जनपद में नोट छापने की कोई फैक्ट्री माह जनवरी 88 के आस-पास बरामद हुई है और उसके ब्लाक मिले हैं ? यदि हां, तो नोट छापने जैसे गम्भीर अपराध के मामले में क्या कोई बड़ी एजेन्सी काम करती पायी गयी है ; क्या यह सच है कि छपाई के ब्लाक असली है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1-1-88 को उन्नाव जनपद में पुलिस द्वारा छोटे लाल नामक एक व्यक्ति के मकान से जाली नोट बनाने के कुछ ब्लाक तथा नोट छापने का सादा कागज करीब 3 किलोग्राम बरामद हुआ। उपरोक्त उपकरणों को नासिक से लाना ज्ञात हुआ है। जहां तक इनके असली होने का प्रश्न है, इस संबंध में विवेचना जारी है। अभियुक्त छोटे लाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अन्य दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। मामले में विवेचना प्रचलित है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित---

मान्यवर, नोट छापने का कारखाना बरामद होना बहुत बड़ी घटना है। उन्नाव में बहुत पहले से ऐसे अपराध चल रहे हैं जैसे तस्करी और यह सब राजनीतिक संरक्षण में चल रहे हैं।

जनवरी 1988 से अब तक तीन महीने हो गये हैं और अब तक सिर्फ वही एक अभियुक्त पकड़ा गया है और दूसरे अभियुक्त नहीं पकड़े जा सके हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बहुत बड़े काण्ड को देखते हुए क्या सरकार इसकी जांच सी0 बी0 आई0 से कराने की संस्तुति करेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

मान्यवर, उसमें तेजी करायेंगे, जल्दी करायेंगे और सी0 बी0 आई0 से जहां तक जांच का सम्बन्ध है, वह हमारे उत्तर प्रदेश के कार्य क्षेत्र का मामला नहीं है। फिर वहां इस प्रकरण में बहुत देर लगेगी और यह सबकी दिलचस्पी का मामला है। शासन इसमें कोई कोताही, शिथिलता नहीं करेगा और इसमें कोई किसी प्रकार की ढिलाई नहीं की जायगी। इसमें हम तेजी करायेंगे और तेजी से विवेचना करायेंगे।

श्री जयदीप सिंह बरार---

माननीय सदस्य दीक्षित जी ने यह आरोप भी लगाया है कि यह बहुत बड़े उच्च राजनैतिक लोगों के संरक्षण में हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब शासन में उच्च स्तरों पर बैठे लोगों पर राजनैतिक षड़यंत्र के आरोप लग गये हों तो शासन कैसे अपेक्षा करता है कि सी0आई0डी0 उसकी उचित जांच कर देगा, तो यह जो भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने का यह षड़यंत्र है तो क्या इसके लिए वह भारत सरकार को संस्तुति करेगी कि वह अपनी स्वतन्त्र जांच सी0 बी0 आई0 से कराये, और यह चाहें तो अपनी जांच सी0 आई0 डी0 से जारी रख सकते हैं। यह दोनों जांचे एक साथ जारी रह सकती हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

मान्यवर, यह तो बरार साहब और उनके दल के लोग आरोप-प्रत्यारोपों में हमेशा से ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, किन्तु इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यह सत्य से बहुत, बहुत, बहुत परे है कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का राजनैतिक षड़यंत्र है। मैं सम्मानित सदन को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत तेजी से जांच करायेंगे और यदि सदन की यह भावना हो कि सी0आई0डी0 से जांच हो तो उसको इसे दिया जा सकता है।

श्री मनोहर लाल---

मान्यवर, यह बहुत ही अहम सवाल है, मंत्री जी ने जानबूझ कर इस मामले में संबंधित थाने का जिक्र नहीं किया है, केवल जनपद उन्नाव का उल्लेख किया है। मान्यवर, यह मेरी अच्छी तरह पूरी जानकारी में है, यह मामला थाना गंगाघाट का है, जहां पर गृहमंत्री के एक रिश्तेदार श्री सत्येन्द्र मिश्र, थाना इंचार्ज है। अभी एक हफ्ते पहले इसी थाने के अन्तर्गत यहीं के पुलिस कर्मियों द्वारा जो अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री चलती थी पकड़ी गई थी, इसी थाने के अन्तर्गत गंगाघाट में जहां जाली नोट छापने का कारखाना पकड़ा गया है, और इससे सम्बन्धित अभियुक्त छोटेलाल ने पुलिस को बताया है कि हम गृह मंत्री तक को हिस्सा देते हैं, उसने यह बात बहुत साफ तौर पर कही थी और अखबारों तक में यह बात आई थी, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि.....

श्री मैनेजर सिंह---

दो गृह मंत्री हैं, आप किसके बारे में कह रहे हैं ?

श्री मनोहर लाल---

बड़े वाले गृहमंत्री। कि इन सारे प्रकरणों में अवैध हथियार व कट्टे बनाने-बनवाने, जमीन पर कब्जा करने के मामले में और जाली नोट छापने के मामले में सी0आई0डी0 की जांच करवायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

इस तरह के व्यक्तिगत आरोप लगाना बिलकुल मुनासिब नहीं है और यह सत्य से बिलकुल परे है कि गृहमंत्री जी का किसी प्रकर का इससे कोई ताल्लुक है। हम इस सदन में कई दिनों से देख रहे हैं कि हमारे मनोहर लाल जी गृहमंत्री के विरुद्ध इस तरह की बातें बराबर उठाते रहते हैं। इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है (व्यवधान)

मान्यवर, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए सी0 आई0 डी0 की जांच हम करा सकते हैं।

श्री राम शरण दास---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करुंगा कि यह आपकी सरकार के जो बड़े गृहमंत्री हैं उनके जनपद का यह मामला है, आप इसमें सी0 आई0 डी0 की जांच न कराके सी0 बी0 आई0 की जांच करा दें, तो सबकी शिकायत दूर हो जायगी। मनोहर लाल जी की भी शिकायत दूर हो जायगी और इनके गृहमंत्री पर भी कोई ऊंगली नहीं उठाएगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

मान्यवर, इसी सम्मानित सदन में यह भावना व्यक्त की गई है कि सी0 आई0 डी0 बहुत भरोसे का काम करती है मुझे उन सदस्य का नाम याद नहीं रहा। मैं माननीय रामशरण दास जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माया कांड के सिलसिले में इसी सी0 आई0 डी0 की जांच से 6 लोगों को फांसी दी गयी तथा 4 लोगों को आजीवान कारावास दिया गया। इसी सी0 आई0 डी0 ने 170 सब इंसपेक्टर, इंसपेक्टर और पुलिस कर्मियों के व्राजीक्यूशन की संस्तुति की। अब तक आप कहते रहे हैं कि प्रदेश की सी0 आई0 डी0 पर बहुत भरोसा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने प्रदेश के सी0 आई0डी0 को इतना खराब न समझें, आप जो सी0 बी0आई0 की बात कह रहे हैं तो सी0 बी0 आई0 से जांच कराना हमारे क्षेत्र में नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव---

मान्यवर, इनको जानकारी नहीं है सी0 आई0 डी0 की जांच कक्कड़ साहब ने की थी। उन्होंने दो-तीन पर्चे काटे, सरकार ने उन्हें तुरन्त हटा दिया। फिर इसमें जुडीशियल इन्क्वायरी हुई थी उसमें फांसी की सजा हुई थी, तो आपके यह भी मालूम नहीं है, कि कक्कड़ साहब जब सी0 आई0 डी0 जांच कर रहे थे तो आपकी सरकार ने उन्हें हटा दिया था। हम यह नहीं कहते हैं कि सी0आई0डी0 पर भरोसा नहीं है। हम सदन में सी0 आई0 डी0 जांच की ज्यादा मांग करते हैं, लेकिन कभी-कभी यह सरकार निष्पक्ष जांच में बाधा डालती है, और आतंकित करती है। इसलिए हम सी0बी0आई0 की जांच की मांग कर रहे हैं, इसमें आपको क्या आपत्ति है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मैंने पहले भी निवेदन किया कि सी0 बी0 आई0 की जांच के आदेश हम नहीं दे सकते हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

मान्यवर, सभी सदस्यों ने कहा कि यह विषय बहुत अहम् है। यह इसलिए भी अहम् है कि यह नोट से संबंधित मामला है और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से संबंधित मामला है।

मान्यवर, यह माननीय गृह मंत्री जी के गृह जनपद का मामला है। गृह मंत्री जी से संबंधित थानेदार के क्षेत्र का मामला है। तो राज्य मंत्री जी इसमें आप क्यों कांट छांट कर रहे हैं ? आपके ऊपर उंगली न उठे ऐसा आपको करना चाहिये। सही है कि सी0 बी0 आई0 की जांच का अधिकार आपको नहीं है लेकिन चूंकि यह रिजर्व बैंक से संबंधित है जो भारत सरकार के अन्तर्गत है इसलिये आप भारत सरकार से इस मामले की जांच सी0बी0 आई0 के द्वारा कराने की संस्तुति करने से क्यों कतरा रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

मान्यवर, कतराने का कोई प्रश्न नहीं है। सिविल पुलिस तत्परता के साथ काम कर रही है। छोटेलाल नाम का मुलिजम पकड़ा गया है। 2 मुलिजमों के नाम उसने और बताये हैं जो कानपुर देहात के रहने वाले हैं। 2 नाम और भी बताये हैं जिनकी तलाशी जारी है। केस खुल गया है, रिकवरी हो गयी है। नोट बनाने का ब्लाक पाया गया और कागज पकड़ा गया है तो मैं समझता हूं कि सिविल पुलिस से इसमें और तेजी से जांच करायी जा सकती थी लेकिन सम्मानित सदस्य मनोहर लाल जी ने और जिनका मूल प्रश्न था उन्होंने सी0 आई0 डी0 इन्क्वारी कराने की मांग की इसलिये उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। मैं समझता हूं कि इसमें और किसी जांच की

आवश्यकता नहीं है। मैं सदन में आश्वासन देना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी का किसी भी प्रकार से कोई वास्ता इससे दूर दूर तक नहीं है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि उनका इस मामले से कोई संबंध है।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि ब्लाक उपकरणों को नासिक से लाया गया है। प्रथम विवेचना से ज्ञात हो गया कि नोट छापने के उपकरण नासिक से आये है। नासिक वह स्थान है जहां रिजर्व बैंक के नोट छापे जाते है। ऐसी स्थिति में जब मंत्री जी स्वीकार कर रहे है कि यह उपकरण नासिक से लाये गये हैं तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी स्थानीय पुलिस जिसके जरिये आप विवेचना करवा रहे हैं वह इसकी विवेचना ठीक से नहीं कर सकती है क्योंकि यह मामला बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है और यह स्कैंडल इतना बड़ा भी हो सकता है कि पूरे भारत-वर्ष में फैला हुआ हो, इसलिये इसमें आप कोताही न करें। तो क्या माननीय मंत्री जी अपनी ओर से भारत सरकार से संस्तुति करेंगे कि इसकी जांच सी0 बी0 आई0 से करा ली जाय।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, चूंकि केस खुल चुका है, रिकवरी हो चुकी है इसलिये हम आवश्यक समझते कि इसकी जांच सी0 बी0 आई0 को दी जाय।

प्रदेश में छोटे वाहनों पर बिक्री-कर लगाने पर विचार

*3--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में बिक्रीकर अधिक होने के कारण सीमावर्ती प्रान्तों से कारों और जीपों की खरीद अपने प्रदेश के उपभोक्ता कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और बंगाल प्रान्तों में छोटी वाहनों पर लगने वाले बिक्री कर के समान कर प्रदेशीय सरकार लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

वित्त तथा बिक्रीकर राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि बिक्रीकर की दरों में अन्तर के कारण राज्य के उपभोक्ता अन्य राज्यों से कारों तथा जीपों का क्रय कर रहे हैं। यदि किन्हीं मामलों में कुछ उपभोक्ता अन्य राज्यों से खरीद करते भी हों तो उसके अनेक कारण हो सकते हैं। प्रत्येक राज्य अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार कर की दर निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र है। मात्र इस कारण किसी राज्य में किसी वस्तु पर कर की दर कम है उस वस्तु पर कर की दर कम करने का औचित्य नहीं होता। राज्य के वर्तमान संसाधनों को देखते हुए कर की दर में कमी करना सम्भव नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, यह सरकार कुम्भकरण की नींद में सोयी हुयी है। इसको इस बात की जानकारी नहीं है, कि हमारे प्रदेश के लोग अन्य प्रदेशों मध्य प्रदेश, हरियाणा, बंगाल, बम्बई से भारी मात्रा में में ट्रकों के चेसिस, एम्बेसडर कारें, फियेट, जीपें ला रहे है। कम से कम 50 हजार गाड़ियां एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में आ रही है। उन प्रान्तों का सेल्स टैक्स 2 परसेंट से लेकर 5 परसेंट तक है और हमारे यहां उन गाड़ियों का सेल्स टैक्स 11 परसेंट है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नारायण आटोमोबाइल्स और मोटर सेल्स ऐसी संस्थायें करोड़ों रुपये मोटर गाड़ियां से कमा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन तथ्यों की जानकारी के लिए सरकार ने कोई कोशिश किया। ऐसी कितनी गाड़ियां पिछले वर्षों में पकड़ी गयीं और उनको पकड़ने के बाद इस संबंध में परीक्षण कराने के लिए आपने क्या कार्यवाही किया ? मान्यवर, वहां पर कम सेल्स टैक्स है और यहांउत्तर प्रदेश में ज्यादा है, जिसके कारण तस्करी हो रही है और इससे सरकार को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की क्षति हो रही है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि शासन की इसमें क्षति हो रही है, ऐसी बात नहीं है। मान्यवर, 1984-85 में मोटर विहिकिल्स में 12 करोड़ 87 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, 1985-86 में 17 करोड़, 16 लाख रुपये हो गया यानि बढ़ गया। 1986-87 में 18 करोड़ 49 लाख रु0 आया, बिक्री कर के रूप में आमदनी हुई। तो यह करों का बढ़ना जो है, यह बताता है कि इसमें कोई हमको हानि नहीं हो रही है। जो भी यहां पर एजेंसीज है, जिनके पास मोटर विहिकिल्स की एजेंसीज है, उनको वार्षिक कोटा निर्धारित है, यदि उनका कोई कोटा जाता है, तो यह समझा जाता है कि टैक्सों की दरों के कारण कम बिक्री हो रही है। तो यह यह कहना सही नहीं है कि उनकी बिक्री कम हो रही है। इसमें डिमांड की भी बात हो सकती है, उसको पूरा करने के लिए इधर-उधर से ले सकते है।

श्री जयदीप सिंह बरार---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी जांच कराने के लिए क्या वह परिवहन विभाग के पास जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होती है, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराते समय जो गाड़ियों का फार्म होता है और जो गाड़ी जहां से बिक्री होती है, यह सूचना उसमें उपलब्ध होती है। तो क्या यह सूचना उपलब्ध कराने के लिए, जिनका टैक्स उत्तर प्रदेश में जमा हो रहा है, उनकी बिक्री कहां से हो रही है, इसकी जांच करा लेंगे, तो स्वतः पता चल जायगा। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

मान्यवर, वैसे जांच कराई जा सकती है, लेकिन यह शासन को मालूम रहता है कि कौन सी गाड़ी कहां से खरीदी गयी ? मान्यवर, प्रत्येक एजेंसी का कोटा फिक्स रहता है कि प्रत्येक वर्ष इतनी गाड़ियां बेची जा सकती हैं और उनका कोटा ज्यादा हो जाता है, तो वह अन्य प्रान्तों से भी ले सकते हैं।

श्री अमर चन्द्र---

मान्यवर, मेरी यह निश्चित जानकारी है कि इस तरह की गाड़ियों की, चेसिस की बाहर के प्रदेशों से इस प्रदेश के उपभोक्ताओं द्वारा खरीद की जा रही है। क्या मननीय मंत्री जी ऐसी गाड़ियां जो बाहर से खरीदी जा रही हैं, उनका पंजीकरण उत्तर प्रदेश में न किये जाने हेतु आदेश करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

इससे तो श्रीमन् और लाभ हो जायगा।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जीप और एम्बेस्डर कार के ऊपर उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स की क्या दर है और इन्हीं चीजों के ऊपर महाराष्ट्र और राजस्थान में क्या दर है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 10 प्रतिशत, दिल्ली में 10 प्रतिशत, गुजरात में 10 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 12 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 8 प्रतिशत। श्रीमन् मध्य प्रदेश में पहले 13.50 प्रतिशत था अब कुछ कम किया है, उसका पता नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं इसलिए प्रान्तों के सेल्सटैक्स का जो विवरण दिया है, वह गलत है और तथ्यों से परे है, इन्होंने सदन को गुमराह किया है। इनके प्रकाशन की जो सूचना है उसमें सैल्सटैक्स की दर अन्य प्रान्तों से कम दर्शायी गयी है। इसलिए मैं इसकी लिखित सूचना आपके पास भेज रहा हूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1985 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद मुरादाबाद में सरकड़ा खास–सिंगनखेड़ा मार्ग के लिए अध्यापित भूमि का प्रतिकर भुगतान

*1—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या मुख्य मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के सिंगनखेड़ा मार्ग निर्माण के लिए अर्जित भूमि के प्रतिकर का भुगतान दस वर्षों से नहीं किया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में शासन द्वारा मुख्य अभियन्ता उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र सा0 नि0 वि0 बरेली को निर्देश दे दिये गये हैं कि वह व्यक्तिगत ध्यान देकर प्रश्नगत मार्गों के प्रतिकर का भुगतान शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करें ? यदि हां, तो भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)—

जनपद मुरादाबाद में 1.25 कि0 मी0 लम्बे सरकड़ा खास–सिंगनखेड़ा मार्ग का निर्माण सितम्बर, 1979 से फरवरी, 1980 में खाद्यान्न योजना नं0–5 के अन्तर्गत 35000.00 रुपये की लागत से हुआ था। उक्त योजना के अन्तर्गत मार्ग हेतु भूमि भू-स्वामियों की स्वेच्छा से ली जाती है मार्ग की निर्माण अवधि में किसी भू-स्वामी द्वारा मार्ग में उसकी भूमि लेने का विरोध करने अथवा प्रतिकर मांगने के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया। वस्तुतः मार्ग में भूमि लेने में उनकी सहमति थी। बाद में प्रतिकर हेतु उनकी मांग पर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। यह सही है कि मा0 सदस्य के नियम 301 की सूचना के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियन्ता (उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र) सा0 नि0 वि0 बरेली को भूमि अध्याप्ति की उक्त कार्यवाही तथा प्रतिकर का भुगतान व्यक्तिगत ध्यान देकर कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी ने दिनांक 13 मार्च, 87 को मुख्य अभियन्ता उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, सा0 नि0 वि0 बरेली को निर्देश दिया था कि वह व्यक्तिगत ध्यान देकर प्रश्नगत दोनो मार्गों सिंगन खेड़ा तथा दलपतपुर अलीगंज रोड के भूमि अर्जन एवं प्रतिकर का भुगतान शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करेंगे यदि हां तो प्रतिकर के भुगतान में अब क्यों विलम्ब हो रहा है जबकि मंत्री जी को आदेश दिये हुए एक वर्ष बीत चुका है ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही चल रही है, उसमें कुछ आब्जेक्शन आये थे वह रिमूव किये जा रहे हैं और जब वह कार्यवाही पूरी हो जायगी तो भुगतान कर दिया जायगा।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक 1690 दिनांक 29–12–86 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, सा0 नि0 वि0 मुरादाबाद से डेढ़ लाख रुपये की मांग प्रश्नगत सड़क के प्रतिकर के भुगतान के लिए की थी जिसमें शासनादेश संख्या 7116/2 सा0 नि0 वि0–2 का हवाला देते हुए कहा गया था कि जब तक अग्रिम धनराशि जमा नहीं कर दी जाती, भूमि अर्जन प्रस्ताव में कोई कार्यवाही नहीं की जायगी। यदि हां तो सिगन खेड़ा रोड का डेढ़ लाख का अग्रिम तथा दलपतपुर अलीगंज रोड का 10 लाख अग्रिम भिजवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि यह भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही चल रही है और उसमें अब यह दिखवा लिया जायगा जो इन्होंने धन मांगा है उसका नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

श्री काशी सिंह ऐरी---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, और जैसा माननीय मंत्री जी के ध्यान में कई बार यह बात आ चुकी होगी कि जो मोटरमार्ग के निर्माण के लिए भूमि ली जाती है और उसके प्रतिकर में काफी समय लग जाता है उससे किसान को, भूमि मालिक को 2 नुक्सान होते हैं एक तो वह खेती से वंचित रह जाता है दूसरे मान्यवर, कोई भुगतान इस साल 500 रुपये हुआ तो 10 साल के बाद वह मिलता है तो उस 500 रुपय की कीमत क्या होगी, यह विचाराधीन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी क्या कोई ऐसी नीति की घोषणा करेंगे कि जब भूमि अर्जित की जाती है और मुआवजा तय हो जाता है, तो उसका तत्काल भुगतान करें और उसका भुगतान तत्काल न होने की परिस्थिति में बीच की फसल जो पैदा हो सकती है, उसका अनुमान लगाकर उसकी एक निश्चित राशि करके कर के भुगतान करने पर विचार करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

मान्यवर, इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता ।

किसान यूनियन के नेता चौ0 महेन्द्र सिंह टिकैत तथा उनके सहयोगियों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की राज्य कौंसिल के सदस्य श्री चन्द्रबली को अपमानित किये जाने संबंधित शिकायती पत्र पर की गयी कार्यवाही

*2---श्री राज किशोर सिंह---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान यूनियन के नेता चौ0 महेन्द्र सिंह टिकैत, नि0 ग्रा0 सिसौली मुजफ्फरनगर तथा उनके लठैत सहयोगियों द्वारा दिनांक 9-8-87 को राष्ट्रीय इण्टर कालेज शामली मुजफ्फरनगर के भूतपूर्व प्रधानाचार्य तथा उत्तर प्रदेश किसान सभा की राज्य कौंसिल के सदस्य श्री चन्दबली के साथ की गई गम्भीर घटना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री धर्मवीर सिंह, मंत्री जिला किसान सभा, मुजफ्फरनगर, 578 झिनझाना रोड, शामली मुजफ्फरनगर द्वारा पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को प्रेषित तत्काल तार व दि0 10-8-87 को दी गई लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट पर तथा पुनः दिनांक 19-9-87 को पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को दिये गये स्मृतिपत्र पर, जिसकी प्रतिलिपि मुख्य मंत्री उ0प्र0 सरकार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ, डी0 आई0 जी0 पुलिस मेरठ जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर की पृष्ठांकित की गयी है ? यदि हां, तो क्या अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में श्री धर्मवीर, मंत्री, जिला किसान सभा, मुजफ्फरनगर द्वारा पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को प्रेषित तार दिनांक 10-8-87 एवं पत्र दिनांक 10-8-87, जो दिनांक 12-8-87 को पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर के कार्यालय की पत्र व्यवहार शाखा में प्राप्त हुआ, तथा स्मृतिपत्र दिनांक 19-9-87 प्राप्त हुए। इन पत्रों में उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गई। जांच से उपर्युक्त पत्रादि के आधार पर किसी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

श्री राज किशोर सिंह---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से किसानों की और जनता की अन्य मांगों को लेकर 6 सितम्बर, से 13 सितम्बर तक आन्दोलन तय किया गया था, जेल भरो आन्दोलन की बात थी। उसी क्रम में मान्यवर, श्री चन्द्र बली सिंह, जो शामली इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य थे और उत्तर प्रदेश किसान सभा काउन्सिल के सदस्य हैं, उनके साथ डा0 श्याम सिंह थे, यह लोग पोस्टर लगा रहे थे कि किसान यूनियन के नेता महेन्द्र सिंह टिकैत ने अपने लठैतों को भेजा और उनको पकड़ लिया और वे जो 58-60 साल के लोग थे, उनको लाठी से स्वयं मारा और उनको मारकर उनकी जो जेल है टुकड़िया, उसमें बन्द किया और उसके बाद औरतों से चप्पल दिखवाई और इसके बाद उन्होंने कोई चीज मांगी, जैसे

पानी मांगा तो पानी दिखाकर वापस कर लिया, इस तरह से उनका टार्चर हुआ और इस संबंध में जो जिला किसान सभा के मंत्री हैं मुजफ्फरनगर के उन्होंने तत्काल तार भेजा, 9-8-87 को उसका अनुस्मारक भेजा गया, मुख्य मंत्रीजी को भी भेजा गया, लेकिन जांच के परिणाम मुझे लगता है कि इन्होंने महेन्द्र सिंह टिकैत के डर से जांच की ही नहीं क्योंकि, टिकैत ने उनको मार-पीट कर पेड में बांधने की धमकी देकर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने उनके विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। उनकी चोटों का भी परीक्षण पुलिस ने नहीं कराया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो पत्र आपको लिखा गया, जिसकी स्वीकृति कहते हैं कि मिल गयी, उसमें शिकायत के क्या बिन्दु थे। इन पत्रों में, टेलीग्रामों में, तार में शिकायत के क्या बिन्दु थे और किस अधिकारी ने उसकी जांच की ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

मान्यवर, इसमें सिर्फ 107, 116 और 151 में शांति भंग होने की आशंका में दोनों तरफ से शिकायतें हुई और उसके बाद परगनाधिकरी, एस0 डी0 एम0, बुढ़ाना के यहां पर दोनों ओर से सुलहनामा दायर हो गया। यह सुलहनामा चन्द्रबली जी के प्रयासों से हुआ। यह सुलहनामा 8-10-87 को दाखिल हो गया, फिर भी सम्मानित सदस्य राजकिशोर सिंह जी की वेदनामयी भावना को देखते हुए और टिकैत साहब के समर्थकों द्वारा अपना आतंक करने की बात को देखते हुए, हम इसमें दोबारा से जांच करवायेंगे।

श्री राजेन्द्र शर्मा---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ग्राम सिसौली, जनपद मुजफ्फर-नगर में कोई प्राइवेट जेल बनाया गया है, जो श्री महेन्द्र सिंह टिकैत के नेतत्व में चल रहा है ? क्या उसमें सरकारी कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बन्द करवाने का निर्देश, जैसा कि अभी माननीय विधायक जी ने भी, कहा टिकैत साहब देते हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें। माननीय बरार सहब क्या कह रहे हैं ?

श्री जयदीप सिंह बरार---

मान्यवर, माननीय राजकिशोर सिंह ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक सामानान्तर सरकार चलायी जा रही है और सत्ता पक्ष के विधायक माननीय राजेन्द्र शर्मा जी ने भी बताया कि एक सामानान्तर सरकार चल रही है और वह निर्देश दे रही है। मान्यवर, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से इस बात की पुष्टि हो गयी कि भारतीय किसान यूनियन की सामानान्तर सरकार चल रही है, तो यह बतायें कि कितने अधिकार क्षेत्र का उपयोग वह कर रही है। मान्यवर, मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि कौन-कौन से अधिकार क्षेत्र का वह उपयोग कर रही है यूनियन और, कितने क्षेत्र को इन्होंने अपने से बाहर कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न नहीं उठता है।

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)---

मान्यवर, यह उस सरकार के पहले नमूने हैं, यह उनकी शहादत में थे।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस मामले में दोबारा जांच करा लेंगे। वहां 107/17 के अन्तर्गत मामले में सुलह करा दी गयी, इसके क्या कारण हैं ? इसमें आतंक कायम करके, प्लान करके, लोगों को पकड़ा गया, रोका गया ? क्या माननीय मंत्री जी इन सब चीजों पर मुकदमा कायम कराके, कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

जी हां, करवायेंगे ।

श्री राम शरण दास---

मान्यवर, माननीय अरुण कुमार सिंह कुछ बुलवाना चाह रहे हैं । इशारा कर रहे थे ।

श्री अरुण कुमार सिंह---

मैंने आपकी तरफ नहीं देखा, मैंने बरार साहब के लिए कहा कि यह उस समानान्तर सरकार के पहले नमूने हैं, यह उनकी शहादत में थे ।

श्री राम शरण दास---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करायेंगे तो यह भी बता दें कि किससे जांच करायेंगे ? माननीय राजकिशोर जी और बरार साहब ने इस मामले पर अपनी बात रखी । मान्यवर, मेरी कांस्टीटुयेंसी से मिला हुआ है यह इलाका । मान्यवर, इनके साथियों के साथ बहुत ज्यादती हुई है वहां, क्योंकि यह लोग वहां कम पड़ गये ।

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न कर लें ।

श्री राम शरण दास---

आप जांच किस श्रोत से करायेंगे ? और क्या ऐसे लोगों को जो इस प्रकार का कार्य कैराना, शामली, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर और मेरठ, माननीय शर्मा जी जो अभी बोल रहे थे, वह तो कभी हमारे सोशलिस्ट कार्यकर्ता रहे हैं, में कर रहे हैं, उन लोगों पर ध्यान देंगे । मान्यवर, टिकैत साहब तो कह रहे हैं कि वीर बहादुर क्या है, राज्य मेरा है यहां । यह भी बताने की कृपा करें कि वहां पर इनका राज्य है, वीर बहादुर का राज्य है या महेन्द्र सिंह टिकैत का राज्य है ? हम भी उस एरिया के रहने वाले हैं, अगर ऐसी बात है, तो हम भी वहां राज्य कायम करेंगे गुजरों का । हुकुम सिंह नहीं बनेगा, तो राम शरण महेन्द्र सिंह टिकैत बन जायेगा । वहां के कर्मचारी बहुत पीड़ित हैं, जनता पीड़ित है, उसका कोई समाधान निकाला जाना चाहिये । बिजली कनेक्शन का जो मामला है, वह मैं जीरो आवर में उठाऊंगा, आप वहां सरकार को इस्तेमाल कीजिए । मैं जानना चाहता हूं कि किस सोर्स से आप यह जांच करवायेंगे और दोषी लोगों को दंडित करेंगे या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

मान्यवर, माननीय राम शरण दास जी ने कहा कि इनका क्षेत्र बिल्कुल जुड़ा हुआ है और यह पूर्णतया परिचित है कि किस तरह से किसान नेता ने वहां पर अपना आतंक फैला रखा है और यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि वाकई में वहां पर जुल्म हुआ है । मान्यवर, मुझे तो लगता है कि माननीय राम शरण दास और उनका दल भी उनसे बुरी तरह डरा हुआ है । मैं तो कहता हूं कि यह जब पड़ोस में रहते हैं तो यह खुद जाकर बचाते । सरकार का जो काम है, वह तो सरकार कर रही है और मजबूती के साथ वहां पर शान्ति व्यवस्था बनायेगी और जिस तरह से हुकूमत चलनी चाहिये, वह चला रही है । मैं तो आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह---

मान्यवर, इन्होंने कहा कि इनका राज तो पूरे जोरों से चल रहा है और आपके राज के अन्दर माननीय टिकैत साहब का राज चल रहा है । माननीय राज किशोर सिंह और शर्मा जी ने भी कहा कि टिकैत की वहां पर जेल कायम है । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने भी टिकैत की उस जेल को मान्यता दे रखी है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

मान्यवर, वहां पर कोई भी इस तरह की बात नहीं है । हमारा शासन प्रशासन पूरी चुस्ती के साथ वहां पर काम कर रहा है ।

[मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—शतरुद्र प्रकाश—

[दिनांक 8-3-88 को तां0 प्र0 सं0 4 द्वारा उत्तरित]

रत्ना शुगर मिल लिमिटेड शाहगंज जौनपुर पर जनपद फैजाबाद के किसानों को बकाये मूल्य का भुगतान

*2—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के किसानों का गन्ने के मूल्य का पिछले कई वर्षों का लगभग 25 लाख से अधिक रुपया रत्ना शुगर मिल शाहगंज, जनपद जौनपुर पर बकाया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त धनराशि को किसानों को दिलाने के लिये क्या प्रयास कर रही है और यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)—

रत्ना शुगर मिल्स लि0, शाहगंज, जनपद जौनपुर पर जनपद फैजाबाद के किसानों का कुल रु0 10.36 लाख भुगतान हेतु बकाया है जिसमें से सत्र 1984-85 का रु0 2.33 लाख तथा सत्र 1985-86 का रु0 8.03 लाख है। बकाया गन्ना मूल्य की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर जिलाधिकारी, जौनपुर को भेजा गया है जिस पर उनके स्तर से कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त धन से भुगतान सम्भव हो सकेगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारी, जौनपुर को वसूली प्रमाण-पत्र कब जारी किया गया है और कब इस वसूली की कार्यवाही को पूरा करा लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही फैजाबाद के किसानों का जो 10.36 लाख मिल पर बकाया है, उसे पूरे का पूरा एक निर्धारित समय तक वापस दिलाने का, क्या यह सरकार आश्वासन देने की कृपा करेगी ?

श्री राम नाथ मुंशी—

श्रीमन् 10-3-86 को रिकवरी सर्टीफिकेट के आधार पर डी0एम0, जौनपुर ने कुर्की का आदेश दिया और तब नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई। इस समय श्रीमन हाईकोर्ट के 6-7-87 के आदेश के अनुसार वह लम्बित है और उस पर स्थगन आदेश आ चुका है, उसके समाप्त होने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, जहां तक माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मेरी जानकारी है कि स्थगन की कार्यवाही तो टेकओवर न हो, इसलिये है। माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश इसलिये दिया है कि उसको शसन टेकओवर करना चाहता था, वह न हो। लेकिन जो रिकवरी का सवाल है, आर0 सी0 ईश्यू का सवाल है, उस संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम नाथ मुंशी—

श्रीमन, सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया, वाराणसी जो मिल का फाइनेन्सर है। जब जिलाधिकारी, जौनपुर ने रिकवरी कार्यवाही शुरू की, तो वह बीच में आ गया और जिला जज, सिविल जज, जौनपुर और असिस्टेंट कलेक्टर/परगनाधिकारी, शाहगंज के यहां आपत्ति दाखिल की कि चूंकि बैंक प्रथम वरीयता रखता है इसलिये इस पर द्वितीय वरीयता रखने वाले को बिना मेरे देखे कोई आदेश देना उचित नहीं है, इसलिये वहां स्थगन आदेश हो गया और प्राइवेट मिल मालिक को उसका रिसीवर मान लिया। इसके बाद अग्रिम कार्यवाही चली और वह न्यायालय में विचाराधीन है। अग्रिम कार्यवाही पर भी वह उच्च न्यायालय में गया, जो अभी वहां लम्बित है। बीच में और भी

कार्यवाहियां की गई हैं, यदि आप इजाजत दे दें तो मैं उन्हें इस आदरणीय सदन के समक्ष रख दूं। चूंकि मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है, इसलिये इस पर कुछ आगे कह पाना सम्भव नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मजदूरों का, बैंकों का व किसानों का कुल बकाया इस मिल के ऊपर कितना है और कब से है ? क्या इस बात की पूरी सम्भावना है कि मिल के टेक-ओवर करने व नीलामी के बाद किसानों के बकाये पैसे का भुगतान हो जायेगा ? यदि नहीं तो किसानों को क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकार कोई विचार करेगी ?

श्री रामनाथ मुंशी---

मान्यवर, जैसा कि मैंने पूर्व में ही निवेदन किया कि मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है। जब तक वहां से कोई निर्णय नहीं हो जायेगा तब तक कार्यवाही कर पाना सम्भव नहीं है। जहां तक कुल बकाये का सवाल है, वह इस मिल के ऊपर 6 करोड़, 36 लाख 62 हजार रुपए है।

श्री हरिशंकर तिवारी---

क्या माननीय मंत्री जी किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, मिल के ऊपर जो रुपया किसानों का बाकी है, किसानों को रुपये दिलाने हेतु कोई कानूनी कार्यवाही मिल के खिलाफ करेगी ताकि किसानों को पैसा मिल जाय ?

श्री रामनाथ मुंशी---

मान्यवर, वही कार्यवाही चल रही है। उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया है। जब उसका नीलाम होगा और जो सम्पत्ति का अर्जन होगा, उससे हम किसानों को भुगतान करायेंगे।

श्री जानर्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें स्पष्ट जानकारी न हो। स्थगन आदेश तो केवल टेक-ओवर के लिए दिया गया है न कि आर0 सी0के लिए। आर0 सी0 जारी हो गई, लेकिन मैनेजमेंट ने पैसा नहीं दिया। पैसा जब उसने नहीं दिया तब गवर्नमेंट को कोर्ट में जाना पड़ा और वह भी नीलामी के विपरीत कोर्ट में जाकर स्थगन आदेश ले आया। कमेटी आप मैनेजमेंट बड़े पूंजीपतियों की है और यह सरकार उसके शिकंजे में आ गई है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बोर्ड आफ डाईरेक्टर्स में उनकी जो पर्सनल बिल्डिंग्स हैं व एसेट्स हैं, उससे वसूल करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री रामनाथ मुंशी---

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कहा कि मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है। जहां तक आ0सी0 की बात है, उस पर भी स्थगन आदेश है जब कोई निर्णय होगा, तभी उसके बाद कार्यवाही की जायेगी।

बरेली मण्डल की चीनी मिलों में जल शुद्धिकरण संयंत्र का निर्माण

*3---श्री जयदीप सिंह बरार---

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली मण्डल में स्थित कौन-कौन सी चीनी मिलें ऐसी हैं जिन्होंने अपने कारखानों से निकलने वाले पानी के उत्प्रवाह को ट्रीटमेंट करके, उसके लिए निर्धारित मानकों के अनुसार जल को शुद्ध करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं ? जिन चीनी मिलों ने अभी तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए हैं उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? दूषित जल के उत्प्रवाह से दूषित हुए जल श्रोतों के परम्परागत प्रयोग करने वाले ग्रामवासियों तथा उनके पशुओं के लिए शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए क्या

सरकार इन दोषी फैक्टरियों से प्रभावित ग्रामों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान मंत्री (श्रीमती दीपा)---

बरेली मण्डल में 11 चीनी मिलें हैं। केसर इण्टरप्राइजेज बहेड़ी में शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है किन्तु उसमें सुधार अपेक्षित है। किसान सहकारी चीनी मिल मझोला तथा किसान सहकारी चीनी मिल बदायूं में शुद्धिकरण संयंत्र निर्माणाधीन है।

किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेरा, बरेली, बिलासपुर चीनी मिल पीलीभीत, रोजा सुगर फैक्ट्री शाहजहांपुर, द्वारा शुद्धिकरण संयंत्र लगाने हेतु योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा की गयी है। बोर्ड द्वारा इन उद्योगों की सहमति निरस्त कर उचित शुद्धिकरण व्यवस्था करने हेतु निदेशित किया गया है।

यू0पी0 शुगर कारपोरेशन बरेली, एल0ए0 सुगर फैक्ट्री पीलीभीत तथा मै0 किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर (शाहजहांपुर) में उत्प्रवाह शुद्धिकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। इनके विरुद्ध बोर्ड द्वारा अभियोजनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। मै0 किसान सहकारी चीनी मिल, पूरनपुर पीलीभीत में शुद्धिकरण व्यवस्था न होने के कारण इनकी सहमति निरस्त कर शुद्धिकरण व्यवस्था हेतु निदेशित किया गया है।

मै0 किसान सहकारी चीनी मिल पुवया (शाहजहांपुर) में भी शुद्धिकरण व्यवस्था नहीं है जिनके सहमति आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जा रही है।

नगर विकास विभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार बरेली मण्डल में पेयजल सुविधा से लाभान्वित समस्या ग्रस्त का विवरण निम्नवत् है :---

जनपद	समस्याग्रस्त गांवों की सूची	लाभान्वित ग्रामों की संख्या
बरेली	874	874
बदायूं	1197	1080
शाहजहांपुर	1845	1044
पीलीभीत	1098	968

श्री जयदीप सिंह बरार---

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि 11 फैक्टरियों में से एक में शुद्धीकरण संयंत्र लगा है और उसका भी कार्य असंतोषजनक है, 10 फैक्टरियां प्रदूषण फैलाना बरकरार रखे हुए हैं। मैंने पूछा था कौन-कौन से ऐसे गांव हैं जिनका जल इन फैक्टरियों के उत्प्रवाह से प्रदूषित हो गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि सेमीखेड़ा चीनी मिल द्वारा उसके उत्प्रवाह से जटिया, पखुन्नी, दलपतपुर आदि अनेक गांवों का भूमिगत जल भी प्रदूषित हो गया है, कुओं से भी गन्दा पानी निकलता है, जिसे न ग्रामवासी पी सकते हैं न पशु पी सकते हैं ? माननीय मन्त्री जी बतायें कि इन फैक्टरियों ने कौन-कौन से ग्रामों का भूमिगत जल प्रदूषित कर दिया है और जिनका कर दिया है, उसको सही करने के लिये, शुद्ध पेयजल व्यवस्था के लिए क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती दीपा---

मान्यवर, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने मात्र औपचारिकता के आधार पर सवाल पूछा है। उत्तर में स्पष्ट दिया हुआ है। इन्होंने पूछा है कि किस मिल में संयंत्र है किसमें नहीं है ?

तो जो बची है, वे बता दीं। इनकी भावना को देखते हुए दुबारा कहना चाहती हूं कि इन्होंने सेमीखेड़ा और जकिया का नाम लिया है। जल निगम से पुछवाया था कि क्या प्रक्रिया है ? जो हैण्डपम्प भी लगते हैं तो मानीटरिंग करते हैं, ग्राउण्ड वाटर की टेस्टिंग करते हैं। पानी की कोई खराबी नहीं मिली है, अगर माननीय सदस्य को मिली हो तो उसे बता दें, जांच करवा लूंगी।

श्री अचल सिंह---

मैं जानना चाहता हूं कि जिन फैक्टरियों में प्रदूषण निवारण संयंत्र नहीं लगते हैं, चाहे वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो और बोर्ड इस आधार पर उनको परमीशन नहीं देता है, लेकिन फिर भी फैक्टरियां चल रही हैं उत्पादन कर रही हैं मेरे फतेहपुर की आर० ए० सीमेण्ट फैक्टरी थी, जिसको बोर्ड ने उत्पादन की सहमति इसलिये नहीं दी थी कि . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न तो बरेली का है, फतेहपुर कहां से कुदा दिया ?

श्री अचल सिंह---

मान्यवर, प्रश्न तो सुन लीजिये। अगर उत्पादन की सहमति बोर्ड द्वारा किसी फैक्टरी को इसलिये नहीं दी जाती है कि ट्रीटमेंट प्लाण्ट नहीं लगाया है फिर भी फैक्टरी उत्पादन का कार्य कर रही है, उस फैक्टरी मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

नहीं, यह नहीं। इसकी अनुमति नहीं है।

श्री अचल सिंह---

मान्यवर, मेरा मतलब है कि बोर्ड यदि उत्पादन की सहमति इसलिये प्रदान नहीं करता कि वहां ट्रीटमेंट प्लान्ट नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी फैक्ट्री उत्पादन कर रही है, तो माननीय मंत्री जी उसके प्रति क्या कोई कार्यवाही करेंगी ?

श्री अध्यक्ष---

यह बड़ा व्यापक सवाल है आपका।

डाक्टर दिनेश जौहरी---

मान्यवर, बरेली में नेकपुर चीनी मिल है जिससे बराबर वायु में प्रदूषण होता रहता है और वहां से जो कोयला निकलता है उससे भी वायु प्रदूषित होती रहती है और कपड़े वगैरह सब खराब हो जाते हैं। तो क्या मा० मंत्री जी नेकपुर चीनी मिल, बरेली के वायु प्रदूषण को रोकने के लिये कोई कार्यवाही करेंगी ?

(मा० अध्यक्ष द्वारा मंत्री जी को उत्तर के लिये न पुकारे जाने पर।)

श्री जयदीप सिंह बरार---

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीया मंत्री जी ने कहा कि फर्ज अदायगी के लिये सवाल पूछ रहा हूं। मेरा कहना है कि मेरा फर्ज जनता के प्रति है इसीलिये मैं यह सवाल पूछ रहा हूं, मेरा फर्ज मंत्री जी के प्रति नहीं है कि मैं सवाल न पूछूं। मान्यवर, मेरे मूल प्रश्नों में स्पष्ट है कि कौन-कौन से गांव हैं जहां चीनी मिलों से निकलने वाले पानी के उत्प्रवाह से जल प्रदूषित हो गया है। मैंने उल्लेख भी किया। अपनी जानकारी के आधार पर मा० मंत्री जी ने एक सूची दी है कि पेयजल के लिये हैण्डपम्प कहां-कहां लगवाये गये हैं। लेकिन उन फैक्टरियों के पास जिसमें कि सेमीखेरा फैक्ट्री भी शामिल है, क्या उन फैक्ट्रियों के गांवों का आप सर्वेक्षण करायेंगी कि जिनका जल प्रदूषित हो गया है, क्या उनके लिये आप शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करायेंगी ?

श्रीमती दीपा---

मान्यवर, आपने जिन-जिन जगहों के नाम लिये हैं उनके लिये हम दुबारा करवा लेंगे। मैंने समस्याग्रस्त गांवों की सूची दी है लेकिन यह सूची 1985 तक की है। मैं इसको दुबारा करवा

लूंगी और यह हो भी रहा होगा क्योंकि यह 1985 की सूची दी गयी है। मैं दुबारा जानकारी इकट्ठा करके आपको बतला दूंगी।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीया मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है पैरा दो और तीन में कि बोर्ड के द्वारा इन उद्योगों की सहमति निरस्त कर उचित शुद्धीकरण व्यवस्था करने हेतु निदेशित किया गया है और इनके विरुद्ध बोर्ड द्वारा अभियोजनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। मेरी जानकारी के अनुसार भारत सरकार के बोर्ड का मेम्बर सेक्रेटरी सहमति पत्र देने की और सहमति पत्र निरस्त करने की और अभियोजनात्मक कार्यवाही करने को ही नियुक्त किया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल बोर्ड में इनको सेक्रटरी को चार्ज न देकर उसे घर में बैठा कर सरकार उसको तनखाह दे रही है। क्या माननीया मंत्री जी भारत सरकार के द्वारा पल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड ऐक्ट के तहत कार्यवाही कर रही है? यह जो कार्यवाही की जा रही है वह गैर कानूनी साबित होगी।

श्री अध्यक्ष---

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

*4---श्री सरदार सिंह--

(कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त)

जिला वाराणसी के बसन्त पेपर मिल का गन्दा पानी गंगा नदी में गिराने पर प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जाना

*5---श्री राज किशोर सिंह---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के रामनगर क्षेत्र में स्थित, बसन्त पेपर मिल्स पर प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिकोण से कारखाने का हानिप्रद कचड़ा और दुर्गन्ध-युक्त गन्दा पानी खुले वातावरण में बहने और गंगा नदी में गिरने पर प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इकाई की सहमति अस्वीकार की जा चुकी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 3 मार्च, 1988 द्वारा भी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन अधिकारों का प्रयोग कर इस कारखाने को दिनांक 15 मार्च, 1988 से अपने उद्योग का संचालन बन्द करने के निदेश जारी किये गये हैं।

उक्त स्थिति में अब उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोई और प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं है।

*6---श्री महेन्द्र माटी---

[नियम 301 के अन्तर्गत दिनांक 15-1-88 को सूचना भेजी जाने के कारण निरस्त]

विधायक निवास (दारुलशफा) लखनऊ परिसर में आनिधकृत लोगों के प्रवेश पर नियन्त्रण

*7---श्री पूरन सिंह माहरा---

क्या सरकार को ज्ञात है कि विधायक निवास दारुलशफा लखनऊ के चारों ओर अनधिकृत रूप से खोखे, रेस्टोरेंट अदि चलाये जा रहे हैं जिससे अवान्छनीय तत्वों का आवागमन बढ़ जाने से विधायकों की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है? यदि हां, तो क्या सरकार विधायक निवासों को विशुद्ध रूप से विधायकों को आवंटित करते हुए बाकी का आवंटन निरस्त करके विधायक निवासों के प्रवेश द्वारों पर अनाधिकृत लोगों के आवगमन को निश्चित व्यवहारिक प्रक्रिया अपनाते हुए जैसा

नोट :---तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

तमिलनाडु व कर्नाटक में विधायक निवासों में अपनायी जाती है, के अनुरूप प्रतिबंधित करेगी तथा बेकार रत रास्तों को बन्द कर एक रास्ते से आवागमन की प्रक्रिया चालू करेगी जिससे विधायकों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान की जा सके ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विधायक निवास (दारुलशफा) परिसर में कई अनधिकृत खोखे तथा चाय की गुमटियां चल रही हैं। इसमें आने वाले लोग अधिकतर माननीय विधायकों से मिलने आते हैं। इसके अतिरिक्त विधायक निवासों के परिसार में रहने वाले कर्मचारियों के संबंधी भी वहां आते जाते रहते हैं।

विधायक निवासों में प्रवेश पर नियन्त्रण व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है।

राज्य योजना आयोग एवं सचिवालय स्थित प्रोजेक्ट प्लानिंग एण्ड मानीटरिंग सेल में विभिन्न श्रेणी के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

8—श्री मूल चन्द—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य योजना आयोग एवं सचिवालय स्थित प्रोजेक्ट प्लानिंग एण्ड मानीटरिंग सेल में विभिन्न श्रेणी के कितने-कितने पद विद्यमान हैं और उनमें से प्रत्येक श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों की नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है ? यदि प्रतिनिधित्व कम है, तो इसे पूर्ण करने की दिशा में राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

राज्य योजना आयोग एवं सचिवालय स्थित प्रोजेक्ट प्लानिंग एण्ड मानीटरिंग सेल में विभिन्न श्रेणी के जो पद हैं उसकी सूची संलग्न है। विभिन्न श्रेणी के पदों में से केवल वरिष्ठ शोध अधिकारी, शोध अधिकारी, प्रवर वर्ग सहायक, समन्वय सहायक, सांख्यिकीय सहायक, वैयक्तिक सहायक, अवर वर्ग सहायक, टंकक तथा चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का कोटा बनता है। वरिष्ठ शोध अधिकारी में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत है। शोध अधिकारी के सृजित 21 पदों के विरुद्ध इस समय 19 शोध अधिकारी कार्यरत हैं जिसमें 2 शोध अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी को पदोन्नति दिये जाने के बाद भी उसने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। साथ सीधी भर्ती के माध्यम से शोध अधिकारी के पद पर अनुसूचित जाति का एक अभ्यर्थी चयनित हुआ था लेकिन शोध अधिकारी के पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु उसने आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं की। प्रवर वर्ग सहायक के 8 पदों में से अनुसूचित जाति का कोटा एक बनता है जो पूरा है। समन्वय सहायक के 8 पदों में से इस समय केवल 3 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। समन्वय सहायक के पद भरे जाने की दशा में नियमानुसार अनुसूचित जाति का कोटा आरक्षित रखा जायगा। संख्या सहायक के सभी 9 पद इस समय रिक्त हैं। पद भरे जाने की दशा में अनुसूचित जाति का कोटा आरक्षित रखा जायगा। वैयक्तिक सहायक के 11 पदों में से केवल एक पद भरा हुआ है। शेष पद रिक्त हैं। पद भरते समय अनुसूचित जाति का कोटा आरक्षित रखा जायगा। आशुलिपिक के चार पदों में अनुसूचित जाति का एक कर्मचारी है। अवर वर्ग सहायक के 7 पदों में से 6 पद भरे हुए हैं एक पद रिक्त है जो अनुसूचित जाति के लिए है। टंकक के 11 पदों में से 7 भरे हुए हैं जिसमें अनुसूचित जाति का एक कर्मचारी है। चपरासी के 22 पदों में से 21 पद भरे हुए हैं जिसमें अनुसूचित जाति के 4 कर्मचारी हैं। इस प्रकार कोटा पूरा है। ड्राईवर के 8 पदों में से 5 पद भरे हुए हैं जिसमें से दो अनुसूचित जाति के हैं। इस प्रकार इसमें प्रतिनिधित्व का प्रतिशत निर्धारित प्रतिशत से अधिक है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 196 पर)

मान्यताप्राप्त पत्रकारों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा

*9—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि परिवहन मंत्री ने उ0 प्र0 जर्नलिस्ट्स एसोसियेशन के एक वर्ष 1986 के वार्षिक अधिवेशन में, जो गन्ना संस्थान में गर्मियों में सम्पन्न हुआ था, यह घोषणा की थी कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मात्र मान्यता कार्ड दिखाने पर ही मानचाही दूरी तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जायगी ? यदि हां, तो इस घोषणा को कब तक लागू किया जायगा ?

श्रीमती दीपा—

घोषणा की जानकारी नहीं है। प्रश्न नहीं उठता है।

मोतीलाल नेहरु रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद में वित्तीय अनियमिततायें तथा प्राशसनिक भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट

*10—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद में व्याप्त वित्तीय अनियमिततायें तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार की कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो आरोप क्या है और जांच कौन कर रहा है तथा क्या जांच रिपोट शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार रिपोर्ट मंगाकर शीघ्रता से कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासन स्तर से ऐसी कोई जांच वर्तमान में नहीं चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगला बरी थान। सुरोर जनपद मथुरा के निवासी श्री मिहीलाल, श्री विजेन्द्र सिंह व श्री सोहनलाल को बन्दूक का लाइसेन्स दिया जाना

*11—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 1 मई, 87 को एक प्रार्थना पत्र जो दिनांक 21-4-87 को थाना सुरीर जिला मथुरा के नगला बरी, सुरीरकलां के श्री मिहीलाल, विजेन्द्र सिंह व सोहनलाल को डकैतों का मुकाबला करते समय घायल हो जाने व उनको सहायता प्रदान करने व बन्दूक के लाइसेन्स दिलाने के संबंध में दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

जी हां, कथित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था मामले में जिला मजिस्ट्रेट से आख्या मांगी गयी थी जिला मजिस्ट्रेट की संस्तुति के अनुसार नगला बरी थाना, सुरीर, जनपद मथुरा के निवासी श्री मिही लाल, श्री विजेन्द्र सिंह व श्री सोहन लाल को 500 रुपये प्रत्येक को पुरस्कार दिये जाने के आदेश शासन द्वारा आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को भेज दिये गये हैं। बन्दूक का लाइसेन्स दिये जानें पर विचार किया जा रहा है।

साड़ी छपाई उद्योग मथुरा एवं मथुरा रिफाइनरी से यमुना नदी के जल प्रदूशषण को समाप्त करने की कार्यवाही

*12—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जमुना नदी में ओखला बैराज के बाद आगे जमुना नदी का स्वयं का जल नहीं रहता ? क्या यह सही है कि दिल्ली के नालों का गन्दा पानी और मथुरा रिफाइनरी एवं मथुरा की धोतियों की छपाई का जो गंदा पानी बहता ह उसे साफ करने की जमुना नदी की क्षमता समाप्त हो गई है ? क्या यह भी सत्य है कि जमुना नदी का पानी न पीने योग्य है

और न स्नान करने योग्य है, लेकिन हजारों नर नारी मथुरा-वृन्दावन-बटेश्वरनाथ पर स्नान करते हैं ? यदि हां, तो जमुना जल प्रदूषण को समाप्त करने की सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। यमुना नदी में यमुना का ही जल रहता है इसके बीच-बीच में कुछ नाले/नदी आदि मलते रहते हैं। जमुना नदी की स्वतः जल साफ करने की क्षमता सीमित है।

यह सत्य है कि यमुना नदी का जल आवश्यक शुद्धिकरण के बगैर पीने व नहाने के योग्य नहीं है।

यमुना नदी में उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले उद्योगों के उचित शुद्धिकरण संयंत्र उगाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया है जिसमें साड़ी छपाई उद्योग मथुरा भी शामिल है। मथुरा रिफाइनरी द्वारा शुद्धिकरण संयंत्र लगा लिया गया है। मथुरा में सीवेज सुधार योजनाओं पर नगर विकास विभाग द्वारा कार्व किया जा रहा है दो साड़ी छपायी उद्योगों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

*13--श्री मैनेजर सिंह--

(5वें शुक्रवार में तां0 प्र0 सं0 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

*14 श्री सुखपाल पाण्डे--

(8वें गुरुवार में तां0 प्र0 सं0 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

*15--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

(7वें मंगलवार के लिए स्थगित)

प्रदेश के पांच महानगरों में पुलिस आयुक्त की व्यवस्था संबंधी जानकारी

*16--श्री अमिताभ अनिल दुबे--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पांच महानगरों में पुलिस आयुक्त की व्यवस्था लागू किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस व्यवस्था को कब से लागू किया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी नहीं। इस समय उक्त मामले पर विचार नहीं किया जा रहा है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

अष्टम वित्त आयोग द्वारा संस्तुत पांच उप कारागारों के निर्माण में विलम्ब का कारण

*17--श्री राम सजीवन--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि अष्ठम वित्त आयोग द्वारा कारागार विभाग उत्तर प्रदेश को पांच उप कारागारों के निर्माण हेतु 1822.50 लाख रुपये दिये गये थे ? यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या है तथा उनके निर्माण में विलम्ब के क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

अष्टम वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा केवल दो उप कारागारों के निर्माण के लिए 130 लाख रु0 का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

देवबन्द तथा महोबा। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जनपद बाराबंकी की शुगर मिल, बुढ़वल शुगर मिल तथा जनपद बहराइच की जरवल शुगर मिल को बन्द किए जाने की आशंका

*18—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी का नगर बाराबंकी स्थित शुगर मिल, बुढ़वल शुगर मिल तथा जनपद बहराइच के जरवल शुगर मिल को शासन ने बन्द कर देने का तथा इन तीनों क्षेत्रों के गन्ना की पेराई हेतु एक नया कारखाना खोलने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो पूरी योजना क्या है तथा इन मिलों में कार्यरत कर्मचारियों को समायोजित कैसे किया जायेगा तथा वर्तमान कारखानों को बन्द किया जायगा या किसी अन्य वस्तु का उत्पादन किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

गणेश शुगर मिल लि0 आनन्द नगर, गोरखपुर पर बकाया कमीशन की वसूली

*19—श्री हर्ष वर्धन—

प्रथम सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार हेतु निर्धारित अतां0 प्र0 सं0 173 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि रु0 66,524.37 का जो कमीशन देय बताया गया है वह कमीशन कितनी अवधि का है तथा इसमें समिति को मिलने वाला मार्केटिंग कमीशन कितना है तथा परिषद् को मिलने वाला डेवलपमेन्ट कमीशन कितना है ? साथ ही देय कमीशन का निर्धारण किस मानक के आधार पर किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

रु0 66,524.37 देय कमीशन की धनराशि पेराई सत्र 1980–81 से 1984-85 तक की अवधि की है। इसमें से समिति को मिलने वाला मार्केटिंग कमीशन रु0 39,914 62 तथा परिषद को मिलने वाला डेवलपमेन्ट कमीशन 26,609.75 रु0 है। इस कमीशन का निर्धारण कुल गन्ना पूर्ति के आधार पर समिति के पक्ष में 12 पैसा प्रति कुन्टल तथा परिषद के पक्ष में 08 पैसा प्रति कुन्टल की दर से किया गया है।

जिला सेवायोजन कार्यालय में गठित जिला चयन समितियों का भंग होना

*20—श्री बदन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु सेवा योजन कार्यालय में गठित चयन समिति वर्ष 1985–86 में तोड़ दी गयी है ? यदि हां, तो इस समिति के तोड़ने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग (सीधी भर्ती) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1986 तथा समूह "घ" कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1986 द्वारा समूह "ग" तथा "घ" के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जिला चयन समिति के स्थान पर विभागीय चयन समिति की व्यवस्था कर दी गयी है।

जिला चयन समितियों से सेवायोजकों को चयनित अभ्यर्थी विलम्ब से मिलने अथवा पद विशेष की कार्यप्रकृति के अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने, कभी-कभी किसी अभ्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने आदि से कठिनाइयां हो रही थी। अतः इन कठिनाइयों के निराकरण हेतु उपर्युक्त व्यवस्था की गयी है।

अतारांकित प्रश्न

मेरठ के युवा चिन्तक व लेखक डा0 रवीन्द्र कुमार शोध प्रतिनिधि को आतंकवादियों द्वारा दी गयी धमकी पर सुरक्षा व्यवस्था

1—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या गृह मंत्री अपने पत्र संख्या 839 एच0 एम0 वी0 आई0 वी0 86 दिनांक 5 दिसम्बर, 1986 के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ के युवा चिन्तक व लेखक डा0 रवीन्द्र कुमार जो कि सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक के शोध प्रतिनिधि भी है, को पंजाब के आतंकवादियों द्वारा दी गयी धमकियों के सन्दर्भ में अब तक उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचनानुसार डा0 रविन्द्र कुमार की सुरक्षा हेतु वर्ष 1986 में ही निर्देश दे दिये गये थे। उनके मकान के आसपास गश्त व पिकेट्स आदि की व्यवस्था की गयी और थानाध्यक्ष तथा उप निरीक्षकगण एवं गश्त पार्टियां उनसे बराबर पूछताछ करती रहीं, जो व्यवस्था अब भी जारी है।

2—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

(दिनांक 1-3-88 को अतां0 प्र0 सं0 94 द्वारा उत्तरित)

जिला गन्ना अधिकारी, देवरिया द्वारा गन्ना ग्राम सेवकों की अनियमित ढंग से नियुक्ति पर कार्यवाही

3—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी देवरिया द्वारा दिनांक 12-3-87 को 18 गन्ना ग्राम सेवकों की अनियमित रूप से नियुक्ति की गयी, जिसके संबंध में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र जिलाधिकारी, देवरिया तथा गन्ना आयुक्त उ0 प्र0 लखनऊ को दिनांक दिनांक 31 मार्च, 87 को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गन्ना आयुक्त कार्यालय में प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधिकारी, देवरिया से पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। प्राप्त होने पर जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

देवरिया जनपद के विकास खण्ड गौरीबाजार के अन्तर्गत निर्माणाधीन रोड इन्द्रपुर–लवकनी–बिरवा में अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनियमितता

4—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में विकास खण्ड गौरीबाजार के अन्तर्गत इन्दुपुर से लवकनी होते हुए बिरवा तक जो सा0 नि0 वि0 की सड़क बन रही है, उसमें अधिशासी अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 देवरिया द्वारा की जा रही अनियमितता के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-2-1987 प्राप्त हुआ जिसकी प्रति प्रमुख अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 उ0प्र0 को भी दी गयी थी ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच कब तथा किस अधिकारी से करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त सहायक लेखाकार, केन यूनियन, देवरिया के देयकों का भुगतान

श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव सेवा निवृत्ति सहायक लेखाकार, केन यूनियन, जनपद देवरिया के समस्त देयकों के भुगतान के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। श्री रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव के विरुद्ध गन्ना समिति देवरिया जहां वे तैनात रहे थे, के संबंध में बनवाये गये नक्शा व खसरा के अनियमित रूप से अंकन रु0 28,305.26 के भुगतान कराये जाने के दोषी पाये गये हैं जिसकी क्षतिपूर्ति उनके पावनों से होना है। श्री श्रीवास्तव के ग्रुप बीमा एवं ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान हो चुका है। यदि पावनों की वसूली के उपरान्त श्री श्रीवास्तव का कोई शेष बकाया रहता है तो उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

थानाध्यक्ष, खदौली, जनपद आगरा पर श्री भरत सिंह व उनके पुत्र श्री सुबोध के घर से छपी हुई जनानी धोती और एक कुट्टी घी उठा ले जाने और मारपीट करने का आरोप

6--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद आगरा के थाना खदौली के थानाध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ दिनांक 15/16-5-87 को एक बजे रात को थाना नारखी के ग्राम पचवान में पं0 भरत सिंह और उनके पुत्र सुबोध के घर पर तलाशी ली, मारपीट की और जनानी धोती छपी हुयी तथा एक कुट्टी घी जबरन थानाध्यक्ष उठा ले गये और भरत सिंह व सुबोध को पकड़कर हिरासत में मृत छिणामल स्वर्णकार के साथ थाना खंदौली ले गये ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है।

उन्नाव जनपद के थाना मौरावां की गुलरिहा चौकी के पुलिस कर्मियों के सरकारी कार्य में किन्ही व्यक्तियों द्वारा व्यवधान डालने की रिपोर्ट

7--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले के थाना मौरांवा की गुलरिहा चौकी पुलिस कर्मियों में किन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 87 में सरकारी काम दखल देने व पुलिस को अपमानित करने की सूचना थानाध्यक्ष मौरावां डिप्टी एस0 पी0 को दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या इस संदर्भ में प्रश्नकर्ता का गृह सचिव उ0 प्र0 को पत्र माह जनवरी 88 में मिला है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना मौरावां क्षेत्र में चौकी गुलरिहा के रोजनामचा आम में दिनांक 1-11-87 को समय 23.15 बजे पर कान्स्टेबुल रमेश चन्द्र द्विवेदी तथा कान्सटेबुल जौहरी सिंह द्वारा यह अंकित किया गया कि जब उसी रात उनके द्वारा कुछ व्यक्तियों को जुआ आदि खेलते पाया गया और उनको गिरफ्तार करके चौकी पर ला रहे थे तब दो अन्य लोगों द्वारा उनको ऐसा करने में व्यवधान डालकर छुड़वा लिया। उक्त रिपोर्ट में पुलिस को अपमानित करने के संबंध में कुछ नहीं अंकित है।

उपरोक्त प्रविष्टि के आधार पर क्षेत्राधिकारी, मौरावां के आदेश दिनांक 23-3-88 के अनुसार उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया जो विवेचनाधीन है।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-1-88 जो गृह सचिव को सम्बोधित है प्राप्त हुआ है। इस पत्र में दो घटनायें उल्लिखित हैं, जिसमें से एक–पकड़े गये जुआड़ियों को असामाजिक तत्वों द्वारा छुड़ा लेने के बारे में है। दूसरी घटना–ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाते हुये पुलिस कर्मियों को धक्का आदि देने के संबंध में है। दूसरी घटना के बारे में यह सूचना प्राप्त हुयी है कि जब दिनांक 5-1-88 को ग्राम गुलरिहा में ग्राम सभा की भूमि पर हरिकर्ण बाजपेयी आदि द्वारा किये गये अवैध निर्माण को नायब तहसीलदार के आदेश के अनुसार पुलिस द्वारा रुकवा दिया गया तब पुलिस कर्मियों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ और न ही पुलिस कर्मियों द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट अंकित करायी गयी।

8––श्री यदुनाथ सिंह––

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के नये भवन में सचल दल गोदाम में पानी भर जाने से हुई क्षति की जांच

9––श्री यदुनाथ सिंह––

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि ता0 19-10-87 व 19-8-87 की रात को लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के नये भवन में सचल दल के तहखाने में पानी भर जाने के कारण रखा माल खराब हो जाने की जांच के बारे में सदस्य विधान परिषद् का पत्र सं0 596 सचिव संस्थागत वित्त को ता0 4-11-87 को मिला है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या इस मामले की जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी ने की थी और आयुक्त के पास अपनी रिपोर्ट किस तारीख को भेजी? इसमें कितने रुपयों का नुकसान हुआ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हां। लखनऊ स्थित बिक्रीकर कार्यालय में नये भवन में सचल दल गोदाम के पास स्टैशनरी कक्ष में लगे अग्निशमन उपकरण का पाइप फट जाने के दिनांक 19-10-87 को गोदाम में पानी भर गया था। पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच उपायुक्त (शा) बिक्रीकर, लखनऊ द्वारा करायी गयी थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट आयुक्त, बिक्रीकर को दिनांक 3-2-1988 को भेजी थी। पानी भरने से कोई नुकसान नहीं हुआ था।

10––श्री यदुनाथ सिंह––

(7वें मंगलवार के लिए स्थगित)

11––श्री यदुनाथ सिंह––

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

12––श्री यदुनाथ सिंह––

(7वें मंगलवार के लिए स्थगित)

ग्राम हाटा, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर के समीप श्रीमती चन्द्रावती की लाश बरामद होने की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

13––श्री अफजाल अंसारी––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के थाना मुहम्मदाबाद के ग्राम हाटा के समीप 10 जनवरी, 88 को एक स्त्री की लाश मिली? शिनाख्त के अनुसार मृतक महिला श्रीमती चन्द्रवती, थाना नोनहरा, ग्राम मुबारकपुर की रहने वाली थी और इसका विवाह इसी जनपद में थाना बरेसर के ग्राम सिपाह निवासी सुग्निम पुत्र चहेटू से हुआ था? क्या यह सही है कि पति द्वारा दूसरी शादी कर लिए जाने के कारण मृतक महिला ने न्यायालय मुन्सिफ मुहम्मदाबाद में खर्चे का मुकदमा अपने पति पर दायर किया था? क्या मृतक के भाई व पिता ने तार द्वारा पुलिस कप्तान को सूचना देकर अपनी बहन व बेटी की हत्या किए जाने की शंका

व्यक्त की थी ? इसके बाद भी क्या कारण है कि लाश मिलने के पश्चात् थाना नोहरा द्वारा मुकदमा न कायम कर स्वाभाविक मौत दिखलाया गया ? क्या मंत्री जी इस पूरे प्रकरण की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री दतई पुत्र कामता, ग्राम–धोवही तप्पा बनगवां तहसील हरैया, जनपद बस्ती की सुरक्षा व्यवस्था की मांग

14--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री दतई पुत्र कामता ग्राम धोवही, तप्पा बनगवां तहसील हरैया, जनपद बस्ती की वसीयत बनाकर श्री दतई को मृतक करके घोषित 22-2-84 तथा 27-3-84 को नायब तहसीलदार हरैया के यहां वाद दाखिल करके मुकदमें का फैसला करा लिया गया था ? यदि हां, तो श्री दतई ने पुलिस अधीक्षक, बस्ती तथा जिला अधिकरी, बस्ती एवं शासन को लिखित शिकायती पत्र फरवरी, 1984 से अक्टूबर, 1986 तक कितनी बार अपने सुरक्षा के लिए दिया और अधिकारियों ने श्री दतई के सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सार्वजनकि निर्माण विभाग उरई, जालौन के कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने तथा वेतन भुगतान करने संबंधी उच्च न्यायालय का आदेश की अवहेलना पर कार्यवाही

15--श्री सुखपाल पाण्डे --

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-12-85, 16-6-86- 10-7-86 द्वारा श्री आर0 बी0 तिवारी, अवर अभियन्ता तथा उच्च न्यायालय आदेश दिनांक 16-6-86 द्वारा श्री बदलू मिस्त्री, श्री सन्तोष कुमार मेट, श्री राज कुमार मेट, श्री माता-दीन मेट, श्री डी0 एन0 दुबे लिपिक, निर्माण खण्ड सार्वजनकि निर्माण विभाग, उरई (जालौन) के कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने तथा वेतन भुगतान करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उरई ने अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं कराया और न सम्बन्धित कर्मचारियों का वेतन ही भुगतान कराया ? यदि हां, तो उच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन करने के लिए विभाग में कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती अभयरानी पत्नी श्री मंशाराम यादव, ग्राम तैजापुर–अकारीपुर, थाना–गोसाईगंज, जनपद फैजाबाद द्वारा नामजद रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

16--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17/18 जनवरी, 86 की रात अपराध संख्या 19/86 धारा 436 के अन्तर्गत थाना गोसाईगंज, फैजाबाद में कोई नामजद रिपोर्ट श्रीमती अभयरानी पत्नी श्री मंशाराम यादव ग्राम तैजापुर अकारीपुर थाना गोसाईगंज, फैजाबाद द्वारा अंकित करायी गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त नामजद अभियुक्तों ने ही दिनांक 17-1-86 को श्रीमती अभयराजी के घरवालों में से अयोध्या प्रसाद, शिव कुमार तथा उदयभान को बुरी तरह पीटा था जिसमें उदयभान को गहरी चोटें आयी थीं जिसकी सूचना वे थाना गोसाईगंज पर अंकित कराने गए थे तभी उन्हें गिरफ्तार कर एकतरफा 151 में चालान कर

दिया गया था ? यदि हां, तो पीड़ित लोगों का एक तरफा चालान किए जाने का औचित्य क्या है और उपरोक्त अभियोग में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां ।

श्रीमती अभयराजी के घर के उदयभान ने अजमत अली व उनके लड़के महफूज के विरुद्ध दिनांक 17-1-86 को अपन को मारने पीटने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करायी थी । उदयभान को मारने पीटने से चोट आना नहीं पाया गया । डाक्टरी जांच में उदयभान की चोटें साधारण पायी गयी । यह सही नहीं है कि जब उदयभान थाना-गोसाईगंज में रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो उन्हें गिरफ्तार कर धारा 151 में चालान कर दिया गया । अपराध संख्या 19/86 की जांच करने पर मामला बनावटी पाया गया, अतः नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई ।

प्रदेश के सभी जेलों में कैदियों की बैरकों में बिजली के पंखों की व्यवस्था

17--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या जेल मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की सभी जिलों में बिजली की फिटिंग करा दी गयी है ? क्या कैदियों की बैरकों में पंखा लगाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या जेलों में बिजली पंखा लगे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

48 कारागारों में पूरी, 12 कारागार में आंशिक तथा 4 कारागार में अस्थाई बिजली की फिटिंग की गयी है ।

जी नहीं ।

बैरकों में बिजली पंखा लगाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है । अतः गर्मी के मौसम में उन्हें हाथ के पंखे दिये जाते हैं ।

सहायक लेखाकार श्री दयाल कृष्ण दीक्षित, सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बुढ़वल, जिला बाराबंकी को कार्य भार से मुक्त

18--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक लेखाकार श्री दयाल कृष्ण दीक्षित सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 बुढ़वल, जिला बाराबंकी की ड्यूटी पर न उपस्थित होते हुए भी जबकि वह दीर्घकालीन चिकित्सा अवकाश पर थे, सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति बुढ़वल द्वारा अपने पत्रांक 693-84 दिनांक 13-2-87 द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री दयाल कृष्ण दीक्षित, सहायक लेखाकार, सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 बुढ़वल (बाराबंकी) दीर्घकालीन चिकित्सा अवकाश पर नहीं रहे । बल्कि वे दिनांक 4-4-85 से निलंबित चल रहे थे तथा निलम्बन काल में समिति से जीवन निर्वाह भत्ता भी प्राप्त कर रहे थे । जिला गन्ना अधिकारी, बाराबंकी जो कि श्री दीक्षित के अनुशासनिक मामले में जांच अधिकारी थे की संस्तुति के आधार पर क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरण एवं उप गन्ना आयुक्त (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के आदेश दिनांक 2 जनवरी, 1986 द्वारा विनिश्चय की प्रत्याशा में पदारूढ़ करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उन्हें सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बलरामपुर जिला गोण्डा में पदारूढ़ किया गया । क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरण के उक्त आदेश के संदर्भ में सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बुढ़वल जिला बाराबंकी ने

अपने पत्रांक–693–94 दिनांक 13-2-86 द्वारा बलरामपुर के लिये कार्यभार मुक्त किया गया, जो नियमों के अन्तर्गत है।

सहायक लेखाकार, श्री दयाल कृष्ण दीक्षित, केन यूनियन, बुढ़वल, जनपद बाराबंकी के पत्र पर कार्यवाही

19—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक लेखाकार श्री दयाल कृष्ण दीक्षित केन यूनियन बुढ़वल, जिला बाराबंकी का पत्र दिनांक 10-11-86 जिसके द्वारा उन्होंने अपराध संख्या 163/83 धारा 409 आई0 पी0 सी0 थाना रामनगर जिला बराबंकी में विभाग से निष्पक्ष जांच कराने हेतु मांग की थी, गन्ना आयुक्त उ 0 प्र0 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। विभाग द्वारा पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को कार्यवाही हेतु लिखा गया है ।

20—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

(6वें गुरुवार में अतां0 प्र0 सं0 51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति की विधि की जानकारी

21—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता की नियुक्ति (सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से) लोक सेवा आयोग की संस्तुति द्वारा होती है तो पदोन्नति में नियुक्ति की तिथि से वरीयता क्रम के आधार पर प्रोन्नति क्यों नहीं दी जाती ? अभी तक विभागीय पदोन्नति की विधि क्या है ? क्या इस विधि में अब वरीयता क्रम को आधार मानकर प्रोन्नति देने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

विभागीय सेवा नियमावली यू0 पी0 सर्विस आफ इंजीनियर्स (बी0 एण्ड0 आर0 ब्रांच) (क्लास–2 रूल्स 1936) यथासंशोधित के नियम–5 (4) तथा 5 (5) में अवर अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर श्रेष्ठता के आधार पर प्रोन्नतियां किये जाने का प्राविधान है। सीधी भर्ती से सहायक अभियंता के पद पर नियुक्तियां भी श्रेष्ठता के आधार पर होती है। सहायक अभियंता का पद अयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों में है। क्लास–2 में प्रथम नियुक्ति में वरीयता क्रम लागू नहीं हो सकता ।

अवर अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्तियों में निर्धारित अनुपात में ज्येष्ठतम एवं पात्रता क्षेत्र में आने वाले अभ्यर्थियों में से श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाती है। प्रोन्नति श्रेणी तथा सीधी भर्ती दोनों श्रोतों से नियुक्त सहायक अभियंताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण के उपरान्त अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है ।

उपरोक्त विधि में परिवर्तन का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिकारियों में उत्कृष्ट कार्य करने की मनोवृत्ति बनाये रखने एवं विभागीय कार्यकलापों का दक्षतापूर्वक संचालन करने के लिये श्रेष्ठता के आधार पर सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति आवश्यक है ।

22---श्री शारदा नन्द अंचल---

(6 वें सोमवार में अतां0 प्र0 सं0 93 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्री अम्बिकेश तिवारी, ग्राम बेंदों, थाना करछना, जनपद इलाहाबाद द्वारा फर्जी पते के आधार पर बन्दूक/राइफल के लाईसेन्स लेने पर कृत कार्यवाही

23---कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अम्बिकेश तिवारी, योगेश तिवारी आत्मज वृज किशोर तिवारी निवासी ग्राम बेदों थाना करछना, जनपद इलाहाबाद ने क्रमशः एक रायफल एवं दो नली बन्दूक का लाइसेन्स कानपुर का फर्जी पता देकर लिया है, जबकि इन दोनों लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है ? क्या गृह मंत्री लाइसेन्स देने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित---

प्राप्त सूचनानुसार श्री अम्बिकेश तिवारी निवासी ग्राम वेदों, थाना करछना, जिला इलाहाबाद ने उक्त पता से जनपद इलाहाबाद से वर्ष 1981 में एक दो नाली कारतूसी बन्दूक का लाइसेंस प्राप्त किया। श्री योगे तिवारी ने, जो ग्राम वेदों के ही निवासी हैं, फर्जी पता देकर, कानपुर नगर से वर्ष 1983 में राइफल का लाइसेंस प्राप्त किया । फर्जी पते से लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में जांच की जा रही है एवं जांचोपरान्त दोषी पाये जाने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी । उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामले वर्ष 1982 तथा 1983 में पंजीकृत हुए जिसमें से एक मुकदमें में आजीवन कारावास की सजा हुई है और एक मुकदमा विचाराधीन न्यायालय है ।

सर्वश्री अम्बिकेश तिवारी व योगेश तिवारी के लाइसेंसों को क्रमशः निलम्बित व निरस्त करके शस्त्रों को जमा करा लिया गया है ।

24---श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह---

[7 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

अचरा-नवगांव मार्ग जनपद फर्रुखाबाद को डामर कराने की मांग

25---श्री नरेन्द्र सिंह यादव---

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अचरा-नवगांव मार्ग, जो जनपद फर्रुखाबाद का सार्वजनिक निर्माण विभाग का मार्ग है और यह मार्ग एटा और फर्रुखाबाद को जोड़ता है, इसको अब तक पक्का नहीं कराया गया है ? क्या सरकार शीघ्र इस मार्ग को डामर कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी नहीं ।

अचरा-नवगांव मार्ग की कुल लम्बाई 5.50 मी0 है, जिसमें आरम्भ का 4.00 कि0मी0 खड़न्जा स्तर तक निर्मित है ।

प्रश्नगत कार्य जिला सेक्टर का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद–फर्रुखाबाद में मेंहदी घाट गंगा नदी पर निर्मित पुल के चालू न होने के कारण की जानकारी

26––श्री बिहारी लाल दोहरे––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद विकास खण्ड कन्नौज में मेंहदी घाट गंगा नदी पर पुल का निर्माण 1986-87 में पूर्ण हो गया था ? यदि हां, तो क्या यह चालू है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पुल के समय से चालू न होने से शासन को क्या वित्तीय क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या इसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कराकर उचित कार्यवाही की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जनपद फर्रूखाबाद के विकास खण्ड कन्नौज में मेंहदीघाट गंगा नदी पर मुख्य सेतु का निर्माण सेतु निगम द्वारा मार्च, 1987 में पूर्ण कर दिया गया था।

यह सेतु यातायात हेतु चालू नहीं है क्योंकि 1986 की वर्षा ऋतु में नदी की धारा में परिवर्तन के फलस्वरूप हरदोई की ओर अत्यधिक कटाव हुआ है जिसके कारण पहुंच मार्ग क्षति-ग्रस्त हो गया।

इस सेतु के समय से चालू न होने से शासन को प्रत्यक्षतः कोई क्षति नहीं हुई है।

सेतु के खुलने में विलम्ब नदी की धारा परिवर्तन जैसे प्राकृतिक कारण से हुआ है जिसके लिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। अतः जांच कराकर उचित कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

27––श्री बिहारी लाल दोहरे––

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम–भानपुर, थाना सोनहा, जनपद बस्ती के ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा

28––श्री बेनी प्रसाद वर्मा––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भानपुर थाना सोनहा, जनपद बस्ती में गाटा सं0 378, ग्राम सभा की सम्पत्ति है जिस पर बलपूर्वक अवैध कब्जा करके भवन निर्माण हो रहा था तथा अवैध निर्माण रोकने हेतु परगना मजिस्ट्रेट डुमरियागंज ने दिनांक 11-5-87, 30-5-87 एवं तहसीलदार मजिस्ट्रेट डुमरियागंज ने दिनांक 14-5-87 को थानाध्यक्ष सोनहा को अवैध निर्माण रोकने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो उसका पालन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित––

जी हां।

प्रश्नगत भूखण्ड के एक अंश पर भवन निर्माण हो रहा था, जी हां।

थानाध्यक्ष, सोनहा द्वारा प्रश्नगत अवैध निर्माण परगना मजिस्ट्रेट, डुमरियागंज के आदेश प्राप्त होने के पूर्व दिनांक 11-5-87 को रोक दिया गया था। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर जिलाधिकारी द्वारा जन प्रतिनिधियों के, जनहित संबंधी प्रेषित पत्रों पर कृत कार्यवाही

29––श्री नवाब सिकन्दर अली खां––

क्या प्रोटोकाल मंत्री कृपया बतायेंगी कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-1-88 जो कि जन-प्रतिनिधियों के जनहित सम्बन्धी पत्रों पर कार्यवाही एवं उत्तर देने के सम्बन्ध में है, पर जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन एवं प्रोटोकाल उप मंत्री (श्रीमती प्रेमिला बद्धवार मेहरा)––

माननीय विधायक का पत्र, जो जिलाधिकारी शाहजहांपुर का 20-1-88 को मिला था, के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रमुख स्थानीय विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं कि जब भी जनप्रतिनिधियों द्वारा जनहित संबंधी प्रार्थना-पत्र उनको प्राप्त हों, वे

तत्काल ऐसे प्रार्थना-पत्रों पर नियमानुसार उचित कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही का उत्तर पत्र प्रेषक को निश्चित रूप से भेजें ।

जिलाधिकारी द्वारा इसकी सूचना माननीय विधायक को भी दी गई हैं ।

जनपद–बांदा के दो उप निरीक्षक थानाध्यक्ष पद से प्रत्यावर्तित

30––श्री राम नरेश यादव––

क्या गृह मंत्री कृपया बातायेंगे कि डी0 आई0 जी0, झांसी ने 1985 में थानाध्यक्षों की वरिष्ठता सूची तैयार की थी ? उनमें से जनपद बांदा की सूची में से कितने थानाध्यक्षों की पदावनति की गयी और क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित––

वर्ष 1985 में जनपद बांदा के दो उप निरीक्षकों को थानाध्यक्ष के पद के लिए उपयुक्त न पाये जाने के कारण पुलिस अधीक्षक, बांदा द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र की अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किया गया था ।

झांसी पुलिस रेन्ज के उप निरीक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड

31––श्री राम नरेश यादव––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी पुलिस रेन्ज में महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र ने 1-5-84 से देय सेलेक्शन ग्रेड उप निरीक्षकों को दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित––

जिन उप निरीक्षकों के सेवा अभिलेख संबंधित पुलिस अधीक्षकों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जा सके हैं, उनको छोड़कर दिनांक 1-5-84 को देय सेलेक्शन ग्रेड सभी उप निरीक्षकों को स्वीकृत किया जा चुका है ।

श्री हर प्रसाद मिश्र, ग्राम गुरूगवां, थाना–पैलानी, जनपद–बांदा की तहरीर पर पुनर्विवेचना

32––श्री राम नरेश यादव––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 28-1-88 को एस0 पी0 बांदा ने हर प्रसाद निवासी गुरगवाँ थाना पैलानी, जनपद-बांदा की रिपोर्ट न दर्ज किये जाने पर जांच का आदेश सी0 ओ0 सदर श्री तहसीलदार सिंह को किया था ? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या हुआ ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित––

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हर प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम गुरुगवां थाना पैलानी, बांदा ने दिनांक 30-1-87 को एक स्वयं की हस्ताक्षरित तहरीर थानाध्यक्ष पैलानी को सम्बोधित करके दी थी जिस पर थाना पैलानी पर अ0 सं0 30/87 धारा 454/307/327/504/56 भा0 द0 वि0 पंजीकृत होकर विवेचना द्वारा थानाध्यक्ष पैलानी की गयी । विवेचना से अपराध की पुष्टि नहीं हो सकी । अतः विवेचना अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 29-2-87 द्वारा समाप्त की गयी । इस विवेचना से क्षेत्राधिकार सदर सहमत नहीं हुए अतएव उपर्युक्त अपराध की पुनर्विवेचना हेतु आदेश दिये गये हैं । पुनर्विवेचना की जा रही है ।

श्री एस0 के0 मलिक, निरीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, खण्ड–गोरखपुर के द्वारा जहांगीरगंज थाना, जनपद–फैजाबाद में दर्ज रिपोर्ट और कार्यवाही

33––श्री बलराम यादव, श्री रमाकान्त, श्री राम जनम, श्री मित्रसेन तथा श्री पारस नाथ यादव––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध सं0-7/87 अन्तर्गत धारा 218, 220, 468 थाना जहांगीरगज जनपद–फैजाबाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट किसने अंकित करायी है ? अब तक अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित---

प्रश्नगत अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री एस0 के0 मलिक निरीक्षक अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश खण्ड गोरखपुर द्वारा पंजीकृत कराई गयी थी कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

श्री शम्भूनाथ सिंह आदि, ग्राम–रतुआपार पर थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ में दर्ज रिपोर्ट और कृत कार्यवाही

34---श्री बलराम यादव, श्री राम जनम, श्री रमाकान्त, श्री मित्रसेन तथा श्री पारस नाथ यादव---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शम्भूनाथ सिंह श्री त्रिलोक सिंह पुत्रगण श्री बंशराज सिंह, श्री अशोक प्रताप उर्फ लल्लन सिंह पुत्र श्री शम्भू नाथ सिंह ग्राम खुआपार पर थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ में अब तक कितने अपराधिक मुकदमें अंकित कराये गये हैं ? क्या अभियुक्तगण आग्नेय शस्त्र के लाइसेन्सी हैं ? यदि हां, तो उक्त मुकदमें तथा इनके लाइसेन्स के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अशोक प्रताप आदि ग्राम–रतुआपार, थाना अतरौलिया, जनपद–आजमगढ़ पर थाना जहांगीरगंज जनपद–फैजाबाद में दर्ज रिपोर्ट तथा कृत कार्यवाही

35---श्री बलराम यादव, श्री राम जनम, श्री रमाकान्त, श्री मित्रसेन तथा श्री पारस नाथ यादव---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अशोक प्रताप उर्फ लल्लन सिंह पुत्र श्री शम्भूनाथ सिंह निवासी–ग्राम खुआपार थाना–अतरौलिया जनपद–आजमगढ़ के विरुद्ध थाना–जहांगीरगंज जनपद–फैजाबाद में कितने आपराधिक मुकदमें अंकित कराये गये हैं ? क्या श्री अशोक प्रताप सिंह उक्त थाने के आग्नेय शस्त्रधारक भी हैं ? यदि हां, तो उक्त मुकदमें में तथा इनके लाइसेन्स के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित---

श्री अशोक प्रताप सिंह उर्फ लल्लन सिंह पुत्र श्री शम्भूनाथ सिंह निवासी रतुआपार (न कि खुआपार) थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना जहांगीरगंज में एक अभियोग मु0 अ0 सं0 47/87 धारा 147/148/323/504/506 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ है।

जी हां।

(क) मुकदमें में आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किये जा चुके है। जो न्यायालय के विचाराधीन है।

(ख) शस्त्रलाइसेन्स के निरस्त्रीकरण की कार्यवाही जिलाधिकारी, फैजाबाद के विचाराधीन है।

श्री फेरुलाल वर्मा, भूतपूर्व कर्मचारी, गन्ना विकस विभाग के पत्र पर कृत कार्यवाही

36---श्री राज किशोर सिंह---

क्या मुख्य मंत्री अपने पत्रांक पी। 1362/सी0 एम0-1/1986 दिनांक 20-2-86 तथा तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी, मेरठ (श्री आर0 एस0 माथुर) के पत्रांक 7745-47 दिनांक 14-8-73 के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास विभाग के कर्मचारी (श्री फेरुलाल वर्मा) जो उक्त श्री माथुर के अधीनस्थ मेरठ में कार्यरत थे, के प्रार्थना-पत्र दिनांक 3-12-72, 21-5-73, 17-7-73 एवं 20-8-73 जिसमें श्री आर0 एस0 माथुर के प्रति भ्रष्टाचार के गम्भीर अरोप लगाते हुए जांच की मांग की गयी थी, गन्ना विकास विभाग व शासन को प्राप्त

हुए थे ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा आरोपों की जांच की गयी और श्री फेरु लाल वर्मा को काम पर न लेने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

श्री फेरुलाल वर्मा का पत्र दिनांक 20-8-73 शासन में प्राप्त हुआ था। श्री वर्मा के अन्य पत्र दिनांक 3-12-72, 21-5-73 तथा 17-7-73 शासन स्तर पर प्राप्त नहीं हुए। उक्त पत्रों के संबंध में गन्ना आयुक्त के स्तर पर छानबीन की जा रही है।

श्री फेरुमल वर्मा भूतपूर्व गन्ना ग्राम सेवक द्वारा दिनांक 20-8-73 को एक पत्र सलाहकार उत्तर प्रदेश राज्यपाल को सम्बोधित करते हुए भेजा था इसकी प्रतिलिपि जिला गन्ना अधिकारी, मेरठ को भेजी गयी थी। इस पत्र के अन्तिम पैरा में श्री वर्मा द्वारा यह प्रार्थना की गयी थी कि दिनांक 31-8-73 को सायं तक इनकी सेवायें मानकर त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया जाय। नियुक्ति अधिकारी जिला गन्ना अधिकारी, मेरठ ने आदेश दिनांक 14-9-73 द्वारा श्री वर्मा का त्याग-पत्र दिनांक 31-8-73 स्वीकार कर लिया। श्री वर्मा ने इस आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था जो दिनांक 29-9-73 को निरस्त कर दिया गया। श्री वर्मा को पुनः सेवा में लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग उरई द्वारा फर्जी पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र देने पर कार्यवाही

37---श्री सुखपाल पाण्डे---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियंता (धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता) जो सार्वजनिक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड, उरई (जालौन) में कार्यरत हैं, ने सन् 1979 में अपनी पदोन्नति के लिए फर्जी पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र लगा कर पदोन्नति चाहते थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिलाधिकारी इटावा द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र की जांच कराकर शासन को सन् 1985 में लिखा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विशेष सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पत्रांक 5257/(ई0 डी0 आर0 23 (3) दिनांक 27-12-85 को प्रमुख अभियंता को लिखकर उक्त सहायक अभियंता के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज कराकर निलम्बित कराने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो रिपोर्ट दर्ज कराकर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि दर्ज नहीं करायी गयी तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां। जिलाधिकारी इटावा से जांच आख्या प्राप्त होने के उपरांत श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता आत्मज श्री दीनदयाल गुप्ता को पिछड़ी जाति का झूठा प्रमाण-पत्र देने के लिये संबंधित वर्ष के लिये प्रतिकूल प्रविष्टि तथा एक स्थाई वेतन वें वृद्धि एवं सत्यनिष्ठा रोके जाने का दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त इनके विरुद्ध शसनादेश संख्या 5287 ई0वी0 आर/23(3), दिनांक 27 दिसम्बर, 1985 द्वारा एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराके उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने की कार्यवाही का निर्णय लिया गया निलम्बित करने के कोई आदेश नहीं थ। न्याय विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार साक्ष्य एफ0 आई0 आर0 दर्ज कर धोखा धड़ी का मुकदमा चलाने के लिये काफी नहीं पाये गये। अतः आगे कार्यवाही नहीं की गयी और न ही इस कार्यवाही पर बल दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

38---श्री यदुनाथ सिंह---

[7 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड--11 के अधिकारी के चार्ज में अनियमितता

39---श्री यदुनाथ सिंह---

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड--11 के अधिकारी ने अपने पद का चार्ज ता0 3-7-82 को दिया था और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1317 मुख्य मंत्री को तारीख 18-8-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सर्वे डायरियों का चार्ज किस तारीख को दिया गया था ? क्या यह सही है कि चार्ज लेने वाले अधिकारी ने सर्वे डायरियों के पन्ने गायब पाये थे ? यदि हां, तो सर्वे डायरियों में पन्ने गायब करने में दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां। 14-10-82। जी हां।

संबंधित अधिकारियों को दंडित किया जा चुका है ?

40---श्री यदुनाथ सिंह---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम--तरांव, तहसील करवी, जिला बांदा के हरिजनों द्वारा उनका उत्पीड़न किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

41---श्री राम सजीवन---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तरांव, पुलिस चौकी शिवरामपुर, तहसील करवी, जिला बांदा के निवासी हरिजन सर्वश्री हरीवा, हीरालाल भद्दा, देवा, सिकदार आदि ने 18-4-87 को पुलिस अधीक्षक, बांदा को प्रार्थना--पत्र देकर शिकायत की है कि ग्राम प्रधान के सहयोग से अराजक तत्वों द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की गई, फसलें छीनी गईं, अवैध रूप से मवेशी फाटक में बन्द किये गये, रास्ता रोके गये, औरतों की बेइज्जती की गई ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रभावी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित---

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत शिकायती पत्र के संबंध में जांच करायी गई। जांच से पाया गया कि दिनांक 19-3-87 को हरिजनों को मारने-पीटने, गाली-गलौज के संबंध में चौकी शिवरामपुर (बांदा) पर मु0 अ0 सं0 118/87 धारा 323/504/506 भा0 द0 वि0 व 7 पी0सी0आर0 ऐक्ट पंजीकृत कराया गया। दिनांक 15-4-87 को श्री हरीवां हरिजन की सूचना पर थाना कर्वी पर एक अन्य मुकदमा अ0 सं0 136/87 धारा 352/504/506 व 7 पी0 सी0 आर0 ऐक्ट पंजीकृत हुआ। उक्त दोनों अभियोगों में विवेचना के उपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय भेजे गये, जो अभी भी न्यायालय में विचाराधीन हैं। जांच से हरिजनों की फसलें छीनने, अवैध रूप से मवेशियों को बन्द करने, औरतों की बेईज्जती करने के आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी व फतेहगढ़ में आजीवन सजा के कैदियों के संबंध में कतिपय जानकारी

42---श्री रामचन्द्र बख्श सिंह---

क्या जेल मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी व फतेहगढ़ में इस समय कितने कैदी हैं जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और इनमें से कितने कैदी ऐसे हैं जो 10 वर्ष से अधिक की सजा काट चुके हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 86 से लेकर अब तक कितने कैदियों ने प्रोबेशन पर रिहाई हेतु आवेदन-पत्र दिये हैं तथा उनमें कितनों का निस्तारण हो गया है और कितने विचाराधीन हैं ? क्या यह सही है कि उसमें एक भी कैदी प्रोबेशन पर नहीं छोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना संलग्न है।

जी नहीं।

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के तीन बन्दी तथा केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ के दो बन्दी प्रोबेशन पर मुक्त किये गये हैं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 197 पर)

गोरखपुर स्थित मदन मोहन इंजीनियरिंग कालेज के संचालन व्यवस्था की जानकारी

43---श्री सूर्य प्रताप शाही---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज का संचालन प्रबन्ध किस व्यवस्था के अन्तर्गत है? क्या वह सरकारी प्रबन्ध-तंत्र के अन्तर्गत हैं अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत प्राइवेट व्यवस्था के अन्तर्गत? क्या यह सत्य है कि उक्त संस्था के प्रधानाचार्य ही उसके पदेन सचिव हैं? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में वहां के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा सम्बन्धी पत्रावली प्राविधिक शिक्षा विभाग में पड़ी रही और न्यायालय द्वारा पत्रावली मांगे जाने पर भी उसे नहीं भेजी जाती रही?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है। यह एक स्वशासी संस्था है, जिसका संचालन प्रबन्ध संस्था की सोसाइटी के बाईलाज एवं मेमोरेन्डम आफ एसोसियेशन के अधीन प्राइवेट व्यवस्था के अन्तर्गत है।

प्रधानाचार्य, संस्था की सोसाइटी के एवं प्रशासकीय परिषद् के पदेन सचिव हैं। समय-समय पर संस्था की प्रशासकीय परिषद् के अध्यक्ष, राज्य मंत्री, प्राविधिक शिक्षा, मुख्य मंत्री जी तथा मुख्य सचिव रहते रहे हैं तथा सामान्यतः प्राविधिक शिक्षा विभाग अध्यक्ष के कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है। इसलिये सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के सेवा संबंधी कतिपय मामलों पर विचार करने हेतु पत्रावली प्राविधिक शिक्षा विभाग में रही, जो बाद में संस्था को भेज दी गयी। संस्था से प्राप्त सूचनानुसार संस्था द्वारा यह पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है।

जनपद बांदा ब्लाक नरैनी की बहरहीरंज नदी पर रपटा बनाने की मांग

44---श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 17-7-87 का पत्र, बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी में बहरही रंज नदी के उस पार के गांव रेहुंची आदि के आवागमन के सम्बन्ध में रपटा बनाने के सम्बन्ध में, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो ग्राम रेहुंची के पास में रपटा बनाने का विस्तृत प्राक्कलन एवं सर्वे रिपोर्ट क्या है? क्या गांवों के आवागमन की कठिनाई को दूर करने के लिये अविलम्ब राज्य स्तर से धन देकर रपटा का निर्माण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां।

कार्य जिला सेक्टर का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है। जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

बरछा–गुरमेऊ सम्पर्क मार्ग, नरैनी ब्लाक, जनपद बांदा को पक्का कराने की मांग

45––श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी ब्लाक के सम्पर्क मार्ग बरछा गुरमेऊ जिसमें बड़ी आबादी लगभग 15 गांव आते हैं जिसका कुछ भाग पक्का निर्मित भी है, को राज्य स्तर से धनराशि आवंटित करके पक्का कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिह––

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत कार्य जिला सेक्टर का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

राठ–जलालपुर मार्ग, जनपद हमीरपुर, ग्राम उमरिया के नाले पर पुल निर्माण

46––श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर को तहसील राठ के अन्तर्गत राठ जलालापुर मार्ग में ग्राम उमरिया के पास नाले में अर्धनिर्मित पुल नवम्बर, 87 तक पूरा न होने के क्या कारण हैं ? पुल का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिह––

प्रश्नगत लघु सेतु के निर्माण कार्य के संबंध में शिकायत प्राप्त होने के कारण कार्य रोक दिया गया था । परिवाद वर्ग द्वारा कार्य व गुणता की जांच कराई जा रही है । जांचोपरान्त ही कार्य को पुनः प्रारम्भ कर पूरा करना सम्भव हो सकेगा ।

श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम–भूतहा, थाना बक्सा, जनपद जौनपुर के पत्र पर कार्यवाही

47––कुंवर रेवती रमण सिह तथा श्री मैनेजर सिह––

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुरेन्द्र सिह ग्राम भुतहा, थाना बक्सा, जनपद जौनपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 4-2-87 गृह पुलिस अनुभाग–11, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित––

जी हां ।

इस मामले में सी0 आई0 डी0 जांच कराई गयी है ।

श्री मुन्नू उपाध्याय, ग्राम महपुरा, थाना बक्सर, जनपद जौनपुर के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

48––कुंवर रेवती रमण सिह तथा श्री मैनेजर सिह––

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मुन्नू उपाध्याय, ग्राम महपुरा थाना बक्सा जनपद जौनपुर का प्रार्थना पत्र दिनांक 5-2-87 को जघन्य अपराधी गणेश शुक्ल पुत्र श्री हरीश चन्द्र शुक्ला निवासी ग्राम बक्सा, थाना बक्सा जनपद जौनपुर के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर शस्त्रों को पुलिस कब्जे में लिये जाने सम्बन्धी है, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त संदर्भित मामले में शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित––

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार, बन्दूक लाइसेंस निरस्त करने के सम्बन्ध में जिला स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील को स्वीकृत राजनैतिक पेंशन के संबंध में जानकारी

49---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जी0 ओ0 नं0 सा0 वि0 91 जेड0 6 बी-87-66/87 दिनांकित 24-6-87 के तहत स्वतंत्रता-संग्राम सेनानी की पेंशन किसको और किस आधार पर स्वीकृत हुई ? इसी प्रसंग में क्या कृपया यह भी बतायेंगे कि पेंशन पाने के लिए आवेदक ने कब और किसकी संस्तुति के साथ अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी0 ओ0 नं0 स0 वि0 91 जेड0/6-बी-87-66/87 दिनांक 24-6-87 में श्री हनुमान प्रसाद कुरील को स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के फलस्वरूप राजनैतिक पेंशन स्वीकृत की गई है। श्री हनुमान प्रसाद कुरील ने दिनांक 26-3-87 को जिलाधिकारी, कानपुर देहात का प्रमाण-पत्र, दो विधायकों सर्व श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित तथा नेक चन्द्र पाण्डे और दो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सर्व श्री मन्ना लाल द्विवेदी तथा राम नारायण त्रिपाठी के प्रमाण-पत्रों के साथ आवेदन पत्र दिया था ।

50---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जी0 ओ0 नं0 सा0 वि0 91 जेड-6बी-87-66/87 दिनांकित 24-6-87 के तहत स्वतन्त्रता-संग्राम सेनानी की पेंशन पाने वाले के आवेदन-पत्र पर क्या किन्हीं दो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों ने उनके स्वतन्त्रता सेनानी होना प्रमाणित किया है ? यदि हां, तो ऐसे प्रमाणित कर्ता सेनानी कौन-कौन है और उन्होंने कब व किस जेल में स्वतन्त्रता सेनानी की जेल भोगी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां । दो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सर्वश्री मन्ना लाल द्विवेदी और राम नरायण त्रिपाठी के प्रमाण-पत्रों में यह प्रमाणित किया गया है कि श्री हनुमान प्रसाद कुरील ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विधान भवन पर सत्याग्रह करके गिरफ्तार हुये थे और 3 माह की सजा भोगी थी ।

श्री मन्ना लाल द्विवेदी की सजायाबी का विवरण निम्नांकित है :---

दिनांक 2-9-44 को सात वर्ष की सजा हुई और उन्होंने केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ और केन्द्रीय जेल बनारस में सजा भोगी ।

श्री राम नरायण त्रिपाठी की सजायाबी का विवरण निम्नांकित है :---

दिनांक 15-10-32 को धारा 4 आर्डिनेंस (5) के अन्तर्गत 6 माह की सख्त सजा हुई, दिनांक 15-1-32 को धारा 12 आर्डिनेन्स नं0 (12) आफ 1931 के अन्तर्गत 6 माह कठोर कारावास की सजा हुई और 50 रु0 जुर्माना, जुर्माना, न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कठोर कारावास तथा धारा 38 (5) डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत 9 माह की कठोर सजा तथा 25 रु0 जुर्माना, जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा हुई ।

जिला कारागार कानपुर में प्रश्नगत अवधि के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि श्री त्रिपाठी ने सजा किस जेल में भोगी ।

प्रदेश में कार्यरत होमगार्ड्स के वेतन का भुगतान

51—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कार्यरत होमगार्ड्स को प्रत्येक माह का वेतन अगले माह की 7 तारीख तक वितरित कर दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। क्योंकि वेतनभोगी कर्मचारी नहीं हैं।

श्री लाल जी राय, परगनाधिकारी, सलेमपुर देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

52—श्री हर्ष वर्धन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री लाल जी राय परगनाधिकारी, सलेमपुर देवरिया पर कतिपय गम्भीर आरोपों से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 322/पी0 एस0 एम0 एस/एम एल ए सी/86 दिनांक 17 सितम्बर, 1986 द्वारा प्रश्नकर्ता को प्रेषित पत्र के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4-9-1986 के साथ श्री हरिकेवल प्रसाद भूतपूर्व विधायक के शिकायती पत्र दिनांक 29 अप्रैल 1986 व 5 जून, 1986 की प्रति शासन में प्राप्त हुई थी। श्री हरिकेवल प्रसाद ने अपने पत्र दिनांक 29 अप्रैल, 1986 द्वारा यह आरोप लगाया था कि परगनाधिकारी सलेमपुर देवरिया (श्री लाल जी राय) द्वारा दिनांक 14-11-1985 को मंजरी साहित्यिक संस्थान द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन एवं मुशायरा का आयोजन कराया गया था तथा सभी व्यय के उपरान्त रु0 7200 की धनराशि परगनाधिकारी द्वारा हड़प कर ली गयी।

इस आरोप की जांच जिलाधिकारी से कराने पर यह ज्ञात हुआ कि श्री लाल जी राय परगनाधिकारी ने रु0 7000 की अवशेष धनराशि दिनांक 14-7-1986 को टाउन एरिया सलेमपुर के कोष में जमाकर दी थी।

जहां तक दिनांक 5-6-1986 के शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों का सम्बन्ध है, जिलाधिकारी देवरिया की जांच आख्या प्राप्त की जा रही है।

कानपुर रोड स्थित आवासीय कालोनी पर लागू आवंटन नियमावली

53—श्री हर्ष वर्धन—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के छठे मंगलवार के अतां0प्र0 सं0 55 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त आवंटन नियमावली में कानपुर रोड कालोनी को छोड़ने के सम्बन्ध में क्या कोई नियम है ? यदि नहीं, तो उक्त कालोनी हेतु आवंटन नियमावली, 1980 का नियम 5 (1) को लागू न किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या मुख्य मंत्री उक्त नियम को कानपुर रोड कालोनी के आवंटियों के लिए लागू करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

नियमावली के प्रश्नगत प्राविधान लागू हैं।

आवंटन नियमावली, 1980 का नियम–5 (1) कानपुर रोड कालोनी के लिए दिनांक 30-9-85 से लागू है।

संचालक, गन्ना समिति, सम्पूर्णानन्द नगर जनपद लखीमपुर के साथ अभद्रता करने पर कथित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

54—श्री मैनेजर सिंह—

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि संचालक, गन्ना समिति, सम्पूर्णानन्द जनपद लखीमपुर-खीरी श्री योगेन्द्र सिंह के साथ, सचिव की उपस्थिति में

समिति के ही चपरासी श्री राममूरत व शिव मूरत द्वारा दिनांक 30-1-88 को समिति कार्यालय में किये गये अभद्र व्यवहार की जानकारी शासन को है ? यदि हां, तो दोषी चपरासी, श्री राम मूरत व शिव भूरत के विरुद्ध क्या कार्यवही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिह--

जी हां। श्री योगेन्द्र सिह, संचालक, गन्ना समिति, सम्पूर्णानन्द जनपद लखीमपुर खीरी के साथ समिति के चपरासी श्री राम मूरत व शिवमूरत के मध्य दिनांक 30-1-88 को समिति कार्यालय में वाद-विवाद आपसी गलतफहमी के कारण हुआ था जो समाप्त हो गया। अतः उक्त दोनों चपरासी श्री राम मूरत व शिवमूरत के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री इन्द्रराज बहादुर सिंह, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनियमितता की जांच

55--श्री विष्णु देव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्द्राज बहादुर सिह, डिप्टी कलेक्टर, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, जनपद आजमगढ़ के भ्रष्टाचार व अनियमितता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने व उनकी पुनर्नियुक्ति तथा सेवा में एक्सटेन्शन न किये जाने के विषय में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-1-88 श्री जे0 ए0 कल्याण कृष्णन, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, क्या यह सत्य है कि उस अधिकारी के भ्रष्टाचार अनियमितता के पर्याप्त प्रमाण दिये जाने के बावजूद उनकी पुनर्नियुक्ति एवं सेवा में एक्सटेन्शन कर दिया गया ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिह--

जी हां।

प्रश्नकर्ता द्वारा जिस भ्रष्टाचार व अनियमितता का आरोप लगाया गया है उसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी आजमगढ़ से जांच कराई जा रही है।

श्री इन्द्र राज बहादुर सिह को जनहित में 6 माह की पुनर्नियुक्ति स्वीकार की गई है।

दि किसान सहकारी चीनी मिल, जनपद आजमगढ़ में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या

56--श्री विष्णु देव--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल, जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1985-86 में कितने स्थायी/अस्थायी कर्मचारी थे तथा वर्ष 1986-87 में दिनांक 31-1-87 को कितने स्थाई/अस्थाई कर्मचारी हैं तथा उनमें अनुसूचित जाति के कितने कर्मचारी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिह--

किसान सहकारी चीनी मिल घोसी जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1985-86 में कुल 779 स्थाई/अस्थाई कर्मचारी तथा वर्ष 1986-87 में दिनांक 31-1-87 को 694 स्थाई/अस्थाई कर्मचारी कार्यरत थे।

वर्ष 1985-86 में 51 अनुसूचित जाति के कर्मचारी स्थाई/अस्थाई पदों पर कार्यरत रहे जिनकी संख्या वर्ष 1986-87 में दिनांक 31-1-87 तक बढ़कर 72 हो गयी है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह, उप निरीक्षक, कोतवाली देवरिया के विरुद्ध जांच

57--श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्र शेखर सिह, पुलिस उप निरीक्षक कोतवाली देवरिया के विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-8-1987 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां ।

मामले की जांच कराई गयी, जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

गौरी बाजार विधान सभा क्षेत्र देवरिया में निर्माण कार्य क्षेत्र के बंटवारे में अनियमितता

58--श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गौरी बाजार विधान सभा क्षेत्र, जनपद देवरिया में निर्माण सम्बन्धी कार्य क्षेत्र के बंटवारे में बरती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-1-1988 अधीक्षण अभियन्ता, 15वां बृत्त आजमगढ़ सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी, देवरिया को भी पृष्ठांकित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उच्चाधिकारियों द्वारा निष्पक्ष रुप से कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बेचू सिंह, ग्राम सोण्डी, थाना हाटा, जनपद देवरिया के यहां चोरी की रिपोर्ट

59--श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बेचू सिंह अलगू सिंह, निवासी ग्राम सोन्डी थाना हाटा जनपद देवरिया ने अपने यहां दिनांक 22-12-87 की रात में नकब काटकर हुयी चोरी के सम्बन्ध में दिनांक 23-12-87 को हाटा कोतवाली में नामजद रिपोर्ट की थी और दिनांक 13-1-88 को इसी सन्दर्भ में एक प्रार्थना पत्र भी पुलिस अधीक्षक देवरिया को दिया था ? यदि हां, तो अब तक नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

दिनांक 22-12-87 की रात्रि में नकब काट कर चोरी के प्रकरण के संबंध में तीन नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 14-1-88 को रिपोर्ट दर्ज की गयी है ।

जी हां ।

विवेचना से नामजदगी गलत पायी गयी और अपराध का होना नहीं पाया गया । विवेचना अन्तिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त कर दी गयी ।

सा0 नि0 वि0 अन्वेषणालय तथा सेल के कतिपय पदों के वेतन एवं पदनाम में एक रुपता लाने की मांग

60--श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग अन्वेषणालय तथा सेल के एल0 ए0 एवं आयोग द्वारा अनुमोदित जे0 ए0 सी0 व ए0 आर0 ओ0 वर्ग क्या काम करते हैं ? वर्ष 1965 से अब तक निरन्तर इंजीनियर (ए0 इ0, जे0 इ0) की तुलना में वैज्ञानिक वर्ग (विशेष रुप से जे0ए0सी0) का वेतनमान व स्तर गिराया जा रहा है ? जे0 ए0 सी0 व ए0 आर0 ओ0 के वेतनमानों में अन्तराल बनाने तथा जे0 ए0 सी0 का पदनाम ए0 आर0 ओ0 के अधीन जे0 आर0 ओ0 न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

एल0ए0 के कार्य--

परीक्षण कार्यों में जे0ए0सी0 को सहयोग देते हैं । प्रयोगशालाओं की टी एण्ड पी व अन्य उपकरण उनकी कस्टडी में रहता है ।

जे0ए0सी0 के कार्य--

प्रयोगशालाओं में होने वाले सभी परीक्षण कार्य, गणना एवं कम्पाइलेशन, शोध कार्यों के परीक्षण, नमूनों से संबंधित पत्राचार व आवश्यक सामग्री की व्यवस्था आदि करना है।

ए0 आर0 ओ0 के कार्य--

प्रयोगशालाओं का संचालन, नेतृत्व व देखरेख करना, महत्वपूर्ण तकनीकी विषयों पर रिपोर्ट एवं समुचित आलेख तैयार करना, शोध कार्यों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना व अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किए गए परीक्षण की चेकिंग करना है।

वर्ष 1985 से ए0इ0, जे0इ0 व जे0ए0सी0 के प्रारम्भिक वेतनमानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ए0इ0, जे0इ0 व जे0ए0सी0 के वेतनमान उनके कार्यों के वर्गीकरण व पद स्तर के अनुरूप हैं।

जे0ए0सी0 का पद ए0आर0ओ0 के पद के कनिष्ठ है। अतः वेतनमान में अन्तराल कार्यों के वर्गीकरण व पद स्तर के अनुरूप होना स्वाभाविक है। जे0ए0सी0 का पदनाम जे0 आर0 ओ0 करने संबंधी प्रस्ताव को शासन ने विचारोपरान्त व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अस्वीकार कर दिया है।

वर्ष 1987 में प्रदेश के जिलेवार चोरी, डकैती की घटनाओं की तुलनात्मक जानकारी

61--श्री सुनील शास्त्री--

क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि विगत वर्ष 1987 में प्रदेश में जिलेवार चोरी और डकैती की कितनी घटनायें हुई ? क्या सरकार को जानकारी है कि इन अपराधों की संख्या वर्ष 1986 की अपेक्षा वर्ष 1987 में अधिक रही ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार ऐसे अपराधों के निरन्तर बढ़ने से रोकथाम की कोई नीति निर्धारित करेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

62--श्री महावीर सिंह राणा--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]।

63--श्री महावीर सिंह राणा--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

भारतीय पथकर अधिनियम, 1981 की शर्त-18 के बारे में कतिपय स्पष्टीकरण

64--श्री महावीर सिंह राणा--

विधान सभा, के प्रथम सत्र 1987 के 3रे मंगलवार को निर्धारित मा0 यदुनाथ सिंह विधायक के अता0 प्र0 सं0-155 के उत्तर के संबंध में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने कृपा करेंगे कि आदेश संख्या 234/23-सा0 नि0 अनु0-294-76 भारतीय पथकर अधिनियम 1981 दिनांक 25-1-80 में वर्णित बिन्दु 18 के अन्तर्गत 10 प्रतिशत का हरजाना पट्टा निरस्त करते समय अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा लगाना चाहिए था यदि हां, तो क्या लगाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शासनादेश सं0-243/23-सा0 नि0 दो--94-76, दिनांक 25 जनवरी, 1980 में निर्धारित मानक प्रपत्र की शर्त 18 के अनुसार "यदि पट्टेदार पट्टे की शर्तों का किसी भी प्रकार से पालन करने में किसी भी समय असफल पाया जायेगा सक्षम अधिशासी अभियन्ता शीघ्र एक सप्ताह का लिखित नोटिस देकर रु0----------प्रतिशत की दर से जुर्माना लगा सकेगा तथा उपरोक्त हर्जानों की धनराशि पट्टेदार की जमानत अथवा पट्टे की कुल लागत का

10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) जो भी अधिक हो तक के बराबर हो जाने पर अधीक्षण अभियन्ता ठेकेदार की जमानत जब्त कर निम्नलिखित कार्यवाही कर सकेगा :—

1—हर्जाना लगाकर पट्टा रद्द करना तथा जमानत की धनराशि जब्त करना, अथवा

2—पट्टे का कार्य पट्टा रहते हुए भी दूसरे व्यक्ति एजेन्सी द्वारा पूरा कराना तथा इस प्रकार से हुए अधिक व्यय को पट्टेदार से वसूल करना या; अथवा

3—पट्टे को रद्द कर दूसरे व्यक्ति/एजेन्सी को दे देना या जो भी उचित समझे कार्यवाही करना।

उपरोक्त कार्यवाही पट्टेदार ठेकेदार को हर हालत में मान्य समझी जायेगी तथा उपरोक्त कार्यवाही के कारण पट्टेदार के किसी भी प्रकार हर्जे-खर्चे आदि का दावा करने का अधिकार न होगा। पट्टा रद्द करने का निर्णय आयुक्त द्वारा लिया जायगा।"

प्रश्नगत मामलों में पथकर वसूली के ठेके का पट्टा पंजीकृत नहीं हो सका था। अतः इस शर्त के अनुसार कोई भी हर्जाना नहीं लगाया गया। अवीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, सा0 नि0 वि0 मेरठ के पत्र सं0 7567 डब्लू/41—डब्लू—1/85, दिनांक 31 अक्टूबर, 1985 द्वारा ठेकेदार से स्टाम्प शुल्क रु 0 78,625 / अर्थदण्ड के रूप में वसूल करने के आदेश दिए गये थे। इस आदेश के विरुद्ध ठेकेदार ने न्यायालय में वाद दायर कर दिया जो इस समय भी न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री जे0 सी0 गर्ग, अधिशासी अभियन्ता द्वारा कैराना, जनपद मुजफ्फरनगर पुल पर पथकर वसूली का ठेका दिया जाना

65—श्री महावीर सिंह राणा—

क्या सार्वजनकि निर्माण मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि श्री जी0 सी0 गर्ग, अधिशासी अभियन्ता द्वारा वर्ष 1980-81 में चरथावल का ठेका राजस्व स्टैम्प पर दिया गया ? यदि हां, तो कैराना जनपद मुजफ्फरनगर पुल का रु 0 5.00 के स्टैम्प पेपर पर इकरारनामा क्यों किया गया जबकि चरथावल पर रु0 5737.50 के स्टाम्प पेपर पर तथा रजिस्ट्रेशन हेतु अग्रिम जमानत धनराशि पर भी राजस्व स्टैम्प जमा किये गये ? यदि हां, तो शासन को इस प्रकार कितनी हानि हुई तथा अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1980-81 में नहीं वरन् वर्ष 1981-82 में श्री जी0 सी0 गर्ग, अधिशासी अभियन्ता द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में थाना भवन मार्ग के कि0 मी0 21 में चरथावल के निकट हिंडन नदी पर निर्मित पुल पर पथकर वसूली के ठेके के पट्टे के लिये रु0 5733.50 के स्टाम्प और रु0 2868.75 के राजस्व स्टाम्प हेतु जमाकर पुल का चार्ज ठेकेदार को दिनांक 24-10-81 को दिया गया था। यद्यपि सम्बन्धित अधिकारियों का कथन है कि उ0प्र0 पथकर विनियमन उद्ग्रहण और संग्रह नियमावली, 1980, जनवरी, 1980 में ही अधिसूचित हुई थी, यह नई पद्धति होने के कारण और इसमें अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की पूर्णतः जानकारी न होने के कारण जनपद मुजफ्फरनगर में पानीपत खटीमा राजमार्ग के कि0मी0 19 में कैराना के निकट यमुना सेतु पर पथकर वसूली के ठेके का पट्टा रु0 5 के स्टाम्प पेपर पर कराकर पुल का चार्ज ठेकेदार को दिनांक 4 जुलाई, 1980 को सौंपा गया तथापि पथकर वसूली के ठेके के पट्टे को समुचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित न कराने के सम्बन्ध में शासन द्वारा मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र) सार्वजनिक निर्माण विभाग, मेरठ को निदेश दिये गये हैं कि जांच करके उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही करें।

66—श्री अमिताभ अनिल दुबे—

[6वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 114 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

67—अमिताभ अनिल दुबे—

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

सहायक अभियन्ता तृतीय प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0, उन्नाव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

68---श्री मनोहर लाल---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद के प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0 के सहायक अभियन्ता तृतीय के विरुद्ध सड़क निर्माण घोटाले की शिकायत प्रश्नकर्ता ने दिनांक 27-11-87 से 29-12-87 तक उनको तथा सचिव सा0 नि0 विभाग उ0 प्र0 शासन लखनऊ को की थी ? क्या यह भी सही है कि सचिव सा0 नि0 वि0 उ0 प्र0 शासन ने दिनांक 7-12-87 को जांच कराने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

माननीय विधायक से प्राप्त शिकायती पत्रों पर जांच के आदेश दिये जा चुके है। जांचोपरान्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

लखीमपुर व सीतापुर जनपद के खाण्डसारी विभाग में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती पत्र पर जांच

69---श्री कुशल पाल सिंह---

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 10-2-88 को लखीमपुर व सीतापुर जनपद में खाण्डसारी विभाग द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के बारे में भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद् उ0प्र0 का शिकायती पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 1987 को दिया था ? यदि हां, तो इन शिकायतों में से कौन-कौन सी शिकायतें सही पाई गईं ? इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ? क्या दोषी पाये गये किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां।

उक्त मामले में अपर चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से जांच करायी गयी है। जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम नारायन पाण्डे, पत्रकार (बांदा) पर प्राणघातक हमला

70---श्री राम सजीवन तथा कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) बांदा श्री कुंवर सांवल सिंह ने एक पत्रकार श्री राम नारायन पांडे पर हुए प्राणघातक हमले के मामले में 8 फरवरी, 1988 को अभियुक्त को सजा का फैसला सुनाते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी बांदा श्री सौरभ चन्द्र को अपराध करने के लिए प्रेरक माना है ? क्या न्यायाधीश ने अपने फैसले की एक प्रति शासन एवं मुख्य सचिव को भेजी है और अधिकारियों के आचरण के विरुद्ध किसी स्वतन्त्र एजेंसी अथवा गुप्तचर एजेंसी से जांच कराने का प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांदा ने श्री राम नारायन पांडे पर हुए प्राणघातक हमले के मामले में दिनांक 8 फरवरी, 1988 को अभियुक्त को फैसला सुनाते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी बांदा तथा परगनाधिकारी के आचरण के विरुद्ध कतिपय संवीक्षण व्यक्त किए हैं। निर्णय की प्रति जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से शासन को प्राप्त हो गई है जिसमें उक्त न्यायाधीश ने सम्बन्धित अधिकारी के आचरण के विरुद्ध किसी स्वतन्त्र एजेन्सी अथवा सी0आई0डी0 से जांच कराने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता, सीतापुर के कृषि उत्पादन मण्डी स्थल में प्रवेश पर रोक

71--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ओम प्रकाश गुप्ता, निवासी सीतापुर को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, सीतापुर द्वारा जून 87 के प्रारम्भ में कृषि उत्पादन मण्डी स्थल पर उनके आने जाने एवं कार्य करने पर रोक लगाई गयी है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री ओम प्रकाश गुप्ता निवासी सीतापुर द्वारा कृषि उत्पादन मण्डी समिति सीतापुर में गड़बड़ी एवं आतंक फैलाये जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी। चूंकि श्री ओम प्रकाश गुप्ता अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया जाता है एवं इनके मण्डी स्थल में प्रवेश से स्थानीय व्यापारियों में भय का वातावरण बना हुआ था इसलिए जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा पुलिस अधीक्षक सीतापुर को दिनांक 30-5-87 को उपरोक्त व्यक्ति अथवा उनकी प्रतिनिधि फर्म के व्यक्ति के मण्डी स्थल पर प्रवेश पर रोक लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निदेश दिये गये थे।

72--श्री राम आसरे वर्मा--

[6वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर निवासी श्री ओम प्रकाश गुप्ता आढ़ती के घर से कतिपय लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप

73--राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर निवासी श्री ओम प्रकाश गुप्ता आढ़ती (अध्यक्ष आर0 एम0 पी0 डिग्री कालेज) के घर पर दिनांक 20-5-87 की रात्रि में कोतवाली पुलिस द्वारा बिना किसी वारण्ट के उनके यहां आये हुए आढ़तियों को पकड़ कर थाने ले जाया गया तथा उनके लाइसेंसी असलहे, लाइसेंस आदि थाने में रखवाकर उन्हें छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो लाइसेंसी असलहे बिना निलम्बन के थाने में रखने का क्या आधार है तथा क्या उन आढ़तियों की सुरक्षा हेतु कोई कार्यवाही शासन की ओर से की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

37वीं वाहिनी, पी0ए0सी0, कानपुर के हाई स्कूल उत्तीर्ण रसोइयें को लिपिक पद हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसर न दिया जाना

74--श्री दुर्गा प्रसाद यादव--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि 37वीं वाहिनी पी0ए0सी0 कानपुर में हाई स्कूल पास ऐसे कितने रसोइयें है जिन्हें लिपिक परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसर आवेदन करने के बाद भी नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पीड़ित पक्ष को न्याय देकर उत्पीड़क पक्ष को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के कारागारों में निरुद्ध बन्दियों को श्रेणीवार प्रतिदिन भोजन/वस्त्रों की सुविधा

75—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के जिले में प्रत्येक श्रेणी के कैदियों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना भोजन तथा कपड़े आदि मिलते हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि सुपीरियर क्लास के कैदियों को उपरोक्त संबंध में क्या सुविधायें हैं ? क्या यह सुविधायें स्वतन्त्रता से पूर्व कैदियों को मिलने वाले भोजन, वस्त्र, दवा व सफाई आदि से बेहतर है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बन्दियों को श्रेणीवार प्रतिदिन निम्न निर्धारित मानक के अनुसार भोजन/वस्त्र दिये जाने की व्यवस्था है :—

साधारण श्रेणी

आटा	700 ग्राम
अथवा चावल	470 ग्राम
दाल	90 ग्राम
नमक	14 ग्राम
हल्दी, मिर्च, मसाला	प्रत्येक 1—1 ग्राम
तेल	10 ग्राम
सब्जी	230 ग्राम
चाय	2 ग्राम
शक्कर	10 ग्राम
दूध	20 ग्राम
गुड़	45 ग्राम

नाश्ता—

सप्ताह में दो दिन

भीगा चना	45 ग्राम
नमक	2 ग्राम
मिर्च	1/2 ग्राम

अगले दो दिन

उबला चना	45 ग्राम
नमक	2 ग्राम
तेल	1 ग्राम

शेष 3 दिन

दलिया	60 ग्राम
गुड़	30 ग्राम

रविवार एवं त्योहारों को विशेष भोजन

सूजी	39 ग्राम
गुड़	60 ग्राम
तेल	90 ग्राम
डालडा	15 ग्राम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उच्च श्रेणी

	शाकाहारी	मांसाहारी
आटा	350 ग्राम	350 ग्राम
चावल	175 ग्राम	175 ग्राम
दाल	120 ग्राम	60 ग्राम
दूध	350 मिली लि0	——
घी	75 ग्राम	60 ग्राम
तेल	15 ग्राम	15 ग्राम
शक्कर	60 ग्राम	60 ग्राम
चाय	15 ग्राम	15 ग्राम
गर्म मसाला	15 ग्राम	15 ग्राम
अमचूर	10 ग्राम	10 ग्राम
नमक	7 ग्राम	7 ग्राम
सब्जी	350 ग्राम	230 ग्राम
मांस	..	230 ग्राम
फल	सप्ताह में तीन बार	सप्ताह में तीन बार

(मांसाहारी बन्दी मांस के बदले उतने ही मूल्य के अन्डे तथा मछली ले सकते हैं।)

वस्त्र

(1) पुरुष बन्दी
साधारण बन्दी

गर्मी में

दो कुरते
दो पाजामें
एक टोपी
एक तिकोनी
एक चादर
एक गमछा
एक जांघिया
एक कम्बल

सर्दी में

गर्मी के वस्त्रों के अतिरिक्त एक कम्बल (दो कम्बल कुल)
एक कोट

उच्च श्रेणी बन्दी

गर्मी में

तीन कुरते
दो धोतियां या पाजामें
दो जांघिया या तिकोनी
दो बनियान
दो टोपी या 2 पगड़ी
दो जोड़ी सूती मोजा
एक चटाई
दो तौलिया
कपड़े का टुकड़ा (6×27)
एक तकिया

सर्दी में

गर्मी के वस्त्रों के अतिरिक्त एक कम्बल या एक रजाई, एक ऊनी कोट, एक ऊनी पाजामा; एक ऊनी वास्कट।

उत्तर प्रदेश गजट

दो गिलाफ
दो चादरें
एक कम्बल
एक जोड़ा चप्पल अथवा फुल स्लीपर

(2) महिला बन्दी (साधारण)

गर्मी

तीन साड़ियां
तीन कुरती
तीन पेटीकोट
दो तौलिया
दो चादरें
एक कम्बल

सर्दी

गर्मी के वस्त्रों के अतिरिक्त एक कम्बल (कुल दो कम्बल)
एक पुलोबर

महिला (उच्च श्रेणी)

तीन साड़ियां
दो जैकिट
दो कुरती
तीन पेटीकोट
एक तकिया
दो गिलाफ
दो तौलिया
एक जोड़ी चप्पल
एक कम्बल

गर्मी के वस्त्रों के अतिरिक्त दो कम्बल या एक रजाई, एक ऊनी लम्बा कोट, एक कार्डीगन।

भोजन वस्त्र, दवा व सफाई आदि की अब मिलने वाली सुविधायें स्वतंत्रता पूर्व मिलने वाली सुविधाओं से बेहतर हैं।

जनपद बाराबंकी में जहांगीराबाद रोड से बहादुरपुर मजरे, वाया बघौली—मझालपुर से बनवा रोड में मिलाने की मांग

76—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में जहांगीराबाद रोड से बहादुरपुर मजरे बघौली से मझालेपुर होते बनवा रोड में मिलाए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 जून, 85 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जहांगीराबाद रोड से बहादुरपुर लिंक मार्ग का निर्माण सेक्टोल आर0एल0 ई0जी0 पी0 में स्वीकृत किया गया था किन्तु संरेखण में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण उक्त मार्ग का निर्माण नहीं किया जा सका। बहादुरपुर ग्राम को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक अन्य मार्ग से जोड़ दिया गया है। अतः प्रश्नगत मार्ग के निर्माण की अब आवश्यकता नहीं है।

चीनी मिल बुढ़वल बाराबंकी पर गन्ना किसानों का बकाया

77—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह —

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के बुढ़वल चीनी मिल पर इस समय गन्ना किसानों का चालू सीजन का तथा पिछला अलग-अलग कितना धन बकाया है ? और उसके भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद बाराबंकी की उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम यूनिट-बुढ़वल पर दिनांक 15-3-88 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 1987-88 का रु0 19.99 लाख तथा पिछला अधिग्रहण के पूर्व का रु0 9.08 लाख किसानों का बकाया है। सीजन 1987-88 का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की प्रक्रिया में है। अधिग्रहण से पूर्व के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान उ 0 प्र0 शुगर अण्डरटेकिंग (अर्जन) ऐक्ट 1971 के प्राविधानों के अनुसार होना है।

चीनी मिल, बाराबंकी पर गन्ना किसानों का बकाया

78--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी शुगर मिल पर इस समय गन्ना किसानों का कितना बकाया बाकी है? इसमें चालू सीजन का कितना है तथा पिछला बकाया कितना है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गन्ना आयुक्त कार्यालय से प्राप्त सूचना दिनांक 25-3-88 के अनुसार उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम यूनिट--बाराबंकी पर इस समय गन्ना किसानों का कुल रु0 54.38 लाख बकाया है जिसमें से चालू सीजन 1987-88 का रु0 53.18 लाख तथा अधिग्रहण से पूर्व सत्र 1970-71 का पिछला बकाया रु0 1.20 लाख है।

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण, अनपरा, मिर्जापुर के ठेकेदार स्व0 श्री राम सवल सिंह के बकाया का भुगतान

79--श्री राज किशोर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश रा0 निर्माण निगम की अनपरा, मिर्जापुर इकाई के ठेकेदार श्री राम सवल सिंह, नि0 ग्राम नुआंव चुनार, मिर्जापुर, जिनका दिनांक 15-10-82 को देहान्त हो गया, की ठेकेदारी की बकाए की धनराशि का, जिसकी बाबत जांच पड़ताल हो चुकी है, का भुगतान उनकी विधवा (श्रीमती जामुन देवी) को कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

जालौन (उरई) बिक्रीकर कार्यालय खण्ड 2 व 3 में कतिपय व्यापारियों के पंजीयन में अनियमितता

80--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री जी को जानकारी है कि जालौन (उरई) बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड-2 में 3 कोयला के व्यापारियों सर्वश्री गुप्ता कोल कमीशन एजेन्ट, भारत कोल कमीशन एजेन्ट तथा विश्वनाथ कोल कमीशन एजेन्ट ने पंजीयन कराया और इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 647 सचिव संस्थागत वित्त को ता0 20-11-87 को मिला है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र के संबंध में कोई जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा? यदि नहीं, तो जांच कब तक करायी जावेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

इस संबंध में आवश्यक जांच करायी गयी। प्रश्नगत फर्मों को पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने तथा उन्हें बड़ी मात्रा में फार्म--31 जारी करने में अनियमितताओं के लिए बिक्रीकर अधिकारी, उरई को दोषी पाया गया। दोषी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु उन्हें आरोपित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

81—श्री यदुनाथ सिंह—
(7वें मंगलवार के लिए स्थगित)

82—श्री यदुनाथ सिंह—
(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद उन्नाव के प्रान्तीय खण्ड के सहायक अभियन्ता तृतीय के विरुद्ध शिकायती पत्र

83—श्री मनोहर लाल—

क्या सा0 नि0मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के प्रान्तीय खण्ड सा0नि0वि0 के सहायक अभियन्ता तृतीय के विरुद्ध सड़क निर्माण घोटाले की शिकायत सचिव, सा0नि0वि0 को उन्होंने दिनांक 29-12-87 को की थी तथा सचिव, सा0 नि0 वि0 से टेक्निकल आडिट सेल द्वारा जांच कराने को कहा गया था ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट में क्या हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

शिकायती-पत्र पर टेक्निकल आडिट सेल से जांच कराने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

जनपद उन्नाव के प्रान्तीय खण्ड के सहायक अभियन्ता तृतीय के द्वारा कराये गये कतिपय कार्यों के विरुद्ध ब्योरे की मांग

84—श्री मनोहर लाल—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद के प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0 के सहायक अभियन्ता तृतीय ने वर्ष 1985, 86, 87 में किन-किन सड़कों पर क्या-क्या कार्य अनुबन्धों, वर्क आर्डरों व स्थायी मस्टर रोलों के माध्यम से कराये हैं ? उन कार्यों पर शासन से कितना धन आवंटित था तथा उन पर कितना धन व्यय किया गया ? क्या उन कार्यों के आगणन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न से संबंधित विवरण माननीय राज्य मंत्री जी सा0 नि0 विभाग के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जिसे माननीय सदस्य किसी कार्य दिवस को कार्यालय समय में देख सकते हैं ।

आगरा जनपद के कतिपय सम्पर्क मार्गों पर व्यय का ब्योरा

85—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में मार्ग मितावली से गढ़ी राम बाया हर्राय व देवखेड़ा से सलेमपुर, बमान से नहरा, सुरहरा मार्ग से गढ़ी बस्ती लिंक मार्ग पर प्रत्येक पर अर्थ वर्क पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? क्या यह सच है कि मिट्टी निर्धारित मात्रा से बहुत कम तथा निर्धारित चौड़ाई से कम डाल कर भारी घोटाला किया गया है ? क्या मंत्री जी उपरोक्त मार्गों पर किए गए कार्यों का सत्यापन मौके पर किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रश्नकर्ता की मौजूदगी में कराने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मार्गों पर 15-3-88 तक मिट्टी के कार्य पर निम्न व्यय हुआ है :—

1—मितावली से गढ़ी राम बाया हर्राय	.. 0.62 लाख रु0
2—देवखेड़ा से सलेमपुर	.. 1.17 लाख रु0
3—बमान से नहरा	.. 0.49 लाख रु0
4—सुरहरा से गढ़ी बस्ती लिंक मार्ग	.. 0.30 लाख रु0
कुल योग	.. 2.58 लाख रु0

जी नहीं। उपरोक्त जो भी कार्य कराया गया है उसकी अवर अभियंता द्वारा माप करने तथा सहायक अभियंता द्वारा चेक करने के उपरान्त ही भुगतान आदि किया गया है। इस प्रकार कोई घपला नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुबेरपुर–रहनकलां मार्ग (एतमादपुर क्षेत्र) जिला कानपुर में निर्धारित मापदण्ड से निर्माण न होने सम्बन्धी आरोप

86—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा कानपुर राष्ट्रीय मार्ग पर प्रश्नकर्ता के क्षेत्र ऐतमादपुर के कुबेरपुर-रहनकलां मार्ग पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है? इस मार्ग के निर्माण में निर्धारित माप दण्डों के अनुसार निर्माण न करने के सम्बन्ध में क्या मंत्री जी निर्माण कार्यों की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मार्ग पर 15-3-88 तक कुल रु0 12.01 लाख की धनराशि खर्च हुई है।

मार्ग में पड़ने वाली पुलियों के निर्माण में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण न करने के संबंध में प्रयुक्त सीमेन्ट, रेत तथा मोर्टार की जांच करायी जा रही है। परिणाम प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

एतमादपुर–खन्दौली मार्ग के निर्माण में व्यय की गयी धनराशि

87—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के ऐतमादपुर–खन्दौली मार्ग पर अब नाले पर पुल पार बैरियर लगा कर मार्ग चालू कर दिया गया है? क्या यह सही है कि एप्रोच मार्ग पर अभी तक काला-डामर नहीं किया गया है और जो पक्का कार्य हो भी रहा है वह साथ ही साथ उखड़ता चला जा रहा है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस एप्रोच मार्ग के निर्माण में अब तक कितना रुपया खर्च किया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

एतमादपुर–खन्दौली मार्ग पर बेरियर लगाकर पुल यातायात हेतु दिनांक 1-12-87 से खोला जा चुका है।

पहुंच मार्ग पर प्रथम सतह लेपन कर दिया गया है और कहीं भी सतह नहीं उखड़ रही है।

इस पहुंच मार्ग तथा सुरक्षात्मक कार्यों के निर्माण पर 2/88 तक 9.92 लाख रुपये व्यय हो चुका है।

बरेली कारागार के कतिपय कैदियों की रिहाई की मांग

88—नबाब सिकन्दर अली खां—

क्या कारागार मंत्री प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4–7–87 के संदर्भ में यह सूचित करने की कृपा करेंगे कि बरेली जेल के मो0 शरीफ तथा सी0 डी0 मिश्र दो कैदियों की मुक्ति हेतु बार-बार किये गये आग्रह पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बन्दी मोहम्मद शरीफ की अपील माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण उसे प्रोबेशन पर मुक्त हेतु उसके फार्म "ए" पर विचार नहीं किया गया। बन्दी 14 वर्षीय रोल के आधार पर भी रिहाई का पात्र नहीं है क्योंकि उसने अभी नियमानुसार सपरिहार 14 वर्ष सजा नहीं काटी है।

2--बन्दी सी0 डी0 मिश्र को प्रोबेशन पर रिहाई का पात्र नहीं पाया गया। तद्नुसार दिनांक 29-3-84 को उसकी रिहाई अस्वीकार कर दी गयी। 14 वर्षीय रोल के आधार पर भी बन्दी को समय से पूर्व रिहाई के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया और दिनांक 19-3-88 को यह निर्णय लिया गया कि बन्दी के मामले में दो वर्ष अपरिहार सजा और काटने के बाद पुनः विचार किया जाये।

89---कुंवर रेवती रमण सिंह---
(दिनांक 1-3-88 को अता0 प्र1 सं0 50 द्वारा उत्तरित)

पुरन्दरपुर–लालपुर मार्ग, गोरखपुर जनपद का निर्माण

90--श्री हर्ष वर्धन व कुंवर मानवेन्द्र सिंह---
क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के पुरन्दरपुर-लालपुर मार्ग की कुल लम्बाई कितनी है ? उक्त मार्ग 3 कि0 मी0 बनने के बाद शेष भाग के निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--
प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 5 किलोमीटर है।

शेष भाग का निर्माण जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

बृजमन गंज धानी मार्ग, गोरखपुर पर पक्का पुल का निर्माण

91---श्री हर्ष वर्धन--
क्या सार्व0 निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के बृजमनगंज धानी मार्ग के 9वें कि0 मी0 पर बने लकड़ी के पुल को प्रदेश योजना के अन्तर्गत पक्का कराने हेतु कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उक्त पुल कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो शासन जनहित में क्या उक्त पुल को पक्का करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--
जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर है। फिलहाल सम्भव नहीं है।

करमैनी–खड़खड़िया मार्ग, ब्लाक धानी, जनपद गोरखपुर का निर्माण

92---श्री हर्ष वर्धन--
क्या सार्व0 निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड धानी में करमैनी खड़खड़िया मार्ग की कुल लम्बाई कितनी है ? सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उक्त मार्ग को कब बनवाना शुरू किया था ? अब तक लेपन स्तर तक कितना मार्ग बना है तथा अब तक मार्ग पर कुल कितना व्यय हुआ है ? उक्त मार्ग कब तक पूरा हो जायेगा ? क्या सम्पूर्ण मार्ग के उस हिस्से पर लेपन बाकी है जो फरेन्दा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ? उक्त भाग का लेपन कार्य पूर्ण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--
प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 14.00 कि0 मी0 है।

वर्ष 1976–77 में कार्य प्रारम्भ हुआ था। 11.600 कि0 मी0 भाग में लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण है। अब तक प्रश्नगत मार्ग पर 58.75 लाख रुपया व्यय हुआ है।

6/88 तक मार्ग पूर्ण हो जाने की आशा है ।

जी नहीं। फरेन्दा विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले 9 कि0मी0 भाग में से 6.600 कि0मी0 भाग लेपित है ।

कार्य प्रगति पर है तथा 6/88 तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ में अप्रेन्टिस के रिक्त पद पर भर्ती की मांग

93---श्री हर्ष वर्धन---

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारियों हेतु राजकीय निर्माण निगम उत्तर प्रदेश, लखनऊ में अप्रेटिन्सशिप की कितनी जगहें कब से रिक्त हैं ? रिक्त जगहों को कब तक भरा जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

भारत सरकार की अप्रेन्टिसशिप स्कीम (अप्रेन्टिसशिप ऐक्ट, 1961) के अन्तर्गत सिविल डिप्लोमाधारियों की पिछले बैच की एक वर्ष की अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग माह अगस्त, 1987 में पूर्ण हो गई थी। उसके बाद 17 अप्रेन्टिसों को कथित निगम के अन्तर्गत पुनः एक वर्ष के लिये रखा जाना था जिसके लिये निर्माण निगम ने बोर्ड आफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग, उत्तरी क्षेत्र, कानपुर से उपयुक्त व्यक्तियों के नाम मांगे। कुल 9 सिविल डिप्लोमाधारियों के नाम बोर्ड से निगम को प्राप्त हुये और उन सभी को ट्रेनिंग हेतु निगम ने आदेश जारी कर दिये थे लेकिन अभी तक 9 में से केवल 6 प्रशिक्षुओं ने योगदान किया है । कानपुर की कथित संस्था से और नाम प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही का किया जाना सम्भव होगा ।

ग्राम--कोड़हा, थाना मालीपुर, जनपद--फैजाबाद के आर्म्स लाइसेन्सियों को दी गई सजा की जानकारी

94---श्री नत्थू लाल विकल---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम हरखपुर कोड़हा में आर्म लाइसेन्स धारियों में से किसी को आर्म्स ऐक्ट में सुप्रीम कोर्ट से पूर्व में सजा भी मिल चुकी है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति को और वह उपरोक्त सजा के अलावा कितने अन्य अपराधों में मुल्जिम था या सजा पाया है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित---

जी हां ।

ग्राम कोड़हा, थाना मालीपुर के आर्म्स लाइसेन्सियों में श्री अकबर हुसैन बाबर, विधायक डी0वी0 वी0 एल0 गन के लाइसेन्सी हैं, जिन्हें आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत तीन वर्ष का कठोर कारावास हो चुका है ।

श्री बाबर के विरुद्ध तीन अन्य अभियोग भी पंजीकृत हुये हैं, जिसमें बलवे के एक अभियोग में उन्हें छः मास का कठोर कारावास हो चुका है । शेष दो अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री विष्णु कान्त पाण्डेय, सहायक थानेदार मधुवन, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

95---श्री विष्णु देव---

विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 48, 50, 52 के प्रश्न के उत्तर के संबंध में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मामले की जांच (विवेचना) किस अधिकारी ने कब, कहां से की और किस-किस के बयान लिये ? क्या मंत्री जी गवाहों के बयान सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्रश्न संख्या--48 व 52 के संबंध में जांच श्री जीवन चन्द्र पाण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक, क्षेत्राधिकार मऊ द्वारा की गई। प्रश्न संख्या--52 की जांच 6-4-86 को की गई थी। दोनों जांचों के लिखित बयान नहीं लिये गये थे।

प्रश्न संख्या-50 में उल्लिखित अभियोग अपराध संख्या अ0 स0 4/86 धारा 380 भा0 द0 वि0 की विवेचना श्री उमाशंकर सिंह, उप निरीक्षक द्वारा दरियाबाद में दिनांक 3-1-86 को की गई तथा विवेचना के मध्य श्री रामवृक्ष मौर्य पुत्र बंशराज मौर्य श्रीमती सोनिया पत्नी राम वृक्ष मौर्य, श्री अच्छे लाल पुत्र बल्ली बढ़ई, इदरीस पुत्र मु0 अहमद श्री मोती लाल चौरसिया पुत्र विपन चौरसिया, राम नरेश पुत्र जंगी यादव, राम भजन पुत्र सुखारी मौर्य, श्री मुन्ना पुत्र लक्ष्मन के कथन लिये गये।

अभियोग संख्या 5/86 धारा 452/323 भा0 द0 वि0 की विवेचना उप निरीक्षक श्री विष्णु प्रकाश पाण्डे द्वारा ग्राम कतकौली में दिनांक 14-1-86 को की गई। विवेचना के मध्य श्रीमती कलावती देवी पत्नी जयनरायण मिश्र, सूर्यनाथ मिश्र पुत्र गौरी मिश्र, सुभाष चन्द्र मिश्र पुत्र सूर्य नाथ मिश्र, निवासी कतकौली थाना मधुबन, आजमगढ़ एवं श्री देव नाथ मिश्र पुत्र दीप नरायन मिश्र श्री खेदन गौड़, पुत्र बेचू गौड़, व श्री मथुरा मिश्र पुत्र छेदी मिश्र के बयान लिये गये।

गवाहों के बयान सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गुरचरन सिंह चौहान, ग्राम-चक खैरुल्लाह जनपद-आजमगढ़ के प्रार्थना-पत्र की जांच और कार्यवाही

96--श्री विष्णु देव--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें मु0 अ0 सं0 684/87 थाना रानी सराय जनपद आजमगढ़ की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुरूचरन चौहान ग्राम चक खैरूल्लाह, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-6-87 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र की जांच कब और किस अधिकारी ने की तथा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

97--श्री विष्णु देव--

[5 वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला पुलिस मिनिस्टीरियल संवर्ग जनपद इलाहाबाद में कानस्टेबिल "एम" पद पर वर्ग चार के विभागीय कर्मियों की नियुक्ति

98—श्री देव कुमार यादव—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि 19/20 सितम्बर 82 को पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद में जिला पुलिस मिनिस्टीरियल संवर्ग में कानस्टेबिल "एम" के पद पर नियुक्ति हेतु वर्ग 4 के विभागीय कर्मचारियों की परीक्षा आयोजित की गई थी और उक्त परीक्षा में 41 अभ्यर्थियों के चयन को अनुमोदित करके पुलिस गजट उ0 प्र0 खण्ड संख्या 36 गजट संख्या 50 दिनांक 15-12-82 को प्रकाशित करके जारी किया गया था ? क्या यह सही है कि चयन सूची की क्रम संख्या 20 से 41 तक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी तक नये पदों पर नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें नियुक्त करने की तत्काल कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

उक्त परीक्षा में कुल 186 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई थी । इसके 10% पद अर्थात 19 पदों के विरुद्ध वर्ग चार के कर्मचारियों को प्रोन्नति देकर भरा गया था। शेष की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक उद्यम विभाग में सरकारी धन का गबन

99—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक उद्यम विभाग में सरकारी धन के गबन के मामले में कैशियर (श्री सतीश कुमार राय) को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या वित्तीय नियमों के अन्तर्गत गबन आदि की जिम्मेदारी कैशियर तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी की है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी आहरण एवं वितरण अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही किये जाने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

कार्यालय आदेश संख्या : 11/पी0ए0/न्यूरो/86, दिनांक 20 मई, 1986 द्वारा श्री राय को निलम्बित किया गया था।

जी हां ।

जी हां ।

शीघ्र

100—श्री शारदा नन्द अंचल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री सुखई यादव, जमालपुर-भेलखरा, जनपद-आजमगढ़ के भूमि विवाद

101—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री सुखई यादव निवासी जमालपुर भेलखरा जनपद आजमगढ़ के भूमि विवाद के सन्दर्भ में माननीय सांसद श्री राम नरेश कुशवाहा ने अपने पत्र दिनांक 11 मार्च, 1987 द्वारा उक्त वाद के समाधान के संबंध में लिखा था जिसके सन्दर्भ में उन्होंने पत्र सं0-19 सी0 एम0 एम0 पी0/32/87 सचिवालय एनेक्सी भवन लखनऊ दिनांक 2-4-87 द्वारा उन्हें कार्यवाही के संबंध में सूचित किया है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता तथा अन्य निवासी—सीतापुर को अवैधानिक तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप

102—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 20 मार्च, 87 की रात्रि लगभग 11.00 बजे सीतापुर निवासी श्री ओम प्रकाश गुप्ता व कुछ अन्य व्यक्तियों को अवैधानिक तरीके से उनके निवास से गिरफ्तार कर थाने में लाकर छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो इसमें दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या यह भी सही है कि स्थानीय पुलिस द्वारा द्वेषवश उनको विभिन्न झूठे केस में फंसाये जाने की साजिश की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से कराते हुए उनकी पूर्ण सुरक्षा के उपाय करने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना का घटित होना नहीं पाया गया, अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

यह कहना सही नहीं है कि स्थानीय पुलिस द्वारा द्वेषवश श्री ओम प्रकाश गुप्ता को विभिन्न झूठे अभियोग में फंसाये जाने की साजिश की जा रही है। वास्तव में श्री गुप्ता एक सक्रिय एवं कुख्यात अपराधी हैं जिनका लम्बा अपराधिक इतिहास है । श्री गुप्ता की सुरक्षा के उपाय किये जाने का कोई औचित्य अथवा आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी ।

उत्तर प्रदेश राजकीय चीनी मिल इकाई खड्डा (देवरिया) के सामान्य प्रबन्धक श्री गुप्ता के विरुद्ध शिकायती पत्रों पर जांच

103—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या चीनी उद्योग मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ0 प्र0 रा0 चीनी निगम इकाई खड्डा (देवरिया) के सामान्य प्रबन्धक श्री गुप्ता के विरुद्ध ब्लाक प्रमुख श्री अशोक मालवीय एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने इसके वर्तमान कार्यकाल में कितनी शिकायतें कब-कब कीं ? क्या उनकी जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री पी0 के0 गुप्ता, सामान्य प्रबन्धक, इकाई खड्डा के विरुद्ध ब्लाक प्रमुख श्री अशोक मालवीय एवं जनप्रतिनिधियों के पत्र दिनांक 10·12·85, 21·12·85, 25·12·85, 1·1·86, 20-1-86 तथा 15-10-86 प्राप्त हुए । मामले की जांच कराये जाने पर श्री गुप्ता के विरुद्ध कतिपय क्रय मामलों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया का पालन न करने तथा वित्तीय अनुशासन का निर्वाह न करने के अतिरिक्त अन्य आरोप सिद्ध नहीं पाये गये । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी चीनी मिल, गदरपुर, नैनीताल जनपद में मजदूरों की छंटनी और क्षतिपूर्ति के रूप में दी गयी धनराशि

104—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि सहकारी चीनी मिल गदरपुर, जनपद नैनीताल में फरवरी, 1985 से मई, 1985 तक मासिक वेतन के रूप में क्रमशः कितने मजदूर कार्यरत थे ? क्या यह सत्य है कि इस मिल में लगभग तीन सौ बोक्सा जनजाति के लोगों को मार्च, 85 से विधान सभा चुनाव 85 की समाप्ति तक ही सेवा में रखा गया था ? इन मजदूरों को सेवा में रखने और निकालने के क्या विशिष्ट कारण रहे ? इन मजदूरों को अचानक नौकरी से निकालने के कारण क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि क्षतिपूर्ति या अन्य रूप में दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत चीनी मिल में फरवरी, 1985 से मई, 1985 तक मासिक वेतन के रूप में कोई मजदूर कार्यरत नहीं था । बोक्सा जनजाति के तीन-तीन मजदूर क्रमशः फरवरी, मार्च, अप्रैल, 85 में तथा दो मजदूर, मई, 85 तक दैनिक वेतन पर कार्यरत थे। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्य समाप्त हो जाने पर कार्यमुक्त कर दिया जाता है ।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर देने के बाद किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देने का प्राविधान नहीं है ।

हरगांव सहकारी गन्ना विकास समिति, सीतापुर में किसानों से कृषि निवेश पर काटे गये धन का भुगतान

105—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या गन्ना मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर में हरगांव सहकारी गन्ना विकास समिति में किसानों का कृषि निवेश का पैसा वर्ष 1981-82 में काटा गया था लेकिन उसका अभी तक न भुगतान किया गया न बाण्ड दिये गये? यदि हां, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय महिला पालिटेक्निक लखनऊ में लेक्चरर रेडियो इंजीनियरिंग/लाईन कम्युनिकेशन पद पर चयन

106—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1980 में, लेक्चर रेडियो इंजीनियरिंग/लाईन कम्यूनिकेशन के राजपत्रित पद पर समाचार पत्रों में विज्ञापित न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव न होते हुए भी एक आवेदनकर्ता का चयन करके, बिना स्वास्थ्य परीक्षण कराये उनको राजकीय महिला पालीटेक्निक लखनऊ में उक्त पद पर, पदभार ग्रहण करा दिया गया और अब उनकी पदोन्नति विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या विनियमितीकरण नियमावली के नियम—4, उपनियम-2 एवं कार्मिक विभाग के अ0 शा0 पत्र सं0 13/71/1983-कार्मिक-1, दिनांक 17-12-83 में निहित प्राविधानों के अनुसार इनका विनियमितीकरण समाप्त करके, लोक सेवा आयोग द्वारा इस पद पर नियमित चुनाव कराया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सही है कि व्याख्याता के पद को भरने के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें न्यूनतम अर्हता इलेक्ट्रानिक्स में डिग्री तथा एक वर्ष का प्रयोगात्मक अनुभव रखा गया था परन्तु चूंकि भारत सरकार द्वारा इस पद के लिए इलेक्ट्रानिक्स डिप्लोमाधारियों को जिनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रानिक्स आप्शनल) के साथ टी0 टी0 टी0 आई0 डिप्लोमा था, अर्ह माने गये थे ऐसे तीन विभागीय अभ्यर्थियों को भी, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता रखते थे तथा पालीटेकनिकों में कार्यरत थे शासन के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त साक्षात्कार हेतु बुलाया गया और चयनोपरान्त एक डिग्री धारी तथा एक डिप्लोमाधारी (कु0 दयाश्री कौल) का चयन किया गया । कु0 कौल ने दिनांक 1-3-80 को कार्यभार ग्रहण किया। उनकी स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट शासन को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पत्र दिनांक 8-4-80 के साथ प्राप्त हुई । वर्ष 1986 में उन्हें चयन समिति द्वारा अध्यक्ष इलेक्ट्रानिक्स के पद हेतु उपयुक्त पाया गया और तदनुसार उन्हें प्रोन्नत किया जा चुका है । व्याख्याता के पद पर उनका नियमितीकरण नियमों के अनुसार ही किया गया है ।

107—श्री राज किशोर सिंह—

[6वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 25 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

श्री गिरीश चन्द्र उपाध्याय, सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) की पदोन्नति

108–श्री राज बहादुर सिंह तथा
श्री मैनेजर सिंह–

क्या सा0 नि0 मंत्री को जानकारी है कि श्री गिरीश चन्द्र उपाध्याय, सहायक अभियंता विद्युत (यांत्रिक) खण्ड–3 सा0 नि0 वि0 जो विगत 10 वर्षों से लखनऊ जनपद में ही विभिन्न खण्डों में कार्यरत हैं, की पदोन्नति उनसे कनिष्ठ अवर अभियंताओं को छोड़कर की गयी है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री गिरीश चन्द्र उपाध्याय, सहायक अभियंता, विद्युत/यांत्रिक, खण्ड–3, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ जनपद में विभिन्न खण्डों में लगातार 10 वर्षों से कार्यरत नहीं रहे हैं । अवर अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार 10 वर्ष का सेवा अनुभव रखने वाले स्थाई अवर अभियंताओं को ही, जो निर्धारित अनुपात में पात्रता क्षेत्र में आते हैं, नियमित प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जाता है । श्री गिरीश चन्द्र उपाध्याय, को लोक सेवा आयोग से अनुमोदन के उपरांत ही नियमित प्रोन्नति दी गयी है । ज्येष्ठता सूची के जो कनिष्ठ/वरिष्ठ अवर अभियंता, उपर्युक्त अर्हतायें पूरी नहीं करते थे, यदि ऐसे कोई रहे हों, तो उनका छूटना स्वाभाविक था । उक्त शर्त ही अभ्यर्थियों को पदोन्नति देने का आधार रहा है ।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता-सीतापुर के रायफल निलम्बन की रिपोर्ट के संबंध में कतिपय जानकारी

109–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10-10-77 को थाना मिश्रिख जनपद-सीतापुर के चौकी इन्चार्ज श्री राम चन्द्र राय द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी को प्रेषित अपनी रिपोर्ट, जो सीतापुर निवासी श्री ओम प्रकाश गुप्ता की राइफल निलम्बन के संबंध में थी, के पृष्ठ सं0–1 में श्री गुप्ता को दिनांक 31-12-75 को सेसन जज सीतापुर की अदालत से 9 माह सख्त कैद की सजा तथा पृष्ठ–2 में दिनांक 21-12-75 को सेसन जज सीतापुर की अदालत में 9 माह की सख्त कैद की सजा होना दिखाया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त चौकी इंचार्ज द्वारा प्रेषित रिपोर्ट सही है? यदि हां, तो श्री गुप्ता को उक्त सजाएं किस न्यायालय से हुई और उस दौरान उन्हें किस कारागार में बन्द रखा गया ? यदि प्रेषित रिपोर्ट गलत है, तो उक्त चौकी इंचार्ज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत रिपोर्ट के पृष्ठ–1 में श्री ओम प्रकाश गुप्ता निवासी सीतापुर को दिनांक 31-12-75 को सेशन जज सीतापुर न्यायालय से 9 माह सख्त कैद की सजा दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है । उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ–2 में श्री गुप्ता को दिनांक 31-12-75 (न कि दिनांक 21-12-75) को सेशन जज सीतापुर के न्यायालय से 9 माह की सख्त कैद की सजा होना दर्शाया गया है ।

चौकी इंचार्ज थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर (उ0 नि0 श्री राम चन्द्र राय) द्वारा प्रेषित उपरोक्त रिपोर्ट सही पायी गयी तथापि यह पाया गया है कि उक्त उ0 नि0 द्वारा अपनी रिपोर्ट में श्री गुप्ता की सजा की तारीख दिनांक 31-12-1965 के बजाय दिनांक 31-12-75 सम्भवतः भूल से अंकित कर दिया गया है ।

श्री गुप्ता को दिनांक 31-12-1965 को न्यायालय, जे0 ओ0 द्वितीय सीतापुर से 9 माह की सख्त कैद की सजा हुई थी ।

श्री गुप्ता को उपरोक्त सजा के दौरान कारागार में बंद रखने के संबंध में संबंधित कारागार-अभिलेखों के आग में जलकर नष्ट हो जाने के कारण इसकी सूचना देना संभव नहीं है ।

इलिया बाजार, थाना-सहाबगंज, जनपद-वाराणसी पर गांव पतेरी, थाना-चांद जनपद-सासाराम (बिहार) के व्यक्तियों द्वारा हमला

110—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ता0 20-9-87 को इलिया बाजार थाना सहाबगंज, जिला वाराणसी में गांव पतेरी थाना चांद जिला सासाराम बिहार के सैकड़ों व्यक्ति बन्दूक व राइफल के साथ दिन में आकर हमला किये जिससे धूरन साब वगैरह आठ व्यक्तियों को गोली लगी और पुलिस ने मौके पर जाकर हमलावरों के खिलाफ कुछ नहीं किया ? इस संबंध में डी0 आई0 जी0 वाराणसी को एक पत्र कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री विजय कुमार ने 28-9-87 को दिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसकी पूरी जांच सी0 आई0 डी0 से कराने की कृपा करेगी और इलिया जो बिहार के सरहद पर है उसकी सुरक्षा व्यवस्था करेगी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 20-9-87 को इलिया बाजार थाना शहाबगंज जिला वाराणसी में ग्राम पतेरी, थाना चांद, जिला रोहतास (सासाराम) बिहार के कुछ व्यक्तियों ने राइफल व लाठी डन्डों से लैस होकर हमला किया जिसके फलस्वरूप 7 व्यक्तियों को छर्रे की चोटें आयीं । घटना के दिन थाना शहाबगंज की पुलिस फोर्स बाढ़ राहत कार्य एवं क्रान्तिरथ के संबंध में शांति-व्यवस्था में लगी थी फिर भी सूचना मिलने पर थाना शहाबगंज का पुलिस बल तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गया जिससे हमलावर भाग गए । इस घटना के संबंध में उसी दिन थाना शहाबगंज में एक अभियोग अंतर्गत धारा 147/148/149/307 323 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया । विवेचनोपरांत इस अभियोग में 39 अभियुक्तों में से 34 के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, 4 अभियुक्तों का पता गलत होने के कारण कोई कार्यवाही न हो सकी । शेष एक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गयी है । तनाव को देखते हुए धारा 107/116 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गयी एवं शान्ति-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस बल के अतिरिक्त पी0 ए0 सी0 लगाई गयी है । कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री श्री विजय कुमार के प्रार्थना पत्र में अंकित आरोप जांच से निराधार पाए गए तथा घटना की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

111—श्री यदुनाथ सिंह—
[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

112—श्री यदुनाथ सिंह—
[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

फर्जी डाक्टरी प्रमाण-पत्र देनेवाली संस्था में शामिल अवकाश प्राप्त आई0 ए0 एस0 अधिकारियों के विरुद्ध जांच

113—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टरी के फर्जी प्रमाण पत्र देने वाली संस्था में शामिल 3 अवकाश प्राप्त आई0 ए0 एस0 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 248 मंत्री जी को ता0 22-5-87 को मिला है ? यदि हां, तो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या इस बारे में कोई जांच की गयी है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

संदर्भित पत्र में उल्लिखित मामलों में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच प्रचलित है ।

114—श्री यदुनाथ सिंह—
[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

115—श्री यदुनाथ सिंह—
[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की पदोन्नति हेतु चयन समितियों में आरक्षण

116—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की पदोन्नति के लिए समितियां बनी हैं ? यदि हां, तो क्या उसमें अनुसूचित जाति के भी सदस्य हैं ? यदि नहीं, तो शासनादेशों का उल्लंघन करके अनुसूचित सदस्य न नियुक्त किये जाने के लिए कौन जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं । पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की पदोन्नति हेतु अपेक्षित चयन समितियों का गठन पद नाम से किया गया है ।

चयन, नियमानुसार आरक्षण सम्बन्धी शासकीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करके ही किया जाता है व चयन समितियां, पी0 सी0 एस0 नियमावली/कार्यकारी आदेशों के प्राविधानुसार गठित की जाती हैं ।

रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा उपग्राहीय अथवा हवाई चित्र विकसित किया जाना

117—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी जानकारी देंगे कि रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर ने वर्ष 1983 से अब तक किन-किन जनपदों के उपग्राहीय मानचित्र, हवाई चित्र विकसित करके किन विभागों की रिमोट सेन्सिग इकाईयों को उपलब्ध कराये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ? यदि हां, तो इसके भूमिगत जल की उपलब्धिता के क्या परिणाम जिलावार प्राप्त हुए ?

श्रीमती दीपा—

रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा उपग्रहीत अथवा हवाई चित्र विकसित नहीं किए जाते हैं । यह कार्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा किया जाता है ।

अन्य का प्रश्न नहीं उठता ।

रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर द्वारा बुन्देलखण्ड में प्राकृतिक संसाधनों की खोज

118—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री सदन को जानकारी देंगे कि रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर को 83-84 से अब तक कितना बजट आवंटित किया गया तथा विभाग ने कौन से प्राकृतिक संसाधनों की खोज का कार्य बुन्देलखण्ड के किन-किन जनपदों में किया?

श्रीमती दीपा—

सेन्टर को 1983-84 से अब तक 726.676 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है । विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर एवं जालौन जनपदों में भूगत जल की खोज का कार्य किया जा रहा है ।

श्री जयचन्द्र सिंह उप निरीक्षक द्वारा किराया न देने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

119—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 86 के पहले मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 46 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित उपनिरीक्षक द्वारा अभी तक किराया भुगतान न करके शासकीय निर्देशों की अवहेलना की गई है ? क्या इसकी जांच कराकर उक्त उपनिरीक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले से संबंधित उप निरीक्षक श्री जयचन्द सिंह ने यह लिखित सूचना दी है कि उन्होंने दो साक्षियों के समक्ष मकान मालिक श्री अमृत लाल वर्मा को एक माह के मकान किराये की बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया है एवं उन पर अब किसी प्रकार का किराया शेष नहीं है ।

उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त उप निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं पाई गयी ।

पंचायत संयुक्त आयुक्त मेरठ के विरुद्ध किये गये जांच की रिपोर्ट

120—श्री कनक सिंह—

द्वितीय सत्र 1986 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0 49 के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त विकास आयुक्त, मेरठ की जांच पूर्ण हो गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधायक निवास में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा चलाये जाने वाले भोजनालयों में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच

121—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री की जानकारी में है कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा विधायक निवासों में चलाये जाने वाले, भोजनालयों में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता के परीक्षण का कार्य नियमित रूप से कराया जाता है ? यदि हां, तो किससे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विधायक निवासों में चलाये जाने वाले भोजनालय में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता के परीक्षण का कार्य समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा कराया जाता है । इस संबंध में अभी तक किसी माननीय विधायक की शिकायत नहीं प्राप्त हुई है । स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी आवश्यकतानुसार खाद्य पदार्थों का परीक्षण कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

122—श्री राम आसरे वर्मा—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

बुलन्दशहर के काली नदी पर पुल निर्माण की मांग

123—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री ने नगरवासियों के समक्ष नगर के आवागमन के सुधार हेतु काली नदी पर बुलन्दशहर में एक नवपुल के निर्माण की घोषणा गत वर्ष की थी ? यदि हां, तो माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश का अनुपालन अब तक क्यों नहीं हुआ ? पुल का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

सीमित संसाधनों के कारण ।

प्रदेश में वस्तुओं का मूल्य सूचकांक प्रति व्यक्ति आयदर

124—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1961 और 1971 के आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य पर आधारित मूल्य सूचकांक के अनुसार वर्ष 1986-87 और वर्ष 1987-88 के भावों पर प्रदेश के प्रति व्यक्ति को वार्षिक सामान्य आय दर क्या है और प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में क्या कोई वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

प्रदेश में वर्ष 1961 और 1971 के आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य पर आधारित मूल्य सूचकांक के अनुसार आय के अनुमान तैयार नहीं किये जाते हैं। राज्य आय अनुमान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उस वर्ष के प्रचलित तथा 1970-71 के स्थायी भावों पर तैयार किये जाते हैं। प्रदेश में समस्त आर्थिक खण्डों से सृजित कुल आय में उस वर्ष की मध्यवर्षीय जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े अनुमानित किये जाते हैं।

2—अद्यतन उपलब्ध त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1986-87 की प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष (1985-86) की अपेक्षा बढ़ी है। वर्ष 1986-87 में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 2146 रुपये तथा 1970-71 के स्थायी भावों पर 607 रुपये थी, जो गत वर्ष 1985-86 की अपेक्षा क्रमशः 143 रुपये (7.1 प्रतिशत) तथा 9 रु0 (1.5 प्रतिशत) अधिक रही।

3—वित्तीय वर्ष 1987-88 अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अतः प्रति व्यक्ति आय के अनुमान तैयार करने का अभी प्रश्न नहीं उठता है।

125—श्री विष्णु देव—

[राज्य सरकार से असमबद्ध होने के कारण निरस्त]

सचिवालय कालोनी महानगर में जलापूर्ति विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

126—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ में जल आपूर्ति ठप्प होने के बाबत माननीय विधायकों के पत्र दिनांक 11-12-87 तथा 8-2-88 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सचिवालय कालोनी, महानगर में जल आपूर्ति ठप्प होने के संबंध में केवल एक माननीय विधायक का दिनांक 8-2-88 का पत्र प्राप्त हुआ है।

जलापूर्ति की त्रुटियों को ठीक कर दिया गया है और अब जलापूर्ति सुचारु रूप से चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमा शंकर लाल महासचिव उ0 प्र0 संभागीय कर्मचारी महासंघ गोरखपुर पर प्राण घातक हमले की जांच

127—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 संभागीय कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री रमाशंकर लाल पर सदर अस्पताल गोरखपुर के एक उप निदेशक गण्डक समादेश गोरखपुर द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था ? यदि हां, तो श्री लाल ने सी0 बी0 आई0 से जांच हेतु शासन तथा जिलाधिकारी गोरखपुर को जनवरी, 1987 से 19 जून, 87 तक कितने प्रार्थना-पत्र दिये तथा अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

128—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

[6वें बुधवार में अता प्र0 सं0 115 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सुल्तानपुर, के निवासी ताल्लुकेदार बाबू मोहम्मद हसन के वारीसान को आर्थिक सहायता

129—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जगदीशपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के निवासी व ताल्लुकेदार बाबू मोहम्मद हसन ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था तथा इन की सारी सम्पत्ति अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली थी ? यदि हां, तो इनके वारिसान को स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त क्या सहायता की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी हां । कम्पनी सरकार ने उनके निवास स्थान को छोड़कर अन्य सम्पत्ति जब्त कर ली थी ।

ताल्लुकेदार बाबू मोहम्मद हसन के वारिसान को कोई सहायता नहीं दी गयी है । इस प्रकार की सहायता की कोई व्यवस्था नहीं है ।

पुरवा विधान सभा क्षेत्र, उन्नाव में राज्य सेक्टर के अंतर्गत मार्गों के निर्माण की मांग

130—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री यह जानकारी देंगे कि किसी रोड को राज्य सेक्टर से बनवाने के कौन से मानक हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लखनऊ मण्डल के सभी जिलों में राज्य सेक्टर की कुल कितने कि0 मी0 सड़कें किस-किस जिले में हैं और उन्नाव जिले के सातों विधान सभाई क्षेत्रों में राज्य सेक्टर की अलग-अलग कितने कि0 मी0 की सड़के हैं? क्या यह सच है कि पुरवा विधान सभा क्षेत्र में राज्य सेक्टर की सड़कों की लम्बाई सबसे कम है ? यदि हां, तो चालू वर्ष में क्या रायबरेली उन्नाव दो जिलों को सीधे जोड़ने वाले उन्नाव पुरवा मौरावां गुलरिह गुरुबक्शगंज रायबरेली मार्ग को तथा उन्नाव जिले के भगवन्त नगर पाटन पुरवा सहरांवा बनी लखनऊ मार्ग को राज्य सेक्टर में लेकर बनवाने की योजना पर शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अनुसार सामान्यतः राज्य सेक्टर के अन्तर्गत मार्गों को बनवाने के लिये जो मानक निर्धारित किये गये हैं, वह निम्न प्रकार हैं :—

(1) मार्ग का पुनः निर्माण,

(क) राज्य मार्ग,

(2) आर्थिक महत्व के कार्य,

(3) राज्य मार्गों पर उप मार्ग ।

लखनऊ मण्डल के जनपदों में राज्य मार्गों की लम्बाई निम्न प्रकार है :—

1. लखनऊ—86.00 किलोमीटर
2. रायबरेली—219.00 किलोमीटर
3. उन्नाव—179.00 किलोमीटर
4. हरदोई—214.00 किलोमीटर
5. सीतापुर—62.00 किलोमीटर
6. खीरी—212.00 किलोमीटर

उन्नाव जनपद के सातों विधान सभाई क्षेत्रों में राज्य मार्गों की लम्बाई निम्न प्रकार है :—

(1) हसनगंज—18.00 किलोमीटर
(2) बांगरमऊ—48.14 किलोमीटर
(3) सफीपुर—43.00 किलोमीटर
(4) उन्नाव—21.00 किलोमीटर
(5) हड़हा—21.00 किलोमीटर
(6) भगवन्तनगर—28.00 किलोमीटर
(7) पुरवा—शून्य

पुरवा विधान सभा क्षेत्र में कोई भी राज्य मार्ग नहीं पड़ता है ।

प्रश्नगत मार्गों को चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत निर्माण कराने की कोई योजना नहीं है ।

धनाभाव के कारण ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सा0 नि0 वि0 में निलम्बित अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं को बहाल करने की मांग

131—श्री विक्रमादित्य पाण्डे तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने अधिशासी अभियन्ता हैं जिन्हें निलम्बित हुये एक वर्ष से अधिक हो गया है ? क्या उनकी निलम्बन अवधि को देखकर शासन के आदेश के अनुसार शीघ्र बहाल करने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग में कुल तीन अधिशासी अभियन्ता तथा 13 सहायक अभियन्ता ऐसे हैं, जिन्हें निलम्बित हुए एक वर्ष से अधिक हो गया है। जांच प्रचलित है। जांच आख्या प्राप्त होने पर अंतिम निर्णय लेकर शीघ्र यथा वांछित कार्यवाही की जायगी।

सा0 नि0 विभाग के अस्थाई मस्टर रोल तथा वर्क चार्ज के कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

132—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सार्वजनिक मंत्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में दैनिक वेतन भोगी अस्थाई मस्टररोल श्रमिक जिनको तीन वर्ष लगातार कार्य करते हो गए हैं उन्हें नियमित स्थाई मस्टररोल पर नियुक्त कर दिया गया है ? क्या वर्कचार्ज, स्थाई, मस्टररोल श्रमिकों, जिनको तीन वर्ष लगातार कार्य करते हो गये हैं, को नियमित तथा स्थाई कर दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मामले में स्थिति यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में दैनिक वेतन-भोगी अस्थाई मस्टररोल श्रमिक, जिनको तीन वर्ष लगातार कार्य करते हो गये हैं, उनको मागों के अनुरक्षण का पूर्ण अनुदान मिलने पर निर्धारित मानकों अथवा उपलब्ध संसाधन के आधार पर आवश्यकतानुसार वरिष्ठता के क्रम में स्थायी मस्टररोल पर नियुक्त किया जाता है। अतः केवल तीन वर्ष लगातार कार्य करने के उपरान्त स्वतः स्थाई मस्टररोल पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

वर्कचार्ज, स्थाई मस्टररोल श्रमिकों, जिनको तीन वर्ष लगातार कार्य करते हो गए हैं, ऐसे कर्मचारियों में से केवल उतने ही कर्मचारी, जिनकी निरन्तर कार्यों पर आवश्यकता है, कार्यों पर संसाधन उपलब्ध होने पर ही नियमित किया जाता है। अतः तीन वर्ष पूर्ण होते ही स्वतः नियमित नहीं किया जा सकता है। तदोपरान्त नियमित अस्थाई कर्मचारी होने के तीन वर्ष उपरान्त स्थाईकरण हेतु स्थाई पद उपलब्ध होने पर जनपद की ज्येष्ठता क्रम से स्थायी किया जाता है।

मलिक सोप वर्क्स, लखनऊ द्वारा बिक्रीकर अधिकारी के विरुद्ध दर्ज एफ0 आई0 आर0 की जांच रिपोर्ट

133—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ की एक साबुन निर्माता फर्म मलिक सोप वर्क्स का तारीख 14-10-86 को पूर्व सूचना देकर बिक्रीकर अधिकारियों ने सर्वेक्षण किया और बिक्री कर अधिकारी एस0 आई0 बी0 की सर्वे डायरी के पन्ने फाड़ दिये और इस मामले की रपट आलमबाग थाना में करायी गयी थी ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस ने जो जांच की थी, उसका क्या परिणाम रहा ? क्या यह सही है कि करदाताओं ने भी अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस में रपट लिखायी है इस रपट में पुलिस ने किसको दोषी पाया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । सर्वेक्षण वास्तव में 15-10-86 को किया गया था । मामले में अपराध सिद्ध न होने की दशा में दिनांक 26-11-87 को पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई थी ।

अधिकारियों के विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी गयी, अतएवं कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

साहू स्कूटर सेल्स कारपोरेशन शिवाजी मार्ग लखनऊ का बकाया बिक्रीकर

134–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि फर्म साहू स्कूटर सेल्स कारपोरेशन, शिवाजी मार्ग, लखनऊ की ओर वर्ष 76-77 व 77-78 में बिक्रीकर बकाया है ? यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष अलग-अलग कितना बकाया है? बकाया को वसूल करने के लिए रिकवरी प्रमाण-पत्र डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) के पास किस तिथि को पहुंचा तथा वसूलयाबी के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? क्या बकाया के लिए अर्थदण्ड लगाया गया ? यदि हां, तो कितना ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां बकाया वसूली का विवरण निम्नांकित है :–

वर्ष	बिक्रीकर की बकाया धनराशि	वसूली प्रमाण पत्र का दिनांक
76–77	1071·20	17·3·81
77–78	1222·44	11·3·81

फर्म समाप्त हो चुकी है । फर्म के साझीदारों की चल व अचल सम्पत्ति का पता लगा लिया गया है । बकाये की वसूली के लिए कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त व्यापारी पर कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया है ।

साहू इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनेन्स क0 लखनऊ का बकाया बिक्रीकर

135–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि फर्म साहू इनवेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेंस कं0, शिवाजी मार्ग, लखनऊ पर वर्ष 76-77 से 79-80 तक बिक्री कर बकाया है ? यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में कितना-कितना रुपया बिक्री कर बकाया है ? रिकवरी प्रमाण पत्र किस तारीख को डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) के पास पहुंचा ? उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या बकाया के लिए करदाता के ऊपर अर्थदण्ड लगाया गया ? यदि हां, तो कितना और कब ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

वर्ष		बिक्री कर की बकाया धनराशि	वसूली प्रमाण-पत्र प्राप्ति का दिनांक
76–77	..	361.90	31-10-80
77–78	..	7286.00	19.5-82
78–79	..	5950.00	20-1-82
79–80	..	5800.00	9-2-83

फर्म के मालिक श्री राम कुमार साहू की चल सम्पत्ति की कुर्की दिनांक 26-8-83 को की गयी थी। कुर्क शुदा चल सम्पत्ति की नीलामी का कई बार अथक प्रयास किया गया, किन्तु सुपुर्दगार के सामान नीलामी हेतु प्रस्तुत न करने के कारण नीलामी संपन्न नहीं हो सकी । नीलामी हेतु निम्नलिखित तिथियां निश्चित की गयी । दिनांक 6-10-83, 2-11-83, 28-12-83, 20-2-84, 24-10-86, 15-11-87, 23-1-87 तथा 28-2-88 । सामान प्रस्तुत न करने के कारण सुपुर्दगार श्री राम चन्द्र के विरुद्ध धारा 406 (आई0 पी0 सी0) की कार्यवाही की जा रही है। अब पुनः नीलामी हेतु दिनांक 26-3-88 निश्चित की गयी है ।

उपरोक्त व्यापारी पर कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया है ।

हरिहर आटोमोबाइल्स, लखनऊ का बकाया बिक्रीकर की वसूली हेतु कृत कार्यवाही

136–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि फर्म हरिहर आटोमोबाइल्स विधान सभा मार्ग की ओर वर्ष 79-80, 80-81 व 81-82 प्रान्तीय व केन्द्रीय बिक्रीकर बकाया है ? यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में अलग-अलग कितना बिक्रीकर बकाया है ? बकाया को वसूल करने के लिए रिकवरी प्रमाण-पत्र डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) को किस तिथि को प्राप्त हुआ ? वसूलयावी में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या बकायेदार के ऊपर अर्थ दण्ड लगाया गया? यदि हां, तो कितना?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

वांछित विवरण निम्नांकित है :–

वर्ष	बिक्री कर की बकाया धनराशि	वसूली प्रमाण-पत्र प्राप्ति का दिनांक
79–80 (प्र)	26502.00	18-3-87
79–80 (के0)	1391.00	18-3-87
80–81 (प्र0)	33088.00	18-3-87
80–81 (के0)	3718.61	18-3-87
81–82 (प्रा0)	445933.00	18-3-87
81–82 (के0)	40000.00	18-3-87

बकायेदार के विरुद्ध दिनांक 8-6-87 को नोटिस जारी किया गया परन्तु जमा न करने पर फर्म की चल सम्पत्ति की कुर्की दिनांक 7-8-87 को की गयी थी । कुर्कशुदा चल-सम्पत्ति की नीलामी का कई बार प्रयास किया गया, किन्तु दिनांक 18-9-87 तथा 31-10-87 को सुपुर्दगार द्वारा सामान न प्रस्तुत किये जाने के कारण नीलामी नहीं की जा सकी। पुनः नीलामी हेतु दिनांक 6-11-87 की तिथि निश्चित की गयी, किन्तु बकाया की धनराशि से कम बोली आने के कारण नीलामी सम्पन्न नहीं की जा सकी। इसके पश्चात् पुनः नीलामी हेतु 10-3-88 की तिथि निश्चित की गयी, किन्तु मौके पर कोई खरीदार नहीं पहुंचा इस लिए नीलामी नहीं हो सकी। अब पुनः दिनांक 30-3-88 नीलामी हेतु तिथि निश्चित है।

कोई अर्थदण्ड बकायेदार के ऊपर नहीं लगाया गया है।

थाना गिरवां जनपद बांदा के कतिपय ग्रामों के कतिपय हरिजन व्यक्तियों के बन्धुवा मजदूरी विषयक पत्र पर कार्यवाही

137—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 14-7-87 के पत्र संख्या 256 तथा 258 श्री चुनबाद हरिजन ग्राम ददुलिया पुरवा गिरबां तथा श्री मोहन हरिजन ग्राम गिरवा दोनों थाना गिरवां जनपद बांदा के संलग्न पत्रों के साथ बन्धुवा मजदूरी के संबंध में प्राप्त हुए? यदि हां, तो दोनों संलग्न पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार ददुलिया पुरवा एवं नई दुनिया दोनों ग्राम गिरवा के मजरे हैं, जिनमें केवल अनुसूचित जाति के व्यक्ति ही निवास करते हैं। जांच में श्री चुनवाद अथवा श्री मोहन, किसी का भी बन्धुवा मजदूर के रूप में रहना नहीं पाया गया। साथ ही हरिजन उत्पीड़न का भी कोई मामला नहीं पाया गया। जिस भूमि पर मकान बने हुए हैं उन्हें आबादी दर्ज कर दी गयी है।

ड्रमण्ड रोड इलाहाबाद के निकट के जमीन की बाजार भाव से कम रेट पर बिक्री

138—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि इलाहाबाद स्थित 22 ड्रमाड रोड पर टेलीविजन केन्द्र के सामने 2000 स्क्वायर यार्ड की इण्टर स्टेट प्रापर्टी जिसके संरक्षण राज्य सरकार के जिलाधिकारी इलाहाबाद तथा इण्टर स्टेट प्रापर्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल, उ0 प्र0 हैं, ने श्रीमती अज्ञावती पाल निवासिनी एस0 एस0 राव रोड, परेल बम्बई को मात्र 60 हजार रुपये में बेच दी गई? यदि हां, तो क्या बाजार मूल्य के मुकाबले संविदा में दिया गया मूल्य उपयुक्त है? यदि नहीं, तो बाजार मूल्य प्राप्त करने और उस पर स्टाम्प ड्यूटी लेने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

22 ड्रमण्ड रोड इलाहाबाद स्थित 2000 वर्ग गज का कोई बैनामा श्रीमती अज्ञावती पाल, एस0 एस0 राव रोड परले बम्बई के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया । बल्कि भवन नं0 22 हेस्टिंग्स रोड/ड्रमण्ड रोड जो कि नजूल भूखण्ड संख्या 2(ए-10) न्यू सिविल स्टेशन, इलाहाबाद पर स्थित है, को अनुलग्न भूमि 2200 वर्ग गज जो कि सम्पूर्ण भूमि का एक भाग है, श्रीमती एस0 डी0 पेन जो कि इस भूखण्ड के संयुक्त पट्टेदारों में से एक पट्टेदारिया हैं, ने श्रीमती अज्ञावती पाल निवासिनी रेलवे क्वार्टर नं0 672-बी, तीसरा मार्ग, स्थित स्मिथ रोड सिविल लाइन्स इलाहाबाद से दिनांक 6-12-85 को एक रजिस्टर्ड एग्रीमेण्ट आफ सेल का निष्पादन किया जिसके अन्तर्गत भूमि को मु0 60,000 रुपये में बेचने का इकरार किया गया है। एकरारनामें पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

जनपद गाजियाबाद-मेरठ के अन्तर्गत बंथला-ढिकौली मार्ग पर अवैध कब्जा के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग तथा मार्ग को चौड़ा करने की योजना

139–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गाजियाबाद व जनपद मेरठ के अंतर्गत बंथला ढिकौली मार्ग की पूर्ण चौड़ाई क्या है ? क्या यह सही है कि इस मार्ग पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण शुरू कर दिये हैं? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इस मार्ग के स्थायी भूमि की चौड़ाई लगभग 18 मीटर है ।

जनपद मेरठ में इस मार्ग के कि0मी0 30 में दो व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण किया गया है।

अवैध निर्माण करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता।

140–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

क्या सार्वजनिक विभाग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद व मेरठ के अंतर्गत बंथला-ढिकौली मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो मार्ग की पेन्टिंग स्तर तक कब तक बनवा दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मार्ग को चौड़ा कराने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

रटौल–नंगलवाडी मार्ग, मेरठ की स्वीकृति तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की मांग

141–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 86-87 में जिला योजना में जनपद मेरठ के अन्तर्गत रटौल से नंगलवडी सम्पर्क मार्ग बनना स्वीकृत हुआ है? यदि हां, तो अभी तक उपरोक्त मार्ग को न बनवाये जाने के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

कार्य प्रगति पर है तथा जिसके 6/88 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

गाजियाबाद जनपद में स्वीकृत सम्पर्क मार्ग असालपुर से सिरौरा के कार्य प्रारम्भ करने की मांग

142–श्री रिछपाल सिंह बंसल

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के अंतर्गत असालपुर से सिरौरा सम्पर्क मार्ग जिला योजना 87-88 में बनाना स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त मार्ग पर अभी तक कार्य प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद गाजियाबाद में असालतपुर-सिरौरा मार्ग का किमी0 5 व 6 (कुल 2किमी0 लम्बाई में) खड़न्जा स्तर से लेपन स्तर तक निर्माण हेतु जिला योजना 1987-88 में स्वीकृत हुआ है।

कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है और प्रगति पर है।

143–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

[दिनांक 22-3-88 की अता0प्र0सं0 143 द्वारा उत्तारित]

फैजाबाद में स्वीकृत पक्के पुल का मानक का आधार तथा विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में मडहा नदी पर एक पुल निर्माण की मांग

144–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1987-88 में जनपद फैजाबाद के कौन-कौन से पक्के पुल स्टेट सेक्टर में बनने के लिए स्वीकृत हुए और उनका आधार क्या था तथा जिस आधार को मानक मानकर उक्त पुलों की स्वीकृति प्रदान की गई उसमें से कौन सी चीज कम थी जिसके कारण विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में स्थित तिवारीपुर नन्सा बाजार ग्राम पर गांव सभा मिझौड़ा में मडहा नदी पर पक्के पुल के निर्माण का कार्य नहीं स्वीकृत किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सा0 नि0 वि0 में रिक्त वास्तुविदों के पदों पर नियुक्ति

145–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि सा0 नि0 वि0 में वास्तुविदों के कितने पद रिक्त हैं और उन पर कब तक नियुक्तियां की जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सार्वजनिक निर्माण विभाग में इस समय वास्तुविदों के 4 पद रिक्त हैं।

उक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

सेल्स टैक्स परिक्षेत्र बरेली के सचल दल द्वारा पकड़े गये मामले तथा वसूली गयी धनराशि

146–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेल्स टैक्स परिक्षेत्र बरेली में वर्ष 1985-86 व 1986-87 में सचल दल द्वारा कितने मामले पकड़े गये ? कितनी धनराशि वसूल की गयी तथा कितनी धनराशि अपील से वापिस की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सचल दल इकाई, बरेली द्वारा वर्ष 1985-86 में 575 मामले पकड़े गए जिनसे रु0 11,59,561 की धनराशि वसूल की गयी तथा अपील द्वारा रु0 30,316=50 छोड़ी गयी। वर्ष 1986-87 में 824 मामले पकड़े गए जिनसे रु0 15,94,868=00 की धनराशि वसूल की गयी तथा अपील द्वारा रु0 1,12,191=00छोड़ी गयी ।

डुमरियागंज बस्ती में राप्ती नदी के किनारे बनी सा0 नि0 वि0 की आवासीय कालोनी का स्टैन्डर्ड रेन्ट

147–श्री निसार हुसैन–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि डुमरियागंज, जनपद बस्ती में राप्ती नदी के किनारे सा0 नि0 वि0 आवासीय कालोनी के सरकारी मकान का स्टैन्डर्ड रेन्ट वर्ष 1966 से निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा स्टैन्डर्ड रेन्ट की दर क्या है ? क्या स्थानान्तरित कर्मचारियों से स्टैन्डर्ड रेन्ट लिया जाता है अथवा स्टैन्डर्ड रेन्ट का तिगुना ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

डुमरियागंज, जनपद बस्ती में राप्ती नदी के किनारे बने विभाग के तीन आवासों का स्टैन्डर्ड रेन्ट इससे पूर्व निर्धारित नहीं किया गया । परन्तु अब 1965-66 की कुर्सी क्षेत्रफल की दर से स्टैन्डर्ड रेन्ट निर्धारित कर दिया गया है जो चार कमरे वाले एक आवास का 65/- रुपया प्रति माह तथा दो कमरे वाले दो आवासों का प्रत्येक का रु0 28.20 प्रतिमाह है । प्रश्नगत भवनों में रहने वाले कर्मचारियों तथा स्थानान्तरित कर्मचारियों से प्रत्येक के वेतन के दस प्रतिशत की दर से किराया लिया जाता रहा है । अब नियमानुसार देय से किराया और किराये की बकाया धनराशि की वसूली करने के आदेश निर्गत किये जा रहे हैं ।

श्री जगदेव सिंह, कस्टोडियन सीताराम शुगर मिल बैतालपुर देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

148–श्री रणजीत सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया शूगर मिल, देवरिया एवं श्री सीताराम शुगर मिल, बैतालपुर (देवरिया) के कस्टोडियन (श्री जगदेव सिंह) द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-7-86 एवं 29-12-86 जिसकी प्रति गन्ना आयुक्त तथा गन्ना एवं चीनी सचिव, उ0 प्र0 शासन को भी सम्बोधित थी, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उन पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्रों पर जिलाधिकारी देवरिया से जांच कराई गई । जिलाधिकारी देवरिया से प्राप्त आख्या भारत सरकार को भेज दी गई है, क्योंकि कस्टोडियन भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी थे ।

देहरादून जनपद की कतिपय फर्मों की जांच और सेल टैक्स की वसूली

149–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के तीसरे मंगल के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शिकायती पत्र में उल्लिखित किन-किन करदाताओं की जांच अधिकारी द्वारा किस तिथि में करायी गयी ? जांच रपट का क्या परिणाम रहा ? कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ, किन-किन वर्षों का कर आदेश पारित हो गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शिकायती पत्र के परिपेक्ष्य में निम्न करदाताओं की जांच अधिकारियों द्वारा उनके सम्मुख लिखी तिथि में की गयी :–

1–सर्वश्री प्रकाशचन्द्र बत्ता एन्ड कं0, देहरादून ।	4-9-86
2–सर्वश्री बत्ता ब्रदर्स, महन्त रोड देहरादून	4-9-86
3–सर्वश्री रमेश ब्रिक फील्ड, ग्राम-जोगी वाला देहरादून।	4-9-86
4–सर्वश्री राकेश बिक्र यूनिट मेवावाली, देहरादून ।	4-9-86
5–सर्वश्री अमरचन्द्र, बत्ता एन्ड संस, देहरादून ।	6-5-86
	29-6-86
6–सर्वश्री विजय लक्ष्मी, मैन्यु कं0, देहरादून ।	17-5-86
	29-5-86
7–सर्वश्री दलीप संस, देहरादून ।	31-5-86
	27-7-86
8–विकास ब्रिक फील्ड	6-4-86
	14-5-86
	10-7-86

क्रमांक 1 से 4 तक अंकित कर-दाताओं की जांच बिक्रीकर अधिकारी (वि0अनु0 शा0) द्वारा की गयी इनमें संदिग्ध अभिलेख अभिग्रहीत किये गये थे । इनकी जांच रिपोर्ट बिक्रीकर अधिकारी (वि0 अनु0 शा0) सहारनपुर ने सम्बन्धित बिक्रीकर अधिकारी को प्रेषित की । अभिग्रहीत अभिलेखों में एक कापी ऐसी भी मिली जिसमें अंकित कोयले की खरीद उक्त 4 भट्ठों के अतिरिक्त सर्वश्री विजय लक्ष्मी फैन्यु0 कं0 तथा दलीप संस, भट्ठों से सम्बन्धित पायी गयी । इन मामलों में भी रिपोर्ट बिक्रीकर अधिकारी (वि0 अनु0 शा0) द्वारा प्रेषित की गयी ।

क्रमांक 5 से 8 तक अंकित कर-दाताओं की जांच बिक्रीकर अधिकारी देहरादून द्वारा की गयी ।

उपरोक्त किसी भी मामले में कर-निर्धारण आदेश अभी पारित नहीं हुए हैं । अतः अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के संबंध में कुछ कहना संभव नहीं ।

भारत ओवरसीज कारपोरेशन मऊनाथ भंजन आजमगढ़ के अवैध लाइसेन्स की सी0आई0डी0 जांच रिपोर्ट

150—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उमा शंकर उपाध्याय, बिक्रीकर अधिकारी, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ के कार्यालय में भारत ओवरसीज कारपोरेशन नामक एक फर्जी फर्म को कोयले का आयात करने हेतु अवैध तरीके से फार्म 31 जारी किया गया था ? क्या इन आरोपों की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा की जा रही थी ? यदि हां, तो जांच का निष्कर्ष क्या रहा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं

श्री उमाशंकर उपाध्याय, बिक्रीकर अधिकारी द्वारा फर्म भारत ओवरसीज कारपोरेशन को रु0 15,000/- की जमानत लेकर प्रभावी पंजीयन जारी कर चूने के व्यापार हेतु फार्म 31 दिए गए थे परन्तु व्यापारी द्वारा फार्मों की द्वितीय प्रति में हेरा फेरी करके तथा मोहर एवं प्रविष्टियों को मिटाकर फार्मों पर कोयला आयात किया गया ।

जी हां । जांच परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । दोषी अधिकारी को असावधानी के लिए निन्दनीय प्रविष्टि एवं दो वार्षिक वृद्धियां स्थायी रूप से रोके जाने की कार्यवाही की जा चुकी है ।

बिक्रीकर कार्यालय इलाहाबाद में दाखिल फर्जी चालान विषयक पत्र की जांच रिपोर्ट

151—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद बिक्रीकर कार्यालय में व्यापारियों के द्वारा दाखिल फर्जी चालानों के आधार पर पंजीकरण/नवीनीकरण करने की जांच के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 648 सचिव संस्थागत वित्त को ता0 20-11-87 को मिला है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । जांच के दौरान पंजीयन/नवीनीकरण की धनराशि फर्जी चालानों से जमा करने के 449 मामले पाये गए, जिसमें रु0 66,341.90/- का राजस्व निहित है । इसकी वसूली हेतु नोटिस जारी की जा चुकी है और व्यापारियों के विरुद्ध थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के निदेश भी दिए जा चुके हैं । अभी तक करदाताओं ने 124 मामलों में रु0 18,754.00 शुल्क तथा साथ ही साथ रु0 17,030.00 विलम्ब शुल्क जमा किया है ।

बुलन्दशहर जनपद के कतिपय ग्रामों में मस्जिद निर्माण की अनुमति

152–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम-करियारी एवं ऊंचागांव में मस्जिद के निर्माण हेतु जिला प्रशासन बुलन्दशहर द्वारा अनुमति न दिये जाने का क्या कारण है? क्या सम्पूर्ण ग्रामवासियों की भावना को दृष्टिगत रखते हुये मस्जिद के निर्माण की अनुमति दिलवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम करियारी एवं ऊंचागांव में मस्जिद निर्माण से संबंधित जिला प्रशासन बुलन्दशहर को कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ । ऐसी परिस्थिति में जिला प्रशासन द्वारा मस्जिद निर्माण की अनुमति देने अथवा न देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

यदि मस्जिद निर्माण के संबंध में कोई आवेदन पत्र प्राप्त होगा तभी इस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

सा0 नि0 वि0 अकबरपुर, फैजाबाद में कार्यरत एक सहायक अभियंता के विरुद्ध जांच

153–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर जिला फैजाबाद के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कोई जांच अधिशासी अभियंता फैजाबाद द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या आरोप है और जांच कब से चल रही है और क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि किस सहायक अभियन्ता के विरुद्ध जांच की जानकारी चाही गयी है । मु0 अभि0 (फैजाबाद) की सूचना के अनुसार अकबरपुर के तत्कालीन सहायक अभि0 के विरुद्ध अधि0 अभि0, प्रा0 खं0 सा0 नि0 वि0, फैजाबाद द्वारा जांच करने के आदेश दिनांक 11-4-86 को दिये गये थे । उक्त सहायक अभि0 के विरुद्ध कालेपुर-बाकरगंज-महुअल मार्ग के कि0 मी0 2 के कार्य के लिये भुगतान न करने के आरोप हैं । चूंकि उक्त सहायक अभि0 के विरुद्ध 420 का मुकदमा दर्ज है तथा सम्बन्धित अभिलेख प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अकबरपुर के द्वारा 27-5-87 को ले लिये गये हैं । अतएव जांच पूरी नहीं की जा सकी है ।

श्री मोती लाल निवासी पटबधु थाना चोपन मिर्जापुर की झोपड़ियां उजाड़ने एवं बेदखल करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

154–श्री राम राजीवन–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मोती लाल पुत्र हीरऊ कोल (आदिवासी हरिजन) निवासी पटबधु, थाना चोपन, जिला मिर्जापुर ने 20-10-86 तथा बाद में कई-कई बार परगनाधिकारी राबर्ट्सगंज तथा ए0 एस0 पी0 चुर्क को प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायतें की थीं कि गांव के कुछ सरकश लोगों ने उनकी झोपड़ियां उजाड़ दी और गांव समाज की जमीनों से उनका कब्जा जबरदस्ती हटाकर उन जमीनों पर स्वयं कब्जा कर लिया

है ? क्या प्रश्नकर्ता ने भी श्री मोती लाल का प्रार्थना पत्र संलग्न करते हुए मुख्य मंत्री को 16-11-86 को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो मोती लाल को पुनर्वासित न करने तथा सरकश लोगों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचनानुसार श्री मोती कोल पुत्र श्री हिरऊ कोल निवासी पटबध, थाना चोपन, जिला मिर्जापुर ने परगनाधिकारी राबर्ट्सगंज को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उसने कथित बंजर जमीन पर झोपड़ी लगाया था जिसे श्री राम गुल्ली पाण्डेय के आदमियों ने उजाड़ दिया है । इस संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 16-11-86 सहित श्री मोती कोल का उपरोक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच से प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों की पुष्टि न होना एवं विवादित भूमि पर श्री राम गुल्ली पाण्डेय आदि की सीरदारी एवं काबिज दाखिल होना पाया गया ।

एक ट्रांसपोर्ट कम्पनी, लाटूश रोड लखनऊ पर पड़ा छापा तथा अधिगृहीत सम्पत्ति का ब्योरा

155–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 25-7-85 को लाटूश रोड लखनऊ की एक ट्रांसपोर्ट कम्पनी के कार्यालय व गोदामों पर बिक्रीकर अधिकारियों की टीम ने छापा मारा था ? यदि हां, तो छापे में कितना माल नम्बर दो का पाया गया ? ट्रांसपोर्ट कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या रेड में पायी गयी सामग्री का संबंधित करदाताओं के कर निर्धारण में उपयोग किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

हां, दिनांक 27-7-85 को लाटूश रोड लखनऊ स्थित एक ट्रांसपोर्ट कम्पनी सर्वश्री रिपब्लिक इण्टर स्टेट के कार्यालय एवं गोदाम की जांच बिक्रीकर अधिकारी (वि0अनु0 शा0) एवं मण्डल कार्यालय लखनऊ के अन्य अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से की गयी थी ।

इस जांच में 32 नग माल (कीमत रु0 68,736) अभिग्रहीत किया गया था ।

उपरोक्त में से 24 नग माल, कीमत रु0 61,920 पर 16,100 जमानत के रूप में जमा करने के उपरान्त छोड़ा गया । शेष 8 नग माल कीमत रु0 6,816 अभी अभिग्रहीत है ।

अभिग्रहीत माल के सम्बन्ध में ट्रान्सपोर्टर द्वारा करदाताओं के नाम नहीं बताये गये हैं । ट्रान्सपोर्टर ने स्वयं जमानत जमा कर माल छुड़ाया है । इस प्रकार किसी करदाता व्यापारी का सम्बन्ध, छुड़ाये गये माल से न पाये जाने के कारण किसी व्यापारी के कर निर्धारण में उक्त अभिगृहण के उपयोग का प्रश्न नहीं उठता ।

पटेल ट्रेडिंग कम्पनी आगरा का बकाया सेल टैक्स

156–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि आगरा बिक्री-कर कार्यालय के खण्ड-3 में स्थित फर्म पटेल ट्रेडिंग कम्पनी पर वर्ष 72-73 के लिये लाखों रुपया बकाया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिकवरी प्रमाण पत्र किस तारीख को डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) को प्राप्त हुआ ? उस दिन से आज तक क्या कार्यवाही की गयी है ? कितना बकाया है तथा बकाया में कितना वसूल होने की आशा है ? इस राजस्व की हानि के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं,

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री ओम प्रकाश भांग व्यापारी चौक, लखनऊ का कर निर्धारण की कार्यवाही

157–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अधिकारी ने मुख्यालय से जारी परिपत्रों के अनुसार व नियमानुसार करदाता से पंजीयन के लिये अथवा पंजीयन को चालू रखने के लिये प्रतिभूति मांगी थी ? ता0 27-12-74 से लेकर 14-3-78 तक की अवधि में कितने अधिकारी बदले अथवा एक ही अधिकारी के पास केस पड़ा रहा ? बकाया में से कितना वसूल हुआ ? इस राजस्व की हानि के लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

व्यापारी ने पंजीयन प्रार्थना पत्र दाखिल किया था । सुनवाई के लिए नोटिस देने पर व्यापारी के सहयोग न देने के कारण पंजीयन नहीं दिया गया था । अतः पंजीयन संबंधी कोई कार्यवाही नियमानुसार करने व प्रतिभूति मांगे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

तारीख 27-12-74 से 14-3-78 तक की अवधि में खण्ड में निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत थे :–

1–श्री क्यू0 ए0 नकवी–बि0 क0 अ0
2–श्री राजेश्वर शुक्ला–बि0 क0 अ0
3–श्री जी0 बी0 जोशी-बि0 क0 अ0
4–श्री एन0 एल0 गुप्ता–स0 बि0 क0 अ0
5–श्री प्रेम मुरारी सक्सेना–सा0 वि0 क0 अ0
6–श्री एस0 सी0 चौधरी–स0 बि0 क0 अ0

व्यापारी के विरुद्ध रु0 19,479.00 का बकाया था जो अभी भी वसूल नहीं हुआ है ।

मामला अभी संयुक्त जांच में चल रहा है । अतः राजस्व की हानि का अभी प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा नियमों को निलम्बित करते हुये राष्ट्रीय ध्वज से मिलते जुलते झण्डे के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा की मांग

(श्री मुलायम सिंह यादव के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुलायम सिंह जी, आप क्या नियम 311 की सूचना के संबंध में खड़े हुए हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

श्री अध्यक्ष—

कहिये ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय आज नियम 311 के अन्तर्गत मैं एक प्रस्ताव पेश करने की की अनुज्ञा चाहता हूं और यह हमारा प्रस्ताव है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि राष्ट्रीय ध्वज से मिलता जुलता राजनीतिक या गैर राजनीतिक ध्वज पर प्रतिबंध लगा दिया जाय ।''

श्री अध्यक्ष—

कोई भी प्रस्ताव बिना मेरी अनुज्ञा के तो नहीं पढ़ सकते हैं . .

(व्यवधान)

*श्री मुलायम सिंह यादव—

सुन लीजिए मान्यवर, अब तो मैंने पढ़ दिया और आपकी अनुज्ञा से ही पढ़ा है । यह मामला बहुत ही राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय ध्वज पूरे राष्ट्र की एकता का प्रतीक है और यहीं नहीं इसके साथ पूरे राष्ट्र का सम्मान भी जुड़ा हुआ है और मान्यवर इस राष्ट्रीय ध्वज से मिलता जुलता कांग्रेस आई0 का झंडा भी है और आज पूरे हिन्दुस्तान की जनता कांग्रेस आई0 से नाराज है । साथ ही मान्यवर मैं एक बात और बता दूं जैसा कि सभी को मालूम भी है कि 60–65 प्रतिशत लोग इस देश में निरक्षर हैं, वे पढ़े-लिखे लोग हैं, वह यह फर्क नहीं महसूस कर पा रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज और कांग्रेस आई0 के ध्वज में क्या अंतर है, इसलिए जो सम्मान राष्ट्रीय ध्वज को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यहां हम सब मिलकर प्रस्ताव करें और इसी तरह का एक प्रस्ताव हरियाणा सरकार ने पास किया है कि राष्ट्रीय ध्वज से मिलता-जुलता राजनीतिक या गैर-राजनीतिक ध्वज नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप सभी मा0 सदस्यगण चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के इस प्रस्ताव से सहमत होंगे । . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नियम 311 के अन्तर्गत निलम्बन का प्रस्ताव आता है और इस प्रस्ताव में निलम्बन की कोई बात नहीं की गयी है । 311 में बिना अध्यक्ष की अनुमति से कोई प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह प्रस्ताव सदन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए अस्वीकार है. . . . (घोर व्यावधान)

(सर्वश्री मा0 राम शरण दास, शतरुद्र प्रकाश व अन्य सदस्यों के खड़े होने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर आज डकैत, चोर और बदमाश इस राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान थे । रूकावट . . . (घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, आपके जो भी आदेश होंगे, वह सब स्वीकार हैं, लेकिन मान्यवर जैसा कि अभी कुछ मा0 सदस्य जैसे मा0 मुलायम सिंह जी व मा0 राम शरण दास जी ने कहा इस पर मुझे घोर आपत्ति है । मान्यवर यह राष्ट्रीय ध्वज जो है, एक हमारी एकता का का प्रतीक है और भारत की एकता और अखण्डता पर हजारों और लाखों जाने कुरबान हुयी हैं, राष्ट्रीय ध्वज पर किसी प्रकार का कोई सम्मान मान्यवर कम नहीं हो रहा है और जो लोग यह बातें कह रहे हैं मैं समझता हूं कि उन लोगों को भारतवर्ष की एकता और अखण्डता पर विश्वास नहीं रह गया है और मान्यवर यही नहीं राष्ट्रीय-ध्वज की इज्जत और आदर के लिए ही हमारी हजारों और लाखों सेनाएं बार्डर पर खड़ी हुई हैं और यह सेनाएं अपने शरीर के एक-एक खून की बूंद को इसी राष्ट्र-ध्वज के सम्मान के लिए बहा सकती हैं और जहां तक कांग्रेस आई0 के बारे में जो बातें की गयीं, मान्यवर कांग्रेस का भी अपना एक इतिहास है, देश की आजादी में इसका ही बहुत बड़ा हाथ रहा है, उस वक्त आप बच्चे थे, आपका कहीं पता भी नहीं था जिस वक्त कांग्रेस ने भारतवर्ष की अखंडता और एकता के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी और न मालूम कितनी कुर-बानियां दीं, तब जाकर कहीं यह तिरंगे झंडे का परचम यहां लहराया और तभी से पूरे सम्मान के साथ यह तिरंगा अपनी मंजिलें तय कर रहा है, लेकिन आज इस पर एतेराज किया जाता है, यह एतेराज करने वालों में मान्यवर वही लोग हैं, जिनका विश्वास इसकी एकता और अखण्डता से उठ गया है तभी मान्यवर यह लोग इस पवित्र झंडे और भारत के संविधान पर आपत्ति उठाते हैं, इसलिए मान्यवर, मुझे इनकी इस प्रवृत्ति पर घोर आपत्ति है और यह प्रस्ताव यहां पर लाने का किसी प्रकार का औचित्य नहीं है . . . (व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

यह झंडा तो मेरा झंडा है, तुम्हारा कहां रहा . . .

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जो मुलायम सिंह जी ने उठाया है, मान्यवर नियमों में लिखा हुआ है कि आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव पेश हो सकता है । आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव पेश कर दिया और अपनी बात कह दी, उस पर फैसला आपने दे दिया लेकिन जो तिरंगे झंडे के बारे में कहा है, आजादी की लड़ाई जिस तिरंगे झंडे के नीचे लड़ी गयी है उसमें चरखे का निशान था, अशोक चक्र का निशान नहीं था । यह झंडा आन्दोलन का प्रतीक नहीं है । तो जो प्रस्ताव रखा गया है वह सही प्रस्ताव है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब यह प्रस्ताव आ गया और आपकी अनुमति से प्रस्ताव पढ़ दिया गया तो यह सदन की सम्पत्ति बन गयी ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कोई अनुमति नहीं दी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिला बाराबंकी में टिकैत नगर थाने में किसानों के धरने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत 38 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिनमें 7 को शलाका द्वारा स्वीकार किया गया है। पहली सूचना (श्री बेनी प्रसाद वर्मा की) जिला बाराबंकी के टिकैतनगर थाने में किसानों के धरने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना (श्री राम बदन एडवोकेट की) जिला आजमगढ़ की तहसील मुहम्मदाबाद में हास्पिटल बनाये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना (श्री दीप नारायन की) आजमगढ़ सदर अस्पताल के अन्यत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना (श्री शारदा प्रताप की) इन्दिरा नगर कालोनी लखनऊ के सेक्टर–4 के क्वार्टरों के रख-रखाव के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना (श्री मित्रसेन की) जिला फैजाबाद के मिल्कीपुर ब्लाक की आई0 आर0 डी0 योजना में घोटाले के सम्बन्ध में। छठी सूचना (श्री राम चन्द्र बख्श सिंह की) कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है और सातवीं सूचना (श्री श्याम बिहारी सिंह की) बरेली महानगर की नाबालिक लड़की तुलसी विष्ट के अपहरण कर धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में है। इन सभी सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[महोदय, लोकदल बाराबंकी के तत्वावधान में कस्बा टिकैत नगर, जिला बाराबंकी, में 22 मार्च, 88 से स्थानीय मांगों को लेकर किसानों का धरना चल रहा था। दिनांक 23 मार्च, 88 को हजारों किसान गांवों से उक्त धरने में सम्मिलित होने आ रहे थे। थाना टिकैत नगर के एस0 आई0 बालक राम ओझा ने अकारण रवीश सिंह, श्याम कुमार मिश्र व इकबाल चन्द्र यादव को बुरी तरह से मारा व अपमानित किया। यह लोग क्षेत्र के सम्मानित लोगों में से हैं। यह लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरने में सम्मिलित होने आ रहे थे। इनको अपमानित करने से क्षेत्रीय लोगों में अत्यन्त रोष व असंतोष व्याप्त है। उक्त एस0 आई0 के कार्यों से क्षेत्रीय जन पहले से ही दुखी थे। दलीय भावना के आधार पर ओझा एस0 आई0 ने यह कार्य किया है जो कि उचित नहीं है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त एस0 आई0 के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जिला आजमगढ़ की तहसील मुहम्मदाबाद में हास्पिटल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम बदन एडवोकेट–

[मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ में तहसील मुख्यालय मुहम्मदाबाद गोहना में कई वर्ष पूर्व 30 शैय्या का हास्पिटल स्वीकृत हुआ, जिसका निर्माण आज तक नहीं किया गया। जनपद आजमगढ़ में इनके बाद के स्वीकृत हास्पिटल बना दिये गये लेकिन तहसील मुख्यालय मुहम्मदाबाद का हास्पिटल प्रशासन की ढिलाई से निर्मित नहीं किया गया। हास्पिटल से संबंधित पत्रावली शासन में पड़ी हुई है और निर्माण न होने से तहसील की जनता में आक्रोश व्याप्त है। मुहम्मदाबाद की जनता तथा कांग्रेस आई के कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर अनेकों बार अनशन, प्रदर्शन, धरना मीटिंग तथा चक्का जाम आन्दोलन भी किया, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने चुनाव के बाद 1985 से मा0 मुख्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सचिव स्वास्थ्य विभाग तथा मुख्य चिकित्साधिकारी को बराबर लिखता रहा हूं लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तहसील मुख्यालय पर एक छोटा सा हास्पिटल है जो क्षेत्रीय जनता की सेवा के लिए अपर्याप्त है। मुहम्मदाबाद से 24 कि0 मी0 पूरब मऊनाथ भंजन सिविल हास्पिटल स्थित है जहां पर क्षेत्र की गरीब जनता रोगियों तथा घायलों को पहुंचाने में असमर्थ है। मुहम्मदाबाद का हास्पिटल जनहित में बनाया जाना आवश्यक है। लोकहित में तहसील मुख्यालय मुहम्मदाबाद का 30 शैय्या का हास्पिटल निर्माण कराने की महती कृपा करें।]

आजमगढ़ सदर अस्पताल के अन्यत्र स्थानान्तरण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अति लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

गत दिनों में सदर अस्पताल आजमगढ़ शहर के मध्य स्थित था, जहां पर बड़े ही शान्त पूर्वक लोगों को चिकित्सीय सुविधा मिल पाती थी, तथा स्टाफ के लिए भी हर प्रकार की सुविधाएं थी। उक्त अस्पताल अपने निजी भवन में कार्यरत था जिसके पास काफी भूमि तब भी थी और आज भी है। परन्तु शासन के निर्णय के अनुसार उक्त अस्पताल कुछ दिन पूर्व शहर के मध्य से स्थानान्तरित करके शहर के उत्तर एक छोर पर स्थापित कर दिया गया है। जहां पर शुरू से लेकर अब तक अस्पताल के सामने आये दिन झगड़ा फसाद हुआ करता है और जनता को सुविधा नहीं के बराबर है। अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी शान्ति से रहना दूभर हो गया है। सदर अस्पताल उत्तरी छोर पर होने के कारण रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा कचेहरी आदि दफ्तरों से काफी दूर हो गया है। जिससे मरीजों को अस्पताल तक ले जाने में लोगों को काफी कठिनाई उठानी पड़ती है काफी समय एवं पैसे का अनावश्यक खर्च भी होता है।

अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि जनता की सुविधाओं को देखते हुए एवं शहर के मध्य से लगभग 3 किलोमीटर दूर होने के कारण तथा रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशन को भी ध्यान में रखते हुए उक्त अस्पताल को अपने पूर्व स्थान (शहर के मध्य) पुनः स्थापित करने की कृपा की जाय।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इन्दिरा नगर कालोनी लखनऊ के सेक्टर-4 के क्वार्टरों के रख-रखाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सचिवालय सेक्टर 4, इन्दिरा नगर के 259 क्वार्टरों के रख रखाव में अवर अभियन्ता द्वारा व्यापक रूप से भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उक्त क्वार्टरों की स्नोसेम से पुताई करने हेतु शासन से स्वीकृत धनराशि मु0 1,03,200/- में किसी भी क्वाटर की पुताई नहीं कराई गयी। इसी प्रकार नये डब्लू0 सी0 सीट व पावदान लगाने हेतु धनराशि स्वीकार हुई थी किन्तु नई सीट लगाकर पावदान पुराने लगा दिये गये हैं। ई–टाइप के आवासों में खुली भूमि पर खड़ंजा बिछाये जाने हेतु स्वीकृति धनराशि 7260/- में से कहीं भी कोई ईंट बिछाई नहीं गयी है। यहां तक कि उक्त आवासों में शौचालयों में दरवाजे तक नहीं लगाये गये हैं।

इस कालोनी में अन्य कार्यों को कराये जाने हेतु समय-समय पर शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी है परन्तु अवर अभियन्ता द्वारा कार्य न कराकर स्वयं धनराशि हड़प ली है। अतः उक्त अवर अभियन्ता के खिलाफ जांच कराने एवं आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें ताकि वहां के निवासी नारकीय जीवन से छुटकारा पा सकें।]

जिला फैजाबाद के मिल्कीपुर ब्लाक की आई0 आर0 डी0 योजना में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन–

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद विकास खण्ड मिल्कीपुर के ग्राम कहुआ के दर्जनों गरीब हरिजन परिवारों के नाम से विभिन्न परियोजन हेतु ग्रामीण बैंक शाखा अछोरा तथा ग्रामीण बैंक शाखा गद्दोपुर फैजाबाद से ऋण का आवंटन किया गया है जिसमें लाखों रुपये की बड़े पैमाने पर लूट की गयी है इस धोखा-धड़ी और लूट में दोनों बैंक शाखा प्रबन्धक तथा संबंधित ग्राम विकास अधिकारी पूर्ण रूपेण दोषी एवं जिम्मेदार हैं। हरिजन परिवारों में खलबली तब मची जब उनके नाम से मार्च, 88 में बैंक तथा तहसील के माध्यम से रुपये की वसूली तथा आर0 सी0 की नोटिसें तामील की गयी। वर्ष 1983-84 के इस ऋण वितरण की उक्त हरिजनों को अभी तक कोई जानकारी ही नहीं थी। इस प्रकार से राष्ट्रीय कार्यक्रम में लूट खसोट और धोखाधड़ी से ग्रामीण जनता में अविश्वास बढ़ता जा रहा है। गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है।

अतएव हमारी आपके माध्यम से शासन की मांग है कि उपरोक्त हरिजन परिवारों से फर्जी ऋण वसूली रोक कर कर्जे का सत्यापन कराया जाय और दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाय।]

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[महोदय, कृषि विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को व्यापक संरक्षण देने से प्रतिवर्ष करोड़ों की हो रही क्षति एवं दुर्विनियोग के बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। विविध भ्रष्टाचारों में लिप्त ऐसे 33 अधिकारियों की एक सूची भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु 7 सूत्रीय सुझाव सहित शासन को प्रेषित है। सूची के प्रथम अधिकारी श्री आत्माराम के विविध भ्रष्टाचार से शासन एवं प्रशासन अवगत होकर भी वांछित कार्यवाही में उदासीन हैं। जिससे लाखों रुपये का भ्रष्टाचार किया जाना जारी है। लाखों के गोलमाल एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित अविलम्बनीय लोक महत्व पूर्ण संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 27-1-88, 2-2-88 मुख्य सचिव, एवं पत्र दिनांक 17-3-88 विस्तार के साथ माननीय अध्यक्ष जी को भी समर्पित हैं। संरक्षित इस भ्रष्टाचार से कृषि विभाग के कर्मचारी भी आन्दोलित हैं।

अतः मैं माननीय अध्यक्ष जी को संज्ञान में लेकर इस लोकमहत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर दोषी अधिकारियों को दण्डित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बरेली महानगर की नाबालिग लड़की तुलसी विष्ट का अपहरण कर धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम बिहारी सिंह–

[महोदय, बरेली महानगर की 16 वर्षीय सेन्ट्रल स्कूल की कक्षा 6 की छात्रा कुमारी तुलसी विष्ट पुत्री श्री सूबेदार किशन सिंह (सेवा निवृत) थाना कैन्ट बरेली का 26 फरवरी की रात अपहरण कर लिया गया।

29 फरवरी को जिला अधिकारी मुरादाबाद के यहां तुलसी की उम्र 22 वर्ष दर्शाते हुए फर्जी आयु प्रमाण-पत्र के आधार पर अमरोह निवासी को सलीम पुत्र शब्बीर से शादी दिखाई गई। शपथ पत्र तुलसी का धर्म परिवर्तन व जबरन शादी कराने के बाद उसे अरब देशों में जिस्म के व्यापार के लिए ले जाने की योजना बनाई जा रही है। इस घटना से बरेली में जनता में बहुत रोष व्याप्त हो गया।

अतः मैं मांग करता हूं कि तुलसी को पता लगाकर उसके पिता को सौंपा जाये तथा अपहरण व नाबालिग लड़की से जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों व शादी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत सात सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री माता प्रसाद पाण्डेय और श्री जयदीप सिंह बरार

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की संविधान पर हस्ताक्षर के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री बदन सिंह की आलू संबंधी नियम 56 की सूचनाओं के विषय में है। तीसरी सूचना श्री जयदीप सिंह बरार की सदन की समितियों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में है। चौथी सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही और कुंवर मानवेन्द्र सिंह की वर्ष 1987-1988 तक 7 दिन असरकारी दिवस के स्थान पर केवल 6 दिन असरकारी दिवस होने के बारे में है। पांचवीं सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी और श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की नियम 56 की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने संबंधी निर्देशों के संबंध में है। छठीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सिसवा जांच रिपोर्ट, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट तथा अन्य कई मामलों में चर्चा की मांग की गई है। परन्तु उसके लिए समय आवंटित नहीं किया गया और सातवीं सूचना श्री हृदय नारायन दीक्षित की जिला स्तरीय व ब्लाक स्तरीय बैठकों का सत्र के दौरान बुलाये जाने के संबंध में है। जहां तक पहली सूचना का सवाल है यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है अतः अस्वीकार है। जो बदन सिंह ने सूचना दी है वह 300 के अन्तर्गत नहीं आती है।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं . .

(श्री शतरुद्र प्रकाश ने श्री अध्यक्ष द्वारा निर्णय दिये जाने के दौरान व्यवधान में अपनी सूचना पर बोलने का प्रयास किया)।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

तीसरी सूचना जयदीप सिंह बरार की है वह भी नियम 300 में नहीं आती है। चौथी सूचना श्री शाही जी की है। अगर भूल से एक रह गया है तो इसको निकलवा लिया जाय। यदि सात दिन निकलता है तो इस सत्र में या आगामी सत्र में आवंटित किया जायेगा। पांचवीं सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की है, इसके बारे में मैं पहले ही निर्णय दे चुका हूं कि सत्र के बाद संसदीय कार्य मंत्री जी से विचार विमर्श किया जायेगा छठी सूचना माता प्रसाद पाण्डेय की है, यह कार्य मंत्रणा समिति में तय होता है अगर अगले सत्र में माननीय सदस्य सूचना देंगे तो इस पर विचार किया जायगा। सातवीं सूचना के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसको देख लें ताकि भविष्य में ऐसा न हो। सभी सूचनायें अस्वीकार हुईं।

(कई सदस्यों के द्वारा बोलने का प्रयास करने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, यह कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं।

(श्री शतरुद्र प्रकाश के बोलने पर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 51वां प्रतिवेदन (आश्वासन समिति 1987-88)† (प्रस्तुत)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 4, सभापति आश्वासन समिति आप अपनी रिपोर्ट रखें?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा आपसे व्यवस्था का प्रश्न है . .

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 51वां प्रतिवेदन (आश्वासन समिति 1987-88) प्रस्तुत करता हूं।

(श्री शतरुद्र प्रकाश अपने औचित्य के प्रश्न की ग्राह्यता पर सुने जाने की मांग करते हुए एवं अन्य सदस्यों के साथ सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे पुनः सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को आधे घन्टे के लिए स्थगित करता हूं।

(श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिए स्थगित कर दिया। 1 बजे मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट और बढ़ा दिया। 1 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन डेढ़ बजे तक के लिए बढ़ा दिया। तत्पश्चात् 1 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरे मामले में आपने क्या फैसला किया?

श्री उपाध्यक्ष–

आप कल देखिये, जो बात होगी उसका कल निर्णय होगा। आज औचित्य के प्रश्नों पर निर्णय हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसमें आप कटौती कर रहे हैं। मैं आपके इस फैसले के विरोध में इसके लिए सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री शतरुद्र प्रकाश सदन के बाहर चले गये।)

(व्यवधान के मध्य)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आप मेरी बात सुन लीजिए। नियम 56 कल लिये जाएंगे, आज मैं सबको पोस्टपोन कर रहा हूं (शोर)

---

†छपा नहीं गया।

श्री राम शरण दास–

[x x x x]

(तत्पश्चात् श्री राम शरण दास व श्री हरेन्द्र सिंह, श्री मनोहर लाल श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री बदन सिंह एवं श्री शतरुद्र प्रकाश आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये और कार्य-स्थगन प्रस्ताव को आज ही सुनने की मांग करने लगे। श्री उपाध्यक्ष के अनुरोध पर सभी सदस्य फ्लोर से वापस अपने स्थान पर चले गये)

(व्यवधान के मध्य)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

फिर आप इन्हीं को कल मान लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं न इनको स्वीकार करता हूं न अस्वीकार करता हूं . . .

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

इस मामले में सरकार की जो साजिश है वह आपसे नहीं चलेगी। कल हाउस है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें कोई साजिश नहीं है।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

नियम 56 में जितने हैं, उनको आप सबको स्वीकार कर लीजिए। चाहें तो सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कैसे स्वीकार कर लूं। इन पर कल निर्णय लेंगे।

(श्री विक्रमादित्य पाण्डेय रिपोर्टर्स टेबुल के पीछे डायस के पास आकर श्री उपाध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करते रहे और इस मध्य श्री बदन सिंह भी आकर सदन के फ्लोर पर बैठ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष–

आप वहां पर बैठें अपने स्थान पर।

(श्री उपाध्यक्ष के अनुरोध पर श्री रामशरण दास व श्री हरेन्द्र सिंह अपने स्थान पर आ गये।)

श्री रामशरण दास–

एक मिनट में मैं इसको खत्म कर दूं और आपकी रूलिंग आ जाए। हमारे मेरठ मंडल के . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस तरह नहीं। मैं इसको अस्वीकार नहीं कर रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए।

नोट:– [xxx] यह अंश मा0 उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम शरण दास–

यह आज होगा और आज होगा। मेरठ मंडल के विद्युत उपभोक्ता काश्तकारों के बिजली के कनेक्शन आज वहां काटे जा रहे हैं। (व्यवधान के मध्य) हमारी अब तक कोई बात नहीं हुई और बिजली के हमारे कनेक्शन यह कटवा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप किस नियम में नियम 56 की सूचनाएं नहीं सुन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

यह हमारा कोई इरादा नहीं था।

श्री राम शरण दास–

[x x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

अब 1.35 हो गया है। मैं वैसे कोई नहीं कर रहा हूं। यह कामरोको प्रस्ताव कल होंगे। मैं इनको अस्वीकार नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

कल तो आपने नियम–56 ले लिया, कल कैसे आपने नियम–56 ले लिया था? किस नियम के अन्तर्गत ले लिया था?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह हमेशा होता रहा है। नियम–56 को दूसरे और तीसरे दिन लिया जाता रहा है।

(शोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(शोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोगों का मन है तो मैं सुन लूंगा मुझे एतराज नहीं है।

(व्यवधान के मध्य)

पहले मैं पढ़कर सुना दूं। उसके बाद आप बोलिएगा।

आज नियम–56 के अन्तर्गत 30 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री रामशरण दास की है। इन्होंने मेरठ मण्डल के सभी जनपदों में हजारों किसानों के बिजली कनेक्शन काट दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। दूसरी सूचना श्री हरेन्द्र सिंह, श्री भोपाल सिंह, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री जगवीर सिंह, श्री कनक सिंह ने दी है। इन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर में भूजल स्तर नीचे गिर जाने से उत्पन्न पेयजल समस्या के संबंध में सूचना दी है। तीसरी सूचना श्री गोपाल दास यादव की है, इन्होंने इलाहाबाद जनपद में मुडेरा, जयन्तीपुर आदि ग्रामों में उत्पन्न

नोटः– [xxx] यह अंश मा0 उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पेयजल समस्या के संबंध में सूचना दी है। चौथी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की है। इन्होंने इलाहाबाद जिला व नगर में पेयजल समस्या के संबंध में दी है पांचवीं सूचना श्री सरदार सिंह जी की और श्री बंगाली सिंह जी की है। इन्होंने प्रदेश में भूगर्भ जल स्तर गिर जाने से उत्पन्न पेयजल समस्या के संबंध में दी है। छठी सूचना श्री शारदा प्रताप की है। इन्होंने अपट्रान मुख्यालय सहित टी0 वी0 फैक्ट्री, इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्ट्री आदि के लगभग पांच हजार कर्मचारी के वेतन पुनरीक्षण एवं अन्य सेवा शर्तों के संबंध में की जा रही मांगों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी है। सातवीं सूचना श्री आसान सिंह, श्री धनराज यादव, श्री सत्य प्रकाश विकल, की है। इन्होंने इटावा जनपद के एक हरिजन अधिकारी को मुंह काला करके बाजार में घुमाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी है। आठवीं सूचना श्री रामचन्द्र बख्श सिंह तथा श्री मित्रसेन की है। इन्होंने सरकारी कताई मिल मऊनाथ भंजन में श्रमिकों द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी है। नवीं सूचना श्री अचल सिंह और श्री बेनी प्रसाद वर्मा की है। इन्होंने जनपद फतेहपुर, तहसील बिन्दकी में किसानों की खड़ी फसल को उजाड़कर वन विभाग द्वारा किये जा रहे कब्जे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी है। दसवीं सूचना श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री जयदीप सिंह बरार की है। इन्होंने यूपिका में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी है। ग्यारहवीं सूचना श्री कल्यान सिंह, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी श्री मयंकर सिंह तथा सूर्य प्रताप शाही की है। इन्होंने मथुरा जनपद में समाज विरोधी गुण्डा तत्वों एवं पुलिस की सांठगांठ से कानून व्यवस्था के संबंध में दी है। बारहवीं सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश की है। इन्होंने भारतीय हाकी टीम में चयनित खिलाड़ी द्वारा प्रशिक्षण शिविर में भाग न ले पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी है। तेरहवीं सूचना श्री जनार्दन प्रसाद आभा एवं श्री राम गोविन्द चौधरी की है। इन्होंने प्रदेश के विभिन्न राजकीय बालिका विद्यालयों में पुरुष अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी है। चौदहवीं सूचना श्री काशी सिंह ऐरी एवं श्री राम आसरे शर्मा ने दी है। इन्होंने नैनापीक (नैनीताल) में भारी भू-स्खलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी है। पन्द्रहवीं सूचना श्री फजलुल बारी की है। इन्होंने हीवेट इंजीनियरिंग कालेज लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में दी है। सोलहवीं सूचना श्री बदन सिंह की है। इन्होंने आगरा जनपद की फतेहपुर सीकरी नगरपालिका क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल समस्या के संबंध में दी है। सत्रहवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की है। इन्होंने प्रदेश में किसानों को शीतगृहों में आलू रखने में हो रही असुविधा के संबंध में दी है। अठारहवीं सूचना श्री राजकिशोर सिंह की है। इन्होंने आटो ट्रैक्टर्स लि0 प्रतापगढ़ में प्रबन्धकीय दुर्व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी है। उन्नीसवीं सूचना श्री विष्णु देव और श्री रघुवर दयाल वर्मा की है। इन्होंने जनपद ललितपुर में नवनिर्मित सजनम बांध के भराव से किसानों की फसल बरबाद होने के संबंध में सूचना दी है। बीसवीं सूचना श्री देवता दीन की है। इन्होंने नानपारा जनपद बहराइच में गन्ना किसानों को पर्ची न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी है। इक्कीसवीं सूचना श्री हर्षवर्धन की है। इन्होंने वन विभाग द्वारा बिड़ला उद्योग समूह को सस्ते दर पर लकड़ी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में दी है। बाइसवीं सूचना श्री राम सजीवन जी की है। इन्होंने बुन्देलखण्ड सम्भाग में नई लिफ्ट सिंचाई योजनाएं निर्मित न किये

जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी है। 23वीं सूचना माननीय मु0 आजम खां की रामपुर जनपद में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

24वीं सूचना श्री कौशिक रमाशंकर और कुंवर रंवती रमण सिंह की इलाहाबाद जनपद में शासन द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। 25वीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री सुखपाल पाण्डेय की प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में डाले जाने वाले टेण्डरों में अराजक तत्वों द्वारा धमकी एवं पिटाई किये जाने के संबंध में है। 26वीं सूचना श्री हृदय नरायन दीक्षित की उन्नाव जनपद में उत्पन्न पेयजल समस्या के संबंध में है। 27वीं सूचना श्री मनोहर लाल, श्री विजय सिंह राणा की उन्नाव जनपद की पुलिस द्वारा बांगरमऊ के दुकान-दार की पिटाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। 28वीं सूचना डा0 दिनेश जौहरी, श्री अवनीश कुमार सिंह, श्री किशन लाल, श्री श्याम बिहारी सिंह, श्री नरेशपाल सिंह यादव की बरेली जनपद में नाबालिग लड़की तुलसी विष्ट का अपहरण करके धर्म परिवर्तन किये जाने के संबंध में है। 29वीं सूचना श्री मोहम्मद रिजवानुल हक की मुरादाबाद जनपद में हरिजन महिला कु0 संतोष का अपहरण किये जाने एवं उसके पिता केवल जाटव की गोली मार कर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। 30वीं सूचना श्री विक्रमादित्य पाण्डेय की जीर्णशीर्ण हरिजन कालोनी बलिया की छत एवं दीवार में दरार पड़ जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, हमारे मेरठ मंडल में 5 जनपदों में, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद तथा बुलन्दशहर में जनता तथा किसानों के निजी नलकूपों के कने-क्शन धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं। किसान की सूखे से और ओलावृष्टि से काफी क्षति पहले ही हो चुकी है, किसान की कमर टूट गयी है और उस पर से सरकार उनके कनेक्शन कटवा रही है। सरकार के जुल्म और ज्यादतियां किसानों पर हो रही हैं। नायब तहसीलदार, तहसीलदार, पुलिस के लोग जीपों में भर कर गांव-गांव जाते हैं और कनेक्शन कटवाते फिर रहे हैं और उनके भी कनेक्शन कटवा रहे हैं जिन्होंने बिजली के बिल अदा कर रखे हैं। सबके कनेक्शन एक तरफ से काटे जा रहे हैं। इस वक्त किसान बहुत परेशानी में है। गन्ना, उड़द, मूंग, कपास की बुवाई चल रही है और बिजली के कनेक्शन काटने से किसान हाथ पर हाथ धरे बैठा है। अधि-कारी कहते हैं कि तुमको किसान संगठन बनाने का सबक सिखाया जा रहा है ताकि आइंदा सपने में भी किसान यूनियन बनाने की न सोचो, ऐसा सब हमारे मुख्य मंत्री सिखाकर रहेंगे। किसान यूनियन के नाम पर सभी किसानों को वहां पर पीड़ित किया जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आज की सदन की कार्यवाही को रोक कर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करायी जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, इस मामले को दिखलवा लेंगे।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, यह क्या दूरबीन लेकर देखेंगे। इस पर वक्तव्य स्वीकार करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो बाद का काम है।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष, जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील बुढ़ाना, विकास खण्ड बघरा, श्यामली और मेरठ का चौगामा क्षेत्र जो मिला है, का भूगर्भ जल स्तर नीचे चला गया है जिससे ट्यूबवेल खराब हो गये हैं। सिंचाई की व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गयी है और पेयजल की समस्या इतनी गंभीर हो गयी है कि 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लाकर वहां के लोग अपना काम चला रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है वहां का भूगर्भ जलस्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरता चला जा रहा है। हमारे प्रदेश का यह हिस्सा रेगिस्तान बनता चला जा रहा है। जनता शासन में एक नहर वहां पर बनाने का प्रोग्राम था लेकिन इस बेईमान सरकार ने उसको खत्म कर दिया। वहां पर नदियों में ठोकर लगवाने की आवश्यकता है। नदियों में ठोकर बनवाने से वहां पर पानी इकट्ठा होगा, जिससे भूगर्भ जल स्तर में कुछ सुधार होगा। वहां पर एक-एक किलोमीटर पर नदियों में ठोकर बनवायी जायं। ताकि जो क्षेत्र रेगिस्तान बनता जा रहा है उसको बचाया जा सके। भौराकलां का जो रजबहा है उसको चौड़ा किया जाय। यदि वहां पर तत्काल पानी की व्यवस्था नहीं करायी गयी तो स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। वहां काफी असंतोष फैल रहा है जो एक दिन ज्वालामुखी के रूप में भड़केगा। इन शब्दों के साथ मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की आज की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायें।

(श्री भोपाल सिंह एवं अन्य विपक्षी माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें एक एक आदमी बोल लें तो समय बच जायेगा।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, मैं चौगामा की समस्या बताना चाहता हूं, इसे आप जानते हैं, सभी जानते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, बरनावा क्षेत्र में एक चौगामा क्षेत्र है जो कि 2 नदियों के बीच में पड़ता है कृष्णा नदी और हिंडन नदी और वह नदियां इतनी गहरी बहती हैं कि मंत्री जी बैठे हैं माननीय हुकुम सिंह जी, उनको मालूम है। इतनी गहरी नदियां बहने से जलस्तर वहां का 85-90 फिट नीचे चला गया है। जनता शासन में एक नहर वहां मंजूर की गयी थी, बीच में बंद कर दी गयी थी। पिछले साल शोरशराबा करने के बाद वह नहर पेपर पर मंजूर कर दी गयी लेकिन कार्य नहीं शुरू हुआ क्योंकि बजट नहीं था। मान्यवर, हमारे क्षेत्र की समस्या ऐसी है कि शायद उत्तर प्रदेश में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां पर उस क्षेत्र में कोई नहर या रजबहा न हो दुर्भाग्य तो यह है कि सिर्फ चौगामा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर न कोई रजबहा है और न कोई नहर है। इस समय पानी की बहुत बड़ी समस्या वहां उत्पन्न हो गयी है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैंने कई बार आग्रह किया है, 301 में भी उठाया है कि जब तक दोनों नदियों पर बांध बनाकर उसका पानी रोका नहीं जायेगा तब तक जलस्तर ऊंचा नहीं उठेगा । आप जानते हैं कि वहां पर एक गिलास पानी पिलाने के लिए तकलीफ होती है, वहां पर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको 2 किलो घी पिलाया जा सकता है लेकिन एक गिलास पानी पिलाने में तकलीफ होती है ।

मान्यवर, वहां पर पीने के पानी की इतनी समस्या है और पानी के 85-90 फिट नीचे चले जाने की वजह से इतनी समस्या आ गयी है कि हैंडपम्प में पानी बन्द हो चुका है, न नहर है न रजबहा, ट्यूबवेल ने पानी देना बन्द कर दिया है । ट्यूबवेल के पानी न देने की वजह से फसल नष्ट हो रही है । मैं आग्रह करता हूं कि इस सदन की कार्यवाही रोक कर घर पर चर्चा करायी जाय और इस पर सरकार ध्यान दे । इस पर चर्चा तो मुझे मालूम है कि वे करायेंगे नहीं और न आप आदेश देंगे । मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि दोनों नदियों पर बांध बनाया जाय जिससे पीने का पानी उपलब्ध हो सके ।

(श्री गोपाल दास यादव का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, इनसे यह आश्वासन दिलवायें कि बांध बनाया जायेगा । यह मैं कई बार उठा चुका हूं, इस पर आश्वासन दिलवा दें ।

(श्री भोपाल सिंह द्वारा बोलने पर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

भोपाल सिंह जी, गोपाल दास जी को बोलने दें ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, आप आश्वासन दिलवा दें ।

श्री रिछपाल सिंह बन्सल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, इससे अविलम्बनीय और कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। हमारे जनपद मेरठ के विकास खण्ड खेखड़ा, पिलाना, बागपत में जलस्तर 60-70 फिट नीचे चला गया है और जमुना कैनाल की खास्तौर से टेल है । मान्यवर, दिन पर दिन पानी पीने की समस्या, पशुओं के पानी पीने की समस्या है और फसलों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल तक फेल हो गये हैं । इससे गम्भीर मसला और कोई नहीं हो सकता है । मेरी मांग है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, आश्वासन दिलवायें ।

(श्री भोपाल सिंह के खड़े होकर लगातार बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप एक बात सुनें, निर्णय आपको देना है या मुझे देना है ।

श्री भोपाल सिंह–

वह कहना चाहते हैं और आप कहलाना नहीं चाहते हैं, एक मिनट कहलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

पानी की समस्या सबको है । भोपाल सिंह जी, ऐसे काम नहीं चलने वाला है । मैं कहना चाहता हूं कि जिनकी पानी की समस्या है उनको एक-एक मिनट सुना जायेगा (व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आप हुकुम सिंह जी से कहलवा दें और वह कह दें कि वहां पर पानी की समस्या नहीं है तो मैं मान लूंगा ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, सिर्फ नदी पर एक बांध बनवाकर जल स्तर ऊंचा करावें, मा0 मंत्री जी से यह आश्वासन दिलवा दें । नहीं दिलवाते तो मैं बैठूंगा नहीं । वहां पर पीने के लिए पानी नहीं है। मैं आपको 10 मन घी तो पिलवा सकता हूं लेकिन पानी नहीं पिलवा सकता । वहां राजबहा नहीं, नहर नहीं, पानी नहीं और सूखे के कारण वाटर लेविल नीचे चला गया है। आप आश्वासन नहीं दिलवायेंगे तो मैं चिल्लाता रहूंगा । मैं वैल पर जाना नहीं चाहता, जब बिल्कुल नहीं मानेंगे तो जाना पड़ेगा । आप कार्यवाही रुकवाना चाहते हैं। उनको समस्या मालूम है। मा0 मुख्य मंत्री जी 16 दिसम्बर को मेरठ गये थे । उन्होंने स्वयं मीटिंग में कहा था वहां पर देख करके कि नदी पर बांध बनवाया जाय । अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसलिए मैंने यहां पर उठाया । आप उनसे आश्वासन दिला दें तो मैं बैठ जाऊंगा । उनसे नहीं कहते हैं तो मत कहें, मैं खड़ा रहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप रात भर खड़े रहें । मैं आपके कहने से नहीं कहूंगा । आप बैठ जाइये, मैं अपना निर्णय दूंगा । भोपाल सिंह जी, मैं ठीक कर रहा हूं। आप बैठ जाइये ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, हर क्षेत्र की समस्या अलग-अलग है । राम शरण दास जी ने कहा तो आपने कहलवा दिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसी बात नहीं है। बदन सिंह जी, गोपाल दास जी, सबकी पानी की समस्या है । एक को मैं आश्वासन नहीं दिलवा सकता ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शहर और गांव दोनों हैं . . .

(श्री यादव के भाषण के मध्य पुनः श्री भोपाल सिंह खड़े हो गये जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, मैं यहां पर खड़ा हूं, इसलिए नहीं कहलवा रहे हैं।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, इलाहाबाद जनपद में हमारे निर्वाचन क्षेत्र में शहर और गांव दोनों पड़ते हैं। जल संस्थान और जल निगम, मान्यवर, उनकी लापरवाही के कारण, जल निगम और जल संस्थान की लापरवाही के कारण, मान्यवर, शहर में एक गम्भीर जल संकट पैदा हो गया है। वहां पर भावपुर, धूमनगंज, सुलेमसराय, हरबारा, राजूपुर, पटपुर, गढ़वां, सूबेदारगंज, जयन्तीपुर आदि मुहल्लों में पानी का गम्भीर संकट है सुलेमसराय में ट्यूबवेल में 4 पम्प थे, अधिकारियों की लापरवाही के कारण, जल संस्थान की लापरवाही के कारण 3 पम्प खराब कर दिये गये और एक पम्प ठीक से काम नहीं कर रहा है। वहां पर स्थिति विस्फोटक हो गयी है। इसी तरह से जल निगम द्वारा गांवों में जो हैण्ड पाइप लगाए गये, वह इस तरह से गलत तरीके से लगाए गए कि खराब हो गये। जो सूखा पड़ा उसमें भी अधिकारियों को चाहिए था कि जहां हैण्ड पाइप नहीं हैं वहां पर लगाते, लेकिन इतना भीषण सूखा पड़ा, लेकिन जल निगम के अधिकारियों ने, जहां पम्पों की आवश्यकता है, वहां पर नहीं लगा रहे हैं। बिसौना, मदारीपुर, जलालपुर, तारापुर आदि में लोग पानी को तरस रहे हैं। कुएं सूख गये हैं। लोग दूषित जल पी रहे हैं। मेरा कहना है कि पानी ऐसे महत्वपूर्ण मसले को लेकर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा करावें। आज उत्तर प्रदेश में जल संकट की गम्भीर स्थिति होती जा रही है। मैं अनुरोध करूंगा कि सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करावें जिससे कि जो गम्भीर जल संकट पैदा हो गया है, उसका निराकरण हो सके।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी अलग से सूचना है, सुन लें। मान्यवर, अभी जैसा माननीय गोपाल दास यादव जी ने पश्चिमी क्षेत्र के बारे में बताया, इस समय पूरे इलाहाबाद में विशेषकर जमुना पार का क्षेत्र, जोकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र कहलाता है, पठारी क्षेत्र कहलाता है, यहां के शंकरगढ़, जारी-नारी बारी-बारा, उसरा, मांडा, कोरांव, बड़ोखर आदि सारे के सारे क्षेत्र पठारी हैं, यहां पर लगभग 13 दिनों से लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं। शहर में आपका सिविल लाइंस, कटरा, राजापुर, चौहपुर सलोरी, ममफोर्डगंज, नया कटरा, मेवादा, सादियाबाद, कचहरी, आदि जितने भी क्षेत्र हैं, इनमें गम्भीर पेयजल संकट व्याप्त है। गंगा पार के क्षेत्र में हंडिया, नवाबगंज, कोड़िहार आदि में जल निगम की टंकियां बेकार पड़ी हैं। इस समय पेयजल संकट को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जलकर चार गुना कर दिया गया है। गर्मी के पहले ही यह स्थिति है। 2-3 अप्रैल को कांग्रेसी काली सेना के कुछ लोग पदयात्रा करने जा रहे हैं, तमाम लोगों में आक्रोश है। काले बादल पानी दो कहकर लोग पानी मांगेंगे इससे पदयात्रा में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मान्यवर, आज इलाहाबाद में वहां पेयजल आपूर्ति की गम्भीर स्थिति व्याप्त है, उसको देखते हुए सारे कार्य रोक कर इस पर अविलम्ब चर्चा करायें। वहां तुरन्त नगर एवं जिले में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जानी चाहिए। मान्यवर, नलकूपों पर अलग से विद्युत फीडर लाइन लगवाने की मैं मांग करता हूं। आप इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा स्वीकार करें।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र फतेहपुर सीकरी की तहसील किरावली, राजस्थान की सीमा से यह जुड़ी हुई है। वहां पानी की परेशानी तो थी ही, इधर सूखा पड़ने से कुओं का जलस्तर गिर गया है, कुओं में बिल्कुल पानी नहीं रहा। हैण्ड पम्प बिल्कुल ठप कर रह गये हैं। जितनी पेयजल योजना चालू थी, वह सब ठप्प पड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दुःख की बात यह है कि फतेहपुर सीकरी प्रापर नगरपालिका में पिछले 7 दिन से पानी नहीं मिला है। अभी तक जो खारा पानी मिल रहा था, 7 दिन से वह खारा पानी भी उपलब्ध नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में जितनी, पेयजल योजना हैं, ठप्प पड़ी हुई हैं। जो प्रस्तावित पेयजल योजनाएं हैं उन पर काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, जब कारण पूछा जाता है तो कोई बताता है कि बिजली नहीं मिलती है कोई बताता पाइप फटे पड़े हैं। कोई भी कारण हो, जनता वहां प्यासी मर रही है हाहाकार मचा हुआ है। जल निगम वहां कोई प्रयास नहीं कर रहा है। मान्यवर, बराबर वहां इस तरह का सवाल उठा है, मान्यवर, पानी जैसे अहम सवाल यहां पर है। इससे महत्वपूर्ण दूसरा कोई सवाल नहीं हो सकता है। आए इस पर चर्चा करायें। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की शीघ्र व्यवस्था करायी जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय हरेन्द्र सिंह, माननीय भोपाल सिंह, माननीय गोपाल दास यादव, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह और माननीय बदन सिंह ने अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में, पानी की समस्या के बारे में कहा। मान्यवर, जहां तक मुजफ्फरनगर क्षेत्र की समस्या है, माननीय हरेन्द्र सिंह जी ने समस्या रखी, तो यहां पर हम इसकी समुचित व्यवस्था करायेंगे। मेरठ के बारे में माननीय भोपाल सिंह जी ने कहा, मान्यवर, उनसे परामर्श करके कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, आजकल पानी की जो कमी की बात है, वाटर लेविल इसमें शक नहीं कि बहुत जगह नीचे चला गया है। वर्षा कम होने की वजह से, जो ट्यूबवेल लगे हुए थे, ट्यूबवेल काम नहीं कर पा रहे हैं, जितना उन्हें करना चाहिए था। यहां पर पानी की समुचित व्यवस्था करायी जायेगी, माननीय भोपाल सिंह जी से परामर्श करेंगे। माननीय गोपाल दास यादव जी ने और माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी ने इलाहाबाद में पानी की समस्या की बात कही। इलाहाबाद में जिन स्थानों पर पानी की कमी का जिक्र किया गया है, वहां की स्थिति हम दिखायेंगे, क्या उपाय हो सकते हैं, इस समस्या के हल के लिए, उसे देखेंगे। ट्यूबवेल्स की स्थिति भी दिखवायी जायेगी, जो भी उपाय हो सकते हैं, किये जायेंगे। जिन चीजों से पेयजल की व्यवस्था हो सकती है, वह व्यवस्था करायी जायेगी। माननीय बदन सिंह जी ने फतेहपुर सीकरी के बारे में कहा। मान्यवर, आपको और इन्हें भी याद होगा कि एक बैठक बुलायी गई थी, उस बैठक में माननीय बदन सिंह जी भी थे। वह बैठक आगरा-मथुरा के पेयजल संकट के बारे में हुई थी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारीगण, जल निगम के अधिकारीगण और सिंचाई विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे। मान्यवर, इस बैठक में तय हुआ था कि तीन तरह के कार्यक्रम किये

जायें । पहला तो यह कि ऐसा कौन सा काम किया जाय, जिससे फौरन इस क्षेत्र के लोगों को पानी मिल सके । दूसरी यह कि वहां पर जो चेनल वगैरह हैं, जो एक नहर है गंगा कैनाल, उससे किस तरह पानी लिया जाये । तीसरा जो था, वह आगरा कैनाल के बारे में था । वहां बैराज बनाने के बारे में बात हुई थी । लेकिन उस बैठक में यह भी कहा गया था कि फतेहपुर सीकरी की स्थिति आगरा से बिल्कुल भिन्न है और फतेहपुर सीकरी की जमीन पथरीली है। मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि फतेहपुर सीकरी के पानी संकट की वजह से भारत के सम्राट अकबर को भी वह जगह छोड़नी पड़ी थी । मान्यवर, सन् 1982 में ग्राउन्ड वाटर इंजीनियरिंग ने वहां यह देखने का प्रयास किया था कि कहीं मीठा पानी मिल सकता है या नहीं । इसके लिए कई जगह बोरिंग की गयी और एक-दो जगह मीठा पानी मिला भी, लेकिन उस स्थान से पानी को लाना बहुत कठिन काम था । माननीय बदन सिंह जी ने जो पानी की समस्या बताई है, उससे हम लोग पूरी तरह परिचित हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि किस तरह से फौरन, चाहे टैंकर के जरिये से ही पानी पहुंचाया जाये, वहां के लोगों को पानी मुहैय्या कराया जायेगा और पानी की समस्या का शीघ्र समाधान करने का प्रयास किया जायेगा ।

(श्री विजय सिंह राणा, हरेन्द्र सिंह, अवधेश प्रसाद आदि कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं एलाउ नहीं कर रहा हूं । कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप लोग बैठिये ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय हरेन्द्र सिंह और भोपाल सिंह ने जो मेरठ और मुजफ्फरनगर के बारे में कहा है, उसके बारे में भी जो व्यवस्था हो सकती है, उसमें हम जल्दी ही करायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री औसान सिंह ।

(माननीय औसान सिंह का नाम पुकारे जाने पर श्री विजय सिंह राणा बराबर कुछ कहने का प्रयास करते रहे)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, पानी की समस्या केवल एक दो जिलों की ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की है। इसके लिए जल निगम के अधिकारियों, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मंडलवार एक-एक मीटिंग बुला लें और इस समस्या के ऊपर जब बैठक हो, तो वहां माननीय मुख्य मंत्री जी का उपस्थित रहना परमावश्यक है । क्योंकि निर्णय ले लिए जाते हैं और उन पर अमल नहीं होता है। चाहे इस पक्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के सदस्य हों, चाहे उस पक्ष के लोग हों, सभी लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। मान्यवर, आप अपने उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ, और माननीय मुख्य मंत्री के साथ बैठक बुला लें, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय राणा जी ने जो सुझाव दिया है, वह इस सदन का सबसे अच्छा सुझाव है और इसे जरूर माना जायेगा। इसके लिए जिन स्थानों पर पानी की समस्या है, उन जगहों के डिवीजनल हेड क्वार्टर्स पर बैठक हम अवश्य करायेंगे।

श्री औसान सिंह–

मान्यवर, कार्य स्थगन के माध्यम से मैंने जिस घटना का उल्लेख किया है वह 18 मार्च, 1988 को हीरालाल, सहायक विकास अधिकारी व श्री उमाशंकर, ग्राम विकास अधिकारी, विधूना, इटावा का है। ये लोग सरकारी कार्य घर पर कर रहे थे। कुछ गुण्डों ने आकर घर से उनको खींचा और उनका काला मुंह करके सड़क पर घुमाया गया और भरे बाजार में उन्हें जूता मारते हुए घुमाया गया। थाने में इसकी रिपोर्ट लिखाई गई, एक व्यक्ति पकड़ा गया और 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई गई, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिससे सारे जनपद के हरिजन अधिकारियों में ही नहीं अन्य वर्ग के अधिकारियों में भी असंतोष उभर रहा है और जनता में भी असंतोष है। उस पक्ष में बैठे हुए लोग हरिजनों के उद्धार की दुहाई देते हैं, हरिजनों के सुरक्षा की दुहाई देते हैं। इनके भूतपूर्व विधायक के लड़के ने, जो एक असामाजिक तत्व है और असामाजिक तत्वों को साथ लेकर, इस शर्मनाक घटना को किया। यह एक महत्वपूर्ण विषय है तात्कालिक है, सुनिश्चित है। पूरे प्रदेश के अधिकारियों में आन्दोलन होने जा रहा है। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे मांग करूंगा आज शेष सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा करवायें और साथ ही इस पर सरकार को निर्देशित करें कि मामले में कठोर कार्यवाही की जाय।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

मान्यवर, इस मामले पर पुलिस तत्परता से कार्यवाही कर रही है। तीन अभियुक्तों, जिनमें पूर्व विधायक का पुत्र भी शामिल है, जिसे जेल भेज दिया गया है, दूसरा हरिबाबू व तीसरा प्रभुदयाल है, को गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 अन्य मुल्जिमों को भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस इस पर तेजी से कार्यवाही कर रही है। इसमें चर्चा व वक्तव्य की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, कार्य-स्थगन के माध्यम से मैं राजकीय कताई मिल मऊनाथ भंजन की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। एक महीने से वहां पर मजदूर हड़ताल पर हैं। 20 लाख रुपए की प्रति दिन सरकार को क्षति हो रही है। आज 18 दिन हो गये हैं हड़ताल को। वहां पर रोज मजदूरों को गिरफ्तार किया जा रहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। सरकार और प्रबन्धतंत्र पूरी तरह से इस विषय पर मौन है। इससे पूरे वस्त्र उद्योग में लगे मजदूरों में अशांति फैल रही है। इस स्थिति को देखते हुए पूरे वस्त्र उद्योग के मजदूर हड़ताल पर जाने को तैयार हैं। वहां पर जो एक मुख्य अधिशासी है। तीन महीने पहले मजदूरों व प्रबन्धकों के बीच एक समझौता हुआ था, किन्तु तीसरे ही दिन से उस मुख्य अधिशासी ने उस समझौते का उल्लंघन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज वहां बड़ा संकट पैदा हो गया है। चूंकि यह एक सरकारी मिल है। सरकारी मिलों में ही श्रम नियमों का बहुत ज्यादा उल्लंघन हो रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि तत्काल प्रबन्धकों व मजदूरों को बुलवाया जाय और समस्या का निदान किया जाय साथ ही इस पर चर्चा करवाई जाय।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, राजकीय कताई मिल मऊनाथ भंजन में जो आन्दोलन चल रहा है, इससे पूरा प्रोडक्शन ठप्प हो गया है। इस आन्दोलन के कारण पूरे प्रदेश में हथकरघा उद्योग भी बन्द है। सरकार का आज कोई नियंत्रण रह नहीं गया है। आज तक वहां पर लगभग 2 हजार मजदूरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करवाई जाय।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, श्रमिकों के प्रति इस सरकार का हमेशा हमदर्दी व सहानुभूतिपूर्ण रवैया रहा है। कहीं-कहीं पर इस प्रकार की समस्यायें हो जाती हैं, जिससे दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं। प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, दूसरी तरफ मजदूर भी प्रभावित होते हैं। ज्यों ही इसकी नोटिस मुझे मिली मैंने इसकी सूचना मंगाई है। मैं राज्य उद्योग मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि रामचन्द्र बख्श सिंह जी और मित्रसेन यादव जी से परामर्श करके इस संबंध में जो विवाद चल रहा है, उसे शीघ्र ही निपटाने का प्रयास करें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, यह सरकार कितनी नृशंस है कि कमजोर वर्ग के लोग समाज में बाइज्जत रह नहीं सकते हैं। इसके लिए मलियाना का उदाहरण ही काफी है। हरिजनों के सम्बन्ध में राम लच्छन जी की मां के साथ क्या गुजरा, कहने की बात नहीं है, गुजर चुका है, आपने सुना है। अभी एक शासनादेश या निर्देश की जानकारी प्राप्त हुई है। प्रदेश में जो राजकीय बालिका विद्यालय हैं, जहां नियमानुसार केवल महिला अध्यापिका की ही नियुक्ति होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में सरकारी गजट है, शासनादेश है, जो शिक्षा अनुभाग–21 दिनांक 16 जुलाई, 1983 को प्रकाशित हुआ है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुरुष और महिला दोनों शाखाओं के लिए सम्भागीय संवर्ग होंगे। अभी तक इस प्रदेश की परम्परा रही है कि बालिका विद्यालयों में केवल अध्यापिकायें ही शिक्षण का कार्य करती रही हैं। अब अपर निदेशक, शिक्षा ने आदेश कर दिया कि अस्थायी तौर पर जो शिक्षिकायें काम करती थीं, सबको हटा दिया गया, उनकी जगह पर पुरुषों की नियुक्ति कर दी गयी, यह बात समझ में नहीं आती है। इनके यहां के वरिष्ठ अधिकारी शासनादेश की अवहेलना कर रहे हैं। फिर आप इधर के बैठने वालों से क्या अपेक्षा करते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप ही निर्णय दीजिए । यह ऐसा मामला है कि आज प्रदेश में विरोधियों का दमन केवल इसलिए हो रहा है कि हम शासकीय निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं और यह जो वहां बैठे हुए लोग हैं, उनके अधिकारी धड़ल्ले से खुले रूप में यह काम कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण मामला है और इसको लेकर सारे प्रदेश में खास तौर से जो महिलायें हैं, बालिकायें हैं, बालिकाओं के अभिभावक हैं, उनमें घोर असंतोष है। आज राजकीय बालिका विद्यालय में अध्यापक जायेंगे पढ़ाने के लिये, आखिर सरकार की नीयत क्या है ? यह सरकार अपने आदेश का परिपालन सुनिश्चित नहीं करा सकती । उसके लिये इनके पास अधिकार नहीं हैं। इसलिए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा की मांग करता हूं।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रख रहा हूं, जो बालिका विद्यालयों में अध्यापिकाओं को हटाकर उनकी जगह पर पुरुषों की नियुक्ति हो रही है, बेरोजगारी दूर करने की दिशा में चाहे किसी की नियुक्ति हो कोई बात नहीं है, लेकिन कहना यह है कि गर्ल्स स्कूल में अध्यापिकाओं की जगह खाली होते हुए भी दूसरी महिलाओं की नियुक्ति न करके पुरुषों की नियुक्ति करके सरकार महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात करने जा रही है। रोज-रोज इस विधान सभा में महिलाओं पर अत्याचार, हरिजनों पर अत्याचार और किसानों पर अत्याचार की ही बात होती है। सरकार के लोग कहते हैं कि किसी के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है । मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं नौतनवां (गोरखपुर) में राजेश्वरी सिंह की नियुक्ति हुई, बिना कारण बताये निकाल दिया गया, एक दूसरे की नियुक्ति कर दी गयी । शिक्षा विभाग में जो गलत काम हो रहा है, जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, मनमानी है, उसे दूर करें । यह महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा कराने के लिए इस सदन की कार्यवाही रोकें और चर्चा करायें । और इस पर चर्चा करवायें, यह महिलाओं की बात है, यह शिक्षा के प्रश्न से जुड़ा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस पर सदन का काम रोक कर चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय ओझा जी ने और माननीय चौधरी साहेब ने जो बातें उठायी हैं, हम इसकी पूरी जांच करवायेंगे क्योंकि यह बात अभी नोटिस में आयी है। इसकी जांच होने के बाद ही कह सकेंगे कि क्या हुआ है । जो नियम हैं उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है और जिन अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, इलाहाबाद में उप चुनाव होने वाले हैं यद्यपि अभी इसकी विधिवत् घोषणा नहीं की गयी है, लेकिन वहां पर सरकार का ताण्डव अभी से शुरू हो गया है। सरकार जनता के पैसे का दुरुपयोग सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, सत्ता दल के लाभ, चुनाव के दृष्टिकोण से, लोकतंत्र की मर्यादाओं की हत्या की जा रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वहां पर दौरे आयोजित किये जा रहे हैं। जितने मंत्री हैं, सारे दौरा करेंगे, सारी सरकारी मशीनरी इलेक्शन के काम को देखेगी, यह लोकतंत्र की मर्यादाओं की रक्षा करने का दावा करने वाले लोग ही लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मान्यवर, इसमें आपकी और भी बड़ी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन हो, लोकतंत्र की मर्यादाओं की रक्षा हो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा करा दें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय कौशिक जी जो कि बड़े वरिष्ठ और विद्वान सदस्य हैं वह इस तरह से यहां पर लोकतंत्र की हत्या की बात कहें ? लेकिन उन्होंने नियमावली की हत्या जरूर की है कि किसी सम्भावित मसले को इस तरह से उठा कर। अभी चुनाव की तारीख भी नहीं आयी, अभी चुनाव का कार्य भी नहीं शुरू हुआ और उसके लिए कार्य-स्थगन यहां पर उठाना किसी प्रकार से उचित नहीं है। मान्यवर, उन्होंने आरोप लगाया है आरोप इस पर भी लगाया जाता है अगर किसी पिछड़े इलाके में कार्य न किया जाय और अगर कार्य किया जाय तो कहा जाता है कि वहां चुनाव होने जा रहे हैं। मैं निर्भीकतापूर्वक यह बात कहना चाहता हूं कि क्या जिन क्षेत्रों में चुनाव की घोषणा होने वाली है, वहां क्या विकास के कामों को रोक देना चाहिए ? वहां कोई कार्य नहीं होना चाहिए ? जो कार्य प्रस्तावित हैं, जिनकी योजना बन चुकी है, जो क्षेत्रों को उठाने के लिए कार्य होने चाहिए, क्या वे कार्य न किये जायं ? चाहे चुनाव हो या न हो, चुनाव से हमारा कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार की शंका करना उनके लिये उचित नहीं है। यह बात करके केवल उत्तर प्रदेश की जनता के मन में भ्रम पैदा करना है। चुनाव का मामला और विकास कार्य का मामला दोनों अलग-अलग बातें हैं। तीसरी बात उन्होंने जो कही है कि. . . .

(कतिपय सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने से घोर व्यवधान)

उन्होंने कहा है कि मंत्री लोग दौरा करते हैं, एक तरफ तो ये विरोध पक्ष के सदस्यगण यह कहें कि मंत्री लोग जन सम्पर्क नहीं करते और यदि मंत्री लोग जनसम्पर्क करें तो इसमें भी उनको आपत्ति हो–

"हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।"

इसीलिए यह कार्य-स्थगन में स्वीकार होने योग्य नहीं है।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, यूपिका में जो आतंक व्याप्त है और वहां पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है मैं उसका चन्द मिनट में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, भारत सरकार के द्वारा जनता धोती के उत्पादन का लक्ष्य 20 मिलियन मीटर वर्ष 1987-88 के लिए निर्धारित किया गया था। मान्यवर, 1 अप्रैल, 1987 से 15 मार्च, 1988 तक यूपिका द्वारा केवल 5 मिलियन मीटर उत्पादन कराकर क्रय किया गया है जो निर्धारित लक्ष्य का केवल 25 प्रतिशत होता है। लक्ष्य की पूर्ति 15 मार्च से 31 मार्च, 88 तक 75 प्रतिशत उत्पादन कराकर क्रय करना किसी भी प्रकार से

सम्भव नहीं है, इस संबंध में यहां पर होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में मैं मान्यवर, आपके सामने रखना चाहूंगा. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसकी ग्राह्यता पर बोलें; भ्रष्टाचार पर नहीं . . .

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर इसकी ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं कि एक करोड़ और 17 लाख रु0 इसी 20 मार्च को यूपिका ने सबसिडी का रिसीव कर लिया है जो भारत सरकार से अनुदान के रूप में सबसिडी के रूप में है जबकि नियमानुसार जब तक पहली किश्त का उपयोग न हो जाए तब तक दूसरी किश्त नहीं ली जा सकती है, परन्तु दूसरी किश्त भी एक करोड़ 21 लाख रु0 की भी ले ली गयी है और इसमें कुछ अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जी बिलिंग करके करोड़ों रुपयों पर पानी फेरा जा रहा है मात्र 15 दिनों के अन्दर-अन्दर इसलिए प्रदेश के गरीब बुनकरों में इसको लेकर काफी रोष व्याप्त है यूपिका कानपुर में धरना दिये बैठे हैं । महमूदाबाद सीतापुर, मुरादाबाद फतेहपुर बाराबंकी जौनपुर सेन्टरों पर घोर भ्रष्टाचार मिलकर कर रहे हैं।

कुछ ऐसे सेन्टरों को लेकर यूपिका एम0डी0 द्वारा और उनके विभिन्न सेंटर्स के इन्चार्जों द्वारा ट्रांसपोर्ट आदि मिलकर फर्जी बिलिंग की जा रही है। जबकि मान्यवर, आज जनता धोती की खरीद बिक्री इतनी कहीं नहीं हो रही है फिर भी फर्जी बिलिंग की जा रही और मान्यवर इन धोतियों की बिक्री एम0डी0 द्वारा आपने बाजार में सोहना साड़ी सेंटर, मथुरा को 200 गांठें भेजी गयीं, जिसमें से 25 गांठें वहां से वापस आयी हैं, मान्यवर, स्पष्ट रूप से प्राविधान है केवल सहकारी संस्था जैसे यू0 पी0 एस0 एस0 या यूपिका के शोरूम के अतिरिक्त कहीं नहीं बेची जा सकती है । इसलिए मान्यवर इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए वरना इन 72 घंटों में करोड़ों रु0 पर फर्जी बिलिंग द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग हो जायेगा, इसलिए मान्यवर, यह बहुत ही अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न है, सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए और मा0 संसदीय मंत्री जी इस पर कुछ कहने जा रहे हैं, मान्यवर इनको कहने दीजिये ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यदि इस पर चर्चा नहीं कराई गई तो 2 करोड़ 38 लाख रुपया सबसिडी का खर्चा कर लिया जावेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर मा0 बुनियाद हुसैन अंसारी साहब ने जो मामला उठाया है, यह बुनकरों से संबंधित बहुत समस्या का है इसको लेकर कई दफा यहां बातें सामने भी आ चुकी हैं और बार-बार इस मसले को मा0 सदस्यों द्वारा उठाने का मतलब यही है कि इस

जटिल समस्या का कोई हल निकल आए लेकिन सत्ता पक्ष के लोग इनके हर हकों को छीनने पर ही आमादा हैं और आज जो मा0 बुनियाद जी ने मामला आपके सामने रखा है, बहुत ही स्पष्ट मामला है, करोड़ों की हेरा-फेरी होने जा रही है। मान्यवर यह बात स्वयं में खुद समझ में आने वाली है क्योंकि 15 दिन के अन्दर 15 मिलियन कपड़े की कलेण्डरिंग, उसकी पैकिंग और फिर बिक्री केन्द्रों पर पहुंच कर बिकना कैसे सम्भव है। मान्यवर, आप तो स्वयं जानते हैं कि यह कैसे सम्भव हो सकता है, इसलिए इनसे शासन से तो कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है लेकिन आप अपनी पीठ से इनको निर्देशित करने की कृपा करें कि जो यह करोड़ों रु0 से तेजी से जेबें भरने जा रहे हैं, परन्तु यह सरकार इन मामलों में बड़ी तेजी से जहां पैसे की गड़बड़ी करने का मौका हो, बजट को भी पास करा देती है, लेकिन मान्यवर, यह छोटे-छोटे गरीब बुनकरों का मामला है, इनके अनुदान को लूटे जाने का मामला है, इसलिए यदि आप इन्हें निर्देश अपनी पीठ से नहीं देंगे तो कोई हल तब तक निकलने वाला नहीं है . . . .

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मा0 सदस्य सीतापुर और मा0 सदस्य, बरेली ने जो अपनी-अपनी शंकाएं व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि ज्यादातर सभी बे-बुनियाद हैं . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य—

बुनियाद साहब ने उठाया है तो वह बे-बुनियाद कैसे हो सकती है ?

श्री अम्मार रिजवी—

इसीलिए तो कह रहा हूं कि बुनियाद साहब ने जिन शंकाओं को उठाया है, वह सब बे-बुनियाद हैं। बुनियाद साहब सबेरे आज ही मुझ से मिले और उन्होंने अपना पत्र भी मुझे दिया, जिसमें यह सारी शिकायतें थी, इसलिए मान्यवर, मैंने सोचा कि सारी बातें सामने आ जानी चाहिए. .सरकार किसी बात को छिपाना नहीं चाहती है। मैंने उद्योग सचिव से कहा है, कि वह इसकी तुरन्त जांच करके अवगत करायें, जिससे जो बात बुनियाद साहब ने बेबुनियाद कही है वह बेबुनियादी साबित हो सके।

*श्री कल्यान सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज प्रदेश के अन्दर कई स्थानों पर पुलिस ने अपने गिरोह बना लिये हैं और पुलिस के इन गिरोहों समाज विरोधी गुन्डे, बदमाश, डकैतों से सांठ-गांठ कर ली है। पुलिस के इन गिरोहों के कारण जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। मथुरा जिले का उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। वहां पर 3 पुलिस के अधिकारियों ने तिकड़ी तैयार कर ली है, इसमें वहां के एस0 पी0 एस0 एन0 चक, सी0ओ0 राम विक्रम सिंह और इन्स्पेक्टर बलवीर सिंह त्यागी हैं। अगर कोई नागरिक इनके विरुद्ध आवाज उठाने का साहस करता है, तो उसकी जान सुरक्षित नहीं है। मथुरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्य कर्ता श्री रवि कान्त गर्ग हैं उन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सिलसिले में अपनी आवाज उठाने का साहस किया तो 14 मार्च को गर्ग के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया और धारा 146 व 308 आई0 पी0 सी0 के तहत मुकदमा कायम किया गया, लेकिन यह जानकारी मिली है कि उसको परिवर्तित करके धारा 308 कर दिया गया है और अब बदमाशों को बचाने के लिये उस मुकदमें को धारा 323 और 506 के अन्तर्गत परिवर्तित कर देना चाहते हैं और इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाना चाहते हैं। वहां पर आतंक फैला हुआ है, आन्दोलन हो रहा है और प्रदर्शन हो रहे हैं और गर्ग को मारने की धमकी दी जा रही है। गृह राज्य मंत्री जी को मैंने उनकी काली करतूतों के दस्तावेज दिये हैं, अगर उनको तौला जाये तो आधा किलो से कम नहीं होगें, जिनमें इस बात का सबूत है कि वहां का एस0 पी0 क्या-क्या काली करतूतें कर रहा। उनमें उसकी करतूतों का खुला चिट्ठा दिया गया है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस पर आप चर्चा करा दें अन्यथा रवि कान्त गर्ग की जान चली जायेगी और उनके परिवार वालों की जान चली जायेगी। आप इस सम्बन्ध में वहां के समस्त सत्ताधारी विधायकों से जानकारी कर सकते हैं। इसलिये यह बड़ा महत्व का सवाल है, उस अधिकारी को मुअत्तल किया जाना चाहिये, ट्रान्सफर किया जाना चाहिये और कार्यवाही की जानी चाहिये और इस पर सदन में खुली चर्चा होनी चाहिये और सदन को स्थगित किया जाना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय नेता बी0 जे0 पी0 से पूर्व बातचीत हुई थी और मैंने माननीय कल्यान सिंह जी को आश्वासन दिया था कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी और जो कागजात उन्होंने दिये हैं, उनके आधार पर सी0 आई0 डी जांच के आदेश कर दिये गये हैं। सी0 आई0 डी0 जांच हो रही है, तो उसमें अब और कोई बात नहीं रह जाती है, जिसको यहां पर कहा जाये। सी0 आई0 डी0 से जांच के आदेश आज ही कर दिये हैं।

श्री कल्यान सिंह—

माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की बात कही है, लेकिन आप कल्पना करें कि अगर एस0 पी0 वहां पर मौजूद रहेगा, और सी0 आई0 डी0 जांच करने जायेगी तो क्या कोई नागरिक उसके विरुद्ध साक्ष्य देने का साहस कर पायेगा, अगर आप न्याय देना चाहते हैं तो एस0 पी0 का ट्रान्सफर किया जाना चाहिए, तभी सी0 आई0 डी0 का आदर होगा, यह मेरी मांग है, माननीय मंत्री जी आश्वासन दें।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर बलिया में एक हरिजन कालोनी बनायी गई थी उसमें 100 परिवारों के लगभग 1000 सदस्य रह रहे हैं। वह कालोनी जीर्ण-शीर्ण हो गई है। इस सम्बन्ध में वहां के जिलाधिकारी को कालोनी के हरिजनों ने मिलकर एवं कई पत्र लिख कर दिया कि उसकी मरम्मत करा दी जाय, उसकी दीवालें कभी-कभी गिर सकती हैं श्रीमन्, स्वयं मैंने भी पत्र लिखा किन्तु पर जिलाधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया।

अभी दस दिन पहले उनकी दीवाल और छत फट गई, वह कभी भी गिर सकती है जिससे 1000 सदस्य मारे जा सकते हैं । ऐसी परिस्थिति में हरिजनों में भय और आक्रोश व्याप्त हो गया है । अतः मैं मांग करता हूं कि आज के सदन का सारा कार्य रोककर इस विषय में चर्चा आप करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह हरिजन कालोनी का मामला है, इसको आप दिखवा लें ।

श्री अम्मार रिजवी—

ठीक है मान्यवर ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक गम्भीर मसले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, आने वाले कुछ दिनों में सियोल में ओलम्पिक होने वाले हैं । आज भारतीय टीम में से प्रदेश के अच्छे-अच्छे खिलाड़ी पलायन कर रहे हैं । मान्यवर, शाहिद जो भारतीय टीम का अच्छा खिलाड़ी है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, बनारस का निवासी है, पिछले ओलम्पिक में भारतीय हाकी टीम का खिलाड़ी भी रह चुका है वह लखनऊ में हो रहे प्रशिक्षण शिविर में भाग नहीं ले पा रहा है। उसका कारण यह है कि उसकी एक 6 साल की लड़की के दिल में छेद हो गया । और इस हेतु जितनी उपचार की सुविधा उसको मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पा रही है । इतना बड़ा खिलाड़ी टीम में भाग नहीं ले पा रहा है । मान्यवर, आप जानते हैं कि गोरखपुर का रहने वाला नरेन्द्र हिरवानी जो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था वह मध्य प्रदेश चला गया है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम उसकी इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। मान्यवर, यह शाहिद अपनी लड़की को लेकर इलाज के लिये दिल्ली चला गया है और इसी कारण वह इस प्रशिक्षण शिविर में भाग नहीं ले पा रहा है । मान्यवर, उनकी लड़की का जितनी भी स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जिम्मेदारी है उसे सरकार को वहन करना चाहिये ताकि वह अपनी इन पारिवारिक परेशानियों से मुक्त होकर बंगलोर में हो रहे प्रशिक्षण शिविर में भाग ले सके और देश की टीम में भाग ले सके जिससे वह सियोल में होने वाले खेल में विजय हासिल कर सके । इसलिये मान्यवर, आप सरकार को निर्देश दें कि जितनी भी उनको आर्थिक मदद हो या चिकित्सा की जिम्मेदारी हो, उसे सरकार वहन करे और हिन्दुस्तान की जो ओलम्पिक एसोशियेशन है उनको सूचित करें कि शाहिद की लड़की की पूरी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं ताकि वह प्रशिक्षण शिविर में भाग ले सके ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शाहिद ने न केवल हमारे प्रदेश का बल्कि पूरे देश का हाकी के फील्ड में नाम ऊंचा किया । माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने एक पत्र इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा है। उन्होंने यह आश्वस्त किया था कि जो भी इस संबंध में उनकी लड़की के उपचार के लिये खर्च होगा, उसे हम वहन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करेंगे । मैं आपके माध्यम से माननीय शतरुद्र प्रकाश जी को यह सूचना देना चाहता हूं और इस सदन को बताना चाहता हूं कि शाहिद जैसे खिलाड़ी को आगे बढ़ाने में और ऐसा वातावरण बनाने में जिससे वह बेफिक्र होकर खेल सकें और भारत का नाम ऊंचा हो सकें, उसके लिये जो कुछ भी सम्भव उत्तर प्रदेश सरकार कर सकेगी, वह करेगी और उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं निर्णय दे रहा हूं । श्री हरेन्द्र सिंह, श्री भोपाल सिंह तथा अन्य लोगों ने जो सूचना दी है साथ ही गोपाल दास यादव ने जो सूचना दी है उसे मैं एक घन्टे की चर्चा के लिये स्वीकार करता हूं। इसके अतिरिक्त श्री राम शरण दास की सूचना को मैं वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं।श्री अचल सिंह की सूचना पर शासन द्वारा उचित ध्यान देने का निर्देश दिया। बाकी सब सूचनायें अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या 9 पुकारे जाने पर श्री अचल सिंह सदन के वेल में आ गये परन्तु श्री बेनी प्रसाद वर्मा के अनुरोध पर वापस चले गये और सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अचल सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है । मैं सदन में शुरूवात से ही मामला उठा रहा हूं । सैकड़ों किसानों का मामला है । वन विभाग जबरदस्ती कर रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

ध्यान आकर्षित कर दिया है। मद संख्या 9।

श्री अचल सिंह—

मान्यवर, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है (व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

मैं आपके माध्यम से माननीय अचल सिंह जी से कहना चाहता हूं कि अभी बजट पेश हो रहा है उस में इस पर बोल लीजिये ।

(श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी द्वारा खड़े होकर बोलने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय द्विवेदी जी यह उचित नहीं है अब मैं नहीं सुनूंगा मैं आगे बढ़ गया हूं, बहुत सुन लिया है। अब नहीं सुनूंगा।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं वह काम नहीं करता हूं जिससे यहां खराबी पैदा हो जाय। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।आपकी आज्ञा शिरोधार्य होगी अभी कार्यस्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बाद कुछ माननीय सदस्यों को सुन लिया मैंने भी एक औचित्य का प्रश्न उठाया था जिस पर आपके पीठासीन होने से पूर्व माननीय अध्यक्ष जी ने उसे अस्वीकार कर दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब अध्यक्ष जी ने अस्वीकार कर दिया तो उस पर मैं अब नहीं सुनूंगा ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मैं समझता हूं कि सदन के अधिकांश वरिष्ठ सदस्यों ने इसके महत्व को समझते हुये इसे महत्वपूर्ण बताया था ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अचल सिंह—

मेरा बहुत महत्वपूर्ण मामला है किसानों की खड़ी फसल उखाड़ दी गयी है । इसी 23 ता0 को वहां पर पी0 ए0 सी0 को ले जाकर किसानों की फसल को उखाड़ दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपकी माननीय मंत्री जी से बात करा दूंगा ।

(व्यवधान के मध्य)

द्विवेदी जी आप समय को बर्बाद कर रहे हैं कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जायेगा । द्विवेदी जी आप बैठें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

[x x x]

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई व्यवस्था के प्रश्न की बात नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

आपने मेरा नाम पुकारा था ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

जब आपने मद पुकार ली है उस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कोई नाम नहीं पुकारा । नाम तो मैं सब के लेते रहता हूं ।

(व्यवधान)

आपको मैंने नहीं बुलाया। इस वक्त कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

[x x x]

(व्यवधान के मध्य)

नोट :—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें । माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी आप बजट प्रस्तुत करें ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्यय की अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) अनुदान संख्या-19 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (जारी)

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्य पाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 4,19,51,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 43,45,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय । मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 58,30,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(इस समय 2 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

मान्यवर, यह विभाग ग्रामीण अंचलों में बसने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, ग्रामीण शिल्पकार और निर्बल आय के लोगों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिये सतत प्रयत्नशील है । आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विभाग के माध्यम से जो गरीबी रेखा के नीचे लोग जीवन-यापन कर रहे हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का कर्य कराये जा रहे हैं । ग्रामीण अंचलों में जो बेरोजगार, अर्ध बेरोजगार जिनके पास कोई रोजी रोटी का सहारा नहीं है उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की योजनायें चलाई जा रही हैं और इसके साथ ही ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों को जो आवश्यक परिसम्पत्तियों की आवश्यकता है, सुविधाओं की आवश्यकता है उनका भी सृजन इस विभाग द्वारा बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है ।

श्रीमन्, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के कारण छठी पंचवर्षीय योजना के अंत में जो इस प्रदेश की आबादी का 43.25 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे था वह प्रतिशत वर्ष 1987-88 के अंत में अनुमान है कि घटकर 35.23 रह जायेगा । और आशा करते हैं कि 1988-89 के अन्त में गरीबी रेखा के नीचे जो

आबादी है उसका प्रतिशत 32.60 रह जायेगा, यह सफल कार्यान्वयन के कारण है। औसतन सातवीं योजना में प्रतिवर्ष 2.66 प्रतिशत जो गरीबी रेखा के नीचे आबादी है उसमें कमी हो रही है।

श्रीमन्, इसी तरह सातवीं पंच वर्षीय योजना के अंत तक ऐसा अनुमान है कि पूरी आबादी का केवल 30 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे रह जायेगा और बाकी गरीबी रेखा से ऊपर उठ जायेंगे। जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, इस संबंध में आप सभी जानते हैं एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम इसके जरिए 1987-88 के वर्ष में 7.66 लाख जो गरीबी रेखा के नीचे परिवार था इनको लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था और यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि फरवरी 1988 के अंत तक 6.68 लाख परिवार इस योजना के तहत लाभान्वित किये गये।

इसी तरह से मान्यवर, जो बजट 1988-89 का है इसमें हमने जो लक्ष्य रखा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को ऊपर उठाने का वह 5.99 लाख का है जिसमें से 4.10 लाख जो नये लाभार्थी होंगे जिन्हें ऋण की सुविधा और अनुदान दिलाकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जायगा और 1.89 लाख जो पुराने लाभार्थी हैं जिनको छठी पंचवर्षीय योजना में ऋण उपलब्ध कराया गया लेकिन किन्हीं कारणों से वह ऊपर नहीं उठ सके तो उन्हें भी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास किया जायेगा। इस प्रकार से आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में 1,30,64,00,000 रुपये का प्राविधान किया गया है। राज्यांश और केन्द्रीय सहायता मिलकर यह बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यक्रम को और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए हमने कुछ नीतिगत निर्णय लिये हैं, जिससे कि गरीबों को पूरा-पूरा लाभ मिल सके। लाभार्थियों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए और उनके तैयार माल की बिक्री के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, दुग्ध संघ, एग्रोइन्डस्ट्रियल फाउन्डेशन, पशुपालन विभाग और अन्य स्वैच्छिक संगठनों की उनको सहायता देकर उनकी सेवा लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार महिलाओं का जो प्रतिशत है, जिसको हमारे देश के प्रधान मंत्री लाभ पहुंचाना चाहते हैं और गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं, 30 प्रतिशत मात्राकृत किया गया है और इसको पूरा करने के लिए बाल विकास और प्रौढ़ विकास कार्यक्रम के साथ-साथ लाभप्रद व्यवसायों में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी हम कार्यक्रम चला रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो परिवार हैं, उनको बड़े आकार के व्यवसाय चालू करने के लिए हमने बैंक से ऋण सुविधा दिलाने के लिए भी योजना बनाई गई है। इसी तरह से लाभार्थी का जो परिवार था, वह 5 हजार की सीमा तक बिना गारन्टी के बिना जमानत के बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता था, अब इस सीमा को बढ़ाकर 10 हजार रुपया कर दिया गया है, जिससे वह बिना जमानत बिना गारन्टी के ऋण प्राप्त कर सके और इसकी ठीक से मानीटरिंग हो सके, ठीक ढंग से सूचना एकत्रित हो सके, इसके लिए हर जिले में हमने कम्प्यूटर लगाने की योजना बनाई है और संचार व्यवस्था को चुस्त करने के लिए टेलेक्स की भी व्यवस्था हम अगले वर्ष से करने जा रहे हैं। लाभार्थियों को इसमें क्या कठिनाई है, उनको किस तरह से और ठीक ढंग से लाभ पहुंच सके, हमने

निर्णय लिया है कि हर न्याय पंचायत में लाभार्थियों का एक संगठन होगा और उनके प्रधानों द्वारा ब्लाक स्तर पर उनको संगठन बनाया जाएगा और इसी तरह जिला स्तर पर भी लाभार्थियों का संगठन बनाया जाएगा, जिससे कि हमारे लाभार्थी, हमारे अधिकारी और कर्मचारी और जन प्रतिनिधि सब मिलकर इस कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलायें । जिससे जो हमारा सपना है और राजीव गांधी का संकल्प है कि हम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को 21 वीं सदी में जाने से पूर्व ऊपर उठा देंगे पूरा हो सके । इसी को लेकर हम सारे कार्यक्रम चला रहे हैं । इसके अलावा भी जो गरीबों में भी सबसे अधिक गरीब है यानी गरीबतम व्यक्ति, उसको सुविधा मिलें, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने निर्देश दिया है कि हर गांव सभा में आर्थिक रजिस्टर होगा और इस आर्थिक रजिस्टर में हम देख सकेंगे कि जो गरीबतम व्यक्ति है वही इस लाभ को पा सके और उसके हम को दूसरे लोग न छीन सकें । इसके साथ ही आप जानते हैं 79-80 से एकीकृत ग्राम्य विकास की जो योजना है, उसकी एक पूरक योजना ट्राइसम योजना है, जिसमें हम नवयुवक और नवयुवतियों का चयन करके उनको प्रशिक्षण देते हैं और उसके बाद उनको व्यवसाय में लगाने की कोशिश करते हैं बैंकों से ऋण दिलाकर या फिर एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में उनको चुनकर । आपको यह जानकर खुशी होगी कि जनवरी 1988 तक 19,358 नवयुवक और नवयुवतियों को इसमें प्रशिक्षण दिया गया था । जिनमें से 10 हजार 884 नवयुवक और नवयुवतियां ने स्वत: रोजगार योजना चला कर अपने को रोजगार में लगाया है। इस तरह से जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें सेवा, व्यवसाय में लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। श्रीमन्, नये कार्यक्रम भी हम दे रहे हैं। रस्सी बनाना, ट्रैक्टर चलाना और सिलाई मशीन चलाने आदि की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन आज हमें नयी टैक्नोलांजी को गांव में पहुंचाने की आवश्यकता है । मान्यवर, ट्राईसेम की योजना में फाइवर ग्लास फोम लेदर वर्क आदि की योजना को जोड़ दिया गया है । जहां-जहां ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र उपलब्ध हो रहे हैं उनसे हम इन लाभार्थियों को ट्रेनिंग दिलाने की कोशिश कर रहे हैं । इस वर्ष 36 हजार युवक युवतियों को प्रशिक्षण देने के लिए 252.26 लाख रुपये के परिव्यय का प्राविधान किया गया है। महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए । डी0 डब्लू0 सी0 आर0 ए0 की योजना प्रदेश में लागू की गई है । जहां यह योजना चल रही है वहां महिलाओं को बांध बनाने, रस्सी बनाने का काम और जो उनके विकास खण्डों में काम प्रचलित है उनको उनमें लगाकर, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की कोशिश की जा रही है । सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम को भी इसमें जोड़ा गया है । जिसके अंतर्गत प्लास्टिक की थैलियां बनाने का प्रशिक्षण इटावा, सुल्तानपुर, बस्ती, इलाहाबाद, बांदा में दिया जा रहा है । इसमें प्लास्टिक की थैलियां बनाकर वन विभाग को सप्लाई की जाती है । इस वर्ष भारत सरकार ने चार और जनपदों में इस योजना को चलाने के लिए अनुमति दे दी है और उन चार जनपदों को जोड़कर 17 जनपदों में इस योजना के अंतर्गत कार्य कराया जाएगा । चार जनपदों का चयन अभी हुआ नहीं है। अगर तेरह जनपद के नाम आप जानना चाहें तो मैं बता दूं । श्रीमन्, जो कार्यक्रम थे उनके बारे में संक्षेप में मैंने बताया । इसके साथ-साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है ।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना है, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्बल वर्ग, लघु और सीमान्त कृषक के जो लोग हैं जिन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं है उन्हें हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं ।

इसी के साथ-साथ ऐसे गांव के लिए, जहां सड़क की आवश्यकता है तालाब खोदने की आवश्यकता है तथा और चीजों की आवश्यकता है उनके विकास के लिए कार्य हो रहा है । एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 के अंतर्गत योजनायें चल रही हैं। मान्यवर, 1988-89 का 90 करोड़ 4 लाख रुपये के परिव्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 530.22 मानस दिवसों के सृजन के लिए रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किन्तु अभी दो-तीन महीने पहले भारत सरकार ने हमारी योजना पुनरीक्षित करके उत्तर प्रदेश के परिव्यय को बढ़ाकर 1 अरब 29 करोड़ 78 लाख कर दिया है । (मेजें थपथपाई गई) इस तरह से मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े काम का शुभारम्भ हुआ है और खासतौर से गरीब लोगों के लिए हम रोजगार सृजित कर रहे हैं । श्रीमन, इस वर्ष यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत हम कृषि में किस तरह से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, किस तरह से पानी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं इस तरह के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के तहत प्रदेश में चालू करा रहे हैं । जैसा कि मैंने आई0 आर0 डी0 पी0 योजना के अंतर्गत बताया है हम हर जिला अभिकरण में कम्प्यूटर लगा रहे हैं इसके माध्यम से इन कार्यक्रमों का अनुश्रवण ठीक ढंग से कर सकते हैं ताकि योजना ग्रामीण अंचलों में अच्छी तरह से लागू की जा सके । मान्यवर, 1988-89 के लिए यह सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार ने हमारे प्रदेश के लिए एक अरब 47 करोड़ 96 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत करने देने का संकेत दिया है इससे 583 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित होगा । इसी तरह से आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 योजना के तहत हमारे प्रदेश में 88-89 के लिए 1 अरब 7 करोड़ 85 लाख रुपये का परिव्यय भारत सरकार ने स्वीकृत करने का संकेत दिया है यह पिछले वर्ष के मुकाबले में काफी अधिक है ।

मान्यवर, सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग द्वारा योजनायें चलायी गईं और जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर सूखा पड़ने के बावजूद विभाग ने कितनी त्वरित गति से काम करके रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, साधन मुहैय्या कराने के लिए काम किया । मैं मित्रसेन जी से कहूंगा कि आपको तो कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए और इसके लिए आपको बधाई देनी चाहिए । हमने निर्णय लिया कि हर न्याय पंचायत में एक गांव ऐसा चुना जाय जहां पर सड़कें बनाने, तालाब खुदवाने आदि का काम शुरु करके रोजगार उपलब्ध कराया जाये । 10 करोड़ रुपये जो भारत सरकार से सूखा राहत योजना में सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिए मिले थे उनसे सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने के लिए 2 महीने के अन्दर लघु सिंचाई विभाग द्वारा फ्री बोरिंग योजना के तहत फ्री बोरिंग करके किसानों को पानी उपलब्ध कराया गया । इसी तरह से सूखा राहत कार्यक्रम के अंदर जो पेयजल संकट था तो उसके लिए 1987-88 में गांवों में डिग्गी का निर्माण, कुओं की मरम्मत, हैण्ड पाइप आदि के लगाने का प्राविधान किया गया ।

दर्शक दीर्घा से कतिपय व्यक्तियों द्वारा नारे लगाये जाने पर उठाये गये व्यवस्था का प्रश्न (दर्शक दीर्घा से कुछ युवकों द्वारा नारे लगाये जाने पर मार्शल द्वारा हिरासत में ले लिया गया)

(शोर)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, यह क्या हो रहा है ?

(श्री पाण्डेय गैलरी की तरफ संकेत कर रहे थे)

श्री अधिष्ठाता–

आपको गैलरी की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, दर्शक दीर्घा में कुछ लोगों को गार्ड लोग मार रहे हैं ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, सदन में किसी को यह अधिकार नहीं है कि आपकी अनुमति के बिना किसी को संरक्षण में ले लिया जाय।

(तत्पश्चात् श्री शारदा प्रताप, श्री अचल सिंह, श्री शारदानन्द अंचल एवं अन्य कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

हमने डिप्टी मार्शल को भेजा है, अभी डिप्टी मार्शल वापस आकर रिपोर्ट देंगे । बिना डिप्टी मार्शल की रिपोर्ट आये हुए कुछ नहीं होगा ।

(फ्लोर पर कई सदस्यों के खड़े रहने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

डिप्टी मार्शल गये हुए हैं, अभी रिपोर्ट आ जायगी । आप सब अपने-अपने आसन पर जायं ।

(पीठासीन अधिकारी के अनुरोध पर विरोध पक्ष के सदस्यगण अपने-अपने आसन पर आ गये ।)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी खड़े हुए हैं, डिप्टी मार्शल को मैं भेज चुका हूं । डिप्टी मार्शल के आने के बाद व्यवस्था दी जायगी ।

(व्यवधान के मध्य मंत्री जी ने बोलने का प्रयास किया)

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

इस विभाग के द्वारा सूखा-राहत के अंतर्गत 90 करोड़ 62 लाख रुपया उपलब्ध कराया गया था । . . . .

(शोर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इस गम्भीर घटना पर तुरन्त कार्यवाही की जाय और जो लोग सदन के अन्दर मार-पीट कर रहे थे, उनको क्या सजा दी गयी, सदन को इससे अवगत कराया जाना चाहिए ।

(व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

सदन के अन्दर कोई अव्यवस्था उत्पन्न करने में जो लोग मदद करें उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ।यह भी देखना चाहिए कि सदन के अंदर इस तरह से कोई चीज फेंकना कहां तक जायज है। मान्यवर, मैं देखूंगा कि किसके द्वारा पास ईशू किया गया है। इस तरह से मान्यवर, यह कोई सदन चलाने की परम्परा नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अंचल जी, आप बैठिए।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अगर किसी गैलरी में कोई बात होती है, तो उसके लिए जब तक डिप्टी मार्शल की रिपोर्ट नहीं आती है, उस समय तक आपको कोई बात नहीं कहनी है । (कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलते रहने पर सदन में घोर व्यवधान व्याप्त हो गया)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, इनकी भी साजिश शामिल है जो लोग यहां आये हैं । ये लोग अव्यवस्था पैदा कराते हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, मैंने अपना निर्णय दे दिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने . . .

(श्री हरदेव जी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें, हरदेव जी, आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं व्यवस्था इस पर उठा रहा हूं कि अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने यह बात यहां पर कही कि जो लोग . . .

(व्यवधान)

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, यह माननीय सदस्य क्यों बोलते जा रहे हैं?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जिस व्यक्ति ने भी दीर्घा में नारा लगाया . . . ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाण्डेय जी, आप बैठें, यह नहीं बोलेंगें ।

(व्यवधान)

मैंने यह व्यवस्था दी है कि जब रिपोर्ट आ जाय उसके बाद कुछ होगा, यह मैंने व्यवस्था दी है, यह नियमों के अन्दर व्यवस्था है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप व्यवस्था का प्रश्न सुन लें उसके बाद कुछ भी निर्णय लें।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं व्यवस्था नहीं सुन रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, कोई व्यक्ति नारा लगा रहा था या कुछ भी कर रहा था, उसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सदन चल रहा है, सदन के सामने कोई घटना हुई है उसके बारे में निर्णय सदन करेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं कोई अनुमति नहीं दे रहा हूं, बगैर अनुमति के वर्मा जी बोल रहे हैं, कौशिक जी से पूंछ लीजिए, परम्परा यही है कि जब रिपोर्ट आ जायेगी उसके बाद फिर अगर कोई बात कहनी हो तो उस वक्त कह लीजिएगा ।माननीय मंत्री जी, संक्षेप में कहिये ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक की अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (क्रमागत)

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

मान्यवर, यह जो सूखा राहत का कार्यक्रम चलाया गया प्रदेश में, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, श्रीमन्, अब तक 481.2 लाख मानव दिवसों का सृजन हो चुका है और औसतन प्रतिदिन 6.20 लाख मजदूर प्रतिदिन जनपदों में काम कर रहे हैं ।सूखा राहत के कार्य को चलाने में सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, मत्स्य विभाग का भी सहयोग लिया गया है । इसी तरह से मान्यवर, जो सूखे के कारण स्थिति उत्पन्न हुई थी, उससे निपटने के लिए और खास तौर से पेयजल के संकट से निपटने के लिए जो कार्यक्रम चलाये गये थे उसके माध्यम से 1987-88 में हैंडपम्प लगाने का कार्य और कूप के नवनिर्माण का कार्य भी लिया गया इस योजना के तहत और इसके लिए 587 लाख रुपये की धनराशि जो आबंटित थी उसमें से 254.3 लाख रुपये व्यय करके 4714 हैंड पम्प और 490

नये कूपों की व्यवस्था की गयी तथा 610 कुओं की मरम्मत कराई गयी । श्रीमन्, इस तरह से ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से गांवों में जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं खास तौर से निर्बल वर्ग के लोग जिनके पास अपने निजी मकान नहीं हैं या मकान नहीं बना सकते अपने पैसों से, उनको भी हमने मैदानी क्षेत्र में 2 हजार रुपये की सहायता तथा पर्वतीय क्षेत्र में 3,000 रुपये की सहायता दी है । इन लाभार्थियों का चयन गांव सभा की खुली बैठक में कराया जाता है और इस योजना के अंतर्गत श्रीमन, 1979-80 से 1986-87 के अंत तक 1,26,532 आवासीय भवनों का निर्माण किया जा चुका है और 1987-88 तक श्रीमन् 16,210 भवनों का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 14,419 आवास फरवरी, 88 के अंत तक बन चुके थे । वर्ष 1988-89 में इसके लिए 350 लाख का प्राविधान किया गया है जिससे 15,980 आवास निर्मित किये जाएंगे ।

इसी के साथ-साथ आप सभी को विदित है कि इंदिरा आवास की योजना प्रदेश में चल रही है जिसके अंतर्गत 6,000 रुपये तक की लागत के मकान हरिजनों के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए निर्मित करके उपलब्ध कराए जाते हैं और 3,000 रुपये प्रति मकान की दर से साइट डेवलपमेंट पर खर्च किया जाता है और इस प्रकार से आप सभी को विदित होगा कि उन्हें स्वच्छ शौचालय भी उपलब्ध हो सकें, इसके लिए भी प्रति मकान 1200 रुपये की व्यवस्था की गयी है और 1987-88 में इस योजना में 27,580 आवास के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है । इसमें 2192 रुपये नकद और 721 लाख रुपये के खाद्यान का प्राविधान किया गया है । इस तरह से इस योजना के अंतर्गत कुल 2,923 लाख रुपये के संसाधन इंदिरा आवास बनाने के लिए उपलब्ध कराये गये और इसमें जो लक्ष्य था उसके विपरीत फरवरी, 88 के अंत तक 17,085 आवास निर्मित किये जा चुके हैं और 5279 आवासों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस पर 15.06 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं और 62-17 लाख मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं ।

श्रीमन्, पेयजल के संकट के बारे में तमाम मा0 सदस्यों ने उसके निवारण के लिए नियम 56 में उठाया । आप सभी को मालूम है कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में, खास तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, जो स्वयं कुएं का निर्माण नहीं कर सकते, हैण्ड पाइप नहीं लगवा सकते, उनको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना पर कार्यवाही ग्राम्य विकास विभाग के जरिये से कर रहे हैं । यह योजना 1971-72 से चल रही है, आप सब जानते हैं । इस योजना पर विशेष ध्यान दिया गया है और 1971-72 से 1986-87 तक 3616.236 लाख रुपये का व्यय करके 53,187 कुएं, 15,544 हैण्ड पाइप और 4634 डिग्गियों का निर्माण कराया गया । वर्ष 1987-88 में 825 कुएं, 850 डिग्गी और 2745 हैण्ड पम्प के लक्ष्य के विपरीत जनवरी, 1988 तक 316 कुएं, 1935 हैण्ड पम्प और 125 डिग्गियों का निर्माण कराया जा चुका है और इस तरह से पेयजल के लिए 1988-89 के बीच में 5,67,00,000 रुपये का परिव्यय रखा गया है जिसके माध्यम से 910 कुएं, 3270 हैण्ड पम्प और 125 डिग्गियों का निर्माण कराया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी मैं निवेदन करूंगा कि इसको समय के अंदर ही करना है और उसके बाद विनियोग विधेयक पर विचार होना है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, अभी तो कई योजनाएं हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

बाद में एक-दो शब्द कह लीजियेगा ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है । इनको बोलने दिया जाय और कटौती का प्रस्ताव भी रखा जाय । विनियोग विधेयक का समय एक घंटा और बढ़ा सकते हैं । इसमें पाबंदी की बात नहीं है ।

(व्यवधान)

विनियोग विधेयक के लिए टाइम बढ़ा दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

समय निर्धारित है उसमें ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, सिर्फ बजट के प्रस्तुतीकरण के समय की बात ही गर्वनर के यहां से होती है, जहां तक विनियोग विधेयक के प्रस्तुत करने की बात है, आप साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय बढ़ा सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कार्य मंत्रणा समिति ने समय तय किया है, आप भी उसमें थे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, बीच में थोड़े अंतराल के लिए इसे रोककर, इस पर चर्चा रोककर, उस विधेयक को यहां रखवा दीजियेगा, उसके बाद फिर इस पर चर्चा चालू करवा दीजियेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय माता प्रसाद जी आप सीनियर मेम्बर हैं, कैसी बात कर रहे हैं । जब टोटल कम्पलीट हो जायेगा, तब ही वह आयेगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लें । आपके सम्मुख ऊपर दर्शक दीर्घा में . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

उसके ऊपर पहले रिपोर्ट आ जायेगी, फिर बोलने दूंगा । अभी बैठें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

[x x x]

नोट:– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप लोग बैठें ।

श्री शारदा प्रताप–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप सब लोग बैठें । किसी की कोई बात नहीं लिखी जायेगी । मेरी बगैर अनुमति के कोई बोलेगा, तो उनकी बात लिखी नहीं जायेगी । जब तक उस पर रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक कोई बात सुनी नहीं जायेगी ।

(श्री विजय सिंह राणा, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री माता प्रसाद पाण्डेय आदि सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप सब लोग बैठें । चर्चा चलवाइये, नहीं तो समय निकल जायेगा ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मुझे अपना स्पष्टीकरण देने का मौका दें, इन्होंने मेरा नाम लिया है, मेरे ऊपर आरोप लगाया है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

उन्होंने बगैर अनुमति के बोला है, उनकी कोई बात लिखी नहीं जायेगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जब आपने कह दिया कि मार्शल की रिपोर्ट आ जायेगी तब उससे स्थिति से सदन को अवगत करा दिया जायेगा । मान्यवर, इसी बीच में माननीय सुरेन्द्र नाथ अवस्थी जी खड़े हुए, आपने उन्हें कृपा पूर्वक सुन लिया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने नहीं सुना ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय अवस्थी जी ने माननीय शारदा प्रताप जी पर आरोप लगाया कि वे गार्डों से लड़ रहे थे । जब उनका नाम आ गया तो आपका फर्ज हो गया है कि आप शारदा प्रताप जी को भी मौका दें । माननीय अवस्थी जी की बात कार्यवाही में रिकार्ड हो गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर उनका नाम गलत तरीके से लिया गया है, तो कोई चीज नहीं लिखी जायेगी और कोई आरोप नहीं माना जायेगा । इस संबंध में मैं अपना निर्णय पहले ही

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

दे चुका हूं । पहले रिपोर्ट आ जायेगी, उसके बाद ही कोई बात होगी । कार्यवाही के अन्दर अगर कोई ऐसा आरोप होगा, तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

*श्री विजय सिंह राणा–

अधिष्ठाता महोदय, आप संसदीय कार्य मंत्री जी से कहें कि इन लोगों को यह सिखायें, कि पार्लियामेंटेरियन प्रोसीजर क्या होता है ? जब हम लोग वहां तक नहीं गये । आपने भी कहा कि दर्शक दीर्घा के अंदर होने वाली गतिविधियों पर यहां चर्चा नहीं हो सकती, तो मान्यवर, मैंने इन लोगों को खड़े होकर रोका, लेकिन उसके बाद ही सत्ता पक्ष की तरफ के लोग, इस तरह, इस बात को उठा रहे हैं, यह बहुत ही निन्दनीय बात है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि संसदीय कार्य मंत्री से कहें कि यह जो दिन भर मेजें थपथपाया करते हैं, इनको सहूर सिखावें ।

(श्री शारदा प्रताप के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

शारदा प्रताप जी, आप बैठें । अगर कोई इस तरह की बात होगी, तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जैसा कि आपने निर्देश दिया कि मैं संक्षेप में अपनी बात कहूं, क्योंकि कई माननीय सदस्य भी अपनी बात कहना चाहते हैं, इसलिए मैं संक्षेप में ही अपनी बात कह रहा हूं । मान्यवर, राष्ट्रीय बायो गैस की योजना, धूमरहित चूल्हे की योजना आदि कई योजनायें हैं, जो ग्राम विकास के माध्यम से चलाई जा रही हैं । मान्यवर, आज गांवों में ईंधन की समस्या है । जो हमारी महिलायें गांवों में खाना बनाती हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है । क्योंकि मान्यवर, आप देख ही रहे हैं कि आज तमाम पेड़ काट डाले गये हैं । इसलिए हमने यह बायोगैस की योजना शुरू की है, इसलिये इसको हम विकसित करके चाहते हैं कि ईंधन की समस्या का समाधान हो सके । इसके अतिरिक्त इसके माध्यम से जो हमारी गांव की खाना बनाने वाली महिलायें हैं, उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसलिए हम इस योजना को चला रहे हैं ।

मान्यवर, आपको भी जानकर खुशी होगी, कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश ने बायोगैस योजना में प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त किया है । मान्यवर, आज ग्राम्य विकास कार्यक्रमों में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, और उनमें जो काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके लिए आज आवश्यकता इस बात की है कि जब हम नई-नई परियोजनाएं चला रहे हैं, नए-नए कार्यक्रम दे रहे हैं तो जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी इन योजनाओं को क्रियान्वित करने जा रहे हैं, वह इन योजनाओं से पूर्ण रूप से परिचित हों कि किस तरह से इन योजनाओं की प्लानिंग हो, किस तरह से इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट फील्ड में किया जाए । जब तक हम उनको प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तब तक ये अधिकारी व कर्मचारी सुचारु रूप से इन योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर सकेंगे । इसी उद्देश्य से हमने ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना की है और इस संस्थान को हम और सुदृढ़ करना चाहते हैं । हम यह चाहते हैं कि संस्थान में जो हम ट्रेनिंग देते हैं, उसमें ट्रेनिंग देने वाले लोग बहुत एक्सपर्ट्स होने चाहिए और जिला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्तर पर, ब्लाक स्तर पर और ग्राम स्तर पर जो अधिकारी उसमें काम कर रहे हैं या ए0 डी0 ओ0 अथवा बी0 डी0 ओ0 हैं, उनको मुकम्मल ट्रेनिंग मिल सके। उन सभी को हम इस संस्थान के माध्यम से ट्रेनिंग देते हैं । इसके अतिरिक्त मान्यवर, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र मण्डल स्तर पर बनाया गया है, जहां अन्य अधिकारियों को ट्रेनिंग दिलाई जाती है । इसको भी सुदृढ़ करने की दिशा में हमने कदम उठाया है और राष्ट्रीय ग्राम्य विकास संस्थान के निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जो अपनी रिपोर्ट जल्दी ही दे देगी कि किस तरह के हम कदम उठायें कि प्रशिक्षण की व्यवस्था ठीक ढंग से हो सके । 1987-88 का वर्ष जो हमारा समाप्त हो रहा है, उसमें 1786 का लक्ष्य रखा गया था इन संस्थानों के माध्यम से अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का । आपको जानकर खुशी होगी कि हमने 2410 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया । दो अन्तर्राज्यीय गोष्ठियां आयोजित की गई और एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यदि कोई नीति विषयक बात है तो माननीय मंत्री जी बतायें। विवरण पुस्तिका तो हमारे पास है ही ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

लघु और सीमान्त कृषकों को लाभ देने के लिए फ्री बोरिंग की योजना पूरे प्रदेश में चल रही है । आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारा लक्ष्य 61 हजार का था, जिसे बढ़ाकर हमने 65 हजार किया और जनवरी माह तक हमने वह 65 हजार का लक्ष्य पूरा कर दिया है । अगले वित्तीय वर्ष में भी हमने 61 हजार का लक्ष्य रखा है। हम भारत सरकार के साथ बात-चीत करके कोशिश कर रहे हैं कि इसे एक लाख के आस-पास पहुंचाया जाय, जिससे छोटे किसानों को पानी की सुविधा मिल सके । फ्री-बोरिंग में जो किसान पम्प सेट लगाते थे, यह शिकायत होती थी कि किसान से दुकानदार ज्यादा मूल्य लेता है और उसे एक पर्टिकुलर दुकान से इन्जन खरीदने को कहा जाता था, लेकिन अब हमने यह कर दिया है कि वह कहीं से भी इन्जन खरीद सकता है किन्तु वह आई0 एस0 आई0 मार्क के होने चाहिए ।

मान्यवर, हमारे मित्र श्री राणा साहब व अन्य माननीय विधायक पेयजल की समस्या खासतौर से खारे पानी का जिक्र कर रहे थे । हम भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन को सुदृढ़ करने जा रहे हैं । हम यह चाहते हैं कि प्रदेश के जहां भी पानी की समस्या है । चाहे गहरे पानी की समस्या हो, खारे पानी की समस्या हो, इसका सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाय और उसे प्रत्येक किसान को बताया जाय कि किस तरह से वह बेहतर तरीके से पानी का उपयोग कर सकते हैं । खारे पानी का इस्तेमाल वह सिंचाई के लिए कैसे कर सकते हैं और किस स्ट्राटा तक उन्हें बोरिंग करनी चाहिए आदि-आदि । शासन के पास कई प्रस्ताव आए हैं । शासन स्तर पर इस संबंध में विचार हो रहा है, शीघ्र ही इस पर निर्णय हो जायेगा ।

पंचायती राज के ऊपर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। पंचायती राज की जो व्यवस्था है, इसे सुदृढ़ करने की जरूरत है । जिला परिषदों के चुनाव नहीं हो पाए

हैं, किन्तु गांव सभाओं का चुनाव जून तक करा दिया जायेगा । क्षेत्रीय समितियों का चुनाव कराकर जल्दी से जल्दी जिला परिषदों का गठन हो जाय इस पर सरकार का तत्परता से काम हो रहा है । गांव सभाओं को अधिकार दे दिया गया है कि एक लाख से कम रुपए का काम गांव सभाएं स्वयं करा सकती हैं, उन्हें पूरी छूट है । और इसके अलावा अभी जो अनुदान दे रहे थे गांव सभाओं को खड़न्जे के लिए, नाली के लिए, इसमें 25 प्रतिशत गांव सभाओं को लगाना पड़ता था, 75 प्रतिशत सरकार देती थी, कहीं-कहीं तो 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत का रेशियो था । इसमें भी काफी कमी कर दिया गया है । पूरी लागत का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जायगा और गांव सभा को 10 प्रतिशत खड़न्जा और नाली पर लगाना होगा ।

युवा कल्याण विभाग जो है यह भी बहुत अच्छा काम कर रहा है । युवक मंगल दल का गठन हर जिले में, हर ब्लाक में और गांवों में कराया जा रहा है । आपको जानकर खुशी होगी कि युवा वर्ग में सामूहिक चेतना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ युवक मंगल दल को विवेकानन्द यूथ एवार्ड दिया जा रहा है और इस वर्ष यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में महिला मंगल दलों को भी विवेकानन्द यूथ एवार्ड अलग से दिया जायगा । अभी आपने देखा कि भारतीय स्वाधीनता की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित भारत सोवियत युवा समारोह के संबंध में विभाग ने उत्तर प्रदेश में रूसी युवा दल के समस्त कार्यक्रम अत्यन्त सफलता से आयोजित कराये । भारत सरकार द्वारा इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से लखनऊ, मसूरी तथा उत्तरकाशी में युवा छात्रावासों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ।

एक चीज और कहकर बात समाप्त करूंगा । इतना बड़ा कार्यक्रम इस विभाग द्वारा हो रहा है, जिसमें कि इतने कर्मचारी अधिकारी तैनात हैं । कहीं-कहीं काम को सुचारु रूप से चलाने में शिकायतें भी मिलती हैं । जब भी शासन को जानकारी होती है कि किसी कर्मचारी या अधिकारी ने गलती की है, शासन ने तत्परता के साथ कार्यवाही की है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा गुणवत्ता में सुधार आए और कार्य सुचारु रूप से हों, इसको सुनिश्चित करने के लिए टी0ए0सी0 शासन स्तर पर गठित की गयी है, जिसके जरिए जहां भी शिकायत मिलती है जांच कराकर तत्परता से कार्यवाही की जाती है । वर्ष 1987-88 में जो शिकायतें आयीं, जांच करायी गयी, उसमें 2 अधिशासी अभियंता, 3 सहायक अभियन्ता तथा 28 अवर अभियन्ताओं को निलम्बित किया गया, 4 अधिशासी अभियन्ताओं, 10 सहायक अभियन्ताओं को एवं 30 अवर अभियन्ताओं को चेतावनी दी गयी तथा 3 सहायक अभियन्ताओं को एवं 28 अभियन्ताओं को सेंसर भी किया गया, 7 अवर अभियन्ताओं की वेतन वृद्धियां रोकी गयीं और 5 के विरुद्ध वसूली के आदेश पारित किए गए । इसके अतिरिक्त 3 अधिशासी अभियन्ताओं, 5 सहायक अभियन्ताओं तथा 4 अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए गए ।

इसी तरह से आर0 ई0 एस0 विभाग में बड़े पैमाने पर जहां भी शिकायत मिली है, जांच करायी गयी है, चाहे अधिशासी अभियन्ता हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही

की जा रही है । एक जिला विकास अधिकारी, जो क्लास एक का अधिकारी होता है, उन्हें भी निलम्बित किया गया है ।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मैं कह रहा था. . .

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा कि अभियन्ताओं को और जूनियर इन्जीनियर्स को सस्पेंड किया गया तो क्या मा0 मंत्री जी बतलायेंगे कि कितने ए0 डी0 एम0 (पी) और बी0 डी0 ओ0 को भी सस्पेंड किया गया ?

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था नहीं है, आप बैठिए ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

माननीय विधायक इलाहाबाद, मैं वही बतलाने जा रहा हूं कि ग्राम्य विकास में एक परियोजना निदेशक को और एक जिला विकास अधिकारी को निलम्बित किया गया है । 15 बी0 डी0 ओ0 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है । 8 खण्ड विकास अधिकारी को इस वर्ष अनिवार्य रूप से सेवा से निवृत्त कर दिया गया है । इसकी पूरी सूची मेरे पास है, सबको बतलाऊंगा तो समय बहुत लगेगा । हमें जहां से भी शिकायतें मिल रही हैं, हम कार्यवाही कर रहे हैं, आगे भी जो मिलेंगी हम उन पर कार्यवाही करेंगे, हम कार्यवाही करने में हिचक नहीं रहे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ग्राम्य विकास के महत्वपूर्ण बजट को आप लोग सर्वसम्मति से स्वीकार करें ।

श्री मित्रसेन–

माननीय अधिष्ठाता जी, पहले मैं कटौती का प्रस्ताव आपकी अनुमति से प्रस्तुत कर रहा हूं कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी अपना ग्राम्य विकास का बजट रखा क्योंकि समय कम है, ज्यादा आंकड़ों में जाने का मौका नहीं है । पूरे उत्तर प्रदेश का बजट है 86 अरब और 74 करोड़ का जिसमें से इनको 17 प्रतिशत मिला है ।

बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है चार बजे से विनियोग विधेयक पास होना था । मेरा अनुरोध है कि 6 बजे तक इस बजट की चर्चा को बढ़ा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि विनियोग विधेयक के पास होने का समय आज चार बजे शाम का रखा गया था, तो क्या बजट पर होने वाली चर्चा का समय 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक की अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) अनुदान संख्या–19 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)...(क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया आप लोग शान्ति बनाए रखें । मा0 मित्रसेन जी आप अपनी चर्चा जारी रखें ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश के बजट से ग्राम्य विकास के बजट को 17 प्रतिशत मिला है । इस विभाग के पास काम बहुत है जिसे समय कम होने की वजह से गिनाया नहीं जा सकता है । बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे गांव की गरीबी दूर करना चाहते हैं, गांव का विकास करने जा रहे हैं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे वाले हैं और पूरे प्रदेश की आबादी 13 करोड़ है । सभी प्रदेशों के मुकाबिले में उत्तर प्रदेश में एक या दो प्रदेशों को छोड़कर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या यहां पर अधिक है । शायद बिहार भी इससे पीछे है और हमारा उत्तर प्रदेश उससे आगे है। इस तरीके से आमदनी के नाम पर जो करीब–20-21 स्टेट हैं, उनमें हमारा 19वां नम्बर है । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी अपने बजट को प्रस्तुत करते समय गरीबी से ऊपर उठाने के कार्यक्रमों को बताया और जो लक्ष्य प्रति वर्ष उठाने का उन्होंने रखा है, उसे तो देखकर यही मालूम होता है हर पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष 6 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठायेंगे तो आप स्वयं हिसाब लगा लीजिए कि इन्हें 5 करोड़ लोगों को ऊपर उठाने में कितना समय लगेगा, मैं समझता हूं कि यदि इस तरह से किया गया तो यह उस समय पूरा हो पायेगा जब मा0 मंत्री जी यहां रहेंगे और न ही यह सरकार ।

दूसरे अभी हमारे सामने जो बात मा0 मंत्री जी ने रखी कि पूरे प्रदेश में 33,26,800 लोग बेरोजगार हैं और इन्हें रोजगार दिलाने के लिए जो कार्यक्रम बनाये गये हैं या योजनाएं जैसे ट्राइसेम योजनाएं आदि चलाई जा रही हैं, इन योजनाओं द्वारा हमारे यहां जितने लोग चाहे वह गांवों में बसने वाले लोग हों, या शहरों में साधन विहीन लोग हैं, असमर्थ लोग हैं, उनके हाथों को रोजगार देकर उनकी तरक्की यदि आप करना चाहते हैं, उनको स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं और आत्म-निर्भर बनाना चाहते हैं तो यह जो योजनाएं आपने बनाई हैं अगर यह सही रूप में काम करें और अपने असली उद्देश्य को पहुंचे तो हम लोग समझेंगे कि आप सफल हुए और आपको कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुयीं, लेकिन यदि इन योजनाओं के कार्यक्रम और इनसे प्राप्त होने वाली उपलब्धियों को यदि व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो आपको मालूम हो सकेगा कि इस हिसाब से इन आंकड़ों की कहीं कोई सच्चाई नहीं है, जिन आंकड़ों का उल्लेख मा0 मंत्री जी ने रखा है। जैसा गरीबी-रेखा से ऊपर उठाने की बात को ही ले लीजिए, इसमें जिन लोगों को ऋण दिया जाता है, लाभांवित करने के उद्देश्य से लेकिन उसमें से जो छूट होती है जिन पैसों की यह सारा पैसा उनके लोग खा जाते हैं, बाकी जो पूंजी होती है, वह उनको मिलती है और केवल इस पैसे से उनका काम पूरा नहीं हो पाता है, इस तरह के तमाम उदाहरण हैं।

अभी तमाम मा0 सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की जानकारी इस संबंध में देंगे, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के दो ब्लाक-प्रमुखों की स्पष्ट जानकारियां आपके सामने रखना चाहता हूं। एक है मिल्कीपुर विकास खण्ड के ग्राम कहुआ के 19 हरिजन लोगों ने लाभान्वित होने के लिए 1983-84 में ऋण के लिए प्रार्थना-पत्र दिया बैंक को संबंधित ग्रामीण बैंक की शाखा व गायदोपुर के विकास अधिकारी व बैंक मैनेजर से मिलकर तीसरे आदमी ने जो ग्राम पछौरा और ग्राम गायदोपुर के ही थे 1 लाख रु0 बैंक से निकाल लिया और इन गरीब लोगों को इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी, जानकारी जब हुयी जब उनके नाम से आर0 सी0 कटी और उनके नाम बैंक से नोटिस गया। इसी प्रकार से हरिगटन विकास खण्ड ब्लाक के 700 लोगों को लाभान्वित करने के लिए कहा गया, जब इस बारे में मालूम किया गया तो जानकारी मिली की 90 प्रतिशत लोगों का कोई काम नहीं हुआ और 50 प्रतिशत लोगों पर फर्जी कर्जे निकले तो इस प्रकार की उपलब्धियां आपके विभाग की हैं लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की, मा0 मंत्री जी इन बातों की ओर बड़ी कड़ाई से ध्यान देना चाहिए और मेरे ख्याल से जो कार्यक्रम आपने लोगों के उत्थान के बनाए हैं अगर इसी गति से काम हुआ तो मैं समझता हूं कि अगर आप आसमान से इस धरती पर नहीं उतरेंगे तो आज जो यह गरीबी की रेखा से नीचे के जो लोग हैं, सभी को तो आप ऊपर कभी उठा नहीं सकते, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को लाभ होगा, लेकिन यह योजना आपकी खामख्याली है और आप लोगों को ऊपर नहीं उठा सकते हैं और दूसरी जो योजनायें चल रही हैं, जिनका जिक्र किया गया है, उनको देखने से ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश के अन्दर 10 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो राष्ट्रीय सम्पत्ति का 50 प्रतिशत भाग उपभोग कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि 10 परिवार हैं, जो राष्ट्रीय

सम्पत्ति का आधा भाग उपयोग कर रहे हैं और इसके विपरीत 40 प्रतिशत हैं, जो 15 प्रतिशत राष्ट्रीय संपत्ति पर निर्भर करते हैं । पूरे उत्पादन और लाभ का फायदा कुछ लोगों के पास जा रहा है ।

आपने जो आंकड़े पेश किये हैं, उसके अनुसार 10 वर्षों में पूर्व 51 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे रहे हैं, अब 41 प्रतिशत रह गये हैं और अगली योजना में 35 प्रतिशत पहुंच जायेंगे, 6-7 प्रतिशत और कम हो जायेंगे, लेकिन यह सभी कागजी आंकड़े हैं । इन आंकड़ों से दूसरे विभागों का परीक्षण करें तो मालूम हो जायेगा कि गरीबी ग्राम्य विकास के कार्यक्रमों से नहीं कम हुई है, बल्कि कृषि में कुछ विकास हुआ है और उसके कारण लोग आत्म निर्भर हुये हैं, जो गरीबी सीमा रेखा घटी है, वह ग्राम्य विकास से नहीं घटी है, कृषि उत्पादन से घटी है । यह इनकी पुस्तिका है, ग्राम्य विकास कार्यक्रम का मासिक प्रगति प्रतिवेदन, जो इन्होंने प्रकाशित किया है, शारदा प्रसाद पंचायती राज विभाग में अपर आयुक्त हैं, इन्होंने दिसम्बर में इसको प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 35 जनपदों की प्रगति में 58 प्रतिशत से कम हुई है और कुछ जनपद ऐसे हैं जहां से रिपोर्ट नहीं मिली है । इसके साथ ही साथ इन आंकड़ों की समीक्षा की गयी है और इनमें से कई एक के ऊपर टिप्पणी की गयी है, जिसको माननीय मंत्री जी बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत नवम्बर 1987 तक 4548.62 लाख रुपये के संसाधनों का व्यय जो वित्तीय लक्ष्य का मात्र 23 प्रतिशत अथवा उपलब्ध संसाधनों का 36 प्रतिशत है ।

इसके अलावा मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत जो धन दिया गया था और उसके अनुसार जो कार्य दिवस सृजित किये गये हैं वह 79.47 लाख मानव दिवस हैं और यह बताया गया है कि औसतन प्रतिदिन कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या 127779 है । इसका तात्पर्य है कि 2 प्रतिशत भी 2 प्रतिशत मानव दिवस दिसम्बर तक सृजित नहीं किये गये और कहा है कि 65 प्रतिशत और 70 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है । यह मेरी पुस्तिका नहीं है, आपकी पुस्तिका है। इसकी मानिटरिंग से साफ जाहिर होता है कि कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है, केवल 2-4 जनपदों को छोड़कर कहीं पर भी कार्य पूरा नहीं हुआ है । मान्यवर, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, ट्राइसेम योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, ग्रामीण हरिजन पेयजल योजना, ग्रामीण निर्बल वर्ग आवास योजना जो इन्होंने चलायी हैं, इस कार्यक्रम के जरिये मालूम होता है कि ग्राम्य विकास कोई राम बाण है जिससे सभी औषधि मिलती है और उससे सारी बेकारी, सारी समस्यायें दूर हो जायेंगी ।

मान्यवर, ग्राम्य विकास के पीछे जो मकसद था, जैसा कि महात्मा गांधी ने कल्पना की थी कि पंचायती राज अगर गांवों में कायम होगा तो राम राज आयेगा । नेहरू जी ने भी कहा था कि हम गांवों का विकास करेंगे । लेकिन हमें लगता है आज ग्राम विकास के नाम पर ग्राम्य विनाश कार्यक्रम चल रहा है। गांवों के जो लोग बेइमानी नहीं जानते थे, ईमानदार थे, आपस में कोआपरेशन था, तमाम काम मिल जुल कर किया करते थे उन गांवों के गरीब लोगों को, फटेहाल लोगों को आज आपने बेइमानी सिखा दी,

उन्हें भ्रष्टाचार में शामिल कर दिया । वे आज हर तरीके से भ्रष्टाचार में कस गये हैं । अपनी नीतियों और ऊपर की बेइमानी को जमीन पर उतारकर सीधे सादे किसानों को बेइमान बना रहे हैं । चाहे बैल खरीदना हो, भैंस खरीदनी हो, बकरी खरीदनी हो, मुर्गा खरीदना हो, छूट के नाम पर उनको लूटा जा रहा है । इसको रोकने में आप असफल हैं । इसलिये इस विभाग के जरिये जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उसमें हम लोगों को बताया गया कि कम से कम भूमिहीनों को इस गारन्टी योजना के अन्तर्गत 100 दिन एक परिवार के लोगों को काम दिया जाय और उसके बदले उनको अनाज और पैसा दिया जाय । इस तरह से जो मानव दिवस सृजित होंगे उससे वहां के बेसहारा लोगों को काम मिलेगा । देखने में तो यह गारन्टी योजना बहुत अच्छी है लेकिन भूमिहीन गारन्टी योजना के अन्तर्गत उन्हें मजदूरी नहीं मिल पा रही है । कहा जा रहा है कि वे मानक पूरा नहीं कर रहे हैं । मान लीजिये 10 वर्गफिट वह एक गड्ढा खोदता है तो उससे 100 घनफिट मिट्टी निकली । उसके लिये उसे 13.50 रुपये आप देंगे । यह सब ठेकेदारी से काम हो रहा है । इस मानक से उनको न मजदूरी मिल पा रही है और न पूरा पैसा ही मिलता है । आपने कहा कि हम मानव दिवस सृजित करके उनको काम देंगे । उससे कम काम जो करेंगे उनको भी यही 13.50 रुपया देंगे और जो इससे ज्यादा करेंगे उनको भी यही मजदूरी देंगे ? कोई चीज निर्धारित नहीं की गई है । नतीजा यह हो रहा है कि काम के बदले अनाज देने की योजना में ठेकेदार लोग उससे फायदा उठा रहे हैं । इसको आप जांच करा लें । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वयं ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आये हैं । उन्हें अपने क्षेत्र की हालत स्वयं मालूम होगी । अपने सीने पर हाथ रखकर मंत्री जी स्वयं कह दें कि उनके क्षेत्र में जो कार्यदायी संस्थायें हैं वे काम के बदले अनाज नहीं दे रही हैं । आप स्वयं देखें कि जो चावल 200 रुपये में है उसको 300 में बेच रहे हैं, दुगुना मुनाफा ले रहे हैं ।

ट्राइसेम योजना में आपने सभी ब्लाकों में 40 लोगों को ट्रेनिंग देने के लिये लक्ष्य दिया । उनको स्टाइपेन्ड भी देते हैं । लेकिन जो लोग उपस्थित नहीं रहते हैं, गांवों में रहते हैं, ऐसे दो तरह के लोग हो सकते हैं एक तो टाइपिस्ट और दूसरा कपड़ा सिलाई वाला-इन दोनों के अलावा कोई अन्य ट्रेड में सिखाने वाला नहीं रहता है । इस तरह से आपकी ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत ट्रेनिंग हो रही है । इस योजना में लोगों को रोजगार देने में आप असफल हो रहे हैं ।

इसी तरह से आपकी एक समादेश क्षेत्रीय विकास परियोजना चल रही है, शारदा सहायक परियोजना है, गंडक परियोजना है, यह तीन ऐसी परियोजनायें हैं जिनके जरिये किसानों के खेतों को पानी पहुंचाने के लिये नालियां बनाने का कार्यक्रम शुरू किया गया । नतीजा यह हुआ कि न तो किसान से पूछा गया और न उनकी सलाह ली गयी पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा लेकिन सिंचाई का पैसा हमसे ले लेंगे । पक्की नालियां जो बनाई थी वह गिर गयी और पानी जाना बन्द हो गया । इस योजना के अंतर्गत किसानों पर एक अरब रुपया बकाया है। लोग इसके खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे ले आये हैं। आपने बगैर हमारी अनुमति के पक्की नालियों के नाम पर कच्ची नालियों से जिससे किसान पहले पानी ले जाता था उनको भी बन्द कर दिया और पक्की नालियां खराब होने से टूट गयी हैं । इस प्रकार से किसानों को लूट लिया गया है । किसान नहरों से किसी तरह से

पहले पानी ले जाता था वह भी खतम कर दिया है । इस प्रकार ग्रामीणों का शोषण करके उनकी गाढ़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं।

इसी तरह से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग भी आपका एक ढोंग है । इसमें जो हमने देखा है या अनुभव किया है कच्ची सड़कों का निर्माण इस विभाग के द्वारा होता है उसका कोई पुनरीक्षण नहीं होता है और न ही काम का कोई मानक उसका रहता है जैसे चाहा बना दिया मिट्टी कितनी डालनी है उसका भी कोई मानक नहीं है और न सड़क बनने के बाद उसकी मैन्टीनेंस होती है । पिछले सत्र में हमने इनके मुख्य अभियंता के खिलाफ बातें कही थी । उसमें 1984 में अवर अभियंताओं की नियुक्ति को लेकर हंगामा हुआ था और एक कार्यस्थगन के जरिये प्रस्ताव भी विधान सभा में आया था उसको माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया था और उसमें शीतला शरण द्वारा, टेक्निकल सेल द्वारा जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट भी माननीय मंत्री जी को प्राप्त हो गयी है लेकिन संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । ऐसा लगता है कि इनका उनके साथ समझौता हो गया है । उस समय माननीय मंत्री जी भी इसके खिलाफ थे और माना था कि गलत काम हुआ है और उनकी जानकारी में यह नहीं लाया गया और जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्ति कर दी गयी, माना था कि इसमें गड़बड़ी हुई है और पैसा लिया गया है । लेकिन अब माननीय मंत्री जी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं । मैं नाम पढ़ना नहीं चाहता हूं समय भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है दर्जनों ऐसे अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता हैं जिनके खिलाफ लाखोंलाख रुपयों की गड़बड़ी करने के आरोप हैं और जांच के बाद वह प्रकाश में भी आ गये हैं लेकिन सारे मामले लम्बित पड़े हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है । आप हमेशा यहां नहीं रहेंगे लेकिन जिस शासन में आप बैठे हैं उसकी छवि और उसकी शक्ल क्यों बरबाद करने में लगे हैं क्यों गलत काम कर रहे हैं । एक समय आयेगा आप यहां से चट पट चले जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय यादव जी आप संक्षेप में चलें ।

श्री मित्र सेन–

मैं थोड़े समय में समाप्त करता हूं । मैंने जैसे कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा यह तमाम लोग हैं इस पत्र को मैं आपको दे दूंगा माननीय मंत्री जी इसमें बड़ी बड़ी इम्पार्टेन्ट शिकायतें हैं । इन शिकायतों को सदन में भी उठाया जा चुका है और जांच भी हो चुकी है इस पर आप कार्यवाही करें ।

इनके आर0 ई0 एस0 विभाग में ऐसे लोगों को पदोन्नति दे दी गयी जो उसके पात्र नहीं थे वह लोग सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता हो गये, अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता हो गये लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पात्र हैं उनको पदोन्नति नहीं दी गयी । जो पात्र हैं मैरिट में आते हैं उनको पदोन्नति मिलनी चाहिये । मेरा अनुरोध है कि आर0 ई0 एस0 विभाग को एक स्वतंत्र संगठन बनाकर उसके लिये अलग से बजट एलाट करें। चूंकि ग्राम विकास के तहत वह विभाग काम करता है, इसलिए इसका बजट मार्च तक नहीं मिलता है और यूटीलाईज नहीं होता है, अतः आर0ई0एस0 विभाग को सुदृढ़ यदि आप बनाना चाहते हैं तो ग्राम विकास से उसको अलग करके, अलग संगठन बनाकर बजट समय से देने की कृपा करें।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में बड़े-बड़े कुछ जिलों में इनके आई0 ए0 एस0 सी0 डी0 ओ0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारी ए0 डी0 एम0 पी0 हो जाते हैं, विभाग से पदोन्नति करके आने वाले हैं, ए0 डी0 एम0 डी0 ही हो पाते हैं, इस तरीके से एक पद के तीन नाम रखे गये हैं। आई0 ए0 एस0–सी0 डी0 ओ0 होकर विभाग में आयेगा, पी0 सी0 एस0 को ए0 डी0 एम0 (पी) और विभागीय अधिकारियों को पी0 डी0 का पद नाम देते हैं। इसी तरह से परियोजना निदेशक और सहायक आयुक्त और अपर आयुक्त, तीन प्रकार के होते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है, पद एक है लेकिन उनको डिग्री के लिहाज से केटगराइज किया गया है। मान्यवर, हमारे यहां श्री सुनील अग्रवाल सी0 डी0 ओ0 हैं, उनका लगाव रुचि विभाग से नहीं है क्योंकि वह जानते हैं कि आज सी0 डी0 ओ0 हैं, कल कुछ और होंगे, इसलिए विभाग के प्रति उनकी रुचि नहीं है। हमारे जिले में सी0 डी0 ओ0 ने जो काम किया उसमें असंतोष है जो पैसा भेजा गया उसको वह समय से रिलीज नहीं किया, फाइल को एक-दो महीने घुमाते रहते हैं, वही डी0 आर0 डी0 ए0 के उपाध्यक्ष होते हैं, कमेटी के निर्णय होने के बाद जो उसके फैसले होते हैं उनको अमल में लाने के लिये सी0 डी0 ओ0 स्वतंत्र होता है, उस पर कोई अंकुश नहीं होता है, इसलिए सी0 डी0 ओ0 की इन कामों पर नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।

मान्यवर, इसी तरह से प्रदेश में 895 ब्लाक कुल हैं इनमें कम से कम 600 ए0 डी0 ओ0 ऐसे जो पदोन्नति पाने लायक हैं लेकिन उनकी एडहाक नियुक्ति की जाती है और बाद में उनको रिवर्ट कर दिया जाता है। इसी तरह से बी0 डी0 ओज0 के दो वेतनमान हैं जिनमें भिन्नता है, इसलिये उस विषमता को दूर करने की कृपा करें।

मान्यवर, बायोगैस, गोबर गैस बनाने के लिए इस कार्यक्रम में आप चार हजार रुपये देते हैं जिसमें लोग छूट के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन आपकी कहीं कोई टीम है, कोई जांच एजेंसी है जो सर्वे करे और पता लगाये कि किसी एक ब्लाक में जो गोबर गैस, बायो गैस प्लान्ट बने हैं उनमें कितने ठीक से चल रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह गोबर गैस, बायो गैस आज 90 प्रतिशत फेल हैं। आप सत्ता पक्ष में बैठे माननीय सदस्यों के अनुभव उपलब्धियों के बारे में जान सकते हैं, लेकिन मेरा अनुभव और जानकारी जो है उसके अनुसार आपकी यह स्कीम फेल है।

मान्यवर, युवा कल्याण की बात कही गयी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनसे आप जो भर्ती करें उसमें आप पुलिस विभाग से उनके कैरेक्टर की तस्दीक अवश्य करायें चूंकि आपके झण्डे के नीचे आकर वह गलत लोग प्रोत्साहन पाते हैं और फिर बाद में गलत काम करते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री मित्रसेन–

आप समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए कुछ बातों को मैं बाद में प्रस्तुत करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। आप अधिष्ठाता महोदय काफी पुराने हैं और पुराने सदस्य भी हैं, आप चारों तरफ देखते रहते हैं। मान्यवर, आज तक कभी भी इस सदन के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि दर्शक दीर्घा से अगर किसी आदमी ने अभद्र व्यवहार किया है, पर्चेबाजी या नारेबाजी की है तो वहां सबके सामने गार्डों द्वारा उसकी पिटाई होती रहे और यह सदन देखता रहे। आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, लेकिन यह जो है निहायत अनुचित है।

श्री अधिष्ठाता–

मुझे सिर्फ यह कहना है, मैंने कहा है कि रिपोर्ट आ जाए तो यदि आपको उस पर कुछ कहना है तो उस समय आपको कहने का मौका मिल जाएगा। इसमें जो मकसद है वह नहीं होना चाहिए। इस पर मैं पहले निर्णय दे चुका हूं। (व्यवधान) रिपोर्ट आ जाए तो उस समय जो कुछ आप कहना चाहें, कह सकते हैं।

श्री नारायण हरि शर्मा–

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आपका मैं आभारी हूं, जो आपने मुझे . . .

श्री अधिष्ठाता–

यह विषय बड़ा अहम् है, बहुत सदस्य बोलने वाले हैं, इसलिए मैं 5 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं दे पाऊंगा।

*श्री नारायण हरि शर्मा–

ग्राम्य विकास विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय मंत्री जी ने जो ग्राम्य विकास का बजट प्रस्तुत किया है, यह बहुत महत्वपूर्ण बजट है। यह निर्बलों और गरीबों को उठाता है, उनके विकास की दिशा निर्धारित करता है। उन्होंने अपने बजट में जो दो-चार महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, उनसे बजट की महत्ता और बढ़ी है। उन्होंने लाभार्थियों के लिए जो अब तक 5 हजार रुपये की धनराशि की ऋण सीमा थी, उसको बढ़ाकर 10 हजार रुपया करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे लाभार्थियों को बहुत फायदा होगा और विकास की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इन्होंने पेयजल योजना में जो 65 हजार हैण्ड पम्पस लगे थे, सूखे के विभीषिका की स्थिति को देखते हुए जो एक लाख हैण्ड पम्प्स और अन्य साधनों का जिक्र किया है, उससे भी इस बजट की महत्ता बढ़ी है। उन्होंने ग्रामसभाओं के चुनावों की घोषणा करके और उसके बाद विकास खण्डों के प्रमुख और जिला परिषदों के चुनावों तक इसको ले जाकर सच्चे प्रजातन्त्र को रूपरेखा रखने की जो घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है।

मान्यवर, जो ग्राम सभाओं हेतु आपने नई नीति निर्धारित की है–अब तक खड़ंजे और नाली का 60 और 40 के अनुपात का प्राविधान था वह बढ़कर 25 और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

75 का हुआ और आज जो यह घोषणा की कि ग्राम सभाओं को 90 प्रतिशत अनुदान मिलेगा और केवल 10 प्रतिशत उनको रुपया लगाना पड़ेगा, से ग्रामों का बहुमुखी विकास होगा। इससे ग्रामसभाओं में बहुत काम होगा और उनको एक नई जिन्दगी मिलेगी। जहां आपने ग्रामसभाओं का इस तरह विकास किया है और लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, उनके सम्बन्ध में मेरा आपसे सुझाव है कि जो लाभार्थियों को आज लाभ मिल रहा है, उसमें जो अनुदान की प्रथा है, उसके बारे में मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रथा को समाप्त कर दें और उसको समाप्त करके बिना ब्याज के ऋण लाभार्थियों को आप दें, तो उसको सही मायने में लाभ होगा और आपकी इस योजना को बहुत सफलता मिलेगी। मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो अनुदान का रुपया है वह बैंक मैनेजरों या अन्य प्रभावशाली लोगों की जेबों में चला जाता है, लाभार्थियों के पास नहीं जाता है। तो प्रश्न होता है कि वह बैंक के ब्याज और धन की किश्त कहां से दें? उस ब्याज का आप उसको रुपया दें लम्बी किश्त के लिए तो उसका बहुत फायदा होगा।

दूसरा सुझाव एक ग्राम पंचायत के बारे में है, 95-जी का एक हथियार उसके हाथ में है। यह मैं मानता हूं कि वित्तीय अधिकार है, लेकिन जहां लेखपाल भी गड़बड़ी और अनियमितता में शामिल हो तो उसको भी दण्ड दिया जाना चाहिए। इस तरह की आप व्यवस्था करेंगे, तो बहुत कम गड़बड़ी और अनियमितता की घटनाएं होंगी और ऐसे केसेज देखने को नहीं मिलेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

पांच मिनट हो गये हैं अब आधा मिनट में अपनी बात खत्म करें।

श्री नारायण हरि शर्मा—

फ्री बोरिंग के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं कि जहां फ्री बोरिंग होती है वहां सामान नहीं पहुंचता है। इस वर्ष भी नल की आवश्यक सामग्री नहीं पहुंची है आप कृपा करके इस फ्री बोरिंग के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सामान की व्यवस्था कर दें, तो कार्यक्रम अच्छा चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

श्री अधिष्ठाता—

कृपा करके समय का भी ध्यान रखें।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर गांव के विकास से हिन्दुस्तान का विकास संभव है लेकिन दुख है कि सरकार ने विकास का जो कार्य किया उसका उल्टा प्रभाव पड़ा भोजपुरी में एक कहावत है—

"जहां गइले खेहो रानी, वहां न जूरल आग पानी।"

मान्यवर, जब से ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हमारे मंत्री जी के हाथ में आया है तबसे प्रदेश में विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या पहले 42 प्रतिशत थी, अब 32 प्रतिशत हो गई है और उन्होंने कहा कि अभी थोड़े दिन बाद दो प्रतिशत की दर से कम होने के कारण अगले वर्ष 30 प्रतिशत रह जाएगी । श्रीमन् कल जब संसद में इसी पर चर्चा हो रही थी तो बताया गया कि उ0 प्र0 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है । प्रदेश में 1972-73 में जब योजना शुरू की गई तो हमारे प्रदेश में 4 करोड़ 13 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे और 1983-84 में बढ़कर पांच करोड़ हो गये । मान्यवर, माननीय मंत्री जी के आंकड़े सत्य से परे हैं । दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि इन्होंने आई0 आर0 डी0 पी0 और ट्राइसेम योजना जिसे गरीबों को उठाने के लिए चला रखी है । इन योजनाओं में बहुत करप्शन है । जिस नियत से यह गरीबों को उठाना चाहते हैं वह पैसा गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि गरीबों को ऊपर उठाने के लिए आप समय-समय पर मानीटरिंग करें और देखें उनको इसका लाभ मिल रहा है या नहीं । जो गलत अधिकारी हों उनको आप सजा दें । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0 एल0 डी0 ई0 पी0 योजना के बारे में कहा। इसका कोई लाभ नहीं मिला है इसको सारा प्रदेश राष्ट्रीय बचत में डाल देगा । इस वर्ष कोई काम नहीं हुआ है । बलिया के लिए मैं विशेषकर कहना चाहूंगा । मान्यवर, आप जिन लोगों के माध्यम से विकास कार्य कराना चाहते हैं वह कोई कार्य नहीं करते हैं इनके विभाग में सामंजस्य नहीं है। मान्यवर, एक पत्र संयुक्त सचिव, प्रताप सिंह का है मैं इसको आपको भी दे दूंगा । मान्यवर, यह पत्र 17 जनवरी, 1984 का है इन्होंने लिखा है कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मुख्यालय पर सम्बद्ध फील्ड के पदों को फील्ड वापस किये जाने विषयक शासन के पत्र संख्या–यू0 ओ0 650/38-1-84 दिनांक 11-1-85 का अवलोकन करने का कष्ट करें । इस संबंध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि संबंधित मामले में अनुपालन सूचना अब यथाशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें । यह पत्र श्री एम0 आर0 सिद्दीकी, मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रणा सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को लिखा गया है । मान्यवर, अभी तक मुख्य अभियन्ता ने इसका पालन नहीं किया । शासन का विभाग पर नियंत्रण नहीं है । श्रीमन्, आर0 ई0 एस0 में बहुत भ्रष्टाचार है मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं अभियन्ताओं द्वारा किये गये तकनीकी कार्यों की जांच के लिए बनी टेक्निकल आडिट सेल के मुख्य प्राविधिक परीक्षक ने ग्राम्य विकास विभाग के सचिव के नाम प्रेषित एक पत्र में लखनऊ के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को सामानों की खरीद-फरोख्त में दोषी पाया है, जिसकी जांच भी चल रही है । सचिव के नाम प्रेषित पत्रांक 85/101/सा0 वि0 मु0 प्र0 प0/टी ए0 सी0/ग्रा0 वि0 वि0/86 के अनुसार प्राविधिक परीक्षक ने लखनऊ प्रखंड के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता विजय कुमार जैन के खिलाफ ऊंची दरों पर खरीदी गयी सामग्रियों से शासन को हुई क्षति के बारे में लिखा है ।

मान्यवर, आज भी गांव के गरीब साधनाहीन और भवनहीन हैं। पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं, आखिर विकास कहां हुआ ? मान्यवर, हरिजन आवास और इन्दिरा आवास योजना गरीब लोगों के लिए है और इसके लिए जो धन आप एलाट किए हैं उस धन से इस महंगाई के जमाने में आवास बनाना सम्भव नहीं है । अब

तक जो आवास बने हैं वह गिर गये हैं अतः इसकी धनराशि बढ़ावें । मान्यवर, फ्री बोरिंग और पेयजल की योजना बहुत उपयोगी है। लेकिन इसका लाभ पूरे प्रदेश को नहीं मिल पा रहा है गांव के खेत सूखे और लोग प्यासे हैं। श्रीमन्, इसके लिए जो धनराशि आवंटित की जाती है वह कम है इसमें काफी भ्रष्टाचार भी है जिससे लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पंचायतों के विषय में कहना चाहता हूं। क्षेत्र समिति का गठन नहीं किया गया है। जिला परिषदों का गठन नहीं किया गया है, क्षेत्र समिति और जिला परिषद् के अधिकार से उनको वंचित रखे हैं, जिससे गांव के विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। ग्राम पंचायत के विकास के लिए और साधन मुहैया करायें । साधन के साथ-साथ ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करें जो उनके देखरेख में काम कर सकें ।

मान्यवर, जहां तक जिला परिषदों का सवाल है तो इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार का पंचायत राज का ढांचा कर्नाटक में है उसी प्रकार से यहां पर व्यवस्था बनायें इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए माननीय ग्राम्य विकास, पंचायती राज, युवा कल्याण मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश में इस बजट के माध्यम से आस्था और विश्वास का एक नया आयाम पैदा करने का प्रयास किया है। मान्यवर, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और विकास की यह पहिया जब कहीं दलदल में फंसता है तो कटुता भी होती है। उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय राजीव गांधी की सरकार, गांव के लोगों को गांव के आखिरी आदमी को विकास देने के लिए तत्पर है लेकिन यह विकास जब अफसरशाही के शिकंजे में उलझ कर रह जाता है तो कांग्रेस की सरकार भी गाली खाती है और चुनाव क्षेत्रों में जब हम लोग और आप जाते हैं तो बहुत से सवालों का जवाब हमें देने के लिए बाध्य होना पड़ता है जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते हैं । मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि शारदा सहायक समादेश के माध्यम से क्षेत्रीय विकास और सिंचन क्षमता के बढ़ाने की बात की जाती है लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति जो गबन के आरोप में निलम्बित हुआ हो उसको उसी पद पर बिना गबन की जांच पूरी किए हुए स्थायी कर दिया जाय जैसा कि उपनिदेशक बाराबंकी के साथ हो रहा है।

मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमने विकास को गति देने का प्रयास किया है हमने विकास के नये आयाम स्थापित करने का आह्वान किया है। हमने विकास की दिशा में काम किया है। लेकिन दुख तब होता है जब हम देखते हैं कि विकास आंकड़ों के जाल में उलझ कर रह गया है । आप गांव के आखिरी व्यक्ति के लिए सड़क बनाने की बात करते हैं लेकिन जिस सड़क पर आपने 2 लाख रुपए ग्रामीण रोजगार योजना से खर्च किये हैं ताकि आने जाने की सुविधा मिल सके लेकिन अगर उस सड़क को देखा जाय तो सड़क के नाम पर केवल चंद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

झउआ मिट्टी पड़ी मिलती है और उस पर चलने वाला छिटक कर दम तोड़ देता है। आपने सूखा राहत के आंकड़े दिए हैं। सूखा राहत का कार्य करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है लेकिन सूखा राहत में कुछ ठेकेदारों को राहत देने का भी काम हमने किया है। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के बारे में उसके अधिकारियों के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य बार-बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है बार-बार आरोप प्रत्यारोपण हो चुका है। मैं किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन के पास गरीबों की कमाई का पैसा जो 2 लाख से लेकर 40 लाख तक है आज तक अधिकारियों से उसकी रिकवरी नहीं की गयी है जबकि शासन के आदेश हो चुके हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अपने योग्य माननीय मंत्री जी से कि बजट के अन्त में इसका उत्तर देने का कष्ट करेंगे और रिकवरी के बारे में दो शब्द जरूर कहेंगे। मान्यवर, इन्होंने इंदिरा आवास योजना के माध्यम से समाज के हरिजनों, पिछड़े वर्ग के लोगों को आवास देने की बात कही है लेकिन बरसात की पहली झड़ी पड़ने पर इन मकानों के अन्दर बरसात की झड़ी लग जाती है तो यह किस तरह के आवास हैं इनसे गरीबों को क्या फायदा हो सकता है।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं :—

शोहरत की बुलंदी तो पल भर का तमाशा है,
जिस शाख पे बैठे हैं वह टूट भी सकती है।

मान्यवर, कांग्रेस के अगर इस वृक्ष को जिंदा खड़ा रखना है तो इस अफसर शाही पर नियंत्रण रखना होगा और इन पर अंकुश लगाना होगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का समन्वित विकास हो सके। विकास की जो गति है वह आंकड़ों के जाल में नहीं उलझनी चाहिए। विकास के लिए तरसने वाले आखिरी आदमी की चिन्ता कांग्रेस की चिन्ता है, सत्ता पक्ष की चिन्ता है माननीय मंत्री जी की चिन्ता है इसलिए मैं बजट का समर्थन करता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि मैंने जो चंद सवाल उठाये हैं उनका जवाब भी जब आप बजट का उत्तर दें तो देने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का शत-शत विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, अगर हमारे साथी अवस्थी की तरह से उधर से इस बजट का इस तरह से समर्थन किया जाय, तो हमें कटौती के प्रस्ताव लाने की आवश्यकता भी नहीं रह जायगी। मान्यवर, मैं माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी से यह बार-बार कल बीच में कह रहा था कि आप थोड़ा सा यह ततावें कि यह जो आंकड़े आपकी इस किताब में दिए हैं, उनको तो मैंने खूब पढ़ा है और पढ़ते रहेंगे, परन्तु आप उससे हट कर बतावें कि ग्राम्य विकास का स्वरूप आपके मस्तिष्क में क्या है ? गुलामी से पहले जो स्वरूप इस देश और प्रदेश का था, वही आज तक ज्यों का त्यों मौजूद है। उसमें से आप नया स्वरूप निकाल कर आप क्या लाना चाहते हैं ? इसकी परिकल्पना आपके मस्तिष्क में क्या है, वह मैं आपसे सुनना चाहता हूं और यह जानना चाहता

हूं कि इस देश के गांवों को, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से, उनका जो पिछड़ापन है, उसे दूर करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आपके प्रधान मंत्री बीसवीं शदी की बात करते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आप गांव की जनता की छठी शताब्दी की जिन्दगी दे दें, तो प्रदेश का कल्याण हो जायगा।

मेरा सुझाव है कि वैज्ञानिक युग में मानव जीवन के साथ जो अपरिहार्यताएं और आवश्यकताएं स्वयंमेव आकर जुड़ गयी हैं, उन्हीं के अनुरूप ग्रामीण स्वरूप को बदलने का प्रयास करें। शहरों में जिस तरह से नई कालोनीज डेवलप हो रही हैं, उसी प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से गांव में भी आवासीय योजना विकसित कीजिए। आपने कभी यह नहीं सोचा कि गांव के अन्दर नई आबादी में जिस प्रकार का भवन निर्माण आरम्भ हुआ है, उसका और शहरी कालोनियों के जीवन में कुछ समानतायें हैं। इसीलिए गांव में नई विकसित करने वाली आबादी को शहरी कालोनियों के आधार पर बसाने का प्रयास करें। इसके लिए आवश्यक है कि चकबन्दी और राजस्व विभाग का आप सहयोग लें। चकबन्दी में गांव की आबादी की जो जमीनें छोड़ी जायं, उसमें ग्रामीण कालोनी स्थापित की जायं। चकबन्दी के अन्दर एक गांव को मिलाने के लिए सीधे-सीधे बिना टेढ़-मोड़ वाले रास्ते छोड़े जायं और ये रास्ते सड़क से सड़क को जोड़ने वाले हों। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आपने केवल एक बात तक सीमित रखा कि जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनका विकास करेंगे और अनुसूचित जाति, जनजातियों के विकास की बात कही, उन्हें व्यवसायिक सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही, परन्तु इसका स्वरूप क्या है, यह कहीं नहीं बताया। इसका स्वरूप क्या होगा, इसकी परिकल्पना ही आपके मस्तिष्क में नहीं है। आपने कहा कि लाभार्थियों को ऋण देंगे या अनुदान देंगे और ऋण और अनुदान से आप ग्रामीण जनता को व्यवसाय देंगे। यह इस शताब्दी में उल्टा सोच है। आप सारी दुनिया के विकसित देशों के विकास की कहानी का इतिहास पढ़ लीजिए। देश की सामाजिक आर्थिक और व्यवसायिक व्यवस्था को बदले बिना कभी कहीं और किसी देश में कोई परिवर्तन नहीं आया है। दान से, ऋण से, अनुदान से, दया से और भीख से दुनिया की व्यवस्था नहीं बदल सकती और बिना व्यवस्था के बदले हुए किसी देश के इतिहास में परिवर्तन और विकास नहीं हो सकता। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कुछ आंकड़े दिये। मान्यवर, मैं थोड़े सुझाव देना चाहता हूं—

श्री अधिष्ठाता—

समय 5 मिनट का दिया गया है, आपके कहने से ही निर्णय दिया गया है।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, 2 मिनट मेरी बात सुन लें। मान्यवर, आपने ग्रामीण आवास परिषद् के कुछ आंकड़े दिये, आपने 1987-88 में 10 लाख रुपये दिये थे और 88-89 में अब एक करोड़ रुपए दे रहे हैं। जो इन्होंने आंकड़े दिये हैं वह इस पुस्तिका में है पेज 37 पर, उसके अनुसार निर्बल वर्ग के आवास बनायेंगे और जो ऋण देंगे वह 6 प्रतिशत ब्याज पर 6,000 का ऋण देंगे जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान होगा,

अल्प वर्ग की आय के लिए 11 प्रतिशत ब्याज पर 18 हजार रुपये देंगे और मध्यम वर्ग के लिए 11 प्रतिशत ब्याज पर 25,000 रुपये तक ऋण देंगे । मान्यवर, इस प्रदेश में 57 जिले हैं और एक करोड़ रुपये आपने दे रखे हैं और उनके लिए आप देखें कि इन 57 जिलों में आप एक करोड़ में कितने आवास बनायेंगे, मान्यवर, हर जिले में अल्प और मध्यम आय वर्ग के एक-एक मकान बनाये जायें तो निर्बल वर्ग के लोगों के लिए पूरे प्रदेश में कुल 500 मकान मिल सकेंगे और आप पूरी ग्रामीण आवास व्यवस्था बदलना चाहते हैं।

दूसरा मान्यवर, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन की बात कही गयी इसके कार्य का कोई परिणाम नहीं रखा गया है। मान्यवर, ये खारे पानी को मीठे पानी में बदलेंगे, पर कैसे बदलेंगे और कहां यह योजना बनायी है, इसमें कुछ नहीं दिया है। मान्यवर, जमीन की सतह का पानी सूख रहा है उस पानी का संचय किस प्रकार से संभव होगा, उस पर आपने कुछ नहीं दिया है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, हरिजन पेयजल की बात कही गयी इन्होंने जो आंकड़े दिये हैं उसके हिसाब से प्रदेश के अन्दर कुल मिलाकर जो आंकड़े दिये हैं कि गांवों में 21,214 हैंड पम्प लगाये जायेंगे । मान्यवर, इस प्रदेश में 1,12,566 गांव हैं । मान्यवर, हम चाहते हैं कि एक गांव के अन्दर 10 हैंड पम्प लगे लेकिन जो आपने आंकड़े दिये हैं उससे 20 गांव के बीच में एक हैंड पम्प भी नहीं लग पा रहा है। मान्यवर, आपने आर0 ई0 एस0 के बारे में कोई बात नहीं कही, केवल गिनाया छोटे अधिकारियों का नाम लेकर कि इतने अधिकारी निलम्बित कर कर दिये गये । मैं कहना चाहता हूं कि आप चीटियों पर तो तोप चला रहे हैं और हाथी सुरक्षित बैठे हुए हैं। मान्यवर, इस प्रदेश का सबसे भ्रष्ट अधिकारी आर0 ई0 एस0 का चीफ इंजीनियर है । जो कुल मिलाकर ए0 ई0 रैंक का अधिकारी है और यहां चीफ इंजीनियर बना बैठा है। मान्यवर, माननीय राम अवतार दीक्षित जी यहां नहीं हैं, वे जब मंत्री नहीं थे तो उन्होंने इसी सदन में इनके भ्रष्टाचार का एक तथ्यपूर्ण मामला उठाया था और इस सदन के दोनों पक्षों में बैठे हुए लोगों ने उसके निलम्बन की मांग की थी, परन्तु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसकी गम्भीरता पर देखें ।

श्री अवधेश राय शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, जैसा कि हमारे ग्राम्य विकास मंत्री जी ने रामराज्य स्थापित करने का जो बजट रखा है, वह बड़ा सराहनीय है, साथ ही साथ गांधी जी का स्वप्न था रामराज स्थापित करना लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज नौकरशाही बड़ी ही वीभत्स रूप से हमारे निर्बल, गरीब भाइयों को, किसानों की, इस सरकार की जो राशि है, उसको जनता तक पहुंचने नहीं देती है। बड़ा ही दुख है, हम लोग चाहते हैं और हमारी सरकार चाहती है कि गांवों का विकास और तरक्की हो और निर्बल वर्ग का विकास और तरक्की हो लेकिन यह हमारी नौकरशाही जो बड़ी ही बुरी तरह से इन गरीबों के धन को वहां तक नहीं पहुंचने देती है और

हमारी गरीब जनता बेसहारा हो गयी है। साथ ही साथ मैं अपने जिले की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं एक हमारे जिला परिषद् के अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि हमारा बजट जो है, वह गाजीपुर का, जिला परिषद् का, वह ठीक नहीं है। उसमें कमी है, लेकिन वह साथ ही साथ तमाम क्लर्क और जवर अभियन्ताओं की नियुक्ति कर बैठते हैं। मा0 मंत्री जी मैं बड़े खेद के साथ कह रहा हूं कि इस तरह की गड़बड़ी जो की जा रही है, वह अच्छी नहीं है। साथ ही जो इंदिरा आवास बनाये जा रहे हैं, उनमें भी बड़ी गड़बड़ी है। कई जगहों पर 1985-86 और 1986-87 के आज तक इंदिरा आवास नहीं बने हैं। मैं बार-बार पूछता हूं तो कहते हैं कि पैसा नहीं आया।

इसी तरह से 1975-76 और 1977-78 की सड़कें डी0 आर0 डी0 ए0 की उसी तरह से बेकार पड़ी हैं। उसमें अभी कुछ भी मिट्टी या खड़ंजे का काम नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में गहमर से मथौरा 5 किलोमीटर की सड़क है। वहां मैं खुद पैदल गया अधिकारियों को लेकर, लेकिन आज तक 1985-86, 1986-87 और 1987-88 होने जा रहा है, आज तक नहीं बनी है। इसी प्रकार से रेवतीपुर ब्लाक में रिंग रोड डेढ़ किलोमीटर की है। अधिकारी कहते हैं कि पैसा नहीं है, जबकि सरकार पैसा भेज रही है। बड़े दुख के साथ मा0 मंत्री जी का ध्यान में ले जा रहा हूं। इस पर थोड़ा सा पूछें और देखें कि इस तरह की बात क्यों हो रही है। साथ ही जो व्यायामशालाएं बनायी जा रही हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है, खेल का सामान नहीं दे रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं, मा0 मंत्री जी व्यायामशाला में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रख दें और साथ ही खेल का सामान भेजें। इसी के साथ-साथ मैं बजट का समर्थन कर रहा हूं और विपक्ष के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री अचल सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लीजिये। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी मान्यवर, आपने देखा कि दर्शक दीर्घा में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। मेरा प्रस्ताव है कि मान्यवर, इस सदन को एक न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको यहां लाया जाय और उनसे पूछा जाय कि उन्होंने कार्यवाही में विघ्न डाला कि नहीं . . .

श्री अधिष्ठाता–

वह तो उस समय होगा जबकि उसकी रिपोर्ट आ जायगी।

*श्री अचल सिंह–

मान्यवर, अगर उन्होंने विघ्न डाला तो क्यों डाला, यह पूछा जाय। मैं इस तरह का प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन को एक न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

अभी मार्शल की रिपोर्ट आने के बाद होगा । यह मैं पहले ही कह चुका हूं । मैं निर्णय पहले ही दे चुका हूं ।

*श्री बाबू राम यादव–

श्रीमान्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मा0 मित्रसेन यादव जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग, जिसकी कल्पना इस देश के निर्माता महात्मा गांधी ने और हमारे नेता नेहरू जी ने और एक बहुत ही बड़े बड़े विद्वान इस देश के एस0 के0 डे ने की थी । यह अनुमान किया गया था कि इस देश के ग्रामीण अंचल में रहने वाले जो मजदूर और कृषक हैं, उनका कल्याण होगा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना का सर्वनाश हो गया और इन्होंने इस योजना को दो नीतियों में डालकर पूरे विभाग को तहस नहस कर दिया, उसी प्रकार जैसे एक स्त्री को दो आदमियों को सौंपकर उसकी दुर्दशा होती है । मा0 मंत्री जी ने इस विभाग को 2 सचिवों, दो आयुक्तों में बांट कर सारी नीति में परिवर्तन कर दिया । एक विभाग का सचिव अलग नीति बनाता है, दूसरा दूसरी । इसी तरह से कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले मा0 सदस्य कह रहे थे कि वहां जब एक आई0 ए0 एस0 बैठेगा तो सी0 डी0 ओ0 कहलाएगा और ग्राम्य विकास विभाग का अधिकारी आ जाय तो जिला विकास अधिकारी कहलाएगा । एक दूसरी नीति लागू की जा रही है। जो विकास की धुरी है, खण्ड विकास अधिकारी और क्षेत्र विकास अधिकारी इसमें भी दोहरी नीति है । इसमें 70 फीसदी ग्राम्य विकास अधिकारी न तो कन्फर्म हुए हैं और न उनके प्रमोशन की बात है ।मान्यवर, उनके कन्फर्म और प्रमोशन की कोई नियमावली नहीं है । उनका काम में मन नहीं लगता है, ऊपर वाले अफसरों को खुश करने में ही अपना सारा टाईम लगाते हैं । अगर अधिकारी खुश हैं तो प्रमोशन चलता रहेगा अगर अधिकारी खुश नहीं हैं तो रिवर्ट कर दिये जायेंगे । भ्रष्टाचार की सीढ़ी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है । मान्यवर, इन्होंने गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने वालों के आंकड़े दिये । मैं तो इसे देखकर भ्रम में पड़ गया हूं । इन्होंने कहा कि 40 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से अब नीचे रह गये हैं, बाकी को उठा दिया है, आगे चलकर यह 32 प्रतिशत रह जायेंगे ।

मान्यवर, जो भारत सरकार के आंकड़े हैं उनको देखकर अलग भ्रम उत्पन्न होता है । मान्यवर, कल ही लोक सभा में बयान आया है कि 10 साल के अंदर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या एक करोड़ बढ़ गयी है। मान्यवर, आप देखें यहां के आंकड़े और भारत सरकार का बयान, दोनों में एक दूसरे में कितना विरोधाभास है । इन्होंने कहा कि प्रतिशत को कम किया है, भारत सरकार कहती है कि संख्या बढ़ गयी है । । मैं किसी बात को मानू ? माननीय मंत्री जी आप इतने ऊंचे पद पर बैठकर सदन को गुमराह कर रहे हैं भ्रामक आंकड़े देकर । ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, भूमिहीन गारंटी रोजगार योजना, ट्राइसेम योजना, आदि तमाम योजनायें हैं । मान्यवर, सीधी किसान से जुड़ी हुई जो योजना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, वह फ्री बोरिंग स्कीम है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 9 लाख रु0 मैनपुरी के किसानों का ले लिया गया, फिर भी बोरिंग नहीं हुई । जो रोजगार गारंटी योजना है, उसमें जो कार्य कराये जा रहे हैं, मैनपुरी जनपद में जो काम हो रहे हैं, हमने उसकी तकनीकी सेल से जांच के लिये एड़ी चोटी का जोर लगाया, बड़ा प्रयास किया, तब कहीं जाकर तकनीकी सेल से जांच कराने में सफल हुए । जांच करने के लिये एक अधिकारी मैनपुरी पहुंचा । मैंने उनसे कहा कि जिले में कहीं भी जांच कर लीजिये कहीं कोई कार्य मानक के अनुसार नहीं है । उन्होंने कहा कि कहां से शुरू करूं । हमने कहा कि सूची मंगा लीजिये और उसमें एक नम्बर से लेकर शुरू कीजिये । उन्होंने 1, 2, 3, 5 और 5 योजनाओं को देखा, पांचों को निम्न स्तर का पाया । उनकी रिपोर्ट भी आयी है कि पांचों योजनाओं को घटिया स्तर का पाया गया, काम निम्न स्तर का पाया गया । यह है आपकी योजनाओं का खुला मखौल ।

ग्रामीण लोगों को रोजगार के संबंध में आपने 13 रु0 50 पैसे की बात कही है । प्रदेश में किसी का भी इस तरह की मेहनत करने वाले किसी को 13.50 रु0 नहीं मिला है । सारा काम ठेकेदारों से हो रहा है और वह बेचारे मजदूर बरबादी के कगार पर पहुंच गये हैं । आपकी बायो गैस स्कीम है, उनके विभाग से जांच करायी गयी है, सर्वे हुआ है, उस सर्वे की रिपोर्टें आयी हैं उसके मुताबिक 9 प्रतिशत बायो गैस चलें हैं बाकी 91 प्रतिशत खराब पड़ी हैं। माननीय मंत्री जी के पास भी यह रिपोर्ट आयी है। मैंने भी वह रिपोर्ट देखी है । इस योजनाओं से क्या फायदा होगा जो सफल नहीं है । मैं चुनौती देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि इस योजना का सत्यानाश हो रहा है, आप अपने ही क्षेत्र के किसी गांव में ले चलें और देखें कि कहां कितना मानक के अनुसार काम हुआ है । आप पायेंगे कि कहीं मानक के अनुसार काम नहीं हुआ होगा । या आप मेरे जिले में चल लें, प्रभारी मंत्री भी हैं । सारा का सारा रुपया जो सरकार दे रही है गांव के विकास के लिये, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये, ट्राइसम वगैरह योजनाओं में, सबमें भ्रष्टाचार है । चालीस फीसदी रुपया असली उपभोक्ता तक पहुंच ही नहीं रहा है । यदि यह ठेकेदारी प्रथा बन्द नहीं हुई, बीच के बिचौलिये बन्द नहीं हुए, तो अभी तो 40 फीसदी बजट मिल रहा है, आगे आने वाले समय में यह प्रतिशत घटकर 25 फीसदी रह जायेगा, 30 फीसदी रह जायेगा । सारा का सारा रुपया बिचौलिये हड़प जायेंगे, गांव का विकास नहीं हो सकता, गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों का विकास नहीं हो सकता है। मान्यवर, पेयजल के बारे में कहना चाहता हूं कि मैनपुरी में करहल, बरनाहल, मदनपुर, खैरगढ़-इनमें पानी बिल्कुल सूख गया है, पानी का प्रबन्ध नहीं है। 425 गांवों की सूची है, उसमें एक भी हैण्ड पम्प नहीं लग रहे हैं . .

(इस समय 4 बजकर 37 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

बीच में इसके सेंगर नदी बहती है, उसका भी पानी सूख गया है। मान्यवर, वहां पर मवेशी मर रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जल निगम को इतना

पैसा दे दिया है, जिससे सब काम हो रहा है । मुझे बड़ा ताज्जुब है कि इस तरह का भ्रामक उपदेश देने से कोई फायदा नहीं होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री बाबू सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा । मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा गांव के उत्थान के लिये, गरीब-मेहनतकश अवाम के लिये अनेक योजनायें प्रस्तुत की गयी हैं । मान्यवर, यह सारी योजनायें क्रियान्वित करने के लिये हमारी सरकार प्रयत्नशील है और यह लगता है कि अगर यह सारी योजनायें कार्य रूप में परिणित हो जायें, तो एक या दो साल के प्लान में ही गांवों का उत्थान गरीबों का उत्थान हो सकता है। लेकिन मान्यवर, सबसे दुख की बात यह पैदा होती है कि पूरे बजट का, पूरी योजनाओं का 50 प्रतिशत भी धन सही मायनों में नहीं लगाया जाता है । केवल 50 प्रतिशत से कम धन उन योजनाओं में लगता है । मान्यवर, हमने स्वयं देखा है । हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में जो गत दिनों में योजनाओं के तहत पैसा खर्च किया गया है जैसे रास्तों पर, इन्दिरा विकास कार्यों पर और दूसरे ग्राम्य विकास के कार्यों पर, इनके संबंध में मेरा चैलेन्ज है और मैं पूरे चैलेन्ज के साथ बताना चाहता हूं कि किसी भी ब्लाक में किसी भी विकास खण्ड में, जो पैसा दिया गया है, अगर उसका 50 प्रतिशत भी वहां लगा हो, तो मैं इसके लिये आपसे निवेदन करूंगा । सबसे दुख की बात यह है कि हमारी सरकार काम करना चाहती है लेकिन अगर यह तमाम पैसा इसी तरह जाया होता रहा, तो आप कितने भी प्लान बना लें, कितनी भी कोशिश कर लें, यह आपके कर्मचारी इस रास्ते पर आपको बढ़ने नहीं देंगे । हम सब इसके भुक्तभोगी हैं और तमाम सदस्य इस बात को जानते हैं ।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आप कुछ न करें, सिर्फ इसमें जो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है, उसको रोक दें, तो तमाम योजनायें आपकी सफल हो जायेंगी और गांव की तरक्की हो जायेगी, गरीब आदमी को ऊपर उठाने की जो योजना है, वह भी सफल होगी । मान्यवर, तमाम सड़कों पर जो इस समय मिट्टी डाली गई है, अगर उसमें 40 प्रतिशत भी धन व्यय हुआ हो, तो मैं इस बात के लिये क्षमा याचना करूंगा । मान्यवर, यह तमाम बजट का मामला केवल इस बात पर मुनिर्सर है, जो माननीय मंत्री जी भी इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं, केवल इसमें हो रहे भ्रष्टाचार को रोक दें । यही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री धनराज यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम्य विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, ग्राम्य विकास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में पंचायती राज, ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियन्त्रण आदि कई अनुभाग हैं । मान्यवर, यह जो पंचायत राज विभाग है, इसके संबंध में मेरा ख्याल है कि यह ग्राम्य विकास विभाग पहले स्थापित हुआ था और जब पंचायत राज स्थापित हुआ था, उस समय यह ग्राम्य विकास से अलग था । उस समय बी0 डी0 ओ0 अलग थे, तब इसमें बेईमानी कम थी, श्रमदान अधिक होता था और अनुदान भी मिलता था । लेकिन सबको एक में मिला कर पंचायत राज के इसके महत्व को खत्म कर दिया गया । मेरा एक निवेदन है और इसके पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं कि अंग्रेजों के जमाने में जिला परिषद बड़ी दमदार थी जिले के अन्दर सभी सड़कें, कांजी हाउस, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, डाक बंगले व अस्पताल जिला परिषद् के अधीन थे किन्तु आज ये सब जिला परिषद् के अन्दर नहीं हैं । जिला परिषदें मरी हुई हैं । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां हम शासन के विकेन्द्रीयकरण की बात अखबारों व रेडियों के माध्यम से करते हैं, वहीं लगातार इसका केन्द्रीयकरण किया जा रहा है । मेरा सुझाव है कि मंत्रिमंडल को इस पर विचार करना चाहिए । उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में अभी भी ऐसे-ऐसे जिले हैं जो 38 लाख की आबादी रखते हैं और उनके लिए कोई ऐसी संस्था नहीं है जो उनका प्रबन्ध कर सके, इसलिए उन जिला परिषदों को मिनी विधान सभा का दर्जा दिया जाय और उनके मेम्बरों का चुनाव आम मतदाताओं के माध्यम से होना चाहिए । यदि आम मतदाताओं से चुनाव होगा तो जिला परिषद् में गुण्डे नहीं पहुंच पायेंगे। वहां पर जनता की सेवा करने वाले कार्यकर्ता चुने जायेंगे। लेखपाल से राज्यपाल तक के हैं, सारे के सारे निर्णय ही विधान सभा में होते हैं। इसलिए आप इसके अधिकारों का विभाजन कर दीजिए जिससे आप भी ठण्डे दिमाग से इस प्रदेश की तरक्की करने के लिये सोचने समझने में समर्थ हो सकें । इनके चुनाव का काम सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए । मैं भी 26 वर्ष ग्राम प्रधान रहा हूं, चुनाव आयोग द्वारा इसके चुनाव होने चाहिए । क्योंकि सरकार के पास वैसे ही बहुत काम रहता है, वह चुनाव को हमेशा टालती रहती है । यदि आप मेरे सुझाव को मान लेंगे तो लोकतंत्र जिन्दा रहेगा और तभी उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात नहीं होगी ।

मान्यवर, एन0 आर0 ई0 पी0 की बात यहां पर आई । माननीय सदस्यों ने कहा कि ठेकेदारी पर काम हो रहा है । माननीय मंत्री जी भी इसे जानते हैं और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, धरती पुत्र हैं जो गली कूंचों में रहते थे वे भी जानते हैं कि ठेकेदारों से काम हो रहा है । आज जो इनके अधिकारी ही कर्मचारी हैं, समाज की जो स्थिति है, मजदूरों की जो स्थिति है और जो वास्तविकता है, बिना ठेकेदारी के काम नहीं हो सकता है, कम से कम ठेकेदारी प्रथा में काम और दाम की गारन्टी तो होती है । लघु व सीमान्त कृषकों को सहायता दी जाती है । पूर्वी उत्तर प्रदेश के अत्यन्त गरीब जिले, बुन्देलखण्ड के अत्यन्त गरीब जिले व पर्वतीय क्षेत्र के अत्यन्त गरीब जिलों तथा प्रदेश के शेष सम्पन्न जिले सबके लिए एक ही मानदण्ड है, इसीलिए यदि किसी गरीब को पम्पिंग सेट स्वीकृत होता है तो वह चलता है मालिक के घर पर । जिसको जरूरत है, उसे मिलता नहीं और जिसको मिलता है, उसको जरूरत नहीं । यह आपका अव्यवहारिक नियम है । हमारे यहां 3 दिसम्बर को गोरखपुर में मीटिंग हुई थी । ग्रामीण विकास मंत्री जी

भी उसमें उपस्थित थे । मैंने भी उस दिन कहा था कि पर्डपुर में जमींदारी नहरों को मरम्मत के लिये पैसा दे दिया जाय । आदेश भी हो गये थे । बड़ी मुश्किल से 20-25 लाख रुपए ग्रामीण विकास विभाग दे पाया है सीमान्त बांधों के नाम पर, लेकिन जमींदारी नहरों की मरम्मत पर वह पैसा व्यय नहीं हुआ अब कैसे काम चलेगा, इसे मंत्री जी समझ सकते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्रीमती कमला साहनी--

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर विचार करने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं । मान्यवर, आज जो हमारा ग्रामीण विकास का बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है, हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ग्रामीण विकास के हुए बिना देश का विकास होना सम्भव नहीं है । महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव के विकास के बिना देश का विकास सम्भव नहीं है । आज हमारी सरकार का पूरा ध्यान ग्राम्य विकास की तरफ है ।

गांव को आगे बढ़ाने के लिये, गांव में बसने वाले गरीबों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर उठाने के लिये, उनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने के लिये, उनके हाथों को काम देने के लिये हमारी सरकार कृत संकल्प है और प्रयत्नशील है कि महात्मा गांधी के सपनों का भारत बने । महात्मा गांधी के भारत के गांवों का विकास हो और गरीब आदमी ऊपर उठे । एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अंतर्गत गरीबी की सीमा रेखा के नीचे बसने वाले लोगों को ऊपर उठाने के लिये काम हो रहा है । एक जमाना था जब गांव के गरीब लोग महाजनों से कर्जा लेते थे और उसके ब्याज के तले जिन्दगी भर काम करते थे, उनके बाद उनकी आने वाली पीढ़ी उसी ब्याज को चुकता करने के लिये काम करती रहती थी । आज हमारी सरकार उन्हें कर्ज देती है, कर्ज में छूट देती है और बहुत कम ब्याज पर कर्ज देती है, जिसके अन्तर्गत ग्राम का विकास आगे बढ़ रहा है । जब देश आजाद हुआ तो गांव के लोग भी पढ़ने लिखने लगे । आजादी के पहले हरिजनों को, गरीबों को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था । जमींदार या राजा महाराजा ही पढ़ते थे, अच्छी जगहों पर रहते थे, अच्छी अच्छी पोस्टों पर कुर्सी सम्भालते थे । आजादी के बाद दलित और पिछड़े हुए लोग भी आगे बढ़े । हर एक को नौकरी देना सरकार के लिये सम्भव नहीं था । इसलिये उनको काम देने के लिये सरकार ने काम किया और ''ट्राईसेम'' योजना ऐसे ही लोगों को काम देने के लिये चलायी गयी । पढ़े-लिखे लोगों को काम देने और रोजी-रोटी की व्यवस्था की गयी ।

हरिजनों के लिये निर्बल वर्ग के लोगों के लिये आवास की सुविधा नहीं थी, वे झोपड़ियों में पड़े रहते थे, किसी के घर के पिछवाड़े पड़े रहते थे, मजदूरी करते थे. कोई बात फसती थी तो बड़े लोग उनको निकाल देते थे, वे बेघरबार हो जाते थे । आज हमारी सरकार की योजना है कि निर्बल वर्ग के लोगों को घर बनाकर दिये जायं, उसी के अन्तर्गत उनको ''इन्दिरा आवास'' देकर उनके सर पर भी एक छत का इन्तजाम किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमती कमला साहनी–

मेरे क्षेत्र में "इन्दिरा आवास" में बड़ी अनियमिततायें हुई हैं बी0 डी0 ओ0 ने की हैं । मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा, उन्होंने आश्वासन दिया कि उसे हटा दिया जायगा लेकिन बी0 डी0 ओ0 अशोक कुमार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । मेरी मांग है कि बी0 डी0 ओ0 को हटाकर भ्रष्टाचार की तुरन्त जांच करायें । पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत बढ़नी ब्लाक, जोगिया ब्लाक और नौगढ़ ब्लाक में पुष्टाहार योजना अच्छी चल रही है । एक बात और कहना चाहती हूं . . .

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री राकेश धर त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर भी श्रीमती साहनी ने अपना भाषण जारी रखा ।)

84-85 में आर0 ई0 एस0 द्वारा 9 लाख रु0 का काम हुआ, लेकिन काम केवल कागज पर ही हुआ, मौके पर नहीं हुआ । मैंने माननीय मंत्री जी से कहा लेकिन कोई जांच नहीं हुई । मा0 मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में जांच करायी जाय और दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जाय । इसी के साथ ही मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

माननीय उपाध्यक्ष जी . . .

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, श्रीमती कमला साहनी ने हमारी गैर हाजिरी में बोला है, अच्छा हो इनका भाषण दुबारा करा दिया जाय । यह तो हमारा बहुत अहित हो गया । पता नहीं ये हमारी गैर हाजिरी में बोलीं कैसे ?

श्रीमती कमला साहनी–

मुझे खुशी है कि हमारे भाई को हमारी इतनी चिन्ता है और उधर के भाई लोग भी इतना ध्यान रखते हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मा0 राम शरण दास जी को इस समय बहुत ही दुख पहुंचा है, बड़े पीड़ित हुए हैं क्योंकि मा0 कमला साहनी जी ने उन्हें भाई कह दिया है।

(हंसी)

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, ग्राम्य विकास के बजट पर जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज का बजट रखा है, बजट तो हम लोगों को मिला हुआ है, लेकिन मा0 मंत्री जी के बजट भाषण को सुनने के बाद मुझे सोचने के लिये मजबूर होना पड़ा कि जिस तरह से मा0 मंत्री जी ने जानकारी दी और अभी जो माननीया सदस्या बोल रही थीं उन्होंने भी महात्मा गांधी का सन्दर्भ देकर अपनी बात को साबित करने की कोशिस की, लेकिन मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी के सपनों का भारत ऐसा नहीं था ।

उनके भारत के सपने में हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल, एक छोटा अस्पताल, वहां रहने वाले हरिजनों के लिये आवास और पीने के पानी की व्यवस्था, यह उनका सपना था ।

बड़े अफसोस की बात है कि मा0 मंत्री जी बतला रहे हैं लेकिन हमारी चुनौती है कि हर जगह पर 9 नहीं बल्कि एक ही न्याय पंचायत है । कम से कम 8 या 9 गांव सभाओं को मिला करके एक न्याय पंचायत होती है जबकि आप कह रहे हैं कि एक गांव में एक कुआं है । ब्लाक में 90 ग्राम सभायें हैं । आप गांव में एक कुआं देकर कहते हैं कि हमने पीने के पानी की व्यवस्था कर दी है ।

माननीय मंत्री जी बड़े अफसोस की बात है कि किसी भी बड़े जूनियर हाई स्कूल में वहां पर पानी पिलाने के लिये आपने अपने बजट भाषण में कुछ नहीं कहा है । अभी भी जहां पर जिला परिषद् के स्कूल चल रहे हैं वहां पर भवन नहीं बने हैं । मंत्री जी के अपने ही क्षेत्र में स्कूल का भवन नहीं बना है और जब कहा जाता है तो कह देते हैं कि काम पूरा हो गया ।

इसी तरह से लघु सिंचाई में फ्री बोरिंग के बारे में कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद में 82 लाख रुपया फ्री बोरिंग के लिये दिया गया लेकिन और कोई काम न करके केवल पाईप खरीद लिये गये क्योंकि उसमें कमीशन लेना था और उसके बाद काम बन्द हो गया, लेकिन उन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसी तरह से सैदाबाद में 66 फ्री बोरिंग का काम कराया गया जिसमें से आधा ब्लाक मा0 मंत्री जी के क्षेत्र का है और आधा हमारे क्षेत्र का, काम नहीं हुआ, जिलाधिकारी को जांच के आदेश हुए, जिलाधिकारी ने जांच के बाद कहा कि फ्री बोरिंग नहीं हुई है । मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी, फ्री बोरिंग के कार्य को कतई बन्द करा देना चाहिये क्योंकि इसमें अभियन्ताओं को पैसा कमाने का जरिया मिल जाता है ।

माननीय मंत्री जी ने पंचायत राज की बात कही, जिला पंचायत की तरफ से सड़कों पर खड़ंजा बिछवाने के लिये कहा जाता है । कहीं भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है, दुर्भाग्य है कि जिन ग्राम सभाओं ने पहले खर्च करके अपने यहां खड़ंजा लगवा लिया उसके बाद उन्हें रुपया नहीं दिया गया । ग्राम्य विकास विभाग से जब स्कूल बनाने के लिये कहा जाता है, उन्हें जब पहले वर्ष यह योजना दी गयी तो उन्होंने इस्टीमेट 58 हजार रु0 का बताया एक स्कूल बनाने का और जब पी0 डब्लू0 डी0 से कहा गया तो उसने कहा कि 65 हजार रु0 से कम में स्कूल नहीं बनता है । इसी तरह से ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में जो इंजीनियर्स हैं वह अपनी मनमाने ढंग से काम करते हैं, आपकी बात को नहीं मानते हैं। अफसोस इसलिये भी है कि आपके ही विभाग में आप ही के निर्णय नहीं चलते हैं, आप अपना विभाग नहीं चलाते हैं बल्कि लगता है जन सम्पर्क अधिकारी आपका विभाग चला रहे हैं, इसी कारण से आपकी कोई बात मानी नहीं जाती है । इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री बद्री सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है इसलिए गांवों का विकास करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इसी के तहत आज माननीय मंत्री जी ने अपना बजट पेश किया है, वह भी गांवों का विकास करा रहे हैं। हमारी सरकार की ओर से कई ऐसी योजनायें चलायी जा रही हैं गरीबों के लिये, अल्पसंख्यकों के लिए, गिरजनों के लिये, हरिजनों के लिये, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए, इन सबके लिये तमाम योजनायें हैं। मान्यवर, हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में जनवरी तक 341·26 लाख रु0 मानव दिवस सृजित किये गये और अगले वर्ष 550 लाख दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए मान्यवर यह सरकार और मा0 मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति तथा निर्बल वर्ग के लोगों के लिए आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में माह नवम्बर तक 45,714 आवास आवंटित किये गये, जिनमें से 20,801 अनुसूचित परिवारों के लिए लाभ हुआ इस प्रकार यह योजना भी बहुत महत्वपूर्ण योजना रही जो प्रशंसनीय है और साथ ही मान्यवर, चालू वित्तीय वर्ष में 17,500 आवास गृह निर्मित कराये जायेंगे, जिससे लगभग 1,70,000 लोगों को लाभान्वित किया जायेगा इस प्रकार यह योजना भी अनुसूचित जाति वालों के लिए एक प्रशंसनीय है, इसी प्रकार से लघु और सीमान्त कृषकों के लिए इस वर्ष 61 से निःशुल्क बढ़ाकर 65 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में 35,480 लोगों को प्रशिक्षण दिए जाने के लक्ष्य में दिसम्बर, 87 तक 15,222 लोगों को प्रशिक्षित किया गया और स्वतः रोजगार योजना में 7,933 लोगों को स्वतः रोजगार स्थापित किये गये अब मान्यवर मैं अपने क्षेत्र की और कुछ बातें कहना चाहता हूं। कालपी, जनपद जालौन के ग्राम नुरूपुर गांव में पीने के पानी की विकट समस्या हो गयी है, और जब वहां पर ट्यूबवेल आदि चलाए जाते हैं, तो वहां के कुओं का पानी सूख जाता है और न ही वहां हैण्ड पम्प पानी देते हैं, इसलिए हमारे यहां की इस पेयजल समस्या को हल कराने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, यह क्या मा0 मंत्री श्री प्रमोद तिवारी जी जनमोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जो उस तरफ बैठ रहे हैं, यह व्यवस्था आप दे दें . . .

श्री उपाध्यक्ष–

विधान सभा में तो कांग्रेस ही नाम का दल है, अभी जनमोर्चा नाम का कोई दल नहीं है . . .

श्री बद्री सिंह–

मान्यवर, दूसरा मेरा सुझाव अपने क्षेत्र का जो आवास से संबंधित है। मेरे क्षेत्र में इंदिरा आवास ग्राम परासन, इटौरा, अटराखुर्द, मगरा, लालपुर, करमचन्द्र पुर, हरचन्द्रपुर तथा गुलौली में भी बनाये जावें। तथा मुसरिया ग्राम का लिंक रोड जो अधूरा

पड़ा है तथा जो कहीं-कहीं उखड़ गया है, उसकी पूरे तौर पर मरम्मत की जावे यह आर0 इ0 एस0 विभाग द्वारा बनवाया गया है। और आर0 ई0 एस0 द्वारा बनाये गये कार्यों की क्वालिटी में सुधार भी कराया जाए तथा युवक मंगल दल, नियामतपुर, रिछारा तथा बबीना आदि को ग्राम समाज से 1-1 एकड़ जमीन दिलाई जावे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मान्यवर मा0 मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मा0 मित्रसेन जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्राम्य विकास का जो मंत्रालय है, उसके जरिए से हमारे प्रदेश का बहुत कुछ भला हो सकता है और अधिकांश जो गरीब जनता देहातों में और गांवों में रहती है, उनके विकास का समुचित काम हो सकता है और साथ ही इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि गत कई वर्षों में ग्रामीण विकास के काम के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं और इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन की भी व्यवस्था की गयी है और आज भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अफसोस भी इस बात का है कि जितना भी पैसा इस विभाग को मिलता है, उसके 40 फीसदी पैसे का उपयोग तो इन योजनाओं पर होता है और 60 फीसदी पैसा अधिकारियों, ठेकेदारों व दलालों की जेबों में चला जाता है और अगर इस पर सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती है तो फिर इस देश और प्रदेश का कभी भी विकास हो नहीं सकता है। मान्यवर, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए हर वर्ष इस विभाग के जरिए से कुछ धन आवंटित किया जाता है लेकिन, सत्य, मान्यवर यह है कि उस मद के लिए पैसे की तादाद भी बढ़ती जा रही है और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। अभी केन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट आयी है, उसमें है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की तादाद बढ़ी है, घटी नहीं है, लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम में तो यह अव्वल आते हैं, उत्तर प्रदेश 20 सूत्री कार्यक्रम में अव्वल आता है। यह सरकार गरीबी से नीचे रहने वाले लोगों के लिए योजनायें बनाती है, उस पर धन आवंटित करती है, लेकिन गरीबी से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बात को इस सरकार ने आज तक नहीं बताया है, यह कहते हैं कि इस योजना से इतने लाभार्थी लाभ पायेंगे, इनको बताना चाहिए था कि कि गत 5 वर्षों में ऐसे लोगों की संख्या कितनी है और वह कौन कौन लोग हैं, जिनको अपनी योजना के जरिये से ऊपर उठाया जा चुका है, ऐसा इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है।

कुछ बातें ऐसी हैं कि जब तक यह अपनी नीतियों को नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ग्राम को एक सुदृढ़ इकाई नहीं माना जायेगा, ग्रामों का विकास नहीं हो सकता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप एक जिला परिषद् की इकाई बनावें, एक ग्राम की इकाई बनावें और आप व्यवस्था करें। जो आय होती है, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, उसके

सारे हिस्से को 4 हिस्सों में बांट दें, तो गांव का समुचित विकास होगा। एक हिस्सा गांव को, एक हिस्सा जिला को, एक हिस्सा उत्तर प्रदेश को और एक हिस्सा दूसरी संस्था में बांट दिया जाये, तो हमारा विकास होगा। आप देखें कि क्या हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, दूसरे साल ही वह खराब हो जाती हैं, इसके लिए आप कोई योजना नहीं बनाते हैं। सड़कें बन गयी लेकिन उनकी मरम्मत के लिए कोई पैसा नहीं दिया तो इसी प्रकार से सड़कें बनती रहेंगी और खराब होती रहेंगी। अगर आप उनकी मरम्मत के लिए धन नहीं आवंटित करेंगे, तो क्या होगा?

फ्री बोरिंग की योजना है, उसका कार्यान्वयन होना चाहिए। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने 27 जिलों में जो ऊसर भूमि है उसके सुधार के लिए 3 हजार पम्पिंग सेट मय इंजन के देने की व्यवस्था की है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन 3 हजार में डेढ़ साल में, उत्तर प्रदेश में 27 जिलों में मात्र 90 ही पम्पिंग सेट लगे होंगे, तो इससे काश्तकारों को जो फायदा मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है और इन्होंने फैसला कर दिया कि इंजन एग्रो से मिलेगा तो जो गांव का रहने वाला है, 70-80 किलोमीटर दूर रहता है और आप फैसला करेंगे कि एग्रो से मिलेगा, पम्पिंग सेट जब मिलेगा तो वह एग्रो से मिलेगा, तो नतीजा यह हो रहा है कि अगर कोई मशीनरी खराब हो जाती है तो उसे वहां पर लाना पड़ता है। इसी कारण से डेढ़ वर्ष में 3 हजार में से 90 पम्पिंग सेट लग पाये हैं। इसी तरह से मेरा सुझाव है कि जो आप सड़कें बनाते हैं, उनकी मरम्मत के लिए आपको धन की व्यवस्था करना चाहिए। एक और बात कही गयी है कि पेड़ों को लगाया गया है, तो आप जाकर देख लें कि सड़कों के किनारे कितने पेड़ों को लगाया गया आपको सड़कों के किनारे पेड़ नहीं मिलेंगे सम्पर्क मार्गों के किनारे पेड़ नहीं मिलेंगे।

मान्यवर, इसी तरह से बायो गैस प्लांट लगाये गये हैं। इनकी देख रेख के लिए इनके पास कोई आदमी नहीं है जो खराब होने पर इनको ठीक कर सकें। इन्होंने पंप लगाये हैं, जो पीने का पानी देते हैं किन्तु उनके खराब होने पर महीनों तक उन्हें ठीक करने वाला कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जो आपकी यह सारी योजनायें चल रही हैं इसके लिए आपने सन् 85 में एक वरीयता लिस्ट बनायी थी, उसी के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं किन्तु जो भयंकर सूखा हमारे प्रदेश में पड़ा उसको देखते हुये आप वरीयता नहीं दे रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मित्रसेन जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उस पर बल देता हूं।

*श्री नेक चन्द्र पाण्डे–

मान्यवर, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जो ग्राम्य विकास का क्रांतिकारी बजट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके लिए मैं अपने माननीय मंत्री जी और अपने प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। आज सारे उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम्य विकास अधिकारियों और पंचायत सेक्रेटरीज के उपलब्ध रहने के लिए सामुदायिक विकास केन्द्रों की स्थापना की है। इसके लिए मैं प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार को बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, आई0 आर0 डी0 योजना के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रथम डोज उनको दी जाती है उसकी संख्या इतनी कम की गई है कि उससे विकास खण्डों में लोगों को चयन करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । दूसरी डोज उनको दी जाती है उससे उनका काम नहीं चल पाता है ।

मान्यवर, एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 के माध्यम से जो रोजगार सृजन की बात कही गई है उसके माध्यम से मजदूरी साढ़े ग्यारह रुपये से बढ़कर साढ़े तेरह रुपये की गई है । गेहूं में जो घुटाला होता था और आये दिन प्रदेश सरकार के पास इस संबंध में शिकायतें आती रहती थीं, उसकी मात्रा भी कम हुई है । उसके लिए भी मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । उसकी मात्रा में गिरावट आना जरूरी था । वह साढ़े चार किलो की जगह ढाई किलो कर दिया गया है ।

मान्यवर, जिला परिषदों का गठन नहीं किया जा रहा है । मैं मांग करता हूं कि सरकार जिला परिषदों का अविलम्ब गठन करे । इससे जो वित्तीय समस्यायें वहां पर पैदा हो गई हैं उनको दूर करने के लिए किसानों पर टैक्स लगाया जा रहा है, उसका मैं विरोध करता हूं । आज वहां पर गरीब किसान यह टैक्स नहीं दे पा रहा है । किसान परेशान है चाहे पम्प सेट हो, कारखाने लगायें या ट्रेक्टर खरीदें उनपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, उस पर आप अंकुश लगायें और अपने वित्तीय संकट को दूर करने के लिए आप जिला परिषदों का गठन करें ।

मान्यवर, आर0 ई0 एस0 एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और उत्तर प्रदेश की प्रगति में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है । लेकिन इस विभाग के अंतर्गत भ्रष्टाचार की शिकायतें इतनी बढ़ गई हैं कि यह विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है । यह सरकार की और विशेष रूप से माननीय ग्राम विकास मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वह इन अनियमितताओं को दूर करें । श्रीमान् कई जगहों पर अधीक्षण अभियन्ताओं के पद बहुत समय से भरे नहीं गये हैं और वह केवल कमीशन के कारण ही अभी तक नहीं भरे गये हैं । इसके साथ ही साथ टी0 ए0 सी0 द्वारा जो दोषी अधिकारी पाये गये थे, जिनके बारे में विधायकों ने भी लिखकर दिया था उनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मान्यवर, आर0 ई0 एस0 किसी सड़क को 25 हजार रुपये में एक किलोमीटर बनाता है, पी0 डब्लू0 डी0 20 हजार में बनाता है और इसी प्रकार जिला परिषद भी बनाता है । इन तीनों विभागों में कोई तालमेल नहीं है जिससे अनियमिततायें पैदा हो गई हैं । इसलिए मेरी मांग है कि इन सब में एकरूपता लाई जाय जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी न पैदा हो । . . .

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें ।

श्री नेकचन्द्र पाण्डे–

मान्यवर, गूलों के निर्माण में बड़ा घोटाला हुआ है । अपने क्षेत्र के बारे में मैं भी माननीय मंत्री जी को अवगत करा चुका हूं . . . (व्यवधान) इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

(श्री जवाहर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मुझे भाषण नहीं देना है किन्तु मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि जब आप माननीय सदस्यों के सुझावों और भाषणों के बाद जवाब दें तो जैसा कि सम्मानित सदस्य आपकी तारीफ कर रहे हैं आई0 आर0 डी0 और एन0 आर0 ई0 पी0 योजनाओं के बारे में कह रहे हैं । इस शताब्दि का भयानक सूखा पड़ा है । इस प्रदेश के अंदर जहां 1 लाख 12 हजार गांव हैं और आपने बेरोजगार लोगों को खासकर खेतिहर मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए कुल कितनी योजनायें चलाईं कितने आदमियों को वर्ष 87 में रोजगार दिलाया है कृपया यह जानकारी आप अपने उत्तर भाषण के समय दे दें अगर न हो तो उसे मंगा लें ।

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

मान्यवर, जब मैं बजट प्रस्तुत कर रहा था उस समय यह सारी चीजें बता दी थीं शायद आप उस समय मौजूद नहीं थे ।

श्री जवाहर सिंह यादव–

मान्यवर, आपने कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं । मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, देश की आजादी की लड़ाई के साथ गांवों के लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुये थे ।वह समझते थे कि जब देश आजाद होगा तो हमारे गांवों की रूप रेखा बदल जायेगी और गांव ऐसे लगेंगे कि अब गांव गुलामी के गांव न होकर आजादी के गांव हैं और हमारे देश के महान नेताओं ने, हमारे नेता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वप्न देखा था कि गांव विकसित होंगे उनके विकास की रूपरेखा बनेगी या तो सत्ता दल के साथी गांवों को विकसित देखना पसंद नहीं करते हैं या फिर देखकर अनदेखी कर रहे हैं । माननीय पुरुषोत्तम दास जी ने गांवों के विकास के लिए गृह बाटिका योजना चलाई थी आज भी उत्तर प्रदेश के बहुत से गांवों में वह जीर्णशीर्ण अवस्था में पाई जाती है हमारे मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया और उस योजना को ग्राम्य विकास योजनाओं में समाहित नहीं किया जा सका है क्योंकि जैसी इंदिरा आवास योजना चलाई जा रही है यदि उसको ग्राम्य विकास योजना के रूप में थोड़ा परिवर्तन करके किया जाता तो वह गांवों के विकास के लिए कारगार योजना हो सकती है । इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत खेलकूद के मैदान और आगे पीछे बाटिका की रूप रेखा दी जाय तो गांधी जी की जो कल्पना थी वह सार्थक हो सकती है ।

दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि चाहे सत्ता दल के लोग हों या इस पक्ष के लोग हों कोई भी सदस्य इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि खाद्य योजना के अंतर्गत जो गेहूं या दूसरी चीजें काम के बदले अनाज के रूप में किसानों को दी जा रही है वह सही है । इसमें बड़ी धांधली है कहीं पर भी आप पूछ लीजिए एक भी सदस्य बता दें कि उसके क्षेत्र में अनाज बांटा गया है तो मैं मान लूंगा । इसमें सरकार का कम से कम 20 प्रतिशत पैसा बरबाद हो रहा है । न वह पैसा किसी विकास के काम में लग रहा है और न किसी गरीब को मिल रहा है । इस ढकोसले को बंद कर दें और

उस पैसे को जो एफ0 सी0 आई0 को या खाद्य निगम को देते हैं वह सब अफसरों की जेबों में पहुंच जाता है । उसे बंद करके नकद पैसा लोगों को दीजिए इससे काम भी होगा और लोगों को भी कुछ राहत मिलेगी । आप ठेकेदारी प्रथा को तो बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारा काम उन्हीं के माध्यम से होता है । इसमें परिवर्तन होना चाहिए ।

आर0 इ0 एस0 में जो सड़कें बनाई जा रही हैं उसमें काम पूरा नहीं हो रहा है और आधी ही सड़कें पड़ी रहती हैं और जिस स्तर तक उनमें काम होना चाहिये वह भी नहीं हो रहा है । लेपन स्तर तक तारकोल लगाने की योजना उनकी होनी चाहिये नहीं तो वह वैसे ही टूट जायेंगी और लाखों रुपया उनके रख रखाव में बरबाद हो जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(श्री हरदेव का नाम पुकारने पर)

दर्शक दीर्घा से कतिपय व्यक्तियों द्वारा नारे लगाये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

*श्री अचल सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी कुछ समय पूर्व दर्शक दीर्घा से कुछ लोगों को पकड़ा गया, उनको पीटा गया और पीने को पानी तक नहीं दिया जा रहा है दो घंटे से वह परेशान हैं । मेरी निश्चित जानकारी है कि उनको कमरे में बन्द कर रखा है । मेरा प्रस्ताव है कि उनको सदन में लाया जाय और यह सदन न्यायालय के रूप में कंनवर्ट कर उस पर फैसला करे ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी मार्शल की रिपोर्ट आने दें तब विचार होगा । पहले मार्शल की रिपोर्ट हो जाय उसके बाद आपको सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, आज जो प्रदेश भर में आलू का संकट पैदा हो गया है उसी को लेकर वह यहां आये थे

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जांय, बाद में सुनूंगा ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । उपाध्यक्ष महोदय, जैसा दर्शक दीर्घा में विघ्न पैदा हुआ और कुछ लोगों ने नारे लगाये जिससे सवा तीन बजे से वह लोग बन्द हैं । बात करने से पता चला है कि कुछ माननीय सदस्य बंद लोगों से मिलने गये और पूछा कि दर्शक दीर्घा में विघ्न क्यों डाला ? इस पर उन्होंने बताया कि किसानों का आलू सड़ रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसको मैं थोड़ी देर बाद में सुनूंगा और जब तक रिपोर्ट आ जायेगी । आप आसन ग्रहण करें ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मेरी पूरी बात को आप सुन लें । मैं कह रहा था कि बंद लोगों ने बताया है कि उनका आलू सड़ रहा है, इसलिए उन्होंने अपना रोष प्रकट किया है जिसपर उनकी पिटाई हुई है । मैं चाहता हूं कि कार्यवाही रोक कर उनको यहां बुलाया जाये और सदन न्यायालय में बदला जाये और उनसे पूछा जाये कि विघ्न क्यों डाला और फिर सदन उस पर अपना निर्णय ले । मान्यवर, इसी प्रश्न को श्री राम शरण दास और श्री अचल सिंह ने उठाया लेकिन आप सदन में सुनेंगे नहीं, कार्यवाही नहीं करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर आपको अभी फैसला करना होगा, इस पर व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

रिपोर्ट आने के बाद सुनेंगे । श्री हरदेव आप बोलें ।

(घोर व्यवधान के मध्य कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री हरदेव–

मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री शारदा नंद अचल–

मेरी बात को आप सुनें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपके नेता की बात को सुन लिया है, इसलिए आप बैठ जांय ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा इस सदन की अवमानना की गई है, मैं इसकी आपको सूचना दे रहा हूं . . . (व्यवधान) मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लीजिए ।

(श्री शारदा नन्द अंचल के खड़े होकर बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कहिए क्या अवमानना हुई है, अंचल जी आप बैठिए । (व्यवधान) मुलायम सिंह जी इनको आप बैठाइए । आपके बोलने के बाद इनको बैठ जाना चाहिए था. . . . (घोर व्यवधान के मध्य) हल्ला मचाने से सदन नहीं चलेगा. . . (व्यवधान) आप बोलना जानते हैं तो और लोग भी बोलना जानते हैं ।

[तदोपरान्त लोकदल (ब) के सभी सदस्य एक एक कर सदन के फ्लोर पर आ गये तथा श्री शारदानन्द अंचल, श्री अचल सिंह व श्री भगवती सिंह, श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री बाबूराम यादव व श्री पारस नाथ आदि सदस्य अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया]

माननीय मित्रसेन कटौती के प्रस्ताव पर बोलने हेतु खड़े हों ।

(कई सदस्यों द्वारा फ्लोर पर खड़े होकर बोलने पर)

आप दूसरे को बोलने नहीं देना चाहते हैं । मित्रसेन जी का कटौती का प्रस्ताव है, उनको इस पर दुबारा बोलने के लिए हमने बुलाया है । आप सब बैठिए, आपका यह कार्य ठीक नहीं है ।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा फ्लोर में बोलने तथा सत्ता पक्ष के भी चार-पांच सदस्यों के अपने-अपने स्थानों से बोलते रहने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

यह आपका आचरण ठीक नहीं है । मैं सदन को दस मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(श्री उपाध्यक्ष ने 5 बजकर 28 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी । तत्पश्चात् 5 बजकर 38 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आलू पर चर्चा कब होगी ? यह बता दीजिए ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक की अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या 19कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)

(व्यवधान के मध्य श्री मित्रसेन के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री मित्रसेन, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव में दो-तीन बातें और रखना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

10 मिनट में आप खत्म करें । 6 बजे का टाइम तय किया गया है ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया यह बता दीजिए कि आलू पर चर्चा कब होगी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

कल इसको ले लेंगे ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि हरिजनों के लिए आवास सुविधा का कार्यक्रम है । इसको दो तरीके से किया जाता है कुछ तो हरिजन विभाग करता है, कुछ ग्राम्य विकास वाले करते हैं, इसमें बड़ी विषमता है इसको माननीय मंत्री जी किसी एक स्रोत से ही करावें । मान्यवर, इन्दिरा आवास योजना जो है इसमें तीन हजार रुपए सात हजार रुपए और डेढ़ हजार रुपए दिए जाते हैं । यह स्थल विकास के लिए दिए जाते हैं और निर्माण के लिए दिए जाते हैं । दूसरी बात मान्यवर, आवास योजना में 22 सौ रुपए दिए जाते हैं एक पर तीन हजार रुपए और एक पर एक हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है । तो तीन किस्म की आवासीय व्यवस्था है । इसको एक स्रोत से किया जाना चाहिए । एक एजेन्सी से इसको कराना चाहिए । मान्यवर, निःशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत माननीय सदस्यों ने काफी विचार व्यक्त किए और अपने अनुभव माननीय मंत्री जी के सामने रखे हैं मान्यवर, फैजाबाद जिले के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे जनपद में निःशुल्क बोरिंग का कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया । वहां 60 लाख रुपया छूट का बकाया है । निःशुल्क बोरिंग के जो काश्तकार हैं उन पर बकया है । दूसरी तरफ मान्यवर, जो बोरिंग करते हैं उन लोगों को, जो मजदूर हैं, उनको विभाग द्वारा मजदूरी नहीं दी जाती है । सब बोरिंग करने वालों को सहना पड़ता है । सारा पैसा विभाग के लोग खा जाते हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत कमियां हैं । उनको दूर करना चाहिए ।

तीसरी बात कहना चाहूंगा कि हमारे पूरे प्रदेश में ग्राम्य पंचायत 74 हजार 102 है । न्याय पंचायतें 8 हजार 791 हैं कुछ ग्राम्य सभाएं ऐसी हैं जिनमें दो ग्रामों को मिलाकर ग्राम्य सभायें बनी हैं । इसका नतीजा क्या हुआ है कि जो ग्राम सभाओं के प्रधान थे वह दूसरी ग्राम के विकास कार्यक्रमों का शोषण करते हैं । इसलिए वह ग्राम सभाएं जो 2 ग्रामों को मिलाकर बनी हैं उनका पुनरीक्षण करवाकर उनको पहले की तरह अलग-अलग कर दें । यह प्रस्ताव स्वीकार हो चुका था और इसकी आप घोषणा करें । इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि न्याय पंचायतें मृत प्राय हैं उनको पुनर्जीवित करने के संबंध में आज तक मंत्री जी ने कुछ नहीं किया है । न्याय पंचायतें कोई काम नही कर रही हैं लोकतंत्र की जो पहली सीढ़ी है उसकी इन्होंने हत्या कर दी है इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको पुनर्जीवित किया जाय । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक आहार देने की बात है तो यह पौष्टिक आहार योजना दुष्टों को पुष्ट कर रही है गरीबों को इससे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है।

जो यह गांव की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है इसको पौष्टिक आहार योजना में न लगायें अगर यह हमारे विधान सभा के गार्डों को दे देते तो वह कुछ और मेहनत कर लेते । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं । चूंकि माननीय मंत्री जी ने कोई नई चीज, नई घोषणा, नई दिशा प्रदेश को नहीं दी इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

मान्यवर, मैं सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ग्राम्य विकास के बजट पर चर्चा में भाग लिया । बहुत से बहु-मूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनका मैं उपयोग करूंगा । श्रीमन्, कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय माननीय मित्रसेन जी ने कहा कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या कम है और प्रतिवर्ष केवल 6 लाख लाभार्थियों को सुविधा दी जाती है तो इस तरह से कई वर्ष लगेंगे उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में । तो केवल एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । जैसा कि मैंने बताया था कि 2·66 परसेंट लोग प्रति-वर्ष गरीबी की रेखा से ऊपर उठ रहे हैं । दूसरी योजनाओं से जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ रहे हैं अगर उनको भी शामिल कर लिया जाय तो यह प्रतिशत और ज्यादा हो जायेंगे । जहां तक लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पहुंचा या नहीं इसके सर्वेक्षण की बात है तो भारत सरकार ने एक इवैल्यूयेशन कराया था जिसमें यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश में 28 प्रतिशत मामलों में लाभार्थियों की आय 2 हजार रुपए वार्षिक बढ़ी है । 36 प्रतिशत मामलों में लाभार्थियों की आय 1 हजार से 2 हजार वार्षिक के बीच बढ़ी है । 19 प्रतिशत मामलों में लाभार्थियों की आय 500-1000 रुपए वार्षिक बढ़ी है । तो इस प्रकार से 83 प्रतिशत लाभार्थियों को लाभ अर्जित हुआ है । इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो विकास की योजनाएं चलाई गई हैं उनका लाभ गरीबों को हो रहा है ।

इसी प्रकार से माननीय सदस्यों ने बहुत सी समस्यायें रखीं चूंकि समय कम है इसलिए मैं सभी का जवाब नहीं दे पाऊंगा । गोबर गैस के बारे में कहा गया कि बहुत से संयंत्र खराब हैं तो इसका एक सर्वेक्षण कराया गया था जिसमें यह पाया गया कि 75 प्रतिशत बायोगैस प्लांट ठीक हालत में हैं । 25 परसेंट खराब हालत में हैं । शासन की ओर से 500 रुपये प्रति गोबर गैस प्लांट के हिसाब से दिये जाते हैं तथा जो गोबर गैस प्लांट मिस्त्री हैं उनको भी प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गयी है तो इस तरह से गोबर गैस प्लांट जल्दी ही चालू हालत में आ जायेंगे । श्रीमन् आर0 ई0 एस0 में भ्रष्टाचार की शिकायत का जिक्र किया गया, हमने अपने पूर्व भाषण में कहा था कि मैंने उन अधिकारियों को निलंबित किया और उनके विरुद्ध कार्यवाही की । मान्यवर, शीतला शरण कमेटी की रिपोर्ट जो थी, वह शासन को जब मिली और उसमें जो शिकायतें सही पाई गयी थीं, उसे विजीलेंस को दे दिया गया था, विजीलेंस के द्वारा इन्क्वायरी हो रही है । जो अधिकारी भ्रष्टाचार में पाये जा रहे हैं, उन्हें संरक्षण नहीं दिया जा रहा है । जहां कहीं भी कोई गड़-बड़ी पाई जा रही है, उस पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है ।

मान्यवर, राणा साहब ने ग्राम्य विकास की रूप-रेखा के बारे में पूछा, राणा साहब इधर देख रहे हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारी निगाह ग्रामवासियों के लिए विशेष रूप से है । ग्रामवासियों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ही हमारे

ग्राम्य विकास की योजनाओं की संरचना की गयी है । 1990 तक डेढ़ हजार से ऊपर की आबादी के जितने गांव हैं, उन्हें हम पक्की सड़कों तक जोड़ देंगे और 1 हजार से डेढ़ हजार तक के जितने गांव हैं, उनमें से 50 प्रतिशत गांवों को हम सातवीं पंचवर्षीय योजना तक पक्की सड़कों तक जोड़ देंगे । जो 1 लाख 12 हजार गांव हैं उनमें से जहां पर पेय जल की समस्या है, वहां पर हम 1990 तक पेय जल का साधन हैंड पम्प के जरिये, कुएं के निर्माण के जरिए, जो भी साधन उपलब्ध हो सकते हैं, हम पेय जल की सुविधा उपलब्ध करायेंगे । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो 17-18 हजार प्राइमरी स्कूल भवनहीन हैं, उन्हें हम सातवीं पंचवर्षीय योजना तक भवन उपलब्ध करा देंगे ।

मान्यवर, विकास की गति तेज करने के लिए हम अपने सभी न्याय पंचायतों में सामुदायिक विकास केन्द्र की स्थापना कर रहे हैं, जहां पर लोग बैठ कर अपनी समस्या का समाधान कर सकेंगे ।इसके साथ-साथ हम ग्रामों का विद्युतीकरण भी मान्यवर कर रहे हैं और करीब 80 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण सातवीं पंच-वर्षीय योजना के अंत तक हो जायेगा । मान्यवर, हमारी योजना है कि जो शहरों की आबादी बढ़ रही है, शहरों की आबादी न बढ़े, अगर हम गांवों का विकास कर देते हैं, तो गांवों में लोग रहेंगे । अगर हम गांवों में शहरों जैसी सुविधा उपलब्ध करा देंगे, तो गांव का आदमी गांव में ही रहेगा । जो लोग गांवों से रोजगार के लिए शहरों की ओर आते हैं, उन्हें हम स्वतः रोजगार योजना को चला कर, गांवों में ही रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं । इस तरह से मान्यवर, हमारा दृष्टिकोण बहुत साफ है । हम गांव को खुशहाल बनाना चाहते हैं । हम गांव के लोगों को सुख सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने साथी माननीय मिशसेन यादव जी से आग्रह करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और ग्राम्य विकास के बजट को सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करें ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि 1 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों या 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों को पक्की सड़क तक जोड़ने के कार्य-क्रम चलाये जा रहे हैं ।मान्यवर, जो निर्देश हैं, जिसके आधार पर गांव का चुनाव कराया जा रहा है, जो गांव 1 हजार से 1499 तक आबादी के अंदर हैं, या 1500 से अधिक आबादी के हैं, उसे 1976 की जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर लिया जा रहा है, मेरा निवेदन है कि क्या 1981 की नई जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर उसको लेकर और तब गांवों का चुनाव माननीय मंत्री जी कराने का कष्ट करेंगे ?

दूसरी बात मान्यवर, माननीय मंत्री ने गोबर गैस के बारे में कही है तो क्या कभी सर्वेक्षण कराया है ।मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बस्ती जनपद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के मिठवल ब्लाक में अधिकांश गोबर गैस फर्जी लग रहे हैं, गोबर गैस लगे ही नहीं हैं और सबसिडी दी गयी है या 4 क्यूबिक मीटर के गोबर गैस लगाये गये हैं और 6 क्यूबिक मीटर की सबसिडी दी गयी है, क्या इसका सर्वेक्षण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, इसको दिखवा लेगें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में अनेक घोषणाएं की हैं, मैं केवल इतनी छोटी सी बात ही जानना चाहता हूं कि जिन योजनाओं के लिए वित्तीय प्राविधान था, हो सकता है जैसे कि सामुदायिक विकास केन्द्र बनाते हैं, लेकिन रुपया निर्गत हो गया तो उस कार्य को पूरा मान लेते हैं । लेकिन पिछले 2-3 वर्ष पहले जो निर्गत हो चुका है और वह कार्य पूरा नहीं हो सका है तो इस बारे में कोई योजना है कि जिस वित्तीय वर्ष में व्यवस्था हो जायेगी, स्वीकृत हो जाय, पैसा निकाला जाय तो वहां निर्माण भी हो जाय । मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खैराबाद ब्लाक है पिछले साल वहां पर रुपया निकाला गया लेकिन वहां कार्य नहीं हुआ । मान्यवर, इस संबंध में जिसका वित्तीय प्राविधान हो जाता है, वह यथासमय बन जाय, इसके बारे में शासन कोई एजेंसी बना रहा है या कोई नीति बना रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, है तो यह कि डी0 आर0 डी0 ए0 की जब योजना स्वीकृत हो जाय और धन का प्राविधान हो जाय तो उसी वित्तीय वर्ष में धन खर्च कर दिया जाय । अगर कोई शिकायत माननीय सदस्य बतायेंगे तो उसकी जांच करवा लेगें ।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे बलिया जनपद के अंदर क्षेत्र निधि के अंदर का पैसा बलिया के जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय बचत में जमा करा दिया है तो ऐसी परिस्थिति में कैसे ब्लाकों का विकास होगा ?तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो विकास का धन जमा करा दिया गया है राष्ट्रीय बचत पत्र में, क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री शाम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, दिखवा लेगें ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले से कुछ ऐसे प्रार्थनापत्र आये थे जो गांव सभाओं के परिसीमन के संबंध में थे उस पर आप कोई निर्णय देंगे और दूसरा प्रश्न यह है कि जिला परिषद् बस्ती के इंजीनियर के खिलाफ आप 3 साल से जांच करा रहे हैं और उल्टे उसको अतिरिक्त मुख्य अधिकारी बनाने जा रहे हैं तो जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही हो आप स्वतः उससे परिचित भी हैं तो क्या इन दोनों मामलों में आप स्पष्टीकरण देकर इसको रुकवाने की और गांव के परिसीमन के बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

(श्री जनार्दन प्रसाद अभिा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मेरा उत्तर दिलवायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

इनको भी पूछ लेने दें, दोनों का उत्तर एक साथ दे देंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

मान्यवर, जिले को जो वार्षिक परिव्यय जाता है खर्च करने के लिए उसमें 25 प्रतिशत धन सोशल फारेस्टी के नाम पर जाता है और इसमें 5-10 प्रतिशत से ज्यादा खर्च नहीं होता है और डी0 आर0 डी0 ए0 कमेटी ने आपसे अनुरोध किया है कि सोशल फारेस्टी में 25 प्रतिशत जिले के परिव्यय से खर्च होता है उसको घटा दिया जाय तो क्या इस संबंध में शासन ने विचार किया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसके आवंटन को घटाना उचित न होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

मित्रसेन जी, कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री मित्रसेन–

जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 4,19,51,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 43,45,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 58,30,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1988

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रतियां वितरित कर दी जांय ।

(विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित की गयीं)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1988 पर विचार किया जाय ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, अभी यह विनियोग विधेयक मा0 मुख्य मंत्री जी ने सदन के पटल पर इस अपेक्षा से रखा कि अभी पारित हो जायगा और इन्हें बहुत बड़ी रकम खर्च करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में मिल जायगी। पूरा प्रदेश इस पैसे से लाभान्वित होगा। इनकी विभिन्न योजनाओं पर पैसा खर्च होगा, इस अपेक्षा से यह विनियोग विधेयक विधान सभा में रखा गया और पारित भी हो जायगा। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब यह विधेयक पास हो जायगा, तो सरकार निरंकुश हो जाती है। जब तक विधेयक पास नहीं होता है, तब तक अच्छी अच्छी बातें करते हैं। नयी बातें करते हैं, सूचनायें देते हैं और उसके बाद जब पैसा पा जाएंगे, मान्यवर, मुझे यह कहना है कि यह वित्तीय स्वीकृति समय से नहीं देंगे, जिन योजनाओं पर राशि खर्च करनी है, मा0 मुख्य मंत्री जी विद्वान पुरुष हैं, संविधान के अनुच्छेद को पढ़ लें, जिस वित्तीय वर्ष की जो धनराशि स्वीकृत होती है, उसे उसी वित्तीय वर्ष में खर्च होना चाहिए। परेशानी यह होती है कि जब विभागों को धन का आवंटन होता है, तो उसके विभागाध्यक्ष अपने कर्मचारियों से, जिलों में, उस राशि से बचत पत्र खरीदवा लेते हैं। धनराशि को पी0 एल0 ए0 में जमा कर दिया जाता है।

जो योजनायें हैं, जिनको पूरा करने के लिए आप पैसा यहां से पारित कराते हैं, उसमें सही समय से धनराशि नहीं मिल पाती है, जिस कारण योजना पर व्यय बढ़ जाता है। जैसे पी0 डब्लू0 डी0, ग्राम्य विकास, सिंचाई विभाग आदि का जो बजट हम यहां पारित करते हैं, जिस योजना के एगेनस्ट धन पारित करते हैं, उसकी वित्तीय स्वीकृति, कार्य की स्वीकृति देने में आपके उच्चाधिकारी विलम्ब करते हैं, जिससे योजनायें पिछड़ती हैं। मान्यवर, ऐसे अरबों रु0 की स्वीकृति अभी तक नहीं जारी हुई है, जो पिछले बजट में पारित की गयी थी। वह कल जारी की जायेंगी, तब आप स्वयं समझ सकते हैं कि कितने फर्जी वाउचर बनेंगे, किस तरह से उस धन का खर्च होगा? मान्यवर, जिस विश्वास के साथ जिस मद के लिए यहां पैसा पारित करते हैं, उस मद में खर्चा नहीं किया जाता है। यह सुनिश्चित रहना चाहिए कि जिस मद के लिये स्वीकृति दी जाय, आगे उसी मद में पैसा खर्च किया जाय। आप मद बदल देते हैं, आपको संविधान में अधिकार प्राप्त है, पुनर्विनियोग विधेयक लाने का।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, बजट के द्वारा पारित धन के संबंध में, मदों के संबंध में, जितनी बड़ी अनियमितता उत्तर प्रदेश में रही है, शायद कहीं और नहीं हो रही है। आपको जो बजट दिया गया है, धनराशि की स्वीकृति दी गयी, उसका कितना बजट आपने खर्च किया, कितना बाकी है खर्च करने के लिए, इसका भी विवरण आप सदन के पटल पर नहीं रखते हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय पाण्डेय जी समाप्त करें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, पी0 ए0 सी0 की जो रिपोर्ट यहां सदन के पटल पर रखी जाती है, उनके माध्यम से हमें इसकी जानकारी हो पाती है। लेकिन, उस पर भी चर्चा न होने से, तमाम बातें सामने नहीं आ पाती हैं, जिन अधिकारियों की लापरवाही से पैसा सही ढंग से खर्च नहीं हुआ है, रिपोर्ट पर चर्चा न होने के नाते, कोई कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। लेजिस्लेचर का एक्जीक्यूटिव पर जो दबाव होना चाहिये, उससे वंचित रह जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो धनराशि है, जो यह विधेयक आपको संचित निधि से निकालने के लिए अधिकृत करेगा, उस पर नियंत्रण होना चाहिए और उसी वित्तीय वर्ष में उसका सदुपयोग होना चाहिए। आज जो हम धनराशि पारित कर रहे हैं उसे आप 31 मार्च, 1989 तक खर्च कर लेंगे। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो पी0 एल ए0 और अल्प बचत में धनराशि रखने के तरीके हैं, इन पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

(श्री गौरी शंकर भइया के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

एक ही आदमी इस पर बोल सकता है।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह जी के मुख्य मंत्री होने के बाद से, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जितनी उपेक्षा हुई है, आर्थिक श्रोत के बंटवारे में, इतनी किसी मुख्यमंत्री के जमाने में आज तक नहीं हुई। मान्यवर, इस धनराशि को पारित करने की इजाजत देते वक्त आप अपनी पीठ से यह निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री धन के बंटवारे के संबंध में पूर्वी उत्तर प्रदेश का ख्याल रखें। मान्यवर, मेरे जनपद बलिया में विकास कार्य का करोड़ों रु0 का धन बचत पत्र खरीदने में लगाया गया है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले भी थे, उन्होंने आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन भी दिया था। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी जिलाधिकारी बलिया ने आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है, वह मनमानी कर रहे हैं। इसको आप देखें। मान्यवर, आप इस धनराशि की इजाजत देने के पहले यह निर्देश दें कि इस स्वीकृत धनराशि का उसी मदों में सदुपयोग हो और वित्तीय वर्ष के अंदर हो।

*श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, इस वर्ष समय से बजट पेश किया गया। पिछले वर्ष बजट देर में पेश किया गया था, उससे स्वीकृतियां जारी करने और जो तमाम कार्यवाहियां होती हैं, उसमें कुछ विलम्ब हो जाता है। इस वर्ष यह प्रयास किया गया है कि बजट टाइम से पास हो जाय और समय के अन्दर सभी विभागों की स्वीकृतियां जारी हो जायं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और यह भी कहा गया है कि जो वित्तीय नियंत्रण होना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हर तीन महीनों के लिए क्या काम होगा किस विभाग का होगा, उसके लिए पैसे की व्यवस्था कहां से होगी, यह सभी बातें बराबर देखी जा रही हैं और जो 3 महीनों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया, उसके लिए धन दिया गया या नहीं, उसका कितना खर्चा हुआ, इन सभी बातों पर बराबर नजर रखी जाती है। इससे जो दिक्कतें फील्ड में पहले होती थीं, बहुत हद तक वह दूर हो गई हैं। मैं माननीय माता प्रसाद जी से कहना चाहता हूं कि आपकी जो आशंका है, उस पर विशेष ध्यान दिया गया है और भविष्य में यह कोशिश की जा रही है कि इस तरह की दिक्कतें न आने पायें। जो भी हमारे विकास के काम हैं, वह समय के अन्दर पूरे हों। मान्यवर, यह कहा जाता था कि मार्च के महीने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, इस तरह की हालत अब नहीं है। अगले वर्ष आप इसमें और कमी देखेंगे। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जितने भी विकास के कार्यों के लिए यहां पैसा पास किया गया है, उसका सही उपयोग, समय के अन्दर होगा और जो लक्ष्य रखें जायें, वह समय से पूरे हों। मैं प्रदेश के विकास में इस धन का उपयोग करके प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1988 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1988

31 मार्च, 1989 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1988 कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 96,00,74,37,000 रुपये (केवल छियानब्बे अरब, चौहत्तर लाख, सैंतीस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो। — उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1988–89 के लिये 96,00,74,37,000 रुपयों का निकाला जाना

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1989 को समाप्त वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं। — विनियोग

अनुसूची
(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	आबकारी विभाग	.. राजस्व	5,10,90	10	5,11,00
		पूंजी	..	..	..
2	आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)	.. राजस्व	12,48,42	8,44,25	20,92,67
		पूंजी	68,09,25	3,91,05	72,00,30
3	आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)	.. राजस्व	2,15,93,55	..	2,15,93,55
		पूंजी	3,39,50	..	3,39,50
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	.. राजस्व	1,74,26	5	1,74,31
		पूंजी	4,36,00	..	4,36,00
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	.. राजस्व	26,70,22	25	26,70,47
		पूंजी	9,40,66	..	9,40,66
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	.. राजस्व	39,78,47	5,71	39,84,18
		पूंजी	2,83,72	4,45	2,98,17
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	.. राजस्व	2,39,75	1,44,91	3,84,66
		पूंजी	42,89,00	1,47,40	44,36,40
8	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	.. राजस्व	17,07,68	..	17,07,68
		पूंजी	35,05	..	35,05

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2		3		
9	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	13,20	..	13,20
		पूंजी	1,50,00	..	1,50,00
10	ऊर्जा बिभाग	राजस्व	1,16,04	..	1,16,04
		पूंजी	3,48,60,00	..	3,48,60,00
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	17,89,21	7,86	17,97,07
		पूंजी	3,95,00	..	3,95,00
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	1,25,81,95	2,12	1,25,84,07
		पूंजी	88,66,25	50	88,66,75
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व	4,06,22,66	10	4,06,22,76
		पूंजी	13,29,00	..	13,29,00
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व	43,44,26	21	43,44,47
		पूंजी	1,00	..	1,00
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	32,94,10	10	32,94,20
		पूंजी	2,08,85	..	2,08,85
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	4,92,67	3,01	4,95,68
		पूंजी	1,39,37	6,00	1,45,37
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	2,84,92	2	2,84,94
		पूंजी	..	..	..
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	1,5,90,68	6,56,74	22,47,42
		पूंजी	48,35,05	6,59,25	54,94,30
19	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	राजस्व	57,80,04	..	57,80,04
		पूंजी	50,00	..	50,00
20	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1,04,08	..	1,04,08
		पूंजी	31,71	..	31,71

उत्तर प्रदेश विधान सभा

21	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	..	1,80,62	1,80,62
		पूंजी	30,00	..	30,00
22	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	21,04,56	4,44,29	25,48,85
		पूंजी	6,82,67,00	55,25,50	7,37,92,50
23	खेल विभाग	राजस्व	2,66,74	..	2,66,74
		पूंजी	..	..	..
24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	15,11,68	1,60	15,13,28
		पूंजी	5,00,00	4,86	5,04,86
25	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	18,84,70	17,37,46	36,22,16
		पूंजी	52,59,01	1,70,08	54,29,09
26	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	24,88,17	2	24,88,19
		पूंजी	3,47,13	..	3,47,13
27	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	3,74,89,24	58,26	3,75,47,50
		पूंजी	17,52,43	46,20	17,98,63
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	15,65,18	..	15,65,18
		पूंजी	..	..	..
29	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	23,67,66	..	23,67,66
		पूंजी	..	..	..
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्टि अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	48,70	..	48,70
		पूंजी	..	..	..
*31	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	59,92	59,92
		पूंजी	..	..	..
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	1,30,45,75	1,00	1,30,46,75
		पूंजी	17,60,46	..	17,60,46
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	20,48,68	2	20,48,70
		पूंजी	..	..	..
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	राजस्व	6,11,38	..	6,11,38
		पूंजी	..	..	..

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2		3		
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	70,40,16	25	70,40,41
		पूंजी	21,00	..	21,00
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	92,53,44	39	92,53,83
		पूंजी	1,76,38	..	1,76,38
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	71,87,07	50	71,87,57
		पूंजी	..	..	..
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	2,16,33	..	2,16,33
		पूंजी	9,00	..	9,00
39	नियुक्ति विभाग	राजस्व	21,16	..	21,16
		पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग	राजस्व	3,64,88	..	8,64,88
		पूंजी	..	..	..
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	2,83,71	..	2,83,71
		पूंजी	..	..	..
42	न्याय विभाग	राजस्व	37,56,56	5,07,81	42,64,37
		पूंजी	36,15	..	36,15
43	परिवहन विभाग	राजस्व	32,00,15	12	32,00,27
		पूंजी	15,73,01	..	15,73,01
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	1,05,48	..	1,05,48
		पूंजी	..	..	..
45	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	34,49	..	34,49
		पूंजी	..	..	..
46	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	32,94,23	30,02	33,24,25
		पूंजी	1,84,50	..	1,84,50

उत्तर प्रदेश विधान सभा

47	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	1,31,85,22	25,01	1,32,10,23
		पूंजी	76,90,28	13,00	77,03,28
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	35,05	..	35,05
		पूंजी	..	..	..
49	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	40,03,43	35	40,03,78
		पूंजी	1,83,57	..	1,83,57
50	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व	10,25,89	16,39,36	26,65,25
		पूंजी	1,42,23	25,06	1,67,29
51	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1,17,98,25	1,57,01	1,19,55,26
		पूंजी	53,63	2,51,52	3,05,15
52	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	70,67	..	70,67
		पूंजी	1,50	..	1,50
53	वन विभाग	राजस्व	75,33,51	20	75,33,71
		पूंजी	24,75	..	24,75
54	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	3,00,09,97	8,73,07,88	11,73,17,85,
		पूंजी	12,28,00	14,36,07,47	14,48,35,47
55	वित्त विभाग (अधिवर्ष तथा पेशनें)	राजस्व	1,19,00,57	15,37	1,19,15,94
		पूंजी	..	..	..
56	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	8,12,82	..	8,12,82
		पूंजी	3,00	..	3,00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2		3		
57	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	60,84,11	..	60,84,11
		पूंजी	..	..	..
58	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	15,62,90	4	15,62,94
		पूंजी	..	..	.
59	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	12,72	14,65,87	14,78,59
		पूंजी	..	..	..
60	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	1,64,18	3,67	1,67,85
		पूंजी	..	..	..
61	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	6,16,18	5,84	6,22,02
		पूंजी	..	..	..
62	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	2,00,00	..	2,00,00
63	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व	6,47,57	..	6,47,57
		पूंजी	..	..	
64	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	96,86,97	15,85	97,02,82
		पूंजी	30,00	..	30,00
65	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	3,86,24,76	6,34,15	3,92,58,91
		पूंजी	50,00	..	50,00
66	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	5,36,91,34	11,00,01	5,47,91,35
		पूंजी	..	..	..
67	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	राजस्व	12,78,65	..	12,78,65
		पूंजी	..	..	..
68	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	2,27,01	..	2,27,01
		पूंजी	..	..	..
69	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	29,99,75	3	29,99,78
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

70	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	21,26,99	20	21,27,19
		पूंजी	2,27,38	..	2,27,38
71	सर्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	73,94,82	5	73,94,87
		पूंजी	..	..	..
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	5,14,95	9,02	5,23,07
		पूंजी	9,72,34	1,00	9,73,34
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	3,67,11	29,98	3,97,09
		पूंजी	4,36,27	50	4,36,77
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	2,44,10	20	2,44,30
		पूंजी	14,77,24	3,25	14,80,49
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	1,08,44,69	10	1,08,44,79
		पूंजी	1,71,67,84	50	1,71,68,34
75-क	सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	4,53	..	4,53
		पूंजी	..	..	..
76	सिचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	72,27,21	20	72,27,41
		पूंजी	76,82,54	..	76,82,54
77	सिचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	3,58,01,14	37,32	3,58,38,46
		पूंजी	3,99,11,46	1,25,52	4,00,36,98
78	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	35,69	4	35,73
		पूंजी	3,75	..	3,75
79	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)	राजस्व	26,68,35	40	26,68,75
		पूंजी	..	..	..
80	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	1,21,50	..	1,21,50
		पूंजी	..	..	..
81	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	5,04,98	4	5,05,02
		पूंजी	..	..	..
82	सचिवालय प्रशासन शाखा	राजस्व	24,89,85	4	24,89,89
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(समाप्त)

1	2		3		
83	सतर्कता विभाग ..	राजस्व	2,53,34	14,30	2,67,64
		पूंजी	..	..	..
84	सहायता एवं पुनर्वास विभाग ..	राजस्व	50,84	5	50,89
		पूंजी	35,10	50	35,60
85	सांस्कृतिक कार्य विभाग ..	राजस्व	2,44,59	2	2,44,61
		पूंजी	..	..	..
86	सामान्य प्रशासन विभाग ..	राजस्व	23,06	2	23,08
		पूंजी	..	..	..
87	सार्वजनिक उद्यम विभाग ..	राजस्व	20,94	..	20,94
		पूंजी	..	..	..
88	सूचना विभाग ..	राजस्व	7,30,93	..	7,30,93
		पूंजी	..	..	..
89	सैनिक कल्याण विभाग ..	राजस्व	1,22,71	2	1,22,73
		पूंजी	30,20	..	30,20
90	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) ..	राजस्व	1,18,39,62	2	1,18,39,64
		पूंजी	..	..	..
91	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	राजस्व	58,86,27	2	58,8 ,29
		पूंजी	..	..	..
92	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जन-जाति कल्याण) ..	राजस्व	2,47,79	2	2,47,81
		पूंजी	1	..	1
	योग ..	राजस्व	49,04,63,78	9,71,50,41	58,76,14,19
		पूंजी	22,14,86,57	15,09,83,61	37,24,60,18
	कुल योग ..		71,19,40,35	24,81,34,02	96,00,74,37

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1988 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1988 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

दर्शक दीर्घा से कतिपय व्यक्तियों द्वारा नारे लगाये जाने पर उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 29 मार्च, 1988 को अपराह्न लगभग 3 बजकर 10 मिनट पर दर्शक दीर्घा नं0–4 से 8 व्यक्तियों ने नारे लगाये । उन व्यक्तियों को तुरन्त अभिरक्षा में लेकर उन्हें दीर्घा से हटा दिया गया । उन व्यक्तियों के नाम क्रमशः श्री सालिग राम, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री रमेश चन्द्र यादव, श्री अशोक कुमार, श्री रमेश, श्री ज्ञान सिंह यादव, श्री इस्लाम अहमद तथा श्री राम सिंह हैं। उपरोक्त आठों व्यक्तियों के प्रवेश-पत्र क्रमशः श्री महाराज सिंह, श्री रमेश यादव, श्रीमती राम नन्दिनी वर्मा, श्री शारदा नन्द अंचल, श्री बालेश्वर, श्री भगवती सिंह, सदस्य, विधान सभा की संस्तुति पर जारी किये गये हैं।

उपरोक्त कार्यों से सदन के कार्यों में बाधा पहुंची है किन्तु ऐसे गैर जिम्मेदार और उच्छृंखल व्यक्तियों को विशेष महत्व नहीं देना चाहिए । अतः यदि सदन सहमत हो तो उपरोक्त आठों व्यक्तियों को छोड़ दिया जाय ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े होने एवं श्री उपाध्यक्ष द्वारा बोलने हेतु अनुमति देने पर सत्ता पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, आप बैठें ।

(श्री मुईद अहमद के खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(शोर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आज जब सदन चल रहा था तो दर्शक-दीर्घा से कुछ लोगों ने नारे लगाये । इस पर हमेशा यह परिपाटी रही है कि जब इस सदन में इस तरह की कोई घटना होती है तो अध्यक्ष पीठ से मार्शल को निर्देश दिए जाते हैं कि वह इसकी जानकारी करे ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का हक है। आप लोग शांति बनाये रखें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि सदन की यह परिपाटी रही है कि जब भी सदन में इस तरह की घटना होती है तो अध्यक्ष पीठ से मार्शल को निर्देश दिए जाते हैं कि वह इसकी जानकारी करे । उसके बाद अध्यक्ष जी अपना निर्णय देते हैं, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है । जब आपने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाया, तो यहां पर लोग शोर करने लगे । मेरा निवेदन है कि यदि आप इस पर चर्चा करवाना चाहते हैं तो फिर आपको यह सदन न्यायालय में परिवर्तन करना होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं चर्चा कहां करवा रहा हूं। मैं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कह रहा था कि वह इस पर सहमत हो जायं ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से निर्देश दिये गये हैं पूर्व में कि इस तरह की घटनाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए । अगर किसी आदमी ने दर्शक दीर्घा से कोई ऐसी बात कर दी हो तो उस पर सदन को गम्भीर होकर नहीं सोचना चाहिए । जब तक आज यह सदन बैठा है, तब तक उन्हें सजा देकर, रिहा कर दिया जाना चाहिए । अगर इस प्रकार के कामों में सदन 6 महीने, 4 महीने व 2 महीने की सजा देने लगे तो यह सदन नहीं चल पायेगा । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस सवाल पर अपना कोई निर्णय दे दें कि जितना समय बीत गया, उतना समय सजा मानकर उनको रिहा किया जाता है। यही निवेदन है।

(श्री हरदेव द्वारा खड़े होकर बिना अनुमति बोलने का प्रयत्न करने से शोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, वैसे जो आपके निर्देश होते हैं और जो आपकी व्यवस्था है, जो आपका निर्णय है, हम लोग सब शिरोधार्य करते हैं । इसमें कोई दो राय नहीं होती । लेकिन जो कुछ आज हुआ है, वह जैसी परिपाटी रही है, उससे कुछ हटकर हुआ है । यह बात सही है कि गैलरीज से अक्सर इस तरह की आवाज आ जाती है, वह भी आदरणीय सदन का अवमान होता है, माननीय पीठ से निर्णय होता है कि माफ कर दिया गया, वह पूरा सदन स्वीकार कर लेता है । आज जो कुछ हुआ, गार्ड से हाथापाई की गयी है, वह जख्मी भी हुआ है । प्रजातंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का लेकिन प्रजातंत्र में इसकी आड़ लेकर जैसी बातें की गयीं, उसी समय व्यवधान हुआ और आपकी पीठ की तरफ लोग आने लगे । जो आपका फैसला होगा, वह शिरोधार्य है लेकिन साथ ही साथ . . . .

(व्यवधान के मध्य)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मन से कह रहे हैं, या सिर्फ गले से कह रहे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

अगर मन से नहीं कह रहे हैं तो आप वोटिंग करा लीजिये । जो भी फैसला होगा, शिरोधार्य होगा ।

(सत्ता पक्ष की ओर से आवाजें आने पर)

इस समय यह लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, इनकी पीड़ा है, इस बात की पीड़ा है कि आपकी पीठ की तरफ बढ़ने से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है, व्यक्तिगत कोई बात नहीं है। यह भी सदन जानना चाहेगा कि पास किसने इशू किया था?

श्री उपाध्यक्ष–

नाम मैंने बता दिये हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

वस्तुस्थिति आप जान गये हैं, आपका जो निर्णय होगा वह हमें शिरोधार्य होगा । साथ ही साथ माननीय विरोध पक्ष के सामने के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि सदन में जब उन्हें अपनी राय देनी हो तो इस प्रकार से दें कि सदन चलता रहे, उसमें व्यवधान न हो । आज आपको सदन कितनी बार स्थगित करना पड़ा, आप स्वयं जानते हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि सारा मामला जान लें और यह बता दें कि किसने पास इशू किया था । जो परिपाटी रही है, जो परम्परा रही है जिसकी तरफ माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने ध्यान आकर्षित किया, मैं कहना चाहता हूं कि परम्परा और परिपाटी का जितना हम पालन करते हैं, उतना शायद ही कोई करता हो। यह कभी परिपाटी नहीं रही है कि इस पीठ पर और मेज पर खड़े होकर सारी बातें की जायं । हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, जो भी आपका आदेश होगा, शिरोधार्य होगा । जो कुछ हुआ है, वह बता दें, जिसने पास इशू किया है, वह बता दें और उसके बाद आदेश दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

पास की संस्तुति वालों के नाम तो मैंने पहले भी पढ़े थे, उनके नाम ये हैं– मा0 महराज सिंह, रमेश यादव, माननीया श्रीमती रामनन्दिनी वर्मा, मा0 शारदा नन्द अंचल, मा0 बालेश्वर, मा0 भगौती सिंह । सदन अगर सहमत हो तो इन्हें छोड़ दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें से माननीय गया प्रसाद वर्मा की यू0 पी0 एफ0 सी0 इटावा के आर0 एम0 द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी गई सूचना को स्वीकार किया गया है और शेष सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है ।

सीतापुर में युवा व्यापारी श्री राजेन्द्र टण्डन के अपहरण तथा उनकी हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 11-2-88 को श्रीमती कामिनी टण्डन निवासी मु0 तामसीनगंज जनपद सीतापुर में थाना कोतवाली पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि उनके पति राजेन्द्र कुमार टण्डन दिनांक 1-2-88 को अलविदा एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली जाने के लिए घर से करीब छः हजार रुपये लेकर शाम को सिटी रेलवे स्टेशन सीतापुर गये थे । सात दिन तक वापस न आने पर श्री सुनील कुमार उर्फ पप्पू साहनी जो कपड़े का रोजगार करते थे और साथ में दिल्ली गये थे, के द्वारा ज्ञात हुआ कि वादिनी के पति स्टेशन पर श्री साहनी से मिले थे और यह बताया था कि वे शाहजहांपुर से ट्रेन पकड़ेगें । वादिनी के पति दिल्ली नहीं पहुंचे एवं वादिनी का यह सन्देह था कि उनके पति के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई थी । उक्त सूचना पर दिनांक 11-2-88 को थाना कोतवाली पर गुमसुदगी की सूचना दर्ज करके विवेचना प्रारम्भ की गई । विवेचना के दौरान यह सूचना मिली कि दिनांक 2-2-88 को एक शव रेलवे स्टेशन रोजा जनपद शाहजहांपुर के यार्ड में पाया गया है जिस पर विवेचना, श्रीमती कामिनी टण्डन तथा उनके संबंधी को लेकर थाना जी0 आर0 पी0 शाहजहांपुर गये जहां दिनांक 2-2-88 को मिली लाश पर पाये गये कपड़ों को, श्रीमती टण्डन ने अपने पति के बताया। पंचायतनामा में वर्णित हुलिया भी श्रीमती टण्डन ने अपने पति का बताया । इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि उपरोक्त शव श्री टण्डन का ही था ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दिनांक 15-3-88 को पुलिस ने श्री सुनील कुमार उर्फ पप्पू साहनी को गिरफ्तार किया जिसने पूछ ताछ पर अपराध की स्वीकारोक्ति करते हुए बताया कि दिनांक 1-2-88 की रात्रि वह तथा श्री टण्डन साथ ही दिल्ली जाने के लिये ट्रेन में सवार हुये थे। मैगलगंज से आगे ट्रेन बढ़ने पर उसने नशे की हालत में सो रहे श्री टण्डन की पैसे लेने की नियत से सिर पर ईंट से प्रहार कर हत्या कर दी और जब ट्रेन रोजा पहुंची तो शव को घसीट कर डिब्बे से बाहर गिरा दिया। उक्त अभियुक्त को जेल भेजा जा चुका है तथा विवेचना से संबंधित समस्त कागजात अग्रिम विवेचना हेतु जी0आर0पी0 शाहजहांपुर को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं।

यह कहना सही नहीं है कि उक्त घटना से लोग इतना भयभीत हैं कि व्यापारिक कार्य से बाहर आना जाना प्रभावित हो गया है।]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि यह एक व्यापारी की हत्या का मामला है। मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उसका अपहरण पहली तारीख को होता है और 2 तारीख को रोजा स्टेशन पर उसकी लाश पायी जाती है और 2 तारीख को ही कई अखबारों में भी यह मामला प्रकाशित हुआ था। उसके बाद भी 2 तारीख को रोजा स्टेशन की जी0 आर0 पी0 ने लाश को लावारिस समझ कर उसका कफन-दफन कर दिया, उस लाश के बारे में पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की। लोकल पुलिस ने ठीक काम किया है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जी0आर0पी0 की जो निष्क्रियता और अकर्मण्यता रही कि उसने इस बारे में जरा भी चिन्ता करने की जरूरत नहीं समझी कि लाश किसकी है। पहली तारीख का यह हादसा है और 2 तारीख को लाश मिलती है तो इसमें जो जी आर0 पी0 में शिथिलता बरती है उसके प्रति क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

इसमें आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, वैसे देखेंगे कि क्यों उसने शिथिलता बरती और इसमें जो दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

साकेत महाविद्यालय अयोध्या, फैजाबाद के छात्रों पर परिसर में घुसकर पुलिस द्वारा किये गये बर्बर लाठी चार्ज से 50 घायल एवं सैकड़ों की गिरफ्तारी के संबंध में नियम 56 के अंतर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार रेलवे स्टेशन दर्शननगर (फैजाबाद) पर दिनांक 16-3-88 को मजिस्ट्रेट चेकिंग हुई जिसमें बिना टिकट यात्रियों को, जिनमें साकेत महा-

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विद्यालय के छात्र भी शामिल थे, पकड़ा गया । साकेत महाविद्यालय के छात्रों को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने बनारस जाने वाली ट्रेन को विद्यालय के पास रोक लिया, सूचना मिलने पर एस0 ओ0 कोतवाली अपनी फोर्स व पी0 ए0 सी0 सहित घटनास्थल पर पहुंचे तो छात्र घेरा बन्दी किये हुये थे । उन्होंने रेलवे ट्रेन के हौज पाइप काट दिये थे । ट्रेन लगभग $1\frac{1}{2}$ घण्टे तक रुकी रही बाद में ट्रेन को छोड़कर छात्र पास में बस्ती जाने वाली रोड पर गये और उन्होंने दोनों तरफ का ट्राफिक जाम कर दिया और हिंसा पर उतारू हुए । कालेज परिसर के अंदर से भी लड़के पथराव करते रहे । एक रोडवेज की बस तथा दो हल्के वाहन पथराव से क्षतिग्रस्त हुये । पुलिस ने रास्ता जाम को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग कर 21 छात्रों को गिरफ्तार किया । इस संबंध में थाना कोतवाली में कतिपय छात्रों जिसमें गिरफ्तार 21 छात्र भी शामिल हैं, के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया । सभी गिरफ्तार छात्रों को ए0 सी0 जे0 एम0 फैजाबाद द्वारा दिनांक 16-3-88 को ही जाती मुचलके पर रिहा कर दिया गया । कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया । पथराव से 7 पुलिस कर्मियों एवं 2 पी0 ए0 सी0 के जवानों को हल्की चोटें आयीं। घटना में महाविद्यालय के प्रोफेसरों को चोटें आने के संबंध में किसी अध्यापक द्वारा कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गयी । यह कहना भी सही नहीं है कि बड़े पैमाने पर छात्रों की गिरफ्तारी की गई और छात्रों में असंतोष, आक्रोश व्याप्त है ।]

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से उनके वक्तव्य के संबंध में दो-तीन बातें जानना चाहता हूं । पहली बात तो यह कि सरकार कहती है कि 21 छात्रों को गिरफ्तार किया गया और हल्का लाठी चार्ज किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह हल्का लाठी चार्ज करने से कितने छात्रों को चोटें आयीं और उसकी डाक्टरी करायी गयी या नहीं ? और यह हल्का लाठी चार्ज किसके आदेश पर किया गया ? क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस हल्के लाठी चार्ज से किसी छात्र की मृत्यु भी हो गयी है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने शायद अंत में नहीं देखा जहां स्टार लिखा हुआ है कि कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया, हल्का बल प्रयोग किया गया । दूसरी बात यह कि आपने अपनी नोटिस में भी कोई इस प्रकार की जानकारी नहीं दी थी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है हल्के बल प्रयोग में या झगड़े में या खींचातानी में, हमारे भी संज्ञान में यह बात नहीं है कि वहां पर किसी की मृत्यु भी हुई है, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरी एडीशनल एस0 पी0 फैजाबाद से बात हुई है तो उन्होंने जो बातें आपने अपने बयान में पहले कही थीं, वह तो उन्होंने भी स्वीकार कीं लेकिन अपनी व्यक्तिगत बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिस समय हम लोग मौके पर

पहुंचे तो देखा कि सी0 ओ0 (सिटी), कोतवाल साहब और पी0 ए0सी0 वाले कालेज के परिसर के अंदर की ओर चले गये थे, और क्लास के अन्दर घुस-घुसकर विद्यार्थियों को मार रहे थे और बच्चों को वहां से खींच-खींचकर बाहर ला रहे थे, जब यह हरकतें उन लोगों की हम लोगों ने देखीं तो उन सभी को डांटा और वहां से फौरन लौट जाने को कहा, लेकिन माननीय मंत्री जी जो यहां पर बयान दे रहे हैं कि हल्का बल प्रयोग किया गया है, अगर मा0 मंत्री जी इस प्रकार के यहां पर बयान देंगे तो इससे मान्यवर पुलिस कर्मियों का मन और बढ़ेगा जो गलत काम करते हैं, हिंसा का वातावरण पैदा करते हैं। तो क्या हमारी सूचना को आधार मानकर, सही मानकर नहीं, केवल आधार मानकर सारे प्रकरण की फिर से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह जाहान–

मान्यवर करा देंगे ।

(इस समय 6 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

प्रदेश के कतिपय जिलों में ओलावृष्टि से कृषि को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 17 मा0 कल्यान सिंह जी. . .

श्री कल्यान सिंह–

श्रीमन् ओलावृष्टि के प्रश्न पर चर्चा करने से पहले आपके माध्यम से दो बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सरकार की स्वंय की जानकारी के अनुसार 22 जनपदों में ओलावृष्टि हुयी है और मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य जिनके जनपद इससे प्रभावित हुए हैं, बोलना चाहेंगे । यदि 1-1 जिले के एक-एक मा0 सदस्य को 5-5 मिनट का समय दिया जाए तो भी मान्यवर यह चर्चा एक घंटे में समाप्त नहीं हो सकेगी और दूसरी बात मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसका एक तो समय और बढ़ा दें और दूसरी बात यह कि चर्चा तो यहां पर हो जायेगी और सरकार पक्ष की ओर से भी उनकी बातें आ जायेंगी, लेकिन मैं इससे अलग हटकर एक व्यवहारिक सुझाव देना चाहता हूं कि किसानों की समस्याओं का समाधान मात्र एक घंटे की चर्चा से तो निकलेगा नहीं और न हुए उनके नुकसानात का यह चर्चा बदल बन सकती है इसलिए इस ओर आपसे, कि माननीय मुख्य मंत्री जी बैठें, मा0 राजस्व मंत्री और राजस्व राज्य मंत्री तथा समस्त संबंधित अधिकारीगण बैठें और जिन-जिन जनपदों में ओलावृष्टि से क्षति पहुंची है वहां के संबंधित जन-प्रतिनिधिगण की एक संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए, यह हमारा सुझाव है क्योंकि यहां पर जो चर्चा होगी, हो सकता है, हम अपनी पूरी बातें न रख पायें, कुछ भूल भी सकते हैं, दूसरे मंत्रीगण भी इस आदरणीय सदन में पूरे तौर पर अपने कमेन्ट्स हो

सकता है न रख सकें और दूसरे हमारे अधिकारीगण भी यहां इस समय कुछ जल्दी में हो सकते हैं, इसलिए इन सब को देखते हुए एक बैठक इस सिलसिले की अलग से होना बहुत आवश्यक है ताकि किसानों की सारी परेशानियों को अच्छे ढंग से सुना जा सके और कोई निश्चित हल उससे निकल सके और यह एक ऐसा प्रश्न है कि इसमें कोई दलगत राजनीति का सवाल नहीं है, यह नितान्त मानवीय प्रश्न है।

इस समय किसान 4 प्रकार की मार से मर रहा है, खरीफ की फसल सूखे की चपेट में आ गयी, रबी की फसल ओले से नष्ट हो गयी और ओला वृष्टि के बाद तेज हवायें चलने लगीं जिससे गेहूं के अंदर पड़ने वाला दूध सूख रहा है, दाना कमजोर हो जायेगा और पैदावार कम हो जायेगी, सिंचाई की भरपूर व्यवस्था नहीं है और चौथी मार यह है कि सरकार घोषणायें बहुत करती है, राहत के नाम पर घोषणायें करती है। मैंने अपने क्षेत्र में जाकर देखा है, राहत के नाम पर किसानों को कुछ नहीं मिला है, इसी सदन में संसदीय कार्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, ओला वृष्टि के जो क्षेत्र हैं, वहां पर वसूली स्थगित कर दी जायेगी और वायरलेस भेज दिये गये हैं। यह जो 12-13 मार्च को ओला वृष्टि हुई है, उसको देखने के लिए मैं अपने क्षेत्र अतरौली जिला अलीगढ़ गया था, मैंने 87 गांवों का निरीक्षण किया है, उनकी फसल बिलकुल चौपट हो गयी है, मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि अमीन वसूली कर रहा है, वह आज भी वसूली कर रहा है। मैंने उससे पूंछा यह वसूली स्थगित कर दी गयी है, तो क्यों वसूली करते हो, तो उस अमीन ने कहा कि मुझसे न तो तहसीलदार ने कहा न एस0 डी0 एम0 ने कहा और ए0 डी0 एम0 ने कहा कि वसूली स्थगित कर दी गयी है, वहां पर उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है। मैंने जाकर खेतों को देखा है, मात्र 6-6 इंच के ठूंठ खड़े रह गये हैं, जानवर, का चारा शेष नहीं रह गया है, किसानों के खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं रह गयी है, उसके बच्चे रो रहे हैं, वह मेड़ पर बैठा रोता है। सरकारी देयों की वसूली सख्ती से की जा रही है और जो पैसा नहीं दे पाता है, उसको हवालात में बन्द किया जाता है, मैं राजस्व मंत्री जी बताना चाहता हूं कि कुर्की वारन्ट जारी किये जा रहे हैं। यह मानवीय प्रश्न है। सरकार को सहृदयता से काम करना चाहिए। जो अधिकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, या उल्लंघन कर रहे हैं, उनके एक्जेम्पलरी कार्यवाही करना चाहिए। जो मैं देखकर आया हूं, मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि वह अपना जीवन यापन किस प्रकार से करेंगे, जानवरों के चारे की व्यवस्था किस प्रकार से करेंगे, फसल कैसे काटेंगे।

आपने घोषणा की है कि 3 महीने के लिए वसूली स्थगित कर दी गयी, तो क्या 2 महीने के बाद किसान के पास कोई फसल तैयार हो जायेगी। यह तो 6 महीने का चक्र है, उसके पास कोई मासिक आमदनी नहीं है, और आप 2-3 महीने की वसूली स्थगित कर रहे हैं। मैं भाषण देना नहीं चाहता हूं और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। मैं अपने सुझावों का 11 सूत्री मांग पत्र सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इनको मैंने दो भागों में बांटा है, एक तो दूर-

गामी और तात्कालिक उपाय। दूरगामी उपाय में यह है कि जैसे फैक्ट्री का बीमा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से फसल का बीमा होना चाहिए, जब तक फसल का बीमा नहीं किया जायेगा तब तक किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप 5 सौ और हजार रुपये की सहायता दे दें, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। सरकार ने जिले को इकाई माना है बीमा के लिए और अगर 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होगी तो उस क्षेत्र को क्षतिग्रस्त माना जायेगा। ओले का अनुभव सभी को है, एक तहसील में गिरता है, दूसरी में नहीं गिरता है, आधी तहसील में गिरता है और आधी में नहीं गिरता है और उनके आधे गांवों में भी कुछ कुछ गांवों में आधे में ओला पड़ता है आधे में नहीं पड़ता है, किसी गांव में किसी किसान के आधे खेत में ओला पड़ता है आधे में नहीं पड़ता है। इस तरह से यदि बीमा योजना के लिए जिला इकाई माना जायेगा तो किसान को कोई राहत नहीं मिल पायेगी। बाकी चीजों के लिए उसे इकाई माना गया है उसी प्रकार बीमे के लिए भी प्रति किसान को इकाई माना जाना चाहिए। उसकी फसल का बीमा होना चाहिए और उसकी क्षति पूर्ति के लिए किसान को इकाई माना जाना चाहिए। जैसे किसी बस का एक्सीडेन्ट हो जाता है तो आप उसकी क्षति पूर्ति कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो तब तक आप उस एक बस की क्षतिपूर्ति न करें जब तक कि बस अड्डे में खड़ी होने वाली 100 बसों में आग न लग जाय या वह सभी क्षतिग्रस्त न हो जायं। उसी तरह से आप किसानों के लिए भी बीमा योजना बनायें कि यदि एक किसान के खेत में ओलावृष्टि होगी तो उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी और उसकी फसल का बीमा किया जायेगा। इसलिए प्रत्येक किसान की प्रत्येक फसल का बीमा होना चाहिए और उसे इकाई माना जाना चाहिए। यह तो दूरगामी सुझाव है। अब मैं तात्कालिक उपाय बता रहा हूं जो सरकार कर सकती है।

श्री अधिष्ठाता–

आप सूक्ष्म में कह दें।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं केवल बिन्दुओं पर आता हूं। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि रबी की फसल में जो खाद, बीज बिजली, पानी लगाया जाय उसका उसे रिटर्न न मिले तो उसके सारे सरकारी देय माफ कर दिये जायं। तीसरा यह है कि जो फसल क्षतिग्रस्त हुई हो सरकार किसानों को उसकी क्षति पूर्ति करे। चौथा यह है कि पर्याप्त मात्रा में ओला पीड़ित किसानों को अनुदान दिया जाय। पांचवां यह है कि जितने भी सरकारी और सहकारी देय हों, या तो सरकार उनको माफ करे और माफ न करे तो दो काम करे या तो उसकी वसूली तत्काल रोक दी जाय अथवा ब्याज रहित सरल किस्तों में उसको वसूल किया जाय। छठा सुझाव मेरा यह है कि प्रत्येक एक हजार की आबादी पर आप राशन की सस्ते गल्ले की दुकान खोल दें अन्यथा लोग भूखों मर जायेंगे। सातवीं बात मेरी यह है कि पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाय और खाद्यान्न की व्यवस्था की जाय। मैं गांवों में गया था। लोगों

ने मुझसे कहा कि हमें भीख नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ओला पीड़ित क्षेत्रों में सरकार विशेष रूप से काम के बदले अनाज की योजना लागू करे। इससे दो लाभ होंगे एक तो उन्हें अनाज मिलेगा, रुपया आयेगा और साथ ही उस क्षेत्र के अन्दर कोई न कोई स्थायी निर्माण का कार्य भी हो सकेगा।

जहां तक तकावी का सवाल है, सरकार तकावी देती है। मेरी मांग है कि सरकार तकावी दे लेकिन सरकार यह घोषणा करे कि सरल किस्तों में उसकी वसूली की जायेगी और जब तक वसूली की जायेगी उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया जायेगा। इसलिए आप ब्याज मुक्त तकावी दें।

मान्यवर, किसानों का खेतों में गन्ना खड़ा हो, गन्ने की सप्लाई न हो, मिल वाले उसे न ले रहे हों, गन्ना ओले से क्षतिग्रस्त हो गया हो, ओले से गन्ना चोट खा गया हो तो इस तरह से जो किसान अपना गन्ना मिल केट गेट पर पहुंचाता है तो तुरन्त उसका गन्ना ले लिया जाय, पर्ची का प्राविधान समाप्त कर देना चाहिए।

किसानों के बिजली के बिल रुके पड़े हों क्योंकि वह खरीफ में मारा गया, रबी में मारा गया। स्वाभाविक है कि उसके पास पैसा नहीं है, बिल नहीं दे पाया होगा। तो यह मानवीयता का तकाजा है कि सरकार इस बात की घोषणा करे और ओला पीड़ित क्षेत्रों के लिए आप आदेश करें कि उनके बिजली के बकाये के कारण किसी भी किसान के नलकूप का कनेक्शन नहीं काटा जायेगा। इसके अतिरिक्त आप ओला पीड़ित क्षेत्रों में सभी छात्रों की फीस माफ करने की घोषणा करें नहीं तो जो अब तक के आपके कानून बने हैं अहेतुक सहायता देने के लिए न मालूम वह बाबा आदम के जमाने से बने होंगे उस कानून में परिवर्तन किया जाना चाहिये, किसान का हितकारी संशोधन उस कानून में हो जिससे किसान को कुछ राहत मिल सके।

आखिर में सरकार से इस बात का अनुरोध करूंगा कि ओलावृष्टि से पीड़ित क्षेत्रों के विधायकों के साथ अपने अधिकारियों और राजस्व मंत्री जी स्वयं बैठ कर बात करें उसमें सारी चीजों पर चर्चा करें। उसमें क्या क्या सुझाव हो सकते हैं वह देंगे तब जाकर समस्या का समाधान हो सकेगा।

एक और समस्या इन इलाकों में है। पेयजल संकट इन इलाकों में बना हुआ है और ऊपर से यह ओलावृष्टि हो गयी। अब ग्रीष्म ऋतु आ रही है इसलिये पेयजल संकट वहां गहरा होता जा रहा है। मेरी मांग है कि इन क्षेत्रों में विशेष प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक गांव में कम से कम 10 हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था करें उसके लिए कहीं से भी पैसा जुटाये यह व्यवस्था करें। चूंकि यह प्राकृतिक प्रकोप के मारे 22 जिले हैं, वहां के लोग चौपट हो गये हैं उनकी सहायता के लिए कहीं से भी पैसा जुटाये लेकिन उनकी व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मुझे माननीय सभापति विधान परिषद् ने बुलाया है। मैं एक मिनट में अपनी बात कर दूं क्योंकि माननीय कल्याण सिंह जी ने एक बात कही है उसका जवाब दे दूं बाकी तो विस्तार में माननीय राज्य मंत्री जी सारी बातों का जवाब देंगे।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जब इस सदन की कार्यवाही चल रही है और संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और उनको दूसरे सदन के सभापति बुला रहे हैं तो क्या यहां के किसी सदस्य को बुलाने के लिए वह बाध्य कर सकते हैं। यहां कोई मंत्रिपरिषद् का सदस्य बैठा हो उसको किसी दूसरे सदन के सभापति नहीं बुला सकते हैं। यह विशेषाधिकार का प्रश्न हो जायेगा जब तक आप इजाजत नहीं देंगे यह नहीं जा सकते हैं। चाहे कोई भी बुलाये। यहां पर जो इस समय चर्चा चल रही है वह बहुत महत्वपूर्ण है और यहां पर केवल एक ही कैबिनेट मंत्री बैठे हैं। पूरे मंत्रिपरिषद् में एक ही कैबिनेट मंत्री यहां पर हैं, यहां पर सरकारी नीतियों की घोषणा होनी है जो कैबिनेट मंत्री ही कर सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है उसमें एक ही कैबिनेट स्तर के मंत्री यहां पर बैठे हों और वह भी उठ कर चले जायें यह कह कर कि उन्हें फलां सभापति ने बुलाया है। इस पर मेरा निवेदन है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब तक चर्चा चले तब तक सदन को न छोड़ें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, यह कैसे हो सकता है यही राजस्व मंत्री है और कैबिनेट मंत्री यहां पर कोई नहीं है।

श्री अम्मार रिजवी–

इस समय एक ही कैबिनेट मंत्री यहां पर हैं। एक न एक को यहां पर रहना चाहिए। मैं उस समय तक रहूंगा जब तक कोई दूसरा नहीं आ जाता है। दूसरी जगह बैठक हो सकती है (व्यवधान) कोई भी मंत्री कैबिनेट रैंक का यहां होना चाहिए यह मैं मानता हूं वैसे राज्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, यहां पर संयुक्त उत्तरदायित्व होता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

मैं मान्यवर, निवेदन कर रहा था कि माननीय कल्याण सिंह जी ने एक बैठक बुलाने के बारे में कहा है। यह बहुत अच्छा सुझाव उनका है। उसमें बहुत सी बातों में डिटेल में चर्चा होगी। एक बैठक माननीय कल्याण सिंह जी तथा दूसरे नेताओं के परामर्श से रख ली जायेगी उसमें जिन जिन जगहों में ओलावृष्टि हुई है वहां के विधायकगण और अधिकारियों को बुला कर विचार विमर्श कर लेंगे। उनसे बहुत से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कि इस दैवी आपदा का किस तरह से मुकाबला किया जाय।

श्री कल्याण सिंह–

इतनी अच्छी बातें आप कहने के लिए यहां बैठे रहें।

श्री अधिष्ठाता–

(श्री विजय सिंह राणा का नाम पुकारने पर) राणाजी एक घंटे की चर्चा है इसमें अपनी क्षेत्र की बातें ही कहें और जो बातें आ गयी हैं उनको रिपीट न करें। कोई नया सुझाव हो तो उससे चर्चा में लाभ होगा।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय मुंशी जी आ गये हैं उन्होंने कहा है कि आप जा सकते हैं आपकी आज्ञा जो हो।

श्री अध्यक्ष ता—

यह तो आपने ही कहा था कि जब तक कोई कैबिनेट मंत्री नहीं आ जाते तब तक नहीं जायेंगे और जब कैबिनेट मंत्री आ जायेंगे तो वह चले जायेंगे।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, श्री कल्यान सिंह जी पहले ही आपसे अनुरोध कर चुके हैं कि यह महत्वपूर्ण विषय है। दो सालों से किसान लगातार दैवी आपदाओं में फंसा है। यह ऐसी दैवी आपदा है जिसने किसान की रीढ़ तोड़ दिया है। इस पर अनुरोध किया था कि सदन का समय यदि बढ़ाना पड़े तो आप उदार होकर समय बढ़ायें। मैं यह प्रयास करूंगा कि जो बातें श्री कल्यान सिंह जी ने आपके सामने रखी हैं उनको मैं दोहराऊं नहीं। इसमें भी शक नहीं है कि श्री कल्यान सिंह ने जितने सुझाव दिये हैं और जो मांगें रखी हैं उन सबसे मैं पूरी तरह सहमत हूं और मैं समझता हूं कि सरकार यह आश्वासन दे दे कि जो मांगें उन्होंने रखी हैं उन सब को मान लेगी और डा0 अम्मार रिजवी, जो राजस्व और संसदीय कार्य मंत्री हैं खड़े होकर कह दें कि श्री कल्यान सिंह की वह सब बातें स्वीकार हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि मैं बैठ जाऊंगा और हमारी चर्चा वहीं समाप्त हो जायेगी। यह घोषणा कर दें, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए मंत्री जी तैयार नहीं हैं।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की समस्या आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में नगला, सदला, सरबतपुर, श्रवण खेड़ा, सुल्तानपुर, ताल, झीले, वेलहनी, बरौली, गूजर, नगौता, विसारना, बहेटा, बजेहरा, सलीमाबाद, ककरारी आदि गांव हैं जो ओले से पीड़ित हुए हैं। इन ग्रामों से दो-दो मन की सिल्ली बांधकर किसान मेरे घर पर आये थे। जबरदस्ती ओला पड़ने के बाद किसान की पूरी फसल खेतों में सो गयी थी और एक भी दाना पेड़ों में नहीं बचा। जिलाधिकारी और परगनाधिकारी मौके पर गये थे लेकिन आपका लेखपाल न उनके साथ गया और न बाद में ही गया। मैं देखकर आया हूं तब तक लेखपाल वहां नहीं पहुंचा था। श्री कल्यान सिंह की बातों के साथ मैं अपनी बात को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि जो किसान ओले से पीड़ित हैं उसकी इन्क्वायरी तहसील पर बैठकर नहीं हो सकती है और न गांव के चौपाल एवं पंचायत के 4-5 गांवों के बीच में लोगों को इकट्ठा करके ही जांच नहीं हो सकती है, उसके लिए आवश्यक है कि लेखपाल को खेतों-खेतों में जाना पड़ेगा और तब रिपोर्ट देना पड़ेगा कि कितना ओले से नुकसान हुआ है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ओला पीड़ित क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ और तहसील में बैठकर जिलाधिकारी को रिपोर्ट पेश कर दिया कि इतना प्रतिशत नुकसान हुआ है। इसलिए मेरे क्षेत्र में इसका सर्वे लेखपाल को घरों में भेजकर, खेतों पर सर्वेक्षण कराकर रिपोर्ट दे, जो रिपोर्ट आपको आई है वह झूठी है।

मान्यवर, श्री रघुवर दयाल वर्मा जी इस समय यहां नहीं हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उनके क्षेत्र में 26 गांवों में ओला पड़ा है जिनमें 12 गांव बुरी तरह से ओले से प्रभावित हैं और वहां 50 से 85 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है जो गांवों की लिस्ट है उसको मैं बताना चाहता हूं कि गढ़ी-छीपी, कौडरा, परसादपुरा, कोटरा, सिकहरा, हरदासपुर, फरौलगरिया, अजहबादपुर, नगवा वैद्य, नरगापुर, रमैजापुरा, नगरिया । यह सब 12 गांव हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन गांवों में ओला पड़ा है, वहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसान के पास आपको देने के लिए एक पैसा नहीं है। इसलिए आप तकावी को वहां के लोगों को बिना ब्याज के दिलवायें, जैसा कल्याण सिंह जी ने अभी कहा है। इसके अलावा उन पर जो भी ऋण है- सहकारी या सरकारी संस्थाओं का या और किसी प्रकार का है या बकाया है, उसको अगले साल तक के लिए बिना ब्याज के बढ़ा दिया जाए। इस समय किसान जायद की और चारे की फसल पैदा कर सकता है, इसलिए उसका बीज और खाद की समुचित सुविधा दे दी जाए, जिससे वह अपने खेत में जायद की और चारे की फसल पैदा कर सके। इसके लिए सरकार उसकी पूरी सहायता करे। फसल में जो ओला गिरा है, हर हालत में अनाज का दाना काला पड़ जाएगा या खराब हो जाएगा। तो किसान के खेत में जैसी भी फसल आ रही है, उसको पकवाने की यह सरकार पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करे। इसकी खरीदारी सरकार स्वयं करे, आर0 एफ0 सी0 वाले करें या कोआपरेटिव वाले करें, लेकिन उसकी खरीदारी हर हालत में हो जानी चाहिए। इस कार्य में भले ही सरकार को अपनी ओर से सहायता देकर उठवाना पड़े, लेकिन उसको उठाया जाए, इसको सुनिश्चित कर लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता—

मुझे माननीय सदस्य से यह कहना है, निवेदन करना है कि वह कभी-कभी सीमित समय में भी बोल लिया करें . . .

श्री विजय सिंह राणा—

सीमित समय में ही बोलता हूं, लेकिन क्या करूं आपकी सीमा सिकुड़ती जाती है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके जिस्म के हिसाब से नहीं बढ़ रही है।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

माननीय कल्यान सिंह जी ने गागर में सागर भर दिया है किन्तु राणा जी सागर में गागर भर रहे हैं।

श्री विजय सिंह राणा—

तो ठीक है मैं अपनी बातों पर बल देता हूं और इन सभी बातों पर आप निश्चित रूप से घोषणा करें कि आप क्या करना चाहते हैं?

श्री अधिष्ठाता—

जिनके नाम हैं, उनको मैं पहले बुलवाऊंगा, . . (व्यवधान) जिन्होंने चर्चा में विषय उठाया है. . यह मेरा विवेक है, मैं इसमें आपकी राय से इत्तिफाक करता हूं लेकिन जिन लोगों ने पहले नाम दिया है, उनको पहले चर्चा के लिए आमन्त्रित करूंगा।

श्री रिछपाल सिंह बंसल—

मान्यवर, 12-3-88 को चार बजे से छः बजे तक हमारे यहां ओलावृष्टि हुई है। मेरे चुनाव क्षेत्र खेकड़ा ब्लाक के 28 गांवों में और लोनी ब्लाक के 18 गांवों में शत प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ है। लोनी के गांवों का निरीक्षण जिलाधिकारी गाजियाबाद ने किया है और खेकड़ा के गांवों का निरीक्षण परगना अधिकारी व तहसीलदार, बागपत ने किया है और वहां सी0 डी0 ओ0 ने भी किया है। बाकी गांवों में 50 से लेकर 75 परसेन्ट तक का नुकसान हुआ है। कोई रबी की फसल नहीं बची है। यहां तक कि बागों की सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई है। पांच-चार गांव-विनयपुर, भड़ापुर व रटौल आदि ऐसे हैं, जिनमें बागों की फसल भी शत प्रतिशत नष्ट हो गई है। खेकड़ा ब्लाक के पखरपुर, फिरोजपुर, निरोजपुर, नंगला-बड़ी, अहमदनगर, विनयपुर, भाड़ापुर, रथोल, गढ़ी, नवादा, खेकड़ा, सिकन्दरपुर, डगरपुर, घिटोरा, आगर गोठरा आदि 28 गांवों में शत प्रतिशत फसलों का नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी, मेरठ ने रिपोर्ट दी है कि 15 करोड़ रुपये की फसल का नुकसान खेकड़ा ब्लाक में हुआ है। तो भाई कल्यान सिंह जी ने कहा है, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जायद की जो फसल बोई जा सकती है, उसके लिए सारी सुविधाएं दी जाएं, फसल का बीमा हो, गांव को इकाई बनाया जाए, पशुओं के लिए सस्ते चारे की व आदमियों के लिए सस्ते गल्ले की व्यवस्था की जाए जहां शत प्रतिशत नुकसान हुआ है। गन्ने की पर्चियों के बेसिक कोट का जो प्राविधान है, उसको हटा दिया जाए। मान्यवर, मैं अपने चुनाव क्षेत्र के लिए मांग कर रहा हूं चिरोड़ सेन्टर, खेकड़ा, सेन्टर, भड़ौला सेन्टर बड़ा गांव सेन्टर फ्री कर दिया जाए। जहां गन्ने की क्षति हुई है उनके गन्ने को ले लिया जाए।

*श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, जितने सुझाव आ गये हैं उन सबके बारे में नहीं कहना है। मान्यवर, 11, 12, 13 आंधी, पानी, ओला पड़ा मान्यवर, मोहम्मदपुर ब्लाक, मिर्जापुर, और रानी सराय है, मान्यवर कोई ओला नहीं रोक सकता है, पूरा मुआवजा भी यह नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक काम तो यह कर सकते हैं सही तौर पर यह आंका जाए कि कितना नुकसान किसानों का हुआ। मान्यवर, मैं पांच-छः रोज के बाद वहां गया तो हर जगह शिकायत मिली कि कितना नुकसान हुआ यह देखने कोई नहीं आया, तो जो नुकसान होता है उसकी सारी तस्वीर सरकार के सामने आनी चाहिए और जो साधन हैं उससे क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। जो लोग खपरैल और मंडई में रहते हैं उनके खपरैल टूट गये। मंडई उजड़ गई, तो उनके मकानों की तामीर करनी चाहिए। आखिरी निवेदन यह है कि जो मुआवजा दिया जाए तुरन्त दिया जाए। लगान की छूट दी जाए, तो तुरन्त दी जाए। ऐसा न हो कि आज की छूट चार साल बाद दी जाए। इससे कोई फायदा नहीं होता है, तो जो राहत कार्य किया जाए वह तुरन्त किया जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं हमारे जनपद में, जैसा कि मसूद साहब ने कहा कि आंधी बारिश और ओला पड़ा। रामनाथ मुंशी जी बात कर रहे हैं, मान्यवर यह बगल के जिले के हैं। एक क्षेत्र मान्यवर, जहां गाजीपुर और बलिया मिलता है, गढ़हापरगना है, जिसको करई का इलाका कहते हैं। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहां मसूर की फसल बोई जाती है पूरी की पूरी मसूर की फसल जमीन पकड़ कर फैलाती है। मान्यवर 3–4 घंटे बारिश होने के कारण उस इलाके में पूरा पानी भर गया। मान्यवर, बलिया के एक एवं गाजीपुर के तीनों ब्लाकों में मसूर की फसल नष्ट हो गई बलिया में गढ़वार ब्लाक, हनुमान गंज ब्लाक, में इतना आंधी तूफान आ गया कि बहुत से लोगों की झोपड़ियां उलट गई। गेंहू की फसल बर्बाद हो गयी बलिया जनपद के जिलाधिकारी ने नौजवान मिनिस्टर को इसकी सूचना भेजी है या नहीं, ता मालूम नहीं, लेकिन नुकसान तो हर हालत में नुकसान है। चाहे वह पानी से हुआ हो चाहे वह किसी से हुआ हो। गढ़वार, सुहाव और हनुमान गंज को भी अन्य जिलों को जो सुविधा आप देना चाहते हैं उसमें आप बलिया जिले के ब्लाकों को भी शामिल कर लें।

श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का मौका दिया। सारी धरती की छाती पर सूखे की भयंकरतम मार से उत्पन्न दरारें अभी भर भी नहीं पायीं थीं कि कुदरत के क्रूर करतब ने हमारे यहां 13 मार्च की शाम को भयंकर ओलावृष्टि की जिससे जमीन पर 6 इंच से लेकर 9 इंच मोटी बर्फ की तह जम गयी। जिसमें हजारों की तादाद में पक्षी मर गए और तमाम जानवर घायल हुए। मेरे यहां 8 ग्राम सभाओं में ओलावृष्टि से भयंकर हानि हुयी है। वहां का किसान सूखे की मार से पहले ही टूट चुका था और इस ओलावृष्टि से दाने दाने का मोहताज हो गया है और शासन की तरफ एक कातर निगाह से देख रहा है। मेरा निवेदन है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में सम्पूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रदेश में ही 20 सूत्री कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सूत्र संवेदनशील प्रशासन है। लेकिन मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि छिबरामऊ के परगनाधिकारी जो नवाब की हैसियत से जिंदगी जीते हैं और जिनको शासनादेशों की परवाह नहीं है गृह जनपद के मूल गांव से मात्र 10 किलोमीटर दूर नियुक्त है गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ 15 अगस्त, 87 को एस0 डी0 एम0 कोर्ट छिबरामऊ का उद्घाटन किया ओलावृष्टि से संबंधित स्थल निरीक्षण करने पर जीप से उतर कर सड़क के गांव में और गरीबों से सम्पर्क करने की जरूरत महसूस नहीं की।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपने सुझाव लिखकर मंत्री जी को भेज दीजियेगा।

श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

हमारे यहां के आठ गांव सभायें ऐसी हैं जहां पर भीषण क्षति हुयी है ये ग्राम सभायें विकास खण्ड तालग्राम में ज्ञानपुर, ऊंचा लाड़पुर नरमऊ तेरारब्बू तिसौली पनिगंवां तथा सकरहनी गांव सभा के रघुनाथपुर व मोतीपुरवा ग्राम है। इन गांवों को

तुरन्त राहत पहुंचायी जाय और वहां पर जो सरकारी दयों की वसूली है उसको स्थगित करें तथा वहां पर रोजगार के अवसर सृजित करायें। जिन मकानों को क्षति पहुंची है उनको बनवाने के लिए धन प्रदान किया जाय। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि 13 तारीख को जो ओलावृष्टि हुयी है उसमें एक गांव के केवल कुछ लोगों को ही अनुदान की धनराशि दी गयी है और ज्ञानपुर के कृषकों को मात्र 13 लोगों को धन देकर शेष को पुलिस बल से डाक बंगला गुरसहायगंज से वापस कर दिया। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है एक बात और है कि कटे हुए नलकूपों के कनेक्शन जुड़वा दिये जावें।

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, मेरे बस्ती जिले में नौगढ़ में दो दिन लगातार चकनानी आंधी के साथ बरसात हुयी और दो बार भयंकर रूप से ओला पड़ा जिससे सारी फसल बरबाद हो गयी छप्पर और खपरैल के मकान टूट गये, मकानों की छतें टूट कर उड़ गयीं। वहां पर अगर कोई जाकर पेड़ों को देखे तो ऐसा लगता है कि जैसे आग से जल गये हों। लेकिन आज तक कोई सहायता नहीं मिली है। परेशान लोग दाने दाने को मोहताज हैं। जो मजदूर बिसौरी पर गेहूं काट कर इतना अनाज इकट्ठा कर लेते थे कि रोपनी तक उनके खाने के काम आता था उनके पास आज खाने तक को नहीं है और वह भुखमरी के कगार पर हैं। हमारा क्षेत्र नेपाल बार्डर से लगा हुआ है। वहां पर भी ओला पड़ा है। नेपाल हमारे देश के मुकाबले बहुत छोटा देश है लेकिन वहां पर खाने पीने के लिए हेलीकाप्टर से गल्ला दिया गया है और दूसरी सहायता दी गयी है और हमारी भारत की जनता सहायता के लिए तरस रही है। मान्यवर, टप्पा घोस, टप्पा नेटवर और माटीनपार के लगभग 150 गांवों की फसलें ओला से नष्ट हो गयीं हैं और मकान बरबाद हो गये हैं। जिस तरह से बाढ़ में मकानों का नुकसान होता है और सहायता दी जाती है उसी प्रकार से मकान बनाने के लिए सहायता दी जाय। जो फसलें बरबाद हुयी हैं उनके लिए सहायता दी जाय। एन0 आर0 ई0 पी0 की स्कीम का उस एरिया में लागू करके लोगों को रोजी रोटी दी जावे फसल बीमा जो हुआ था उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं कि सूखा राहत के पैकेट बंटने वाले हैं तो मेरा सुझाव है कि उनको ओलावृष्टि वाले क्षेत्रों में ही बांटा जाय और जो मीटिंग मा0 राजस्व मंत्री द्वारा बुलायी गयी है उसे बुलाकर राहत कार्यों को कराने की कृपा करें।

*श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गाजीपुर जनपद में पिछले दिनों ब्लाक कासिमाबाद, बाराचौर, मरदा में आंधी, वर्षा व ओला तीनों साथ-साथ आया, स्थिति इतनी भयानक हो गयी कि जोगा और खढ़िया गांव के बीच में कुछ गड़रिया अपनी भेड़ को चरा रहे थे, इतने में ओलावृष्टि हो गयी कि दो दर्जन से ज्यादा भेड़ें मर गयीं, लेकिन आज तक उनको

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई सहायता नहीं दी गयी। इसके पिछले साल भी ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन उस साल भी कोई सहायता नहीं दी गयी। हमारे गौरी भइया जो बात गढ़ा क्षेत्र को कह रहे थे, वास्तव में उस इलाके में सहायता नाम की कोई चीज नहीं दी जा रही है। भागूकौल ब्लाक और मोहम्मदाबाद ब्लाक के निचले हिस्से में मसूर और खैसारी की फसल की इस ओलावृष्टि से बहुत क्षति हुई और लगान की वसूली वहां पर बराबर चल रही है, इसे स्थगित किया जाय।

मान्यवर, जो फसल बीमा योजना है, उसके संबंध में मैं जानता हूं कि तहसील स्तर की यूनिट भारत सरकार से तय की जाती है, किसान स्तर पर नहीं कर सकते, तो कम से कम न्याय पंचायत स्तर पर इसकी यूनिट मानें, जिससे कि उस ओला-वृष्टि से, तूफान से, क्षतिग्रस्त हों, तो उन्हें इसको मुआवजा बीमा की धनराशि के रूप में दी जा सके। मान्यवर, जो किसान आलू उत्पादक हैं, उनका आलू खेतों में सड़ रहा है, उसे आप भंडारण तो करा नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस जनपद के किसानों को इसमें राहत दिलाई जाय और जनपद गाजीपुर को प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति, जिनको आपने ओलावृष्टि के कारण ओलावृष्टि में शामिल किया है, उसमें आप गाजीपुर जनपद को भी शामिल कर लें।

*श्री लक्ष्मी नारायण--

मान्यवर, अभी जैसा कि माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा था कि प्रत्येक किसान की क्षति को देखकर हानि का मापदण्ड बनाया जाय। मान्यवर, प्रकृति का नियम है कि ओला की तो एक साइड होती है, जो कई-कई, पचास-पचास, सौ-सौ किलो-मीटर तक चली जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई किसान का बेटा भी इस मंत्रिमंडल में नहीं है, क्योंकि जो ऐसी नीति निर्धारित कर रखी है ऐसी पालिसी बना रखी है कि जब तक जिले की 50 प्रतिशत फसल बरबाद न हो, तब तक ओला पीड़ितों को राहत न दी जाय, कम से कम इस पालिसी में सुधार किया जाय और ओलावृष्टि में जो नुकसान फसल को है, उनको व्यक्तिगत रूप से किसानों को सहायता दी जाय। हरियाणा में जब कभी भी ओला पड़ा या जब कभी फसल बरबाद हुई, तो वहां के किसानों को 500-600 रु0 प्रति एकड़ हमेशा सहायता दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई सहायता नहीं दी जाती है, जबकि हमारा पूरा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा की सीमा से लगा हुआ है, लेकिन यह विड-म्बना सी है कि हमारे यहां के किसानों को कोई सहायता नहीं दी जाती है। मेरा निवेदन है कि इस ओला-वृष्टि में किसानों को जो सहायता दी जाय, वह अन्न के रूप में दी जाय और पशुओं के लिए चारा दिया जाना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां पर ओलावृष्टि होती है, तो ओला के पानी में इतना जहर होता है कि कोई भी फसल से यदि पानी छू जाय, तो फसल नष्ट हो जाती है। जहां पर भी ओला पड़ा है। वहां पर गन्ने की फसल भी किसानों की बरबाद हो गयी है। मेरा अनुरोध है कि ऐसे क्षेत्रों में माननीय मंत्री जी आदेश दें कि जिन किसानों का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गन्ना ओला से बरबाद हुआ है, उसकी वहां के गन्ना क्रय केन्द्रों को फ्री कर दिया जाय और उनका गन्ना शीघ्र खरीद लिया जाय। मैं यह भी मांग करता हूं कि जिन क्षेत्रों में ओला पड़ा है, वहां पर खाद, बीज के ऋण को माफ किया जाय तथा अन्य सरकारी देयों की वसूली को कम से कम 6 माह तक के लिए स्थगित किया जाय, क्योंकि किसानों को प्रतिदिन की कोई आमदनी नहीं होती किसान फसल पर ही ऋण अदा कर सकता है।

*श्री प्रकाश नारायन अवस्थी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने ओलावृष्टि पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, जनपद फतेहपुर में यूं तो सूखा से ही किसानों की रीढ़ टूट गयी है, ओलावृष्टि ने और जर्जर कर दिया। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद बुन्देलखण्ड की भांति जमुना बेल्ट में आता है, यहां पर 12/13 की रात को भयंकर आंधी, वर्षा और ओला से बागों की फसल व खेत की फसल का घोर नुकसान पहुंचा है। 13 तारीख को माननीय खाद्य मंत्री मानपाल सिंह जी जहानाबाद पधारे थे, जहां पर हजारों-हजारों की तादाद में किसानों ने ओलावृष्टि की समस्याओं से माननीय मंत्री को अवगत कराया।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल थोड़े सुझाव देना चाहता हूं–किसानों का फसल बीमा कराया जाय, छात्रों की फीस माफ की जाय, राजकीय नलकूप अनावर्त चलाये जाय, एल0 जी0 सी0 व घाटमपुर रजबहे की अमौली विजौली, सिजौली माइनरें चलाने की व्यवस्था की जाय, जायद की फसल हेतु बीज पानी फ्री उपलब्ध कराया जाय, रोजी रोटी हेतु राहत कार्य अनावर्त चलाये जायं, सहकारी वसूली कोआपरेटिव बैंक की रोक दी जाय, लगान और सिंचाई माफ की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

बाकी सुझाव लिखकर भेज दीजिएगा।

*श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बोलने का मौका दिया। मान्यवर, हमारे बहराइच जिले में 12–13 मार्च को विशेश्वर गंज ब्लाक के लगभग 40 गांव, प्रयागपुर के लगभग 25 गांव, हुजूरपुर के लगभग 10 गांव, कैसरगंज के लगभग 30 गांव ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं तथा पखरपुर तजवापुर महसी ब्लाक में भी काफी नुकसान हुआ है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है और कम से कम 10 पशुओं के जानें गयी हैं। मान्यवर, जिस वक्त ओलावृष्टि समाप्त हुई है उस समय बिना किसी नेता के बिना किसी झंडे के 5–7 सौ व्यक्ति बहराइच की सड़कों पर आ गये और उन्होंने अधिकारियों से अपना दुख-दर्द कहा। मान्यवर, बहराइच जनपद पिछले तीन वर्षों से 83-84 और 85 से बाढ़ से तबाह रहा है और उसके बाद 86-87 में सूखे से तबाह हुआ है और उसके बाद वर्ष 1988 में ओलावृष्टि से तबाह हुआ है। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के माननीय कल्याण सिंह जी ने जो मांगें

प्रस्तुत किया है, वह सारी मांगें बहराइच जनपद में लागू की जानी चाहिए। मंत्रि-परिषद् की तरफ से अफसोस तो जाहिर कर दिया जाता है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इनका हाल यह है–

साहिल के तमाशाई, अफसोस तो करते हैं,
पर डूबने वाले की, इमदाद नहीं करते।

मान्यवर, इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि वहां के किसानों की लगान माफ की जाय, उन्हें सहायता पहुंचाई जाय और खाद बीज डीजल उपलब्ध कराया जाय।

श्री काजी कलीमुर्रहमान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे जनपद आजमगढ़ में ब्लाक महराजगंज, बिलरियागंज है वहां लोगों का ओला, पानी और आंधी की वजह से काफी नुकसान हुआ है। इससे पहले बाढ़ से भी नुकसान हुआ था। नियमतः जो सहायता मिलनी चाहिए थी वह भी नहीं मिली है। मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा था उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो आपके विभागीय अधिकारी हैं, वह नियमतः जो सुविधा मिलनी चाहिए, उसको समय से नहीं देते हैं। मान्यवर, हमारे यहां महराजगंज और बिलरियागंज ब्लाक में जो नुकसान हुआ है उसके लिए सहायता दिलवाई जाय।

श्री कनक सिंह–

मान्यवर, हमारे क्षेत्र के लगभग 27 गांव प्रभावित हुए हैं। मान्यवर, सभी लोगों ने बताया कि किसान की फसल 50 से 100 प्रतिशत नष्ट हो गयी है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये 27 गांव गन्ने की फसल पैदा करते हैं लेकिन ओला और तूफान से पूरी फसल गिर गयी है अगर उसको 15–20 दिन में सप्लाई नहीं कराया गया तो वह सूख जायेगा। मान्यवर, सम्बाली शुगर मिल है इसमें अगर 15 दिन के अन्दर इन 27 गांवों का जिसकी गन्ने की फसल क्षति-ग्रस्त हो गयी है, का गन्ना न सप्लाई कराया गया तो बहुत नुकसान होगा। इनके गन्ने की सप्लाई की व्यवस्था यथासमय करवा दें, धन्यवाद।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, जो फसल बीमा योजना लागू है, उस पर अपनी बात कहूंगा। जैसा कि माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा फसल बीमा योजना में, पहला तो यह कि किसान की फसल का बीमा नहीं किया जा रहा है बल्कि ऋण बीमा किया जा रहा है। जो किसान कोआपरेटिव विभाग से ऋण लेता है केवल उन्हीं की फसल का बीमा है और वह ऋण का ही बीमा है। जिन क्षेत्रों में ऋण दे रहे हैं वहां ही बीमा किया जा रहा है, फसल का बीमा नहीं हो रहा है। यह कहना फसल बीमा किया जा रहा है, भ्रामक है। साथ ही मान्यवर, एक मानक बनाया है कि अगर तहसील में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होगा तो उस पर क्राइटेरिया है और उसके आधार पर क्षतिपूर्ति की जायेगी। खास तौर से सूखा भी पूरी तहसील में बराबर नहीं पड़ता, बाढ़ भी बराबर नहीं पड़ती और ओला तो बराबर पड़ता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि सचमुच बीमे की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से फसल का बीमा करावें।

श्री हृदय नारायन दीक्षित–

मान्यवर, हमारे उन्नाव जनपद में हमारे क्षेत्र पुरवा के ब्लाक हिलौली और असोहा में भारी उपलवृष्टि हुई। हमसे पहले जो विचार मा0 कल्यान सिंह और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये, उनसे सहमति व्यक्त करते हुए मैं अलग तफसील में नहीं जाऊंगा। मुझे निवेदन करना है कि मा0 राजस्व राज्य मंत्री बैठे हैं, उन्होंने कई बार मेरे विधान सभा प्रश्नों और अन्य चर्चाओं के दौरान घोषणा की है कि राजस्व वसूली नहीं की जायेगी। मेरे क्षेत्र में सूखे से फसल नष्ट हो गयी है, 60–70–80 फीसदी तक मा0 मंत्री जी ने स्वीकार किया है इसके बावजूद वसूली में अमीन लोग जूता लात मारकर तहसील की काल कोठरियों में बन्द कर रहे हैं यह बन्द करवाइए बस इतना ही कर दें तो काफी है।

श्री रामपाल सिंह एडवोकेट–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, गोण्डा जनपद में भयंकर ओले से पूरी फसल नष्ट हो गयी है। मेरा रुपईडीह विकास क्षेत्र में पूरी फसल का शत प्रतिशत नुकसान हुआ है। अट्ठारह तारीख को इतना भयंकर ओला पड़ा। मैंने मा0 मंत्री जी से निवेदन किया, लेकिन अभी तक कोई राहत का काम वहां पर नहीं किया गया। मैं निवेदन करूंगा कि इस समय कम से कम उनको जायद की फसल के लिए कुछ अनाज दे दीजिये ताकि वे बीज बो लें और जो सुविधा देना चाहें, फौरन दे दें। समय से उनको सहायता नहीं देंगे तो उसका उपयोग नहीं हो पाएगा।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, खतम कर रहे हैं, आप कह दें कि हमको नहीं सुनेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

समय के अन्दर खतम करेंगे।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, 10 मिनट का समय बढ़ा दें।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मेरा भी अनुरोध है कि . .

श्री अधिष्ठाता–

कल्यान सिंह जी आप अनुरोध न करें।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मेरा विनम्र अनुरोध है कि, आग्रह से अनुरोध है कि यह एक मानवीय संकट का प्रश्न है। कई विधायक बोलना चाहते हैं। आप अगर इस पर 15 मिनट का समय और बढ़ा दें तो अच्छा होगा, क्योंकि यह सदन 8–9 बजे तक बैठा है, 15 मिनट ज्यादा बैठ जायगा तो कोई बात नहीं है।

श्री मित्रसेन–

मा0 अधिष्ठाता जी, जो मा0 कल्यान सिंह जी और राणा जी ने प्रस्ताव रखा है, उसे बल्ल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हमारा कहना है कि ओला 2–3 बार पड़ चुका है, 13-14 फरवरी को पड़ा और फिर मार्च में पड़ा। दो-तीन बार विभिन्न क्षेत्रों में ओला पड़ा तो जिन क्षेत्रों से शासन को जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मिल चुकी है, जैसे 13-14 फरवरी को फैजाबाद के 100 गांवों में ओला पड़ा, उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी ने भेज दी और उन्होंने धन की मांग भी कर ली, मा0 मंत्री जी को मिल भी गयी और शासन के संज्ञान में है। तो शासन जिस चश्मे से देखता है, हमारी बात नहीं मानता है, अधिकारियों की बात मानता है, उनकी ओर से रिपोर्ट आ गयी है, कम से उन लोगों को जो पसीना खर्च करके अपनी रोजी चलाना चाहते हैं, उनको काम दे दिया जाय, पैसा दे दिया जाय, उसको आपने स्वीकार नहीं किया। फैजाबाद में 13-14 फरवरी को जहां ओला पड़ा है, उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, उसके बाद शासन ने क्या निर्णय लिया है। सहायता की जो मांग की गई थी, वह स्वीकार हुई या नहीं।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

पर्वतीय क्षेत्रों में टिहरी गढ़वाल में बहुत ही जबर्दस्त ओलावृष्टि हुई है और इस समय फलों में फूल आते हैं वह तो बहुत ही नुकसान हुआ, अब फूल नहीं आने वाले हैं। अंडर डिस्ट्रेस प्रोसेस, लोगों से जो जबर्दस्ती वसूलियां की जा रही हैं, उसको रोका जाय।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आप जब कभी उस आसन पर बैठते हैं, मुझे मौका नहीं देते हैं। हमें सदन से बहिर्गमन के लिए सोचना पड़ता है।

श्री फजलुल बारी–

जब माननीय अधिष्ठाता बैठे, तब यही करना पड़ेगा। आप मौका ही नहीं देते हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा।

मान्यवर, दैवीय आपदा से हमारे यहां का क्षेत्र हमेशा पीड़ित रहता है। शासन की नीतियों के कारण ही हम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। जब शासन को यह ज्ञान रहता है कि 16 से लेकर 18 फीसदी तक हमारी कृषि उपयोग की भूमि या फसल किसी न किसी मायने में बर्बाद हो जाती है, तो इस दैवीय आपदा से निपटने के लिए बजट में समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं ओला पड़ा, कहीं बाढ़ आयी, कहीं और दैवीय आपदा आ गयी, मान्यवर, जिलाधिकारी जिले से लिखते हैं राहत आयुक्त को और राहत आयुक्त के यहां कुछ अजीब ही व्यवस्था

है, जब आदमी परेशानी में होता है, तो उसे तत्काल राहत पहुंच ही नहीं पाती है। इसलिए इसकी प्रक्रिया को भी देखना होगा। मान्यवर, हमारे यहां इटवा विकास खंड में कठेला, बिसखोर न्याय पंचायत और खुनियांव ब्लाक में सिरसियां, खुनियांव, गौडी, बारीकपार, बलेदा न्याय पंचायत और मठेसर न्याय पंचायत–इन सारी की सारी न्याय पंचायतों में पत्थर पड़ा। चूंकि वह एक तरफ से पड़ा, कहीं एक गांव के 15 आदमियों को नुकसान हुआ, कहीं किसी गांव में 20 आदमियों को नुकसान हुआ, लेकिन उसको तहसीलदार क्षति नहीं मानते हैं। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि खातेदार की क्षति का आंकलन करवायें। खाते के हिसाब से, नुकसान हुआ है, उसको अनुदान दीजिए। मान्यवर, इसके अतिरिक्त यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां डुमरियागंज तहसील में 700 रु०, 800 रु0, 1200 रु0 के बकाया के संबंध में लोग बन्द किये गये हैं, साधारण किसान बन्द हैं। जो बड़े-बड़े मुस्ताण्डे हैं, सहकारिता विभाग वाले हैं, उनको आप पकड़ते नहीं हैं, सेलटैक्स चोरों को आप पकड़ते नहीं हैं, साधारण किसान को आप पकड़ लेते हैं। मेरा कहना है कि कम से कम 30 जून तक उनकी वसूलियां रोकें और जो बन्द हैं, उनको छोड़ें।

श्री महरम सिंह–

मान्यवर, ओलावृष्टि के बारे में यहां चर्चा है, ओला प्रदेश के विभिन्न जिलों में पड़ा। लेकिन सरकार ने भी जहां-जहां सूचना मिली उसमें तत्परता के साथ कार्यवाही की गयी। फर्रुखाबाद में मैं बताना चाहता हूं कि जिन जगहों पर ओला पड़ा, तुरन्त जिला मजिस्ट्रेट ने एस0 डी0 एम0, तहसीलदार, कानूनगो को लगाकर उसकी जांच करवायी और जांच के बाद वसूली रोक दी गयी।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जिनके यहां कार्यवाही हो गयी, वसूली स्थगित हो गयी, लोगों को राहत पहुंच गयी उनको आप मौका देकर सदन का समय क्यों व्यर्थ करवा रहे हैं। जिनके यहां क्षति हुई है, उनको सुनें।

श्री महरम सिंह–

मान्यवर, विपक्ष के साथियों को यह हो सकता है शायद उनको जानकारी न हुई हो कि काम हुआ या नहीं। अगर काम हुआ है तो यह लोग कहने में हिचक रहे हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, माननीय मंत्री जी से, कि जिन जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, उन जगहों पर पर्याप्त मात्रा में वितरण प्रणाली की दुकानें खुलवा दी जायें और उन लोगों को कुछ अनुदान भी दिलाया जाये, ताकि वह अपना जीवन निर्वाह भली प्रकार कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपने माननीय राजस्व मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं।

(समय न मिलने पर श्री बदन सिंह सदन का त्याग कर चले गये)

श्री राजित प्रसाद यादव–

मान्यवर, इस समय जो अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, उसी संदर्भ में सिर्फ 2-3 समस्याओं की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। मान्यवर, हमारे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के किसान आज तिहरी मार से पीड़ित हैं इसमें सूखा, बाढ़ और ओला है। विगत दिनों जो ओलावृष्टि हुई है, उसके संबंध में माननीय कल्यान सिंह जी ने विस्तृत रूप से चर्चा किया है। पहले ओला पड़ा, फिर तेज आंधी चली और उसके साथ बरसात हुई जिससे किसानों की रबी की फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी। मान्यवर, यहां पर जो माननीय सदस्यों ने प्रतिशत का हिसाब बताया है 50 फीसदी, 75 फीसदी। मैंने यह निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला है, अपने क्षेत्र के गांवों में जाकर देखने से, 50 फीसदी से कम तो कहीं फसल का नुकसान हुआ ही नहीं है और मान्यवर, सूखा राहत कार्य को लेकर इस सरकार द्वारा बड़ी-बड़ी घोषणायें की गयीं कि किसी तरह की कोई वसूली किसानों से नहीं की जायेगी, वसूली स्थगित कर दी जायेगी। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं इस सदन का एक सदस्य होने के नाते, कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में जब मैं जन सम्पर्क कर रहा था तो मैंने एक अमीन द्वारा गरीब गांव में, एक गरीब आदमी को पकड़कर ले जाते हुए देखा। मैंने उससे पूछा कि इसे क्यों पकड़ कर ले जा रहे हो, उस अमीन ने कहा कि इस पर बकाया है। तो मैंने कहा कि सरकार ने तो वसूली स्थगित कर दी है तो उसने कहा कि हम लोगों को आदेश है, इसलिए हम इसे पकड़कर ले जा रहे हैं। जब मैंने उसको बहुत समझाया तब जाकर उसने उस व्यक्ति को छोड़ दिया।

मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज भी किसानों का उत्पीड़न जारी है और वसूली की जा रही है। आप लोग सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो आप सदन में घोषणायें करते हैं, वह पूरी नहीं होती हैं। आप कभी गांव में जाकर उसको देख लिया करें, कि काम होता भी है या नहीं। मान्यवर, ओला पड़ा और तेज आंधी के साथ वर्षा भी हुई। इससे किसानों की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। मैं एक गरीब का बेटा हूं और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस तेज आंधी में हमारी भी झोपड़ी उड़ गयी। इसी आधार पर मैं आंकलन करता हूं कि अधिकांश गरीब लोगों की भी झोपड़ी उड़ गई हैं। मान्यवर, कल्याण सिंह जी ने बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को इस सदन में उठाया है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि किसानों को बड़े पैमाने पर सहायता देकर उनको राहत प्रदान की जाये और उनकी जो समस्यायें हैं, उनका समाधान किया जाये, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, जो माननीय कल्यान सिंह जी ने प्रश्न उठाया है, उसके संबंध में कहने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुकरहगां,

घाट, बस्ती, बाडनी, पलटादेवी, लोहसन आदि सैकड़ों गांव हैं, जहां भयंकर पत्थर की मार से बहुत फसल नष्ट हो गयी । वहां पर डेढ़ फीट ऊंचा ओला पड़ा । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के पेड़ों पर इस ओले की मार से पत्तियां नहीं रह गयी हैं और फसल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी है और आदमियों को भी काफी चोटें आयी हैं। जानवर मर गये हैं। मान्यवर, आपकी तरफ से इस सिलसिले में आज तक कोई सहायता उन लोगों को नहीं दी गयी । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक विशेष दल भेजकर बस्ती जिले के उत्तरी भाग में, कम से कम 100 किलोमीटर का जो हिस्सा है, जहां सारी फसलें नष्ट हो गयीं हैं, वहां कोई पुरसाहाल नहीं है, उन लोगों को विशेष योजना बनाकर तथा लगान आदि माफ करके आप राहत प्रदान करें ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा था । स्वयं अपने क्षेत्र अतरौली के 87 गांवों का सर्वेक्षण किया और उसके बाद मैंने उसकी सूची राहत आयुक्त को दी । एक-एक किसान को जो क्षति हुई है, उसका पूरा विवरण दिया है, लेकिन लेखपाल ने जो सर्वे किया है, वह बहुत ही असत्य है। मैं कहता हूं कि 75 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। माननीय मंत्री जी आप इसकी जांच करवा लें ।

दूसरा, यह जो गन्ने वाली बात है। आज मंत्री जी इस बात की घोषणा कर दें कि जो बेसिक कोटा है गन्ने का वह समाप्त किया जाय । ओला-पीड़ित किसानों का सारा गन्ना लेने की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले । काम के बदले अनाज योजना को उन क्षेत्रों में लागू किया जाय, जो ओला पीड़ित क्षेत्र हैं । केवल लगान या सिंचाई को माफ कर देने से कोई राहत मिलने वाली नहीं है, उसके लिए जो आपके सहकारी ऋण हैं या सरकार के जो ऋण हैं, उन्हें भी माफ किया जाय । यदि माफ न किया जाय तो कम से कम एक साल तक के लिए उसकी वसूली स्थगित की जाय, क्योंकि किसान के पास एक साल तक देने के लिए कुछ नहीं है। सहकारिता मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, वह इस बात की घोषणा कर दें ।

तीसरी बात, जहां तक वसूली की बात है। आज यहां पर इस बात की घोषणा हो जानी चाहिए कि ओला-पीड़ित क्षेत्रों में कृषि देयों की वसूली व कर्जों की वसूली को रोक दिया गया है और यदि कोई वसूली उत्पीड़न की कार्यवाही करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी । इन सारी चीजों पर आप आश्वासन इस आदरणीय सदन में दें ।

(श्री गौरी शंकर के खड़े होने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

ये तो अधिकार विहीन मंत्री हैं।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री पाण्डेय जी ने कहा कि अधिकार विहीन व्यक्ति हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं "रहिमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई वहां करे तलवार।" कभी-कभी आपकी दृष्टि छोटे आदमी की तरफ भी होनी चाहिए। हमारे अत्यन्त वरिष्ठ व नहुत ही सम्मानित सदस्य श्री कल्यान सिंह ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ और बहुत ही गम्भीरता के साथ इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। इसमें कोई दो-राय नहीं है कि यह विषय स्वतः ही बहुत गम्भीर है और शासन ने भी इस विषय को बहुत ही गम्भीरता से लिया है। हमारी पूरी सहानुभूति जनता के साथ है। एक ऐतिहासिक व भयंकरतम ओला पड़ा, जिससे जानवर आहत हो गये, जो इन्सान उसके सम्पर्क में आया, वह आहत हो गया, पक्षी मर गये और फसल की क्षति हुई है। मैं विस्तार से इसमें जाना नहीं चाहता हूं, वह तो स्वयं आप लोगों ने कह ही दिया है। लेकिन मैं खास तौर से एक ही बात कहूंगा, एक तो शासन की जागरूकता कितनी है इस पर आपका ध्यान जाय और हमने कितनी इसमें गम्भीरता बरती है, कितने सजग रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मौके पर पूरे माननीय सदस्यगण से पूरी जनता से अपील करना चाहूंगा कि ऐसा समय होता है जब आदमी के धीरज की परीक्षा होती है। ऐसा लगता है कि प्रकृति भी हमारी शक्ति और धीरज की परीक्षा ले रही हो। एक न एक दैवी आपदा खड़ी हो जाती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि—

धीरज धरम मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिये चारी।

यही आदमी की परीक्षा होती है कि ऐसे समय में अधीर न हों और जो जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा सहानुभूति रखते हुए उनकी मदद करें। मैं यह नहीं कहता कि आपदा आये, लेकिन जब आती है तो कौन सही मायने में पीड़ित व्यक्ति से सहानुभूति रखता है और कौन घड़ियाली आंसू बहाता है। इसी पर रहीम जी ने कहा है कि—

रहिमन विपदा हू भली जो थोड़े दिन होय,
हित अनहित या जगत में जान पड़त सब कोय।

मैं निवेदन कर रहा था कि आप स्वयं देखिए 34 जनपद, जैसा माननीय कल्यान सिंह जी ने कहा है, 11, 12 और 13 तारीख की ओलावृष्टि से काफी प्रभावित हुए हैं, 9249 गांव हैं, लगभग 10 हजार गांव हो गये, जो कि पूरी तरह प्रभावित हैं, पशुधन 83 की हानि हुई है, क्षति 10 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक है। राहत कार्य जो कराये गये हैं 50 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले क्षेत्र में भू-राजस्व की वसूली स्थगित कर दी गयी है। मा0 कल्यान सिंह ने तथा और लोगों ने भी कहा गृह अनुदान, अहेतुक सहायता, अनुग्रह अनुदान वितरित करने के आदेश दे दिये गये हैं। जिलाधिकारी को तो निर्देश पहले से हैं। जिलों से प्राप्त सूचनानुसार क्षति जो हुई है 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति वाले जो क्षेत्र थे, भू-राजस्व की वसूली स्थगित कर दी गयी है। जहां 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई है, रिकार्ड में जिलाधिकारी द्वारा दर्ज है, आप यह मानकर चलें कि

वहां भू-राजस्व की वसूली स्थगित है और अगर कोई उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है तो उसे संज्ञान में लायें, हम उन कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

(व्यवधान)

अहैतुक सहायता वितरित की गयी है । गृह अनुदान दिया गया है, रोजगार का प्रबन्ध किया गया है, चारे का प्रबन्ध किया गया है, तकावी बांटी जा रही है, जनपदवार हमारे पास 57 जनपदों का रिकार्ड है, जिसमें पढ़ने में कुछ समय तो लगेगा, लेकिन बता देता हूं ।

सहारनपुर में 13.38 लाख रु0, मुजफ्फरनगर में 4.25 लाख रु0, मेरठ में 9.89 लाख रु0, गाजियाबाद में 13.65 लाख रु0, बुलन्दशहर में 7.80 लाख रु0, अलीगढ़ में 17.15 लाख रु0, मथुरा में 12.40 लाख रु0, आगरा में 12.55 लाख रु0, मैनपुरी में 7.52 लाख रु0, एटा में 15.52 लाख रु0, बरेली में 14.40 लाख रु0 बदायूं में 13.95 लाख रु0 शाहजहांपुर में 33.85 लाख रु0, पीलीभीत में 6.60 लाख रु0, मुरादाबाद 18 लाख, रामपुर 12 लाख, बिजनौर 14.46 लाख, फर्रुखाबाद 15.04 लाख, इटावा 13.56 लाख, कानपुर नगर 3.95 लाख, कानपुर देहात 7.40 लाख, फतेहपुर 12.35 लाख, इलाहाबाद 14.65 लाख, बांदा 22.65 लाख, झांसी 17.05 लाख, ललितपुर 8.81 लाख, जालौन 14.00 लाख, वाराणसी 48.74 लाख, मिर्जापुर 28.45 लाख, जौनपुर 18.05 लाख, गाजीपुर 64.35 लाख, बलिया 52.31 लाख, गोरखपुर 31.53 लाख, बस्ती 55.27 लाख, आजमगढ़ 55.27 लाख, देवरिया 80.61 लाख, नैनीताल 21.56 लाख, अल्मोड़ा 11.45 पिथौरागढ़ 21.25 लाख, चमोली 12.30 लाख, उत्तरकाशी 11.37 लाख, गढ़वाल 14.67 लाख, टिहरी गढ़वाल 25.50 लाख, देहरादून 10.27 लाख, लखनऊ 13.90 लाख, रायबरेली 26.00 लाख, उन्नाव 17.67 लाख, सीतापुर 53.40 लाख, हरदोई 13.04 लाख, खीरी 71.20 लाख, फैजाबाद 19.27 लाख, गोण्डा 41.36 लाख, बहराइच 15.35 लाख, सुल्तानपुर 21.12 लाख, प्रतापगढ़ 7.28 लाख तथा बाराबंकी 24.32 लाख इसका कुल योग है 1250.35 करोड़। यह धनराशि विभिन्न जनपदों में उपलब्ध करायी गयी है । जहां पर उपल वृष्टि से हानि हुई है उसमें क्षति के हिसाब से जिलाधिकारी को आदेश दे दिये गये हैं कि वह इसे सुनिश्चित करें और लोगों में सहायता वितरित करें । जो भी पत्रम् पुष्पम्, फलं, तोयं उपलब्ध है उसे उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में हम समर्पित कर रहे हैं और अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को एक-एक करके दिया जायेगा चाहे इसके लिये उत्तर प्रदेश की सरकार को कुछ भी करना पड़े । मैं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हूं और आशा करता हूं कि इसमें आप लोगों का भी सहयोग हमें मिलेगा। अभी माननीय कल्याण सिंह जी ने जिन बिन्दुओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया है, यह 16 प्वाइन्ट्स हैं वह मैं दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि प्रोसीडिंग में वह सब आ ही गये हैं । राणा जी ने कहा कि लेखपाल ने सही नहीं किया तो मैं इसे दिखाऊंगा और

अगर गलत किया होगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। और भी अन्य सम्मानित सदस्यों ने जो-जो बातें कही हैं, मैंने सबको नोट कर लिया है और सबके प्रति कार्यवाही की जायेगी उत्तर प्रदेश शासन की नीतियों के अनुरूप और अगर उन्होंने शासन की नीतियों के अनुरूप कार्य नहीं किया होगा तो सबके खिलाफ कर्यवाही होगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, अब इसका समय समाप्त हो गया है।

श्री गौरी शंकर–

माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार को उन्होंने अपने विचारों से लाभान्वित किया है, मैं उन सभी मा0 सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि जिन्होंने शासन की नीतियों और रीतियों के विरुद्ध कार्य किये होंगे उनके प्रति सख्त से सख्त कर्यवाही की जायेगी। और उत्तर प्रदेश सरकार राहत कार्यों को बराबर जारी रखेगी और इस संबंध में जो बातें, सुझाव व जानकारी माननीय कल्याण सिंह जी ने व अन्य हमारे सम्मानित सदस्यों ने दीं, मैं उन सबका पुनः आभार प्रकट करता हूं। . . .

(व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर एक दो स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब काहे के स्पष्टीकरण आपने अपनी बातें कहीं और मा0 मंत्री जी ने उन बातों का समस्त जवाब दिया। कृपया बैठें।

टिहरी बांध का वर्तमान ढांचा भूकम्प के झटकों के लिए असुरक्षित होने तथा उसके निर्माण के फलस्वरूप पूरे क्षेत्र में नमी बढ़ जाने की आशंका के विषय में नियम 49 के अंतर्गत चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 18 स्थगित है।

वन विभाग में कार्यरत वाचर खूट मुंशी तथा बैरियर मोहर्रिरों की मजदूरी प्रदेश में लागू न्यूनतम मजदूरी की सभी श्रेणी की दरों से भी कम होने विषयक प्रश्न पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री हर्ष वर्धन–

उत्तर प्रदेश वन विभाग मान्यवर करोड़ों रु0 मन चाहे खर्च कर रहा है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है परन्तु जो इनके विभाग में सबसे छोटे कर्मचारी जैसे वाचर, खूंट मुंशी तथा बैरियर मोहर्रिरों को प्रति माह मात्र 275 रु0 आज के दौर में वेतन दिया जा रहा है, जिनकी बदौलत उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व की एक अच्छी मात्रा

में आपूर्ति होती है । इस प्रकार से इन कर्मचारियों को मान्यवर जो दैनिक मजदूर हैं, जिनको प्रतिदिन साढ़े 13 रु0 मिलता है उससे भी कम उनको वेतन दिया जा रहा है जबकि यह 24 घंटे कार्य करते हैं और पूरे-पूरे वर्ष काम करते रहते हैं इसी तरह से । ऐसा करके इनके साथ न्याय का काम नहीं किया जा रहा है इनके परिवार आज भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं और जब माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा इनके वेतन को बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं है, यह बात मान्यवर किसी भी रूप में उचित नहीं है, इस प्रकार यह सरकार इन छोटे कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील नहीं रह गयी है जबकि इनके द्वारा इस विभाग को काफी आमदनी होती है । इसलिए मान्यवर मेरा आपसे अनुरोध है इनके वेतन का पुनर्निर्धारण कराएं मंत्री जी इन्हें कम न्यूनतम मजदूरी की सीमा है, उसके बराबर ही वेतन दिए जाने पर विचार करने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर आज के एजेण्डे में आप देखें जो यह चर्चा चल रही है, इससे पहले भी मद 18 पर एक चर्चा आधे घण्टे की टिहरी बांध पर है, इसको क्यों छोड़ दिया गया.

श्री अधिष्ठाता–

यह चर्चा मा0 सकलानी जी स्थापित हो गयी है, कृपया विराजें ।

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जिन कर्मचारियों के वेतन के बारे में मा0 सदस्य ने मा0 सदस्य ने जिक्र किया है, यह कर्मचारी वन विभाग में मात्र 6–8 माह के लिए सीजनली काम करते हैं और इन्हें न्यूनतम मजदूरी जो दी जाती है वह शासनादेश संख्या जी-2-1192/×-303-78 दिनांक 26-12-86 के अनुसार दी जाती है और मान्यवर यही कर्मचारी वाचर, खूंठ मुंशी तथा बैरियर मोहरिर आदि जब किसी दूसरी जगह पर काम करते हैं, जब हमारे यहां काम नहीं रहता तो इन्हें मात्र 30 दिन के 200/-रु0 ही मिलते हैं, वैसे माननीय सदस्य ने जिन बातों का उल्लेख किया है उतना हम उन्हें पैसा दे नहीं पाते हैं . . मैं माननीय सदस्य को आश्वासन करना चाहता हूं कि यह एक विचाराधीन बिन्दु है और निकट भविष्य में इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वाचर 7-8 महीने काम करता है, मेरी जानकारी है कि वह 12 महीने काम करता है और 24 घन्टे काम करता है, तो क्या मेरी जानकारी को सही मानकर माननीय मंत्री जी इसको फिर से दिखवाने की कृपा करेंगे । माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर यह जिले के बाहर जाते हैं तो 275 रु0 प्रतिमाह या बाजारू दर से मजदूरी जो भी कम हो, दी जाती है। क्या माननीय मंत्री जी इस धन को जीने लायक समझते हैं, अगर नहीं तो कब इस संबंध में नीति निर्धारण कर देंगे ।

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, जीवन यापन कितने पैसों में सम्भव होगा, इसकी व्याख्या करना संभव नहीं है, लेकिन जो बात माननीय तिवारी जी ने कहा है कि वाचर 12 महीने काम करता है, इसको दिखवा लूंगा और इनकी मासिक आमदनी क्या हो इस पर निकट भविष्य में विचार कर लिया जायेगा, जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया है।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 55 मिनट पर बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 1988 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
29 मार्च, 1988

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तां0 प्र0 सं0 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 20 पर)

राज्य योजना आयोग तथा पी0पी0एम0 सेल में सचिवालय स्थित पदों की स्थिति

विभिन्न वर्गों के पदों के नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	अन्तिम विहित वेतनक्रम
राजपत्रित		
1—विशेष सचिव	2	आई0ए0एस0 संवर्ग के हैं
2—संयुक्त सचिव/उप सचिव ..	1	,, ,,
3—निजी सचिव ग्रेड–1	2	1250–2050
4—वरिष्ट शोध अधिकारी ..	5	1250–2050
5—शोध अधिकारी	21	850–1720
6—निजी सचिव ग्रेड–2 ..	3	770–1600
7—अनुभाग अधिकारी	2	770–1600
8—प्रमुख समन्वय अधिकारी ..	1	2500–2750
9—सामाजिक नियोजक	1	2400–2800
10—विशेषज्ञ, एम0आई0एस0 ..	1	2400–2800
11—ओ0एस0डी0	1	770–1600
12—योजना सलाहकार	संविदा	----
अराजपत्रित		
13—कार्टोग्राफर	1	625–1240
14—प्रवर वर्ग सहयक	8	570–1100
15—समन्वय सहायक	8	570–1100
16—संदर्भ लिपिक	2	570–1100
17—सांख्यिकीय सहायक	9	570–1100
18—वैयक्तिक सहायक	11	570–1100
19—अवर वर्ग सहायक	7	470–735
20—ड्राफ्ट्समैन	1	470–735
21—आलेखक प्रालेखक	1	515–860
22—आशुलिपिक	4	515–860
23—टंकक	11	354–550
24—ड्राइवर	8	330–495
25—साइक्लोस्टाइल आपरेटर ..	1	315–440
26—फोटो स्टेट मशीन आपरेटर ..	2	315–440
27—दफ्तरी	1	315–440
28—चपरासी	22	305–390
29—सहायक ले खाकार	1	515–860

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1988 के 5वें मंगल के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 का अनुलग्नक

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी तथा फतेहगढ़ के सम्बन्ध में वांछित सूचना निम्न प्रकार है—

	केन्द्रीय कारागार वाराणसी	केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़	योग
1—आजीवन कारावास की सजा भोग रहे बन्दियों की संख्या (दिनांक 15-12-87 को)	552	1116	1668
2—उनमें 10 वर्ष या उससे अधिक की सपरिहार सजा भोग चुके बन्दियों की संख्या (दिनांक 15-12-87 को)	188	512	700
3—वर्ष 1986 से दिनांक 15-12-87 तक प्रोबेशन पर रिहाई हेतु आवेदन पत्र (फार्म "ए") देने वाले बन्दियों की संख्या	123	219	342
4—उनमें से निस्तारित किये गये प्रार्थना पत्र (फार्म "ए") की संख्या तथा	76	69	145
5—उनमें से अभी विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन प्रार्थना पत्रों (फार्म "ए") की संख्या	47	150	197

पी०एस०यू०पी०—एल० 86 विधान सभा—(134)—1988-8131